

भिष्म-विचार ग्रन्थावली

ग्रन्थ : १

भि -विचार दर्शन

(तेरापंथ दर्शन)

मुनि श्री नथमल

श्री तेरापंथ द्विषताब्दी-समारोह के
अभिनन्दन में

प्रकाशक :

जैन श्वेताम्बर तेरापंथी महासभा
इ, पोचुगीज चर्च स्ट्रीट
कलकत्ता

प्रथमावृत्ति :

१६६०

प्रति संल्प्या :

१५००

पृष्ठांक :

२१४

मूल्य :

इ. रु० ५० न० पै०

मुद्रक :

नालन्दा प्रिंटर्स
१७६, मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट
कलकत्ता-७

प्रकाशकोय

तेरापंथ के आदि-शृष्टि का वास्तविक नाम भीखन है। 'भिखु' उसका लहरूप है। इसी नाम से वे अनेक कृतियों में सम्बोधित किये गये हैं। 'भिखु' शब्द से उनका गुण निष्पत्ति संस्कृत सम्बोधन 'भिक्षु' हुआ। इस ग्रन्थ में शृष्टि भीखनजी के विचारों की पृष्ठभूमि और हार्द्र का संक्षिप्त, पर अत्यन्त मार्मिक विश्लेषण है।

इस महान् शृष्टि का जन्म मारवाह के कंदालिया ग्राम में सं० १७८३ में हुआ। सं० १८०८ में आचार्य रुधनाथ जी के सम्प्रदाय में मुनि हुए। ८ वर्ष उनके साथ रहने के पश्चात् सं० १८१७ में उनसे अलग हुए और आषाढ़ी पूर्णिमा सं० १८१७ के दिन मेवाह के केलवा गाँव में स्वयं नई दीक्षा ली। यही दिन तेरापन्थ के शिलान्यास का दिन कहा जा सकता है। आगामी आषाढ़ शुक्ल १४, २०१७ के दिन तेरापन्थ की संस्थापना के दो सौ वर्ष पूरे होंगे। यह ग्रन्थ द्विशताब्दी समारोह के अभिनन्दन में प्रकाशित किया जा रहा है।

धर्म को अथवा जल-प्रवाह की उपमा दी जा सकती है जो अपने अजस्त प्रवाह में रजकणों के समूह को समेता चला जाता है। विकास के नाम पर कहिए अथवा पुरुषार्थी की हीनता के कारण कहिए—कालान्तर में धर्म-जैसी स्वच्छ चीज भी धूमिल हो जाती है।

शृष्टि एक ऐसा महापुरुष था जिसने आगम के पृष्ठों पर एक गम्भीर दृष्टि डाली और जैन धर्म के स्वच्छ पटल पर बुरी तरह से आच्छादित रजकणों को दूर करने का भगीरथ प्रयत्न किया। कांति की प्रचण्ड किरणें विखरी वे असद्य हुईं पर उन्होंने तिमिर में से ज्योतिर्मय पथ प्रशस्त कर दिया।

'आगम-उत्थापक' उसका विरद हुआ और 'दया दान का उच्छेदक' पुष्प जो उसपर चढ़ाये जाने लगे। 'शिरञ्जेद' ही उसके लिए योग्य उपहार समझा जाता था। पर वह लौहपुरुष इन सबके बीच अपनी साधना में अड़िग रहा। बुराइयों पर गहरी चोटें उसने कीं। शुद्ध ज्ञान और श्रद्धा का आलोक उसने प्रदीप किया। 'आत्म-साधना करे वही साधु'—इस सूत्र को उसने जीवन-ग्रदीप के रूप में स्थिर किया।

वह एक द्रष्टा था, जिसने दूर तक देखा और तह तक देखा। दार्शनिक के रूप में वह इतना सुगम, सरल और स्पष्ट है कि वही अपना एक उदाहरण

है। गहराई में वह उतना ही गम्भीर है, कितना कि कोई भी बड़ा से बड़ा दार्शनिक।

उसकी जीवन्त वाणी में अहिंसा का अमृत भरा हुआ है। ‘छोटे बड़े सबकी आत्मा को अपने समान समझो’, ‘अपने सुख के लिये क्षुद्रों के जीवन की कीमत को नगण्य मत समझो’ इस धोप का उद्घोषक इन कई शताब्दियों में चैसा दूसरा नहीं हुआ।

उसके विचारों के कलेवर में आज पंख निकल चले हैं। गगन-विहारी पक्षी की तरह उसके विचार चिन्तक-जगत के क्षितिज में उड़ान लेने लगे हैं। उसके विचारों का सत्य आज जगत के प्रमुख विचारकों की विचारधारा में अनायास अंकुरित हो रहा है।

इस छोटे से ग्रन्थ में तलस्वश्यों प्रकाश है ऐसे ही महापुरुष के जीवन-वृत्तों के आधार में रही हुई विचारधारा और उक्तांतक वाणी पर।

लेखक मुनि नितने गृह हैं उतनी ही गृहता तक पहुँच भी पाये हैं। उन्होंने भीखनकी के विचारों का मंथन कर उसका नवनीत प्रस्तुत कर दिया है। गागर में सागर मरने का प्रयत्न किया है। ‘आचार्य सन्त भीखनकी’ के बाद यह दूसरी पुस्तक है जो इतना सुन्दर प्रकाश उनके विचारों पर ढालती है। आचार्य श्री भीखनकी को समझने में यह पुस्तक असाधारण रूप में सहायक हो पायेगी, ऐसी उम्मीद है।

द्वितीयांशी समारोह व्यवस्था समिति

३, पोन्नुगील चर्च स्ट्रीट

कलकत्ता

दिनांक ४ मार्च, १९६०

}

श्रीचन्द्र रामपुरिया

व्यवस्थापक

साहित्य विमाग

आशीर्वचन

‘तेरापंथ द्विशताब्दी’ के अभिनन्दन में साहित्य की सुन्दर साधना होनी चाहिए— इस नियंत्रण के अनुसार जैन आगम-साहित्य की सजावट में हमारा साधु संघ छुट गया। मूल आगमों का हिन्दी अनुवाद, टिप्पणियाँ, तुलनात्मक टिप्पण, प्राकृत-शब्दकोष आदि विविध प्रकार के कार्य चालू हैं। इस अवसर पर ‘तेरापंथ का इतिहास’, ‘तेरापंथ के आचार्यों के जीवन-चरित’, ‘साधु-साध्वियों की जीवनियाँ’, आदि-आदि विषयक अनेक प्रकार के साहित्य का सूजन भी हो रहा है।

बहुत दिनों से मेरा एक चिन्तन चल रहा था कि तेरापंथ द्विशताब्दी के अवसर पर ‘आचार्य सन्त भीखन जी’ के जीवन का दार्शनिक रूप जनता के समझ आना चाहिए। मैंने यह विचार शिष्य मुनि नथमल जी से कहा। उन्होंने उसी दिन से इसकी रूप-रेखा अपने मन में तैयार कर ली और कलकत्ता चातुर्मास के अन्तिम दिनों में मेरी इस भावना को मूर्त्तरूप देते हुए एक ग्रन्थ लिख डाला।

ग्रन्थ का नाम ‘भिक्षु-विचार दर्शन (तेरापंथ-दर्शन)’ है। इसके सात अध्याय हैं—

- १—व्यक्तित्व की सर्वकी
- २—धर्म-क्रान्ति के बीज
- ३—साध्य-साधन के विविध पहलू
- ४—चिन्तन के निष्कर्ष
- ५—क्षीर-नीर
- ६—संघ व्यवस्था
- ७—अनुभूति के महान् स्रोत

इन सातों अध्यायों में स्वामीजी के सिद्धान्तों, मन्त्रव्यों, चिचारों एवं निष्कपों का खूब गहराई से प्रतिपादन किया गया है। लेखक की भाषा-शैली गम्भीर एवं दार्शनिक है फिर भी स्वामीजी के विविध जीवन-प्रसंगों का तुलनात्मक चिन्तन एवं जीवन के व्यावहारिक पक्ष को जिस सरलता से रखा है उससे भाषा की जटिलता सुगमता में परिणत हो गई है।

वास्तव में ही यह ग्रन्थ तेरापंथ-साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। मैं समझता हूँ कि ठीक मेरी भावना के अनुरूप ही यह ग्रन्थ तैयार हुआ है। मेरा विश्वास है कि जहाँ यह चौद्धिक लोगों की ज्ञान-पिपासा को शांत करेगा, वहाँ स्वामी जी के सिद्धान्तों को सही समझने में भी बहुत उपयोगी सिद्ध होगा।

अन्त में, लेखक की लेखन-शक्ति, चिन्तन-शक्ति और मनन-शक्ति उत्तरोत्तर वृद्धिगत होती रहे, यह मैं अन्तःकरण से कामना करता हूँ।

राजलदेसर (राजस्थान)	}	आचार्य तुलसी
वि० सं० २०१६ फा० कृष्ण १४		

भूमिका

काव्य-रचना, व्याकरण, न्यायशास्त्र, सिद्धान्त, वीज-शास्त्र, ज्योतिष-विद्या में निपुण अनेक आचार्य होते हैं, किन्तु चारित्र में निपुण हो वैसे आचार्य चिरले ही होते हैं^१।

आचार्य भिक्षु उन चिरले आचार्यों में थे। उन्होंने चारित्र-शुद्धि को उतना नहून दिया जितना देना चाहिए। ज्ञान, दर्शन और चारित्र तीनों की आराधना ही नुक़ि का मार्ग है। परन्तु परित्यतिवश किसी एक को प्रधान और दूसरों को गौण करने की स्थिति आ लाती है। आचार्य भिक्षु ने ऐसा नहीं किया। वे जीवन भर ज्ञान की आराधना में निरत रहे और उनका चारित्रशुद्धि का घोष ज्ञान-शून्य नहीं था।

चैन परम्परा में चारित्रिक शिथिलता का पहला सूत्रपात आर्य सुहृत्ती के चमत्व में होता है। उसका कारण राज्याश्रय बना।

चत्राट सम्राट के संकेतानुसार चत्र लोग सामुओं को यथेष्ट मिक्षा देने लगे। मिक्षा की सुगमता देख महागिरि ने आर्य सुहृत्ती से पूछा। यथेष्ट उचर न मिलने पर उन्होंने आर्य सुहृत्ती से सम्बन्ध विच्छेद कर लिया^२।

धर्मानन्द कोसन्नी ने बौद्ध धर्म के पतन का एक कारण राज्याश्रय माना है। “श्रमण उंकृति ने बो दोष आए। उसका सुख्य कारण, उसे राज्याश्रय मिलना रहा होगा। बुद्ध ने अपनी छोटी लर्मीदारी छोड़कर सन्यास लिया और पैतालित वर्ष तक धर्म-प्रचार का काम किया। इस काल में महाराजों से उनका सम्बन्ध त्वचित् ही रहा।

“विवार गुला ने बुद्ध का बड़ा सम्मान किया और उसे वेणुवन दान में दिया, आदि बो कथाएँ विनय-महावग्न में हैं, वे विल्कुल कल्पित लान पड़ती हैं। कारण, बुद्धपिटक में उनके लिए कोई आधार नहीं मिलता। विवार

१-द्युक्ति सुल्लापदी ५९ :

केचित्कान्यकलाकृतामकुरुत्यः केचित्व सत्त्वस्तुः,

केचित्तर्कविदकर्त्त्वं निपुणाः केचित्त्र्व सैद्धान्तिकाः ।

केचिन्नित्यश्वीलगात्मविनिरता न्योतिर्विदो भूयः,

चारित्रैकविदात्मात्मनवनाः स्वल्पाः पुनः स्त्रयः ॥

२-द्वृत्तस्त्र चूर्णे ३०१

राजा उदाहर था और वह सब पन्थों के अमणों से समान व्यवहार करताथा। इस दशा में उसने यदि बुद्ध तथा उनके संबंध को अपने वेणुवन में रहने की अनुमति दी हो, तो इसमें कोई विशेषता नहीं।^१

निचीय सूत्र का पाठ भी शायद इसी दिशा की ओर संकेत करता है^२।

पंडित वेचरदासली का मत है—दीर्घ तपस्वी भगवान् महावीर और उनके उत्तराधिकारी चम्मूस्वामी तक ही चैन मुनियों का यथोपदिष्ट आचार रहा, उसके बाद ही जान पड़ता है कि बुद्ध देव के अतिव्युत लोकप्रिय भव्यम मार्ग का उन पर प्रभाव पढ़ने लगा। शुरू-शुरू में तो शायद जैन-धर्म के प्रसार की भावना से ही वे बौद्ध साधुओं दैसी आचार की छूट लेते होंगे, परन्तु पीछे उसका उन्हें अभ्यास हो गया। इस तरह एक सद्भिन्नाय से भी उक्त शिथिलता बढ़ती गई जो आगे चलकर चैत्यावास में परिणत हो गई^३। नाथ-राम प्रेमी ने भी राजाओं द्वारा प्राप्त प्रतिष्ठा को चारित्र-शिथिलता का एक कारण माना है। उन्होंने लिखा है—“यह कहना तो कठिन है कि किसी समय सबके सब साधु आगमोपदिष्ट आचारों का पूर्ण रूप से पालन करते होंगे, फिर भी शुरू-शुरू में दोनों ही चाखाओं के साधुओं में आगमोक्त आचारों के पालन का अधिक से अधिक आग्रह था। परन्तु ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, साधु-संख्या बढ़ती गई और भिन्न-भिन्न आचार-विचार बाले विभिन्न देशों में फैलती गई, धनियों और राजाओं द्वारा पूला प्रतिष्ठा पाती गई त्यों-त्यों उसमें शिथिलता आती गई और दोनों ही सम्प्रदायों में शिथिलाचारी साधुओं की संख्या बढ़ती गई^४।”

उक्त कारणों के अतिरिक्त और भी अनेक कारण रहे हैं जैसे—

- (१) दुर्मिळ
- (२) लोक-संग्रह
- (३) मन्त्र, तन्त्र, शक्ति-प्रयोग आदि

१-भारतीय चुनौति और अहिंसा पृ० ६५-६६

२-निशीय चृद्धेशक ४ :

से भिन्नखु—१-३ रायं अतीकरेद, अच्चीकरेद,
अत्यीकरेद ४-६ रायारक्षित्यं, ७-९ नगरारक्षित्यं,
१०-१२ निगमारक्षित्यं, १३-१५ वेसारक्षित्यं,
१६-१८ चत्वारक्षित्यं अतीकरेद, अच्चीकरेद, अत्यी करेद

३-जैन साहित्य और इतिहास पृ० ३५१

४-जैन साहित्य और इतिहास पृ० ३५१

बीर निवाण द्द२ (विक्रम सं० ४१२) में चैत्यवास की स्थापना हुई । चारित्र-शिथिलता का प्रारम्भ पहले ही हो चुका था किन्तु उसकी एक व्यवस्थित स्थापना इस वीं शती में हुई । उस समय श्वेताम्बर मुनिगण दो भागों में विभक्त हो गये । (१) चैत्यवासी (२) और सुविहित या संविग्न-पाक्षिक । हरिमद्र सूरि ने चैत्यवासियों के शिथिलचार का वर्णन 'सम्बोध प्रकरण' में किया है :—

“ये कुसाधु चैत्यों और मठों में रहते हैं, पूजा करने का आरम्भ करते हैं, देव-द्रव्य का उपभोग करते हैं, जिन-मन्दिर और शालायें चिनवाते हैं, रङ्ग-विरङ्गे सुगन्धित धूपवासित वस्त्र पहनते हैं, बिना नाथ के बैलों के सहज स्त्रियों के आगे गते हैं, आर्यिकाओं द्वारा लाए गए पदार्थ खाते हैं और तरह-तरह के उपकरण रखते हैं ।

“जल, फल, फूल आदि सचित्त द्रव्यों का उपभोग करते हैं, दो तीन बार मोलन करते और ताम्बूल लवंगादि भी खाते हैं ।

“ये मुहूर्त निकालते हैं, निमित्त बतलाते हैं, भूषृत भी देते हैं । ज्योनारों में मिष्ठ आहार प्राप्त करते हैं, आहार के लिए खुशामद करते और पूछने पर भी सत्य धर्म नहीं बतलाते ।

“स्वयं भ्रष्ट होते हुए भी दूसरों से आलोचना प्रतिक्रमण कराते हैं । स्नान करते, तेल लगाते, शृंगार करते और इत्र—फुलेल का उपयोग करते हैं ।

“अपने हीनाचारी मृतक गुरुओं की दाह-भूमि पर स्तूप बनवाते हैं । स्त्रियों के समक्ष व्याख्यान देते हैं और स्त्रियाँ उनके गुणों के गीत गाती हैं ।

“सारी रात सोते, क्रय-विक्रय करते और प्रवचन के बहाने विकथाएँ किया करते हैं ।

“चेला बनाने के लिए छोटे-छोटे बच्चों को खरीदते, भोले लोगों को ठगते, और जिन-प्रतिमाओं को भी बेचते-खरीदते हैं ।

“उच्चाटन करते और वैद्यक, यंत्र, मन्त्र, गंडा, तादीन आदि में कुशल होते हैं ।

“ये सुविहित साधुओं के पास जाते हुए श्रावकों को रोकते हैं, शाप देने का भय दिखाते हैं, परस्पर विरोध रखते हैं और चेलों के लिए एक दूसरे से लड़ मरते हैं ।

जो लोग इन भ्रष्ट-चरित्रों को भी मुनि मानते थे, उनको लक्ष्य करके श्री हरिमद्रसूरि कहते हैं—“कुछ नासमझ लोग कहते हैं कि यह भी तीर्थकरों का

वेप है, इसे नमस्कार करना चाहिए। अहो धिक्कार हो इन्हें। मैं अपने सिर-शूल की पुकार किसके आगे लाकर करूँ ॥ १ ॥

बौद्ध भिक्षुओं में चैत्यवास जैसी परिग्रही परम्परा का प्रारम्भ सम्राट अशोक के समय से होता है—यद्यपि महात्मा बुद्ध अपने लिए बनाए गए विहार में रहते थे। किन्तु अशोक से पहले भिक्षु-संघ की जो स्थिति थी वह बाद में नहीं रही—“अशोक के बाद यह स्थिति बदली। बौद्ध-धर्म राज्याश्रित बना। राज्याश्रय प्राप्त करने का प्रयत्न प्रथमतः बौद्धों ने किया या जैनों ने, यह नहीं कहा जा सकता। यदि यह सच माना जाए की चन्द्रगुप्त मौर्य जैन या तो कहना पड़ेगा कि राज्याश्रय प्राप्त करने का प्रथम प्रयत्न जैनों ने किया। पर यह प्रश्न बहुत महत्व का नहीं है। इतना सच है कि अशोक के बाद बौद्ध और जैन दोनों ही पंथों ने राज्याश्रय प्राप्त करने का प्रयत्न किया।

“अशोक के शिलालेखों में इसके लिए कोई आधार नहीं मिलता कि अशोक को बुद्धोपासक बनाने का किसी बौद्ध साधु ने प्रयत्न किया। पर यह बात भी विशेष महत्व की नहीं है। इसमें सन्देह नहीं कि बौद्ध बनने के

१-संबोध प्रकरण :

चेद्यमदाद्वासं पूयारं माइ निच्चवासितं ।

देवाद्वद्वयमोर्गं निष्ठाहरसाताइकरणां च ॥ ६३ ॥

वत्याहं विविहवणाहं अहसियसदाहं धूवनासाह ।

परिहज्जइ जत्य गणे तं गच्छं मूलगुणमुकं ॥ ४६ ॥

अन्नतियवसहा इव पुरात्रो गायंति जत्य महिलाणां ।

जत्य जयारमयारं गयांति आलं सयं दिन्ति ॥ ४६ ॥

संनिहि माद्याकम्मं जलफलकुमुमाइ सन्व सच्चितं ।

निच्च दुतिवारं मोयण विगदलवंगाइ तंबोलं ॥ ५७ ॥

नरयगद्वै जोउस निमित्तेगिच्छमंत जोगाहं ।

मिच्छत्रायसेवं नीयाण वि पावसाहिज्जं ॥ ६३ ॥

मयकिच्च निष्ठपूयापर्वतां मयघणायां निषदाणे ।

गिहिपुरओ थंगाइपवयणकहणां धणद्वाए ॥ ६८ ॥

वत्योवगरणपत्राइ दव्वं नियनिस्सपण संगहियं ।

गिहि गेहंमि यजेसि ते किणिए जाण न हु मुणियो ॥ ८१ ॥

गिहिपुरओ सकायं करंति अगणोगणमेव भूमंति ।

सीसाइयाण कच्जे कलहविवायं उद्दरेति ॥ १६२ ॥

किं बहुणा मणिपर्णां बालायां ते हर्वंति रमणिज्ञा ।

दक्खिणं पुण एष विराहण छन्नपावदहा ॥ १६३ ॥

बाला वर्यंति एवं वेसो तिथंकराण एसो वि ।

णमणिज्ञो यिदी अहो सिरचलं कस्तु पुक्करिमो ॥ ७६ ॥

बाद उसने अनेक विहार बनवाए और ऐसी व्यवस्था की कि हजारों भिक्षुओं का निर्वाह सुखपूर्वक होता रहे। दन्तकथा तो यह है कि अशोक ने चौरासी हजार विहार बनवाए, पर इसमें तथ्य हतना ही जान पड़ता है कि अशोक का अनुकरण कर उसकी प्रजा ने और आसपास के राजाओं ने हजारों विहार बनवाए और उनकी संख्या अस्ती-नव्वे हजार तक पहुँची।

“अशोक राजा के इस कार्य से बौद्ध-भिक्षु-संघ परिग्रहबान् बना। भिक्षु की निबी संपत्ति तो केवल तीन चौबार और एक भिक्षा-पात्र भर थी। पर संघ के लिए रहने की एकाध नगह लेने की अनुमति बुद्ध-काल से ही थी। उस नगह पर मालिकी गृहस्थ की होती थी और वही उसकी मरम्मत आदि करता था। भिक्षु-संघ इन स्थानों में केवल चातुर्मास-भर रहता और शेष आठ महीने प्रवास करता हुआ लोगों को उपदेश दिया करता था। चातुर्मास के अतिरिक्त यदि भिक्षु-संघ किसी स्थान पर अधिक दिन रह जाता था, तो लोग उसकी टीकाटिष्णी करने लगते थे। पर अशोक-काल के बाद यह परिस्थिति विलुप्त हो गई। बड़े-बड़े विहार बन गए और उनमें भिक्षु स्थायी रूप से रहने लगे।”

आचार्य भिक्षु ने (विं० १६ वीं शती में) अपने समय की रियति का जो चित्र खींचा है वह (विं० ८-६ वीं शती के) हरिमद्रस्त्रि से बहुत मिन्न नहीं है। वे लिखते हैं :—

- १—आज के साथु अपने लिए बनाए हुए स्थानकों में रहते हैं^१।
- २—पुस्तक, पन्ने, उपाश्रय को मोल-लिवाते हैं^२।
- ३—दूसरों की निन्दा में रत रहते हैं^३।

१—मारतीय संस्कृति और इतिहास पृ० ६६-६७

२—साध्वाचार चौपैर्द ढाल १ गा० २ :

आधाकर्मी यानक में रहे तो, पाढे चारित में भेद जी।

नशीत रे दशमे उद्देशे, च्यार महीना रो छेद जी॥

३—साध्वाचार चौपैर्द ढाल १ गा० ७ :

पुस्तक पातर दपाशादिक, लिपरावे ले ले नामजी।

आछा भूंडा कहि मोल बतावे, ते करे गृहस्थ नों काम जी॥

४—साध्वाचार चौपैर्द ढाल १ गा० १७

परनिन्दा में राता माता, चित्त में नहीं संतोष जी।

बीर कझो दसमाँ अंग में, तिण बचन में तेरे दोष जी॥

- ४—गृहस्थ को ऐसी प्रतिज्ञा दिलाते हैं कि तू दीक्षा ले तो मेरे पास लेना,
और किसी के पास नहीं^१ ।
- ५—चेलों को खरीदते हैं^२ ।
- ६—पुस्तकों का प्रतिलेखन नहीं करते^३ ।
- ७—गृहस्थ के साथ समाचार मेज़ाते हैं^४ ।
- ८—मर्यादा से अधिक वस्त्र रखते हैं^५ ।
- ९—मर्यादा से अधिक सरस आहार लेते हैं^६ ।

१-साध्वाचार चौपैर्छ ढाल १ गा० १८-१६ :

दिल्ल्या ले तो भो आगे लीजे, और कर्ने दे पाल जी ।
कुण्ड एहो सूंस करावे, ए चोडे ऊँधी चाल जी ॥
ए दंधा थी ममता लागे, गृहस्थ सूं मेलप थाय जी ।
नशीत रे चोये उद्देशे, ढंड कहो जिणराय जी ॥

२-साध्वाचार चौपैर्छ ढाल १ गा० २२-२४ :

चेला करण री चलगत ऊँधी, चाला बोहत चलाय जी ।
साथे लिर्या फिरे गृहस्थ ने, वक्ते रोकड़ दाम दराय जी ॥
विवेक विकल ने सांग पहराए, भेलो करे आहार जी ।
सामझी में जाय वंदावे, फिर फिर करे खुबार जी ।
अनोग नें दिल्ल्या दीधी ते, मगवंत री आग्या वार जी ।
नशीत रे ढंड मूळ न मान्यो, ते विटल डुवा वेकार जी ॥

३-साध्वाचार चौपैर्छ ढाल १ गा० ३५ :

विन पङ्गेह्या पुस्तक राखें, वक्ते जमें जीवां रा जाल जी ।
पड़े कुँयुआ उपजे माकड़, जिण चांधी मांगी पाल जी ॥

४-साध्वाचार चौपैर्छ ढाल १ गा० २७-२८ :

गृहस्थ नें साथे कहे संदेसो, तो भेलो हुओ संमोग जी ।
तिणें साथु किम सरधीजे लागो जोग ने रोग जी ॥
समाचार विविरा झुष कहि कहि, सानी कर गृही झुलाय जी ।
कागद लिखावे करे आमना, परहाय दिए चलाय जी ॥

५-साध्वाचार चौपैर्छ ढाल १ गा० ४१-४२ :

कपड़ा में लोपी मरजादा, लांवा पेना लगाय जी ।
अधिको राखे दोयवड ओढ़े, वक्ते बोले मुंसा बाय जी ॥
उपगरण ने अधिका राखे, तिण मोटो कियो अन्याय जी ।
नशीत ने सोलमें उद्देशे, चोमासी चारित जाय जी ॥

६-साध्वाचार चौपैर्छ ढाल १ गा० ३८ :

सरस आहार से विन मरजादा, तो बोये देही री लोय जी ।
काचमणी प्रकाश करे जिम, कुण्ड भाया योय जी ॥

में गोचरी जाते हैं^१ ।

बनाने के लिये आत्मर हो रहे हैं । हन्हें सम्प्रदाय चलाने से साधुपन से नहीं^२ ।

पास जाते हुए श्रावकों को ज्यों-स्त्रों रोकने का यत्न करते हुए कुटुम्ब में कलह का बीज लगा देते हैं^३ ।

राग्य घट रहा है; मेख बढ़ रहा रहा है । हाथी का भार गधों हुआ है । वे थक गए हैं और उन्होंने वह भार नीचे ढाल है^४ ।

१-शिथिलता के विशद्ध जैन-परम्परा में समय-समय पर क्रान्ति होती रहा^५ । आर्य सुहस्ती आर्य महागिरि के सावधान करने पर तत्काल सभ्ल गए^६ । चैत्यवास की परम्परा के विशद्ध सुविहित-मार्गी साधु बराबर जूझते रहे । हरिभद्रसूरि ने 'संबोध प्रकरण' की रचना कर चैत्यवासियों के कर्तव्यों का विरोध किया । जिनवल्लभसूरि ने 'संघपट्टक' की रचना की और सुविहित-मार्ग को आगे बढ़ाने का यत्न किया । जिनपतिसूरि ने संघपट्टक पर ३ इजार श्लोक-प्रमाण टीका लिखी, जिसमें चैत्यवास का स्वरूप विस्तार से बताया । चैत्यवास के विशद्ध यह अभियान सतत चाल रहा ।

विक्रम की सोलहवीं शती में लोकाशाह ने मूर्ति-पूजा के विशद्ध एक विचार

२-साध्वाचार चौपई दाल ? गा० २०-२१ :

जीमण्वार में बहरण जाए, आ साधाँ री नहीं रीत जी ।

वरन्यो आचारंग वृहत् कल्प में, उत्तरावैन नसीत जी ॥

आलस नहीं आरा में जातां, बले बेठी पांत वसेष जी ।

सरस आहार ल्यावे मर पातर, त्यां लन्या छोड़ी ले भेष जी ॥

२-साध्वाचार चौपई दाल ३ गा० २१ :

चेला चेली करण रा लोमिया रे, एकंत मत बांधण सूं काम रे ।

विकलां नें भूं-भूं-भूं भेला करे रे, दिराप गृहस्य ना रोकङ दाम रे ॥

३-साध्वाचार चौपई दाल ५ गा० ३३-३४ :

केह आवे सुष साधाँ कर्ने, तो मतीयों नें कहे आंम ।

थें वर्जीं राखो धर रा मनुष्य नें, जावा मत दो तांम ॥

कहे दर्शण करवा दो मती, वले सुणवा मत दो बाण ।

घराए नें ल्यावो नहाँ कर्ने, ए कुरुरु चरित पिछांण ॥

४-साध्वाचार चौपई दाल ६ गा० २८ :

दैराप घट्यो नें भेष बखियो, हाथ्यां रो मार गधां लदियो ।

थक गया बोक दियो रालो, एहवा भेषधारी पांचमें कालो ॥

५-वृहत्कल्प चूर्णि उद्देशक १, निशीय चूर्णि ३० ८

क्रान्ति की। लोंकाशाह की हुँडी में शिथिलाचार के प्रति स्पष्ट विद्वोह की माचना भल्क रही है^१।

लोंकाशाह के अनुगामी जो शिष्ट बने, वे चारित्र की आराधना में विशेष लागलक रहे।

विं सठ १५८२ में तपागच्छीय आनन्दविमलसूरि ने चारित्र-शिथिलता को दूर करने का प्रयत्न किया। वे स्वयं उग्र-विहारी बने। उन्होंने १५८३ में एक इधर सूजीय लेख-पत्र लिखा। उसके प्रमुख सूत्र हैं :—

१.—विहार गुच्छ की आज्ञा से किया जाए।

२.—बणिक के सिवाय दूसरों को दीक्षा न दी जाए।

३.—परीक्षा कर गुच्छ के पास विधिरूपक दीक्षा दी जाए।

४.—गृहस्थों से वेतन दिलाकर पंडितों के पास न पढ़ा जाय।

५.—एक हवार श्लोक से अधिक ‘उद्दियों’—प्रतिलिपि करने वालों—से न लिखाया जाए^२।

आचार की शिथिलता और उनके विवर क्रान्ति—यह क्रम दिगम्बर परम्परा में भी चलता रहा है। भट्टाचार्यों की क्रिया चैत्यवासियों से मिलती जुलती है। वे भी उग्र-विहार को छोड़ मठवासी हो गए। एक ही स्थान में स्थायी रूप से रहने लगे। उद्दिष्ट मोजन करने लगे। लोहे का कमण्डल रखना, कपड़े के जूते पहनना, सुन्नासन—पालकी पर चढ़ना आदि-आदि प्रवृत्तियों द्वारा घर कर गई^३।

श्रिवर्णाचार, धर्म रसिक आदि ग्रन्थ रचे गए। उनमें चैन-मान्यताओं की निर्मम हत्या की गई है^४।

^१-१६६ बोल्ल की हुँडी, शिशुहित शिला-पृष्ठ २५५—

२-जैन साहित्य संशोधन बोर्ड ३ अंक ४ पृष्ठ ३५६

३-शतपथा (देवो जैन हितैषी माग ७ अंक ६)

४-(इ) श्रिवर्णाचार ४-८५

लपोहेमस्तथा दार्त द्वाव्यायः पिनृतपूणम् ।

किनपूता क्षुताक्ष्यानं न कुर्यात् तिलकं विना ॥

(त्र)-धर्म रसिक

शतच्युतान्त्ववातीनां दशेन मापणे शुते ।

जूनेऽशोवादगमने, दृमणे वप्तुत्प्रक्षेत्र ॥ ३३ ॥

(ग)-धर्म रसिक

अन्त्यवेः उनिता कृता बापी पुक्करिणी उरः ।

तेषां वर्त न तु शार्श्व त्वान् पानाय च क्षचित् ॥ ५६ ॥

षट प्राभृत की टीका में भद्रारक श्रुतसागर ने लोंकाशाह के अनुयायियों को जी भर कोसा है और शासन देवता की पूजा का निषेध करने वालों को चार्चाक, नास्तिक कहकर समर्थ आस्तिकों को सीख दी है कि वे उन्हें ताङ्ना दें। उसमें उन्हें पाप नहीं होगा^१।

इस भद्रारक-पंथ की प्रतिक्रिया हुई। फलस्वरूप 'तेरहपंथ' का उदय हुआ। विक्रम की सत्रहवीं शती (१६८३) में पंडित बनारसीदासबी ने भद्रारक विरोधी मार्ग की नींव डाली। प्रारम्भ में इसका नाम वाणारसीय^२ या बनारसी-मत जैसा रहा किन्तु आगे चल इसका नाम तेरहपंथ हो गया।

पं० नाथुरामबी प्रेमी के अनुसार यह नाम श्वेताम्बर तेरापन्थ के उदय के पश्चात् प्रयुक्त होने लगा है—“तेरापन्थ नाम जब प्रचलित हो गया, तब भद्रारकों का पुराना मार्ग वीस पन्थ कहलाने लगा। परन्तु यह एक समस्या ही है कि ये नाम कैसे पढ़े और इन नामों का मूल क्या है। इनकी व्युत्पत्ति बतलाने वाले जो कई प्रवाद प्रचलित हैं, जैसे 'तेरह प्रकार के चारित्र को जो पाले, वह—तेरापन्थी और 'हे भगवान यह तेरापन्थ है' आदि, उनमें कोई तथ्य मालूम नहीं होता और न उनसे असलियत पर कुछ प्रकाश ही पड़ता है।

“बहुत संभव है कि दूंदकों (स्थानकवासियों) में से निकले हुए तेरहपंथियों के जैसा निन्दित बतलाने के लिए वे लोग जो भद्रारकों को अपना गुरु मानते थे तभा इनसे द्वेष रखते थे, इसके अनुगामियों को तेरापन्थी कहने लगे हौं और धीरे-धीरे उनका दिया हुआ यह कच्चा 'टाइटल' पक्का हो गया हो, साथ ही वे स्वयं इनसे बड़े वीसपन्थी कहलाने लगे हौं। यह अनुमान इसलिए भी ठीक जान पड़ता है कि इधर के लगभग सौ डेढ़-सौ वर्ष के ही साहित्य में तेरहपन्थ के उल्लेख मिलते हैं, पहले के नहीं^३।”

श्वेताम्बर-परम्परा में तेरापन्थ की स्थापना विं० संवत् १८१७ (आषाढ़ी पूर्णिमा) में हुई। इसके प्रवर्तक ये आचार्य भिक्षु। वे संवत् १८०८ में स्थान-कवासी सम्प्रदाय (जिसका आरम्भ लोंकाशाह की परम्परा में हुआ) में दीक्षित हुए और १८१६ में उससे सम्बन्ध-विच्छेद कर पृथक् हुए। उनकी दृष्टि में

१-पट् प्राभृत-मोक्ष प्राभृत टीका

“उमय ऋष्योदितव्याः ते लौकाः” (पृ० ३०५) “लौकाः पातकिनः” (पृ० ३०५) “लौकास्तुनकादौ पतनितः” (पृ० ३०६) ते पापमूर्त्यः श्वेताम्बरामासा लोकापकारकाय नामानो लौकाः” (पृ० ३०६) “शासन देवता न पूजनीयः……इत्यादि ये उत्सवं मन्वते ते पित्र्याद्यष्टव्यचार्चाका नास्तिकास्ते। यदि कदाप्रहं न मुञ्जन्ति तदा समर्थैरास्तिकैरै पानद्यमिः गुयूलिसमिमुखे ताढनीयाः, तत्र पापं नास्ति !”

२-युक्ति प्रबोध १८

३-जैन साहित्य और इतिहास पृ० ३६६-६७ :

उस समय वह सम्प्रदाय चारित्रिक-शिथिलता से आक्रान्त हो गया था । आचार्य भिष्म ने आगमों का अध्ययन किया, तब उन्हें लगा कि आज हमारा व्याचरण सर्वथा आगमानुमोदित नहीं है और सिद्धान्त-पक्ष भी विपरीत है^१ । उनका अन्तर्दृष्ट अभी प्रारम्भिक दशा में था । राजनगर (मेवाड़) के श्रावकों ने उसमें तीव्रता ला दी । आचार्य स्वधनाथ जी ने भिष्म को मेजा या उन श्रावकों को समझाने के लिए और वे ले आये उनकी समझ को अपनी समझ का रूप देकर । भिष्म की प्रतिभा पर आचार्य और श्रावक दोनों को भरोसा था ।

आचार्य ने सोचा राजनगर के श्रावक साधुओं के आचार को लेकर संदिग्ध है । उन्हें हर कोई नहीं समझा सकता । भिष्म सूक्ष्म प्रतिभा का धनी है । वही इन्हें समझा सकता है । आचार्य ने सारी बात समझा राजनगर चातुर्मासि के लिए भिष्म को मेजा ।

भिष्म केवल शास्त्रज्ञ ही नहीं थे, व्यवहार-पटुता भी उनकी बेबोड़ी थी । उन्होंने श्रावकों की मानसिक स्थिति का अध्ययन किया । श्रावक निर्दोष थे । वे साधुओं को इसीलिए बन्दना नहीं करते थे कि साधु चारित्र-शिथिलता का सेवन कर रहे हैं । श्रावक भिष्म की प्रतिभा और वैराग्य पर भरोसा करते थे । प्रतिभा का सम्बन्ध मस्तिष्क से है और वैराग्य का हृदय से । विश्वास हृदय से खड़ता है तभी उसका सम्बन्ध मस्तिष्क से होता है । भिष्म का हृदय भी स्वच्छ था और मस्तिष्क भी स्वच्छ । इसलिए श्रावकों ने उनके परामर्श की अवहेलना नहीं की और वे साधुओं को बन्दना करने लगे^२ । किन्तु विश्वास का बोझ सिर पर लेना कोई कम बात नहीं है । भिष्म उस बोझ से नत हो गए । उनका दायित्व बढ़ गया । उन्होंने प्रत्येक आगम को दो-दो बार पढ़ा^३ । आगम की विधियों और साधु-समाज के व्यवहारों में उन्हें स्पष्ट

२-मिञ्चु यश रसायण ढाल २ दोहा ६ :

सरथा पिण साची नहीं, असल नहीं आचार ।

इण विधि करे आलोचना, पिण द्रव्य युक्त सूत्र अति प्यार ॥

२-मिञ्चु यश रसायण ढाल २ गा० १२ :

आप वैरागी हुद्दिवन्त छो, आपरी परतीत ।

तिण कारण बन्दना करां, आप जगत में बदीत ॥

३-मिञ्चु यश रसायण ढाल ३ दोहा ५-६ :

ओ दूधारो खाँडो अछे, एहबी मन में धार ।

दोय बार सत्राँ मणी, वांच्या धर अति प्यार ॥

सन्न विविध निर्णय करी, गाढी मन में धार ।

सम्यक चारित बिहुं नहीं, पहचो कियो विचार ॥

अन्तर दीखा और वे इस खाई को पाठने के लिए आगे बढ़े । चतुर्मास समाप्त हुआ । आचार्य के पास आए । परिस्थिति का संकेत आचार्य तक पहुँच नुका था ।

भिषु के साथ टोकरजी, हरनाथजी, वीरभाणजी और भारीमलजी ये चार साथी और थे । बापस आते समय ये दो भागों में विभक्त होकर आए । भिषु ने वीरभाणजी से कहा—“पहले पहुँच जाओ तो राजनगर की स्थिति की आचार्य के पास चर्चा न करना । मैं ही उसे समुचित हँग से उनके सम्मुख उपस्थित करूँगा ।” किन्तु वीरभाणजी वात को पचा नहीं सके । वे पहले पहुँचे और राजनगर की घटना को भी आचार्य तक पहुँचा दिया । भिषु ने आचार्य के पास पहुँच कर सारा घटना-चक्र बदला हुआ पाया । उन्होंने परिस्थिति को संभाला । आचार्य को प्रसन्न कर सारी स्थिति उनके सामने रखी । कोई सन्तोषजनक समाधान नहीं भिला । भिषु ने उनसे सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया ।

जैन-परम्परा में एक नया सम्प्रदाय जन्म लेगा—यह कल्पना न आचार्य रघनाथजी को थी और न स्वयं भिषु को भी । यह कोई गुरुत्व और शिष्यत्व का विवाद नहीं था^१ । भिषु के मन में रघनाथजी को गुरु और स्वयं को उनका शिष्य मानने की मावना नहीं होती^२ तो वे दूसरा सम्प्रदाय खड़ा करने की वात सोचते । किन्तु वे ऐसा क्यों सोचते ? आचार्य रघनाथजी से उन्हें बहुत स्लेह था । आचार्य रघनाथजी एक बड़े सम्प्रदाय के महान् नेता थे । उनके उत्तराधिकारी के रूप में भिषु का नाम लिया जाता था । फिर वे क्यों उनसे पृथक् होते ? किन्तु भिषु के मन में और कोई भावना नहीं थी । वे केवल चारित्र-शुद्धि के लिए छठपटा रहे थे^३ । यही था उनका ध्येय और इसीकी पूर्ति के लिए वे अपने आचार्य से खेद के साथ पृथक् हुए ।

२-भिषु यश रसायण दाल ४ गा० १० :

जो थे मानो हो सद्ग नी बात,
तो येहज म्हारा नाय ।
नहितर ठीक लागे नहीं ॥

२-भिषु यश रसायण दाल २ दोहा ६ :

पटधारक भिषु प्रगट, हृद आपस में हेत ।
इतलै कुण विरतन्त हुवो, सुणन्दो सहू सचेत ॥

३-भिषु यश रसायण दाल ४ गा० ११-१३ :

म्हे पर खोड्यो हो आतम तारण काम ।
और नहीं परिणाम ।
तिण सूं वार वार कहूँ आपने ॥

जैन परम्परा में अनेक सम्प्रदाय हैं, पर उनमें तात्त्विक मतमेद बहुत कम है। अधिकांश सम्प्रदाय आचार-विषयक मान्यताओं को लेकर स्थापित हुए हैं। देश, काल की परिस्थिति से उत्पन्न विचार, आगमिक सूत्रों की व्याख्या में क्लित्-क्लित् मतमेद, रस्तमेद आदि-आदि कारण ही जैन साहृन्दिंश को अनेक भागों में विभक्त किए हुए हैं। राजनगर के आवकों ने जो प्रश्न उपस्थिति किए, वे भी आचार विषयक थे। उन्होंने कहा—“वर्तमान साहृ उद्दिष्ट (नाहु के निमित्त बनाया हुआ) आहार लेते हैं, उद्दिष्ट स्थानकों में रहते हैं, वन्त्र-पात्र सम्बन्धी मर्यादाओं का पालन नहीं करते, विना आज्ञा चिन्त-तिस को नैड़ लेते हैं आदि-आदि आचरण साहृत्व के प्रतिकूल हैं।” मिश्र मान्यता और आचार दोनों में त्रुटि अनुभव कर रहे थे। उसी समय उन्हें वह प्रेरणा और निली।

वस्त्र-पात्र के विषय में श्वेताम्बर और दिगम्बर परम्परा में मतमेद है किन्तु उद्दिष्ट आहार आदि के विषय में कोई मत-मेद नहीं है^१। सेंद्रान्तिक दृष्टि से कोइं भी जैन सुनि वह नहीं कह सकता कि उद्दिष्ट आहार छिया जा सकता है, उद्दिष्ट स्थानकों में रहा जा सकता है। किन्तु उस समय एक मानसिक परिवर्तन अवश्य हो गया था—अभी दुष्प्राप समय है, पांचवाँ आरा है, कलिकाल है। इस समय साहृ के कठोर नियमों को नहीं निभाया जा सकता। इस बारणा ने साहृन्दिंश को शिथिलता की ओर मोड़ दिया^२।

आप नानों हो स्तामी स्त्री नी बात
कोइ देवो पृष्ठपात
इच्छिन परमव लावगो ॥
पूजा श्रांता हो जहो अनन्ती बार
दुष्प्राप सहा श्रीकार
निर्णय करो आप यहनो ॥

^१-मिश्र वश रत्नायण ढाल २ गा० ८, ६ :

आवाकरनी-पानक शादर्या, योन लिया प्रसिद्धि ।
दपुषि वस्त्र, पात्र अविक ही, आ पिष ये धाप कौवी ॥
लार किंवाड़ जड़ो जदा, इवादिक अवलोक ।
म्हे बन्दना जरां किए रीत त्तै, ये तो धाप्या दोप ॥

^२-द्वयवाकान्तिक १०१४; भूलाचार ६, ३ :

स्वनायदी इच्छी कहे रे, सामर मिश्रु बात ।
पूरो जावर्णी नहीं पक्षे रे, दुखमकाल साज्यात ॥
मिश्रु कहे इन मानियो रे, सूत्र शाचारांग मांच ।
दीला भागल इन मानसी रे, हिवां शुद्ध न चलाय ॥

यह एक जटिल पहेली-सी लगती है कि किसे चारित्र-शुद्धि कहा जाए और किसे चारित्र-शिथिलता ?

व्याख्योंकि आगमिक व्याख्याओं और सूक्ष्म रहस्यों का पार पाना जल्दितरण से भी अधिक श्रम-साध्य है।

१—एक आचार्य ने एक कार्य को शिथिलाचार माना है, दूसरे ने नहीं माना। एक आचार्य ने एक प्रवृत्ति का खण्डन किया है, दूसरे मे उसका समर्थन कियो है। हरिमद्रसूरि ने साधु को तीसरे पहर के अतिरिक्त गोचरी करने और बार-बार आहार करने को शिथिलाचार बतलाया है किन्तु आचार्य भिक्षु ने इसे अत्यधीकार किया है^१।

२—अनेक आचार्यों ने १४ उपकरणों से अधिक उपकरण रखना साधु के लिए निषिद्ध बतलाया है किन्तु आचार्य भिक्षु ने इसका खण्डन किया है^२।

३—कई आचार्यों की मान्यता रही है कि साधु न लिखे और न चित्र चिनाए। आचार्य भिक्षु ने इसका खण्डन किया है^३।

४—हरिमद्रसूरि ने साध्वियों द्वारा लाया गया आहार लेने को शिथिलाचार कहा है किन्तु आचार्य भिक्षु ने इसे शिथिलाचार नहीं माना।

५—कई आचार्यों ने साधुओं के लिए कविता करने का निषेध बतलाया है, आचार्य भिक्षु ने इसे मान्य नहीं किया^४।

कहीं-कहीं रुदियों में कठोर आचार और कठोर आचार में रुदि की कल्पना हो जाती है। यद्यपि सामयिक विधि-निषेधों के आधार पर चारित्र की शुद्धि या शिथिलता का एकान्तिक निर्णय करना कठिन हो जाता है, फिर भी कुछ विषय ऐसे स्पष्ट होते हैं कि उनके आधार पर चारित्र की शुद्धि या शिथिलता का निर्णय करने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होती।

आचार्य भिक्षु ने चारित्रिक-शिथिलता के जो विषय प्रस्तुत किए हैं उनमें कुछ विषय ऐसे हैं कि जो प्रचुर मात्रा में व्याप्त थे और जिनके कारण तत्कालीन साधु-समाज को चारित्र-शिथिलता से आक्रान्त कहा जा सकता है, कुछ ऐसे हैं, जो किसी किसी साधु में मिलते होंगे। भिक्षु का दिशा सूत्रक यंत्र आगम थे। उन्हीं के सहारे से उन्हने शुद्धाचार-अनाचार का निर्णय किया। उनका कहना था कि “आगम और जिन-आज्ञा हो मेरे लिये प्रमाण हैं। वे ही मेरे आधार हैं।” इनके सब निर्णय इसी कसौटी पर कहे हुए थे और इसलिये अपने आपमें शुद्ध थे।

१-साध्वाचार चौपर्द ढाल १७

२-जिनागया रो चोडालियो—उपकरण की ढाल

३-जिनागया रो चोडालिया

४-साध्वाचार चौपर्द ढाल ६

तेरापंथ की स्थापना शुग की मांग थी। आचार्य भिक्षु के नेतृत्व में तेरह साधु एकत्रित हुए। किसी कवि ने नाम रख दिया तेरापंथ^१। वह आचार्य भिक्षु तक पहुँचा। उन्होंने उसे—‘हे प्रभो यह तेरापंथ’ इस रूप में स्वीकार किया और इसकी सैद्धान्तिक व्याख्या यह की—

जहाँ पांच महाव्रत—अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह; पांच समिति—ईर्या, भाषा, एष्ट्रणा, आदान-निकेप, उत्सर्ग और तीनगुस्ति—यन, वचन, शरीर ये तेरह (राजस्थानी में तेरा) नियम पाले जाते हैं—वह तेरापंथ है^२।

आचार्य भिक्षु ने १८१ बोल की व ३०६ बोल की हुंडी में बत्तमान साधु समाज की आचार-शिथिलता का पूरा विवरण प्रस्तुत किया है। उस समय निम्न मान्यताएँ और किया-कलाप प्रचलित हो गए थे।

- १—भगवान् महावीर का मेख भी बन्दीय है।
- २—इस समय शुद्ध साधुपन नहीं पाला जा सकता।
- ३—ब्रत और अव्रत को पृथक्-पृथक् न मानना।
- ४—मिश्र धर्म की मान्यता—एक ही क्रिया में पुण्य और पाप दोनों का स्वीकार।

५—छौकिक दया और दान को लोकोत्तर दया और दान से पृथक् न मानना।

६—लिपि कार्य के लिए भगवान् महावीर की आज्ञा नहीं है वहाँ धर्म मानना।

७—दोपपूर्ण आचार की स्थापना करना।

८—स्थापित स्थानक में रहना।

९—उद्दिष्ट आहार लेना।

१—मिद्दु यश रसायण पृ० २३ :

साध साध रो गिलो करै, ते तो आप आपरो मंत ।

झुणजो रे शहर रा लोकां, ए तेरापन्थी तंत ॥

२—मिद्दु यश रसायण पृ० २३ :

लोक कहै तेरापन्थी, भिक्षु संवली मावै हो ।

हे प्रभु ओ पन्थ है, और दाय न आवै हो ॥

मन ब्रह्म मिटावै हो, दो ही तेरापन्थ पावै हो ।

पंच महाव्रत पालतां, शुद्धि झुमति झुहावै हो ॥

तीन गुप्त तीव्री तेरे, मल आत्म मावै हो ।

चित्त तू तेरा ही चाहवै हो ॥

१०—साधु के निमित्त खरीदी वस्तुओं का उपयोग करना ।

११—नित प्रति एक घर से भोजन लेना

१२—वस्त्र-पात्र का प्रतिलेखन न करना

१३—अभिभावकों की आशा प्राप्त किए बिना गृहस्थ को दीक्षित करना

१४—मर्यादा से अधिक वस्त्र-पात्र रखना

१५—गृहस्थों से अपने लिए प्रतियाँ लिखाना^३ ।

इन्हीं विचारों और आचरणों की प्रतिक्रिया हुई उसी का परिणाम तेरापन्थ है^४ ।

तेरापन्थ का प्रारम्भ विं० १८१७ आषाढ़ी पूर्णिमा से होता है। उसी दिन आचार्य भिक्षु ने नए सिरे से ब्रत ग्रहण किए^५ । इस प्रकार उनकी दीक्षा के साथ ही तेरापन्थ का सहज प्रवर्तन हुआ ।

महापुष्प का अन्तःकरण परमार्थ से परिपूर्ण होता है। वह जैसे अपना हित चाहता है वैसे दूसरों का भी। आचार्य भिक्षु को जो श्रेयोमार्ग मिला उसे उन्होंने दूसरों को भी दिखाना चाहा, पर नए के प्रति जो भावना होती है वही होती है। पुराने को जो विश्वास प्राप्त होता है वह सहसा नए को नहीं होता। नई स्थिति में सर्व प्रथम विरोध का सामना करना पड़ता है।

१-१८१ बोल की हुँड़ीः बोल १२६

२-मिञ्चु यश रसायण ढाल २ दोहा १-५

अल्प दिवस रे आंतरै, सिख्या सूत सिद्धान्त ।

तीव्र बुद्धि मिक्खु तणी, सुखदाई शोमन्त ॥

विविध समय रस बांचतां, वास्तु कियो विचार ।

अरिहन्त बचन आलोचतां, ऐ असल नहीं अणगार ॥

यां धारिता धानक आदर्या, आधाकम्पीं अलोग ।

मोल लियां मांहे रहे, नित्य पिण्ड लिए निरोग ॥

पठिलोहां विष रहे पञ्चा, पोष्यां रा गञ्ज भेज ।

विष आज्ञा दीक्षा दिये, विवेक विकल विशेष ॥

उपर्यि वस्त्र पात्र अधिक, मर्यादा उपरंत ।

दोष थाएं जाण जाण ने, तिष्ण सू ए नहीं संत ॥

३-मिञ्चु यश रसायण ढाल, ८ गा० ३-४ :

सम्बद आठरे सतरे समै, मु० पञ्चाङ्ग लेखे पिछाण हो ।

आपाद सुदी पुनम दिने, मु० केलवे दीक्षा कल्याण हो ॥

अरिहन्त नी लेइ आगन्त्या, मु० पञ्चल्या पाप अठार हो ।

सिद साखे करी स्वाम जी, मु० लीघो संज्ञम भार हो ॥

में आया और उनका अनुयायी बन गया। कुछ लोगों ने कहा—स्वामीजी! जग्गू गाँधी आपका अनुयायी बना, इस बात से अमुक सम्प्रदायवाले सभी लोगों को कष्ट हुआ है पर खेतसी लृणावत को तो बहुत ही कष्ट हुआ है। स्वामीजी बोले—विदेश से मौत का समाचार आने पर चिंता सब को होती है पर लम्बी कांचुली तो एक ही पहनती है^१।

आचार्य मिष्टु व्याख्यान देते। कुछ लोगों को वह बहुत ही अच्छा लगता और कुछ उसका विरोध करते। जिनका विरोध था उन्होंने कहा—भीखण जी व्याख्यान देते हैं तब रात एक पहर से बहुत अधिक चली जाती है।

आचार्य मिष्टु ने कहा—सुख की रात छोटी होती है पर दुःख की रात बहुत बड़ा लगती है^२।

एक व्यक्ति ने कहा—स्वामी जी! इधर आप व्याख्यान देते जा रहे हैं और उधर सामने बैठे हुए कुछ लोग आपकी निंदा करते जा रहे हैं। आपने कहा—यह आदत की लाचारी है। भालर बजने पर कुत्ता भाँकता है। वह यह नहीं समझता है कि यह विवाह के अवसर पर बज रही है या किसी के मर जाने पर। निंदा करनेवाला यह नहीं देखता कि यह ज्ञान की बात कही जा रही है या कुछ और। उसका स्वभाव निंदा करने का है सो कर लेता है^३।

तत्त्व की चर्चा में लम्बाई होती है। काव्य की चर्चा लम्बी नहीं होती। उसकी समाप्ति वह एक ही वाक्य कर देता है जिसमें चुभने की क्षमता हो।

: २१ : विवाद का अन्त

एक रस्सी को पकड़ कर दो आदमी खींचते हैं—एक इधर और एक उधर। परिणाम क्या होता है? रस्सी टूटती है। दोनों आदमी गिर जाते हैं। खिंचाव करनेवाला अर्थात् गिरनेवाला। जो खिंचाव को मिटाता है वह गिरने से उत्तर लेता है।

दो साधुओं में खींचातानी हो गई। वे आचार्य मिष्टु के पास आये। एक ने कहा—इसके पात्र में से इतनी दूर तक जल की बूँदें गिरती गईं। दूसरे ने कहा—नहीं, इतनी दूर तक नहीं गिरी। तीसरा कोई साथ में नहीं था। दोनों अपनी-अपनी बात पर डटे रहे। विवाद नहीं सुलझा। तब आचार्य वर ने कहा—तुम दोनों रस्सी लेकर जाओ और उस स्थान को माप कर बापस आ जाओ।

१-दृष्टान्त : १७

२-दृष्टान्त : १८

३-दृष्टान्त : १९

साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविका चारों तीर्थ तेरापन्थ को आधार मानकर चलने लगे । सारा कार्य स्थिर भाव में परिणत हुआ तब आचार्य भिक्षु ने विं० १८३२ में संघ-व्यवस्था की ओर ध्यान दिया और पहला लेख-पत्र लिखा । इस प्रकार आचार्य-शुद्धि के अभियान की दृष्टि से तेरापन्थ का उदय विं० १८१७ में हुआ । प्रचार की दृष्टि से उसका उदय मुनि-युगल की प्रार्थना के साथ-साथ हुआ । उसका विस्तार ग्रन्थ-निर्माण^१ के साथ-साथ हुआ और उसका संगठित रूप लेख-पत्र के साथ विं० १८३२ में हुआ ।

“साधन बीज है और साध्य वृक्ष, इसलिए जो सम्बन्ध बीज और वृक्ष में है, वही सम्बन्ध साधन और साध्य में है ।” महात्मा गांधी के इस विचार का उद्गम बहुत प्राचीन हो सकता है, किन्तु इसके विशाल-प्रवाह आचार्य भिक्षु है ।

आचार्य भिक्षु रहस्यमय पुरुष है । अनेक लोगों की धारणा है कि उन्होंने बैसा कहा है, जो पहले कभी नहीं कहा गया । उनके विचारों में विश्वास न रखने वाले कहते हैं—उन्होंने ऐसी मिथ्या धारणाएँ फेलाई हैं जो सब धर्मों से निराली हैं । उनके विचारों में विश्वास रखने वाले कहते हैं—उन्होंने वह आलोक दिया है, जो धर्म का वास्तविक रूप है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि वे अलौकिक पुरुष हैं । उनका तत्त्व-ज्ञान और उनकी व्याख्याएँ अलौकिक हैं । लौकिक-पुरुष साध्य की ओर जितना ध्यान देते हैं, उतना साधन की ओर नहीं देते । धर्म इसलिए अलौकिक है कि उसमें साधन का उतना ही महत्व है, जितना कि साध्य का । आचार्य भिक्षु ने यह सूत्र प्रस्तुत किया—“अहिंसा के साधन उसके अनुकूल हों तभी उसकी आराधना की जा सकती है, अन्यथा वह हिंसा में परिणत हो जाती है ।”

इस सूत्र ने लोगों को कुछ चींकाया । किन्तु इसकी व्याख्या ने तो जन-मानस को आनंदोलित ही कर दिया । आचार्य भिक्षु ने कहा—

१—कई लोग कहते हैं—“जीवों को मारे बिना धर्म नहीं होता । यदि मन के परिणाम अच्छे हों तो जीवों को मारने का पाप नहीं लगता ।” पर जानवृक्ष कर जीवों को मारने वाले के मन का परिणाम अच्छा कैसे हो सकता है^२ ।

१-हिन्द स्वरान्य पृ० २२०

२-न्रताकृत ढाल १२ गा० ३४-३८ :

केर कहें जीवी ने मार्यां बिना, धर्म न हुवें तांम हो ।

जीव मार्यां रो पाप लागें नहीं, चोखा चाहीनें निन परिणाम हो ॥

२—बहों दया है बहों ‘जीव-वध किए विना धर्म नहीं होता’ यह सिद्धान्त मान्य नहीं हो सकता।

३—जीव-वध होता है वह जीवन की दुर्बलता है किन्तु उसे धर्म का रूप देना कि ‘हिंसा किए विना धर्म नहीं होता’ नितान्त दोषपूर्ण है।

४—एक जीव को मार कर दूसरे जीव की रक्षा करना धर्म नहीं है। धर्म यह है कि वैधर्मी को समझा-कुझा कर धर्मी बनाया जाए^१।

५—जीवों को मार कर जीवों का पोषण करना लौकिक-मार्ग है। उसमें को धर्म बताते हैं वे पूरे मूढ़ और अज्ञानी हैं^२।

६—कहे लोग कहते हैं—“दया लाकर जीवों को मारने में धर्म और पाप दोनों होते हैं^३।” किन्तु पाप करने से धर्म नहीं होता और धर्म करने से पाप नहीं होता। एक करणी में दोनों नहीं हो सकते^४।

७—पाप और धर्म की करणी मिल-मिल है^५।

केरं कहे जीव मार्यां विना, मिथ न हुवें हैं तांम हो।

मिथ जीव मारण रो सानी करे, से ले परिणामां रो नाम हो॥

केरं धर्म नै निथ करवा मणी, छ काव रो करे वमचाण हो।

तिहरा चोखा परिणाम किंहा यकीं पर जीवां रा लूटें हैं श्रांण हो॥

चोरं जीव खड़ावे हैं तेहना, चोखा कहे हैं परिणाम हो।

कहे धर्म नै निथ हुवें नहीं, जीव खड़ावा विण तांम हो॥

जीव ज्ञाए रा परिणाम हैं अति कुरा, खड़ावण रा यिण खोटा परिणाम हो।

दूं हो जोलां नै न्हाखें मरम में, से ले परिणामां रा नाम हो॥

२—अपुक्ष्या दात् ५ गा० ५ :

चोर हिंसक ने कृशीलिया, और ताँहेरे दीपो साधां उपदेश।

त्यनि सावध रा निरवध कियां, इहो है दे जिण दया धर्म रेत॥

३—अपुक्ष्या दात् ६ गा० ३५ :

जीवां ने मार जीवां ने मोऐ, ते तो मारण संचार नो जाणो ची।

तिए नांदी चावु बन बतावे, पूरा है मूँ अयांणो ची॥

४—निन्दव चौपरं दात् ३ दोहा ३ :

कहे दया आण ने जीव मारीयां, हिवें हैं धर्म नै पाप।

द करम दर्दे पंथ काढीयो, मगवंत बचन उथाप॥

५—निन्दव चौपरं दात् ३ दोहा ३ :

पाप कियां धर्म न नीपने, धर्म यी पाप न होय।

इक करणी नै दोय न नीपने, द संका म आणो कोय॥

६—निन्दव चौपरं दात् १३ गा० ३२ :

जुन मैं पाप धर्म दोनूं कहि ३, अणां लोकां नै बिगोया रे।

बचे चिप सिपरी पोतांरा हँता, त्यांनै तो नावक बोया रे॥

८—अव्रत का सेवन करना, कराना और अव्रत-सेवन का अनुमोदन करना पाप है^१ ।

९—व्रत का सेवन करना, कराना और व्रत-सेवन का अनुमोदन करना धर्म है ।

१०—सम्यग्-दृष्टि लौकिक और लोकोत्तर मार्ग को भिन्न-भिन्न मानता है^२ ।

११—धर्म त्याग में है, भोग में नहीं ।

१२—धर्म हृदय-परिवर्तन में है, वलात्कार में नहीं ।

१३—असंयति के जीने की इच्छा करना राग है ।

१४—उसके मरने की इच्छा करना द्वेष है ।

१५—उसके संयति होने की इच्छा करना धर्म है ।

ये सिद्धान्त नए नहीं थे । आचार्य भिक्षु ने कभी नहीं कहा कि मैंने कोई नया मार्ग दूँढ़ा है । उन्होंने यही कहा—“मैंने भगवान् महाबीर की जाणी को जनता के सम्मुख यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है^३ ।” यह बहुत बड़ा सत्य है । दुनियों में नया तत्त्व कोई है भी नहीं । जो है वह पुराना है, बहुत पुराना है । नये का वर्थ है पुराने को प्रकाश में लाना । को आलोक बनकर पुराने को प्रकाशित करता है वही नव-निर्माता है । संसार के जितने भी नव-निर्माता हुए हैं उन्होंने यही किया है—आलोक बनकर प्राचीन को नवीन बनाया है । महात्मा गांधी ने अपने अहिंसक प्रयोगों के सम्बन्ध में लिखा है—‘मैं कोई नया सत्य प्रदर्शित नहीं करता । मैं बहुत से पुराने सत्यों पर नया प्रकाश डालने का दावा अवश्य करता हूँ^४ । मैंने पहला भौलिक सत्याग्रही होने का दावा कभी नहीं किया । जिसका मैंने दावा किया है वह है उस सिद्धान्त का लगभग सार्वभौम पैमाने पर उपयोग^५ ।’

पुराना सत्य जब नया बनकर आता है तब विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएँ होती हैं । आचार्य भिक्षु ने जिस सत्य को प्रकाशित किया वह नया नहीं है,

१-निन्हव चौपाई दाल २ गा० ५ :

इवित् सेवीयां सेवायां मलो जाणीयां, तीनोर्ई करणां पाप हो ।

पहरो मगवंत वचन उथाप नै, कीषो छैं मिश री थाप हो ॥

२-अणुकम्या दाल ११ गा० १० :

कही कही ने कितरोषक कहूँ, संसार तणा उपकार अनेक ।

ग्यान दर्शन चारित ने तप बिना, मोक्ष तणो उपकार नहीं छैं एक ॥

३-यंग इंडिया, मार्ग १, पृ० ५६७

४-यंग इंडिया, मार्ग ३, पृ० ३६७

आचार्यार्थी ने इसे प्रकाशित किया है। किन्तु यह नया इसलिए लगता है कि आचार्य भिक्षु ने इसे विस व्यवस्थित रूप से सेद्धान्तिक रूप दिया है, उस रूप में अन्य आचार्यार्थी ने सेद्धान्तिक रूप नहीं दिया। यह स्पष्ट शब्दों में कहा जा सकता है कि किसी भी एक आचार्य ने ये सारी बाँहें नहीं कहीं। विकीर्ण रूप में देखें तो आचार्य धर्मदासगणी ने लिखा है—

“जो तप और नियम में सुस्थित है उनका जीना भी अच्छा है और मरना भी अच्छा है। वे जीवित रहकर गुणों का अर्जन करते हैं और मरकर सुगति को प्राप्त होते हैं।”

“जो पाप-क्रम करने वाले हैं, उनका जीना भी अच्छा नहीं है और मरना भी अच्छा नहीं है। वे जीवित रहकर वेर की वृद्धि करते हैं और मरकर अन्धकार में जा गिरते हैं।”

आचार्य विनसेन ने लिखा है—

“अर्थ और काम से सुख नहीं होता, क्योंकि वे संसार को बढ़ाने वाले हैं। जो धर्म सावध की उत्पत्ति करता है; उस धर्म से भी सुख नहीं होगा। प्रधान सुख उससे होता है, जो निःसावध धर्म है।”

इन्हीं व्यक्ति कहते हैं— आचार्य भिक्षु ने धर्म को लौकिक और लोकोत्तर के मेंदों में विभक्त कर जीवन के दुकड़े कर डाले। इस आरोप को हम अस्ती-कार नहीं करते और साय-साय हम यह भी स्तीकार किए बिना भी नहीं रह सकते कि जीवन को दुकड़ों में बाँटे बिना कोई रह भी नहीं सकता। भगवान् महावीर ने निषेप-व्यवस्था में धर्म को लौकिक-लोकोत्तर भागों में विभक्त किया है।

महात्मा बुद्ध ने कहा—

“भिक्षुओं, ये दो दान हैं।”

“कौन से दो?”

२-उपदेश माला श्लोक ४४३।

तवनियममूष्टियाणं, कलायं जीविदं पि भरमं पि ।

भीवंतऽस्तज्जन्मति गुणा, मयाऽवि पुण्य सुगगदं चंति ॥

२-नहीं श्लोक ४४४:

अहियं भरणां च अहियं जीविदं पावकम्भकारीयं ।

तमसन्मि पठंति मया, वेरं वद्दंति जीवंता ॥

३-महापुराणे चर्चापुराण ५१ पर्व ४० २६

न तावदर्थं कामान्यां, द्वुखं संसार वर्धनात् ।

नामुकादर्थं मे धर्माद् यस्मात् सावध सम्बन्धः ॥ १०

निःसावधोऽस्तिष्ठमोक्त, स्ततः सुखमनुरूपमन् ।

इत्युदकोवितकोस्य विरक्तस्यामवत्ततः ॥ ११

“भौतिक-दान तथा-धर्म दान ।” “भिक्षुओं, ये दो दान हैं। भिक्षुओं, इन दोनों दानों में धर्म-दान श्रेष्ठ है^१ ।”

“भिक्षुओं, ये दो संविभाग (वितरण) हैं ।”

“कौन से दो ?”

“भौतिक-संविभाग तथा धार्मिक-संविभाग ।” “भिक्षुओं, ये दो संविभाग हैं। भिक्षुओं, इन दोनों संविभागों में धार्मिक संविभाग श्रेष्ठ है^२ ।”

“भिक्षुओं ये दो सुख हैं ।”

“कौन से दो ?”

“लौकिक-सुख तथा लोकोत्तर-सुख ।” “भिक्षुओं, ये दो सुख हैं। भिक्षुओं, इन दोनों सुखों में लोकोत्तर-सुख श्रेष्ठ है ।”

“भिक्षुओं, ये दो सुख हैं ।”

“कौन से दो ?”

“साश्रव-सुख तथा अनाश्रव-सुख ।”

“भिक्षुओं, ये दो सुख हैं।” “भिक्षुओं, इन दोनों सुखों में अनाश्रव-सुख श्रेष्ठ है ।”

“भिक्षुओं, ये दो सुख हैं ।”

“कौन से दो ?”

“भौतिक-सुख तथा अमौतिक-सुख ।”

“भिक्षुओं, ये दो सुख हैं।” “भिक्षुओं, इन दोनों सुखों में अमौतिक-सुख श्रेष्ठ है^३ ।”

आचार्य धर्मदासगणी का अभिमत है—“तीर्थकर भगवान् बलात् शाश्वतपकड़कर किसी को हित में प्रवृत्त और अहित से निवृत्त नहीं करते^४ । वे उपदेश देते हैं। उत्पथ पर चलने से होने वाले परिणामों का ज्ञान देते हैं। उसे जो सुनता है वह मनुष्यों का नहीं, देवताओं का भी स्वामी होता है^५ ।”

आचार्य भिक्षु ने जो कहा, वह उनके पश्चात् भी कहा गया है। महात्मा

२-अंगुत्तर—निकाय प्रथम माग पृ० ६४

२-अंगुत्तर—निकाय प्रथम माग पृ० ६५

३-अंगुत्तर—निकाय प्रथम माग पृ० ८२

४-उपदेशमाला श्लोक : ४४८

अरिहंता भगवतो, अहिमं व हिमं व न वि इहं किंचि ।

वारंति कारविति य, खिर्चूण नरणं बला हत्ये ॥

५-उपदेशमाला श्लोक : ४४९

उवशसं पुणं तं दिति, लेण चरिष्ण कित्तिनिलयार्ण ।

देवाण्णवि हुंति पहू, किमंग पुण मणुभ्रमित्तार्ण ॥

गाँधी ने अहिंसा के ऐसे अनेक तथ्यों को प्रकाशित किया है, जिनका आचार्य भिष्णु के अभिमत से गहरा सम्बन्ध है। उन्होंने लिखा है—

१—यह वयार्थ है कि मैंने भावना को प्राप्तान्य दिया है। किन्तु अकेली भावना से अहिंसा सिद्ध नहीं हो सकती। यह सच है कि अहिंसा की परीक्षा अन्त में भावना से होती है। किन्तु यह भी उतना ही सच है कि कोरी भावना से ही अहिंसा न मानी जाएगी। भावना का माप भी कार्य पर से ही निकालना पड़ता है। और जहाँ स्वार्थ के बय होकर हिंसा की गई है, वहाँ भावना चाहे कितनी ही ऊँची झोंगों न हो, तो भी स्वार्थमय हिंसा तो हिंसा ही रहेगी। इससे उल्टे जो आदमी मन में वैर-भाव रखता है किन्तु लाचारी से उसे काम में नहीं ला सकता, उसे बैरी के प्रति अहिंसक नहीं कहा जा सकता। क्योंकि उसकी भावना में वैर छिपा हुआ है। इसलिए अहिंसा का माप निकालने में भावना और कार्य दोनों की परीक्षा करनी होती है।”

२—धर्म संयम में है, स्वच्छन्दता में नहीं। जो मनुष्य शास्त्र की दी हुड़े छूट से लाभ नहीं उठाता वह धन्यवाद का पात्र है। संयम की कोई मर्यादा नहीं।

संयम का स्वागत दुनियों के तमाम शास्त्र करते हैं। स्वच्छन्दता के विषय में शास्त्रों में भारी मतभेद है। समकोण सब लगाह एक ही प्रकार का होता है। दूसरे कोण अगणित है। अहिंसा और सत्य ये सब धर्मों के समकोण हैं। जो आचार दूस कसीटी पर न उतरे वह त्याज्य है। इसमें किसी को शंका करने की आवश्यकता नहीं। अबूरे आचार की इजाजत चाहे हो। अहिंसा-धर्म का पालन करने वाला निरन्तर जागरूक रहकर अपने हृदय-बल को बढ़ावे और प्राप्त छूटों के क्षेत्र को संकुचित करता जाए। मोग हरगिज धर्म नहीं। संसार का ज्ञानमय त्याग ही मोक्ष-प्राप्ति है^१।

३—लेकिन उससे यह अर्थ नहीं निकाल सकते कि गीता जी में हिंसा का ही प्रतिपादन किया गया है। यह अर्थ निकालना उतना ही अनुचित है जितना यह कहना कि शरीर-त्यापार के लिए कुछ हिंसा अनिवार्य है और इसलिए हिंसा ही धर्म है। सूक्ष्मदद्यर्थी इस हिंसामय शरीर से अशरीरी होने का अर्थात् मोक्ष का ही धर्म सिखाता है^२।

४—जिसे मय लगता है, जो संग्रह करता है, जो विषय में रत है, वह

१—अहिंसा प्रथम माग पृ० ११५

२—अहिंसा प्रथम माग पृ० ३२

३—अहिंसा प्रथम माग पृ० ४१-४२

अवश्य ही हिंसामय युद्ध करेगा। लेकिन उसका वह धर्म नहीं है। धर्म सो एक ही है। अहिंसा के मानी हैं मोक्ष और मोक्ष सत्यनारायण का साक्षात्कार है^१।

५—सिद्धान्त को दृढ़ने में कोई मुश्किल नहीं होती है। उसका केवल अमल करने में ही सभी मुश्किलें आ पड़ती हैं। इसलिए सिद्धान्त तो इस विषय में पूर्ण है। उनका अमल करने वाले हम मनुष्य अपूर्ण हैं। अपूर्ण के द्वारा पूर्ण का अमल होना अशक्य होने के कारण, प्रतिक्षण सिद्धान्त के उल्लंघन की नई मर्यादा ठीक करनी पड़ती है। इससे हिन्दू-शास्त्र में कह दिया गया है कि यज्ञार्थ की हुई हिंसा, हिंसा नहीं होती। यह अपूर्ण सत्य है। हिंसा तो सभी समय हिंसा ही रहेगी और हिंसा-मात्र पाप है। किन्तु जो हिंसा अनिवार्य हो पड़ती है उसे व्यवहार-शास्त्र पाप नहीं मानता। इसलिए यथार्थ की गई हिंसा का व्यवहार-शास्त्र अनुमोदन करता है और उसे शुद्ध पुण्य-कर्म मानता है^२।

६—लेकिन जिस प्रकार लौकिक राजा के कानून में अपराधी व्यज्ञान के कारण दण्ड से बचता नहीं है, वही हाल अलौकिक राजा के नियमों का भी है^३।

७—मैं छोटे से छोटे सबीक प्राणी को मारने के उतना ही विरुद्ध हूँ, जितना लड़ाई के। किन्तु मैं निरन्तर ऐसे बीबों के प्राण इस आशा में लिए चला जाता हूँ कि किसी दिन मुझमें यह योग्यता आ जाएगी कि मुझे यह हत्या न करनी पड़े। यह सब होते रहने पर भी अहिंसा का हिमायती होने का मेरा दावा यही होने के लिए यह परमावश्यक है कि मैं इसके लिए सचमुच में जी-जान से और अविराम प्रथन करता रहूँ। मोक्ष अथवा सशरीरी अस्तित्व की आवश्यकता से मुक्ति की कल्पना का आधार है संपूर्णता को पहुँचे हुए पूर्ण अहिंसक स्त्री-पुरुषों की आवश्यकता। सम्पत्ति-मात्र के कारण कुछ न कुछ हिंसा करनी पड़ती है। शरीर रूपी सम्पत्ति की रक्षा के लिए भी चाहे जितनी थोड़ी, किन्तु हिंसा करनी ही पड़ती है^४।

अद्वा के आलोक में जो सत्य उपलब्ध होता है, वह बुद्धि या तर्क-वाद के आलोक में नहीं होता। महात्मा गाँधी के पास अद्वा का अमित वल था। वे ईश्वर के प्रति अत्यन्त अद्वादील थे। उनका ईश्वर था सत्य। आचार्य भिष्म भी भगवान् के प्रति अद्वाल थे। उनका भगवान् था संयम।

जो सत्य है वही संयम है और जो संयम है वही सत्य है।

१-अहिंसा प्रथम माग पृ० ४२

२-अहिंसा प्रथम माग पृ० ५३

३-अहिंसा प्रथम माग पृ० ६१

४-अहिंसा प्रथम माग पृ० ६८

मगवान् महावीर की माप्ता में—“जो सम्ब्रह है वही नीन है और जो मौन है वही सम्भ्रह है” ।” मगवान् महावीर संयम के प्रतीक है। उन्होंने वही कार्य करने की आज्ञा दी जिसमें संयम था। उनकी आज्ञा और संयम में कोई योग नहीं है। उनकी आज्ञा है वही संयम है और जो संयम है वही उनकी आज्ञा है।

बर्मेदावगणी ने किन्तु है कि मगवान् की आज्ञा से ही चारित्र की आग्रहना की जाती है। उसका भएंग करने पर क्या भग्न नहीं होता ? जो आज्ञा का अतिक्रमण करता है वह द्वौप कार्य किसकी आज्ञा से करेगा ?

आचार्य मिश्र ने आज्ञा को व्यावहारिक रूप दिया। उनके संगठन का केन्द्र-विन्दु आज्ञा है। उनकी माप्ता में आज्ञा की आग्रहना संयम की आराधना है और उनकी विग्रहना संयम की विग्रहना है। उनका संगठन विश्व के सभी संगठनों से अक्षियाली है। उसका अक्षिस्त्रोत है आचार। आचार्य मिश्र के शब्दों में मगवान् महावीर की आज्ञा का सार है—आचार। आचार शुद्ध होता है तो विचार स्वर्य शुद्ध हो जाते हैं। विचारों में आग्रह या अपवित्रता तभी जाती है, जब आचार शुद्ध नहीं होता। “आचारवान् ने मिठो, अनाचारी से दूर रहो”—आचार्य मिश्र के इस द्वौप ने संगठन को शुद्ध बना दिया। “अद्वा या नान्यता मिठे तो भाय रहो, जिससे वह न मिठे, उन्हें भाय रखकर संगठन को दुर्बल मत बनाओ”—आचार्य मिश्र के इस सूत्र ने संगठन को ग्रागवान् बना दिया। एक व्येय, एक विचार, एक आचार और एक आचार्य—यह है संक्षेप में उनके संगठन का आन्तरिक स्वरूप। आचार्य मिश्र ने इसकी सदा याद दिलाई कि :

१—आत्म-भूक्ति अर्थात् पूर्ण पवित्रता की उपलब्धि ।

२—उनकी जावना है अहिंसा, जो स्वर्य पवित्र है।

३—उसका जावन है आत्मानुशासन, जो स्वर्य पवित्र है।

यह जाव्य, जावना और जावन की पवित्रता वात्म-भमाल का नैयर्गिक रूप है। इनमें कोई बाधा उत्पन्न न हो। इसलिए आचार्य मिश्र ने एक संगठन का

१—आचाराद्ध ५ : ३

अं चन्नन्ति पात्रह तं नोर्णति पात्रह, तं नोर्णति पात्रह तं चन्नन्ति पात्रह।

२—उत्तरेण्यात्ता श्लोक ५०५ :

आत्माद चित्तव चरस्त्, दम्भगे जाए किं न मर्णति ? ।

आरं च अद्वलंतो, कृत्ताद्यता हृष्टह सेतुं ! ॥ ५०५ ॥

सन्नपात किया। चारित्र विशुद्ध रहे, साधु, शिष्यों के लोलुप न बनें और परस्पर प्रगाढ़ प्रेम रहे—यही है उनकी संघ-व्यवस्था का उद्देश्य^१।

संगठन अच्छा भी होता है और दुरा भी। शक्ति का स्रोत होने के कारण वह अच्छा होता है। उससे साधना की गति अबाध नहीं रहती, इसलिए वह दुरा भी होता है। साधना कुण्ठित वहाँ होती है, जहाँ अनुशासन आरोपित होता है। आत्मानुशासन से चलने वाला संगठन साधना में कुण्ठा नहीं लाता।

आचार्य भिक्षु का संगठन केवल शक्ति-प्राप्ति के लिए नहीं है। यह आचार-शुद्धि के लिए है। आचार्य भिक्षु की वृष्टि में आचार की भित्ति पर अवस्थित संगठन का महत्त्व है। उससे विहीन संगठन का धार्मिक मूल्य नहीं है।

आचार्य भिक्षु के अनेक रूप हैं। उनमें उनके दो रूप बहुत ही स्पष्ट और प्रभावशाली हैं :

१—विचार और चारित्र-शुद्धि के प्रवर्तक

२—संघ-व्यवस्थापक

प्रस्तुत ग्रन्थ में इन्हीं दो रूपों की स्पष्ट-अस्पष्ट रेखाएँ हैं। इस कार्य में मुनि मिलापचन्दनी, मुमेरमलनी, हीरालालनी, श्रीचन्दनी और दुलहराचन्दी सहयोगी रहे हैं। मैंने केवल लिखा और शेष कार्य उन्हीं का है। आचार्यश्री तुलसी की प्रेरणा या आशीर्वाद ही नहीं, उनके अन्तःकरण की कामना भी मुझे आलोकित कर रही थी। तेरापन्थ-द्विशताब्दी-समारोह पर उसके प्रवर्तक का परम यशस्वी और तेजस्वी रूप रेखांकित हो, यह आचार्यश्री की तीव्र मनो-भावना थी। यह मेरा सौभाग्य है कि उसकी सफलता का निर्मित बनने का श्रेय मुझे दिया। आचार्यश्री की भावना और मेरे शब्दों से निर्मित आचार्य भिक्षु की जीवन-रेखाएँ पथिकों के लिए प्रकाश-स्तम्भ बनें।

२०१६ मृग शीर्ष वंदि ३

श्री रामपुर
(रामपुरिया कॉटन मिल)

मुनि नथमल

विषय-सूची

अध्याय-१ व्यक्तित्व की माँकी

१-१६

१	समय की सूझ	१
२	श्रद्धा और तुद्धि का समन्वय	४
३	रुद्धिवाद पर प्रहार	४
४	अन्ध विश्वास का मर्मोद्घाटन	५
५	अदम्य उत्साह	६
६	स्वतन्त्र चिन्तन	६
७	मोह के उस पार	७
८	विश्वास विफल नहीं होता	७
९	आलोचना	८
१०	जागरण	८
११	आचार-निष्ठा	९
१२	व्यक्तिगत आलोचना से दूर	९
१३	सिद्धान्त और आचरण की एकता	१०
१४	अकिञ्चन की महिमा	११
१५	जहर्ज़ खुराई-भलाई बनती है।	११
१६	क्षमा की सरिता में	१२
१७	सत्य का खोजी	१३
१८	जो मन को पढ़ सके	१३
१९	व्यवहार-कौशल	१४
२०	चमत्कार को नमस्कार	१५
२१	विवाद का अन्त	१६
२२	जिसे अपने पर भरोसा है	१७
२३	पुरुषार्थ की गाथा	१८
	अध्याय-२ प्रतिष्वनी	२०-४६
१	धर्म क्रान्ति के बीज	२०
२	साधना के पथ पर	२२
३	चिन्तन की धारा	२४

४ नैरुर्गिक प्रतिमा	२६
५ हेतुवाद के पथ पर	२८
६ अद्वावाद के पथ पर	३४
७ धर्म का व्यापक स्वरूप	३७
८ आग्रह से दूर	३८
९ कुशल पारखी	४१
१० क्रान्त वाणी	४२
अध्याय-३ साध्य-साधन के विविध पहलू	४७-६६
१ जीवन और मृत्यु	४७
२ आत्मौपम्य	५१
३ चंसार और मोक्ष	५५
४ बल-प्रयोग	५६
५ हृदय-परिवर्तन	५८
६ साध्य-साधन के नाद	५९
७ बन से धर्म नहीं	६३
अध्याय-४ मोक्ष धर्म का विशुद्ध रूप	६७-८४
१ चिन्तन के निष्कर्ष	६७
२ मिश्र धर्म	६८
३ धर्म की व्यविमत्तता	७१
४ अपना अपना इष्टिकोण	७२
५ धर्म और पुण्य	८०
६ प्रवृत्ति और निवृत्ति	८१
७ दया	८६
८ दान	८०
अध्याय-५ श्रीराजीर	८५-११३
१ सम्यक् इष्टिकोण	८५
२ अहिंसा का व्येय	१०४
अध्याय-६ संब-ठ्यवस्था	११४-१५३
१ मार्ग क्व तक चलेगा ?	११४
२ धर्म-शासन	११४
३ मर्यादा क्यों ?	११५

४	मर्यादा क्या ?	११६
५	मर्यादा का मूल्य	११६
६	मर्यादा की पृष्ठ भूमि	११६
७	मर्यादा की उपेक्षा क्यों ?	११८
८	अनुशासन की भूमिका	११८
९	अनुशासन के दो पक्ष	१२२
१०	अनुशासन का उद्देश्य	१२५
११	विचार स्वातन्त्र्य का सम्मान	१२६
१२	संघ-व्यवस्था	१२६
१३	गण और गणी	१३१
१४	निर्णायकता का केन्द्र	१३८
१५	गण में कौन रहे ?	१३९
१६	गण में किसे रखा जाय ?	१४०
१७	पृथक होते समय	१४३
१८	गुट बन्दी	१४४
१९	क्या माना जाय ?	१४५
२०	दोष परिमार्जन	१४७
२१	विहार	१५१
	अध्याय-७ अनुभूतियों के महान् स्रोत	१५४
१	कथनी और, करनी और	१५४
२	मेख का भुलावा	१५४
३	चहुमत नहीं, पवित्र श्रद्धा चाहिए	१५५
४	अनुशासन और संयमी	१५६
५	श्रद्धा दुर्लभ है	१५६
६	जैन धर्म की वर्तमान दशा का चित्र	१५८

भिक्षु-विचार दर्शन

अध्याय : १

व्यक्तित्व की भाँकी

जन-परम्परा में आचार्य भिक्षु का उदय एक नये आलोक की सुष्टि है। वे (विं १७८३) इस संसार में आए, (विं १८०८) स्थानकवासी मुनि बने, (विं १८१७) तेरापन्थ का प्रवर्तन किया और (विं १८६०) इस संसार से चले गये।

उनका जीवन तीन प्रकार की विशिष्ट अनुभूतियों का पुङ्ग है। मारवाह की शुष्क-भूमि में उनका मस्तिष्क कल्पतरु बन फल सका, यही उनकी अपनी विशेषता है। वे विद्यालय के छात्र नहीं बने, विद्या ने स्वयं उनका चरण किया। वे काव्य-कला के ग्राहक नहीं बने, कविता ने स्वयं उनके चरण चूमे। वे कल्पना के पीछे नहीं दौड़े, कल्पना ने स्वयं उनका अनुगमन किया।

मैं श्लाघा के शब्दों में उनके जीवन को ससीम बनाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि उनके असीम व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति उनके विचारों से ही हो। मेरे पाठक, उनको केवल जैन-आचार्य की भूमिका में ही नहीं पढ़ पायेंगे, मैं उन्हें अनेक भूमिकाओं के मध्य में से लेता चलूँगा; चढ़ाव-उतार के लिये सन्तुलन उन्हें रखना होगा।

: १ : समय की सूझ

व्यक्ति में सबसे बड़ा बल श्रद्धा का होता है। श्रद्धा टूटती है तो पैर थम जाते हैं, वाणी रुक जाती है और शरीर बड़ हो जाता है। श्रद्धा बनती है तो ये सब गतिशील बन जाते हैं। एक ठाकुर साहब और भीखणजी मार्ग में साथ-साथ जा रहे थे। ठाकुर साहब को तम्बाकू का व्युत्पन्न था। धीर में ही तम्बाकू निवाट गई। उनके पैर लङ्घनाने लगे। भीखणजी ! तम्बाकू के विना

चलना बड़ा कठिन हो रहा है। तुम्हें कहीं रुकना पड़ेगा, ठाकुर साहब ने कहा। भीखणजी ने सोचा, आगे दूर जाना है। साथी को लंगल में अकेले छोड़ना भी उचित नहीं। तम्बाकू के बिना ये चल नहीं सकेगे। भीखणजी ने कहा— ठाकुर साहब धीमे-धीमे चलिए। दिन थोड़ा है। मैं तम्बाकू की खोज करता हूँ, कहीं आस-पास में किसी पथिक के पास मिल जाए। ठाकुर साहब को थोड़ा साहस बँधा। वे धीमे-धीमे आगे चले। भीखणजी पीछे रह गये। उन्होंने एक कण्डा जलाया और उसकी बुकनी की पुष्टिया ठाकुर साहब के हाथ थमा दी। ठाकुर साहब जम्हाइयाँ ले ही रहे थे। उस पुष्टिया को खोलते ही खिल उठे। भीखणजी ने कहा—अच्छी तो नहीं मिली है। बहुत ही साधारण है, पर काम चल जाएगा। ठाकुर साहब ने थोड़ी सी—चुटकी भर सूँझी और सहसा बोल उठे—भीखणजी यह तो बहुत अच्छी है। ठाकुर साहब की गति में वैग आ गया। मार्ग कटता गया। वे दिन रहते-रहते अपने घर पहुँच गये^१।

: २ : श्रद्धा और बुद्धि का समन्वय

मारबाड़ का यह चाणक्य, थोड़े ही समय के बाद धर्मदूत बन गया। जोधपुर राज्य के मन्त्री विजय सिंह जी आचार्य भिष्म के पास आये। विश्व सादि-सान्त है या अनादि-अनन्त, यह प्रश्न पूछा। आचार्य भिष्म ने उन्हें इसका समाधान दिया। संतोषजनक समाधान पाकर मन्त्री ने कहा—आपकी बुद्धि कई राज्यों का संचालन करे, वैसी है। मन्त्री की इस प्रशंसा का उत्तर आचार्य भिष्म ने एक पद्म में दिया जो इस प्रकार है :

बुद्धि वाही सराहये, जो सेवे जिन-धर्म।
वा बुद्धि किण कामरी, जो पद्धिया वांधे कर्म॥

वही बुद्धि सराहने योग्य है जो धर्म के आचरण में लगे, मुक्ति का मार्ग हूँढे। वह बुद्धि व्यर्थ है जिससे वंघन बढ़े^२।

सन्त की अमर वाणी आज के बुद्धिमान को चुनौती दे रही है।

: ३ : रुद्धिवाद पर प्रहार

कहीं श्रद्धा होती है, बुद्धि नहीं होती; कहीं बुद्धि होती है, श्रद्धा नहीं होती। कहते हैं, श्रद्धा अन्धी होती है, बुद्धि लंगड़ी। श्रद्धालु चलता है और बुद्धिमान देखता है। ये दोनों अधूरे हैं। पूर्णता इनके समन्वय से आती है। साधक अपने आपको पूर्ण नहीं मानता; वह सिद्ध होने पर ही पूर्ण होता है। पर,

१-हृष्टान्त : १११

२-हृष्टान्त : ११२

जिसके जीवन में श्रद्धा और बुद्धि का समन्वय हो उसकी गति साध्य की दिशा में होती है, इसलिए उसे पूर्ण कहा जा सकता है। आन्वार्य पिष्ठु का जीवन श्रद्धा और बुद्धि के समन्वय का सुन्दर उदाहरण है।

भीखण्डी का विचाह हो चुका था। एकवार वे ससुराल गये। भोजन का समय हुआ। खाने की थालियाँ परोसी गईं। खाना शुरू नहीं हुआ उसके पहले ही गालियाँ गई जाने लगीं। दामाद ससुर के घर जब खाना खाता है तब खियाँ उसे गालियों के गीत सुनाती हैं, यह मारवाड़ी की निरप्रचलित प्रथा है। कुल-बधुओं ने गाया—“ओ कुण कालो जी कावरो”। भीखण्डी का साला लंगड़ा था। उन्होंने व्यंग की भाषा में कहा—जहाँ अन्धे और लंगड़े को अच्छा और अच्छों को अन्धा और लंगड़ा बताया जाता है वहाँ का भोजन किया जाय? याली परोसी ही रही, भीखण्डी विना कुछ खाये उठ खड़े हुए। रुद्धिवाद उन्हें अपने वाहुपात्र में जकड़ नहीं सका।

: ४ : अन्धविश्वास का मर्मोद्धारण

दूसरे प्रान्तों में ‘मारवाड़ी’ का अर्थ है राजस्थानी। किन्तु राजस्थान में ‘मारवाड़ी’ का अर्थ जोधपुर राज्य का वासी है। इस राज्य के एक प्रदेश का नाम कांठा है। वहाँ एक छोटा सा कस्ता है कंटालिया। वहाँ किसी के घर चौरी हो गई। चौर का पता नहीं चला, तब उसने बोरनहीं से एक कुम्हार को बुला मेजा। वह अन्धा था। फिर भी चौरी का भेद जानने के लिए लोग उसे बुलाते थे। ‘उसके मुँह से देवता बोलता है’, इस रूप में उसने प्रसिद्धि पाली थी। कुम्हार आया और भीखण्डी से पूछा—चौरी का सन्देह किस पर है? भीखण्डी इसकी ठग-विद्या की अन्त्येष्ठि करना चाहते ही थे। इस अवसर का लाभ उठाकर उन्होंने कहा—भाई! सन्देह तो मजने पर है। रात गई और कुम्हार अखड़े में आया। लोग इकट्ठे हो गये। उसने देवता को अपने शरीर में बुलाया। शरीर काँप उठा। ‘डाल दे, डाल दे’ कहकर वह चिल्लाया। उसकी चिल्ल-पौंसे वातावरण में एक प्रतीक्षा का भाव भर गया, पर चौरी के घन को लौटाने कोई नहीं आया। तब, ‘नाम प्रकट करो, नाम प्रकट करो’ की आवाजें आने लगीं। कुम्हार का देवता बोल उठा—‘गहना मजने ने चुराया है, मजने ने चुराया है, मजने ने चुराया है’। वहाँ एक अतीत बैठा था। उसने अपने ढण्डे को आकाश में छुमाते हुए कहा—‘मजना मेरे बकरे का नाम है, उस पर झटा आरोप लगाता है। इसबार उसका नाम लिया तो फिर लोग कुछ और ही देखेंगे।’ उसकी ठग-विद्या की कर्लई खुल गई। लोग उसे कोसने लगे। भीखण्डी ने

कहा—इसे कोसने की क्या जरूरत है। मूर्ख तुम हो। चोरी आँखवालों के घर हुई है और उसका पता लगाने को तुम अन्धे को छुलाते हो। गहना कैसे आयेगा^१ ?

ठग-विद्या का मर्मोद्धारण करना भीखणजी का जीवन-मंत्र था। इसकी आदि और अन्त नहीं है। जीवन का मंत्र सदा जीवन के साथ चलता है।

: ५ : अदम्य उत्साह

वर्म का क्षेत्र भी ठग-विद्या से अछूता नहीं था। बहुत सारे लोग साधु बनकर भी साधुता को नहीं निभाते थे। वे कल्पिकाल का नाम ले, लोगों को भरमाते थे। पाँचवाँ आरा है, अभी पूरा साधुपन पाला नहीं जा सकता, इसकी ओट में चहुत सी बुराइयाँ पलती थीं। आचार्य भिक्षु ने कहा—उधार साहूकार भी लेता है और दिवालिया भी लेता है। खत दोनों के लिये लिखा जाता है—महाबन जब माँगेगा तभी उसका धन लौटा दिया जायेगा। परन्तु साहूकार और दिवालिये की पहचान माँगने पर होती है। जो साहूकार होता है वह व्याजसहित मूलधन दे देता है। जो दिवालिया होता है वह मूल पैकी भी नहीं देता। भगवान् ने जो कहा उसका पालन करनेवाला साधु है और पाँचवें आरे का नाम लेकर भगवान् की बाणी का उल्लंघन करनेवाला असाधु है^२।

आचार्य भिक्षु के गुरु व्याचार्य रुधनाथ भी थे। उन्होंने कहा—भीखणजी अभी पाँचवाँ आगा है, इस काल में कोई भी दो घड़ी का साधुपन पाल ले तो वह सर्वज्ञ हो जाये। व्याचार्य भिक्षु ने कहा—यदि दो घड़ी में ही सर्वशता प्राप्त होती है तो इतने समय तक तो मैं स्वास बंद कर भी रह जाऊँ^३।

सदाचार उसी के पीछे चलता है जो देश, काल और परिस्थिति के सामने नहीं भुकता।

: ६ : स्वतन्त्र चिन्तन

एक वैद्य ने आँख के रोगी की चिकित्सा शुरू की। कुछ दिन दीते। आँख ठीक हो गई। वैद्य ने वधाई माँगी। रोगी ने कहा—मैं पर्चों से पूछूँगा। वे कहेंगे—मेरी आँखें ठीक हो गई हैं, मुझे दिखाई देने लगा

है, तो मैं तुम्हें बधाई दूँगा ; नहीं तो नहीं । वैद्य—तुझे दीखता है या नहीं ? रोगी—मुझे भले ही दीखे, पर जब पंच कह देंगे कि तुम्हे दीखता है, बधाई तब ही मिलेगी ।

आचार्य भिष्म ने हस उदाहरण के द्वारा अन्धानुसरण करनेवालों व दूसरों पर ही निर्भर रहनेवालों का चित्र ही नहीं खींचा, उन्होंने उनकी पूरी खबर भी ली । उनकी विचारधारा स्वतंत्र थी । उन्होंने अनेक धर्माचार्यों को परखा । आखिर स्थानकवासी सम्प्रदायके आचार्य रुधनाथ जी के शिष्य बने । आठ वर्ष तक उनके सम्प्रदाय में रहे । उनकी परीक्षा-पटु बुद्धि को वहाँ भी सन्तोष नहीं मिला । वे मुक्त होकर चल पड़े । ज्ञानवान् व्यक्ति केन्द्र होता है । उसके आसपास समाज स्वयं बन जाता है । आचार्य भिष्म की अनुभूतियों के आलोक में तेरापंथ नामक गण का प्रारम्भ हो गया ।

: ७ : मोह के उस पार

बुआ ने कहा—भीखण तू ! दीक्षा लेगा तो मैं पेट में कटारी खाकर मर जाऊँगी । भीखणजी ने कहा—कटारी पूनी नहीं है, जिसे पेट में खाया जाय । बुआ को मोह से उबारा, वे उसके मोह में नहीं फँसे ।

भीखणजी के पिता, शाह बल्जी इस संसार से चल बसे । माता दीपां बाई उन्हें दीक्षा लेने की अनुमति नहीं दे रही थी । आचार्य रुधनाथजी ने दीपां बाई को समझाया । बहुत चर्चा के बाद उनकी अन्तरात्मा बोल उठी—मैंने सिंह का सपना देखा, जब यह मेरे गर्भ में था । यह राजा होगा । मैं इसे मुनि होने की अनुमति कैसे दे सकती हूँ ? आचार्य ने कहा—मुनि राजा से बहुत बड़ा होता है । तेरा पुत्र मुनि—सिंह बने, इसमें तुझे क्या आपत्ति है ? आचार्य की बात दीपां बाई के गले उत्तर गई और भीखणजी रुधनाथजी के शिष्य बन गये ।

: ८ : विश्वास विफल नहीं होता

राजनगर मेवाड़ का प्रसिद्ध कस्बा है । उसकी प्रसिद्धि का कारण ‘राज समंद’ है । यह बाँध बहुत बड़ा नहीं है तो बहुत छोटा भी नहीं है । इसकी अपनी विशेषता है पाल । दुर्ग जैसे अनेक प्राकारों से धिरा होता है वैसे ही उस बाँध का जल अनेक सेतुओं से धिरा हुआ है । “नोचाकिया” बालु-कला का निर्दर्शन है । जल की किछोंके भीतों से टकराती हैं वैसे ही दर्शक के मन से प्रमोद टकराने लग जाता है ।

गुजरात सन्त मीठगंजी का वैधि-क्षेत्र है। यहाँ उन्हें नया आलोक मिला और आन्दोलन पथ पर चलने की छमता मिली।

गुजरात के शावकों ने चिद्रोह कर दिया। वे मुनियों की बदना नहीं करते। उन्हें समझाने के लिए तुम जाओ, स्थनाश्ली ने सन्त मीठगंजी को आदेश दिया। वे अपने चार सहयोगी मुनियों के साथ गुजरात की ओर चले। चारुंभान प्रारम्भ हुआ। सन्त मीठगंजी ने शावकों को सुना। श्रवक उनकी अदा, हुदि और वैगम्य पर विद्वास करते थे। इनलिए उन्होंने जो कहा उस पर तक़ को आगे नहीं बढ़ाया। विद्वास विफल नहीं होता। शावकों की बात सन्त मीठगंजी ने निर पर ओढ़ ली थी। उन्होंने नन ही नन नोचा—स्वा हमशोग आचार-शिथिल नहीं है? कलिकाळ की हुदाई देकर स्वा हम नहातों की यत्र-तत्र अवहेलना नहीं करते? उनकी आन्मा को कैपन-ज्वर हो गया और उस दशा में उनके संकल्प ने नया नार्ग ढूँढ़ लिया। शावकों का विद्वास विफल नहीं हुआ।

: ९ : आलोचना

कड़वी दशा भी रोग पते हैं और हैंद्र पिलाते हैं। दशा कड़वी है, यह दोष नहीं है। दशा की कड़वी रोग मियने की छमता से की जाती है, कड़वायन वा निटास से नहीं। आपके प्रयोग बहुत कड़वे हैं, एक व्यक्ति ने कहा।

आचार्य मिश्रने दुर्क्षयते हुए उच्चर दिया—गम्भीर चात का रोग है। वह सुई का डाग देने से कैसे निटे? उसे मियने के लिए हुद्य का ही डाग देना होता है।

आचार्य निष्ठा ने आचारकी शिथिलता और विचारों के बुबलेन पर गहर प्रहार किया। उनकी भाषा कठोर है, तुकीली है, और है तुमनेवाली; पर उसमें आन्मा की आवाज है, चेदना की अभिव्यक्ति है, अन्तर और भीतर की एकता है।

: १० : लागण

सादस्थान में व्याह आदि कुछ प्रदंगों पर चात्र-चागण—राति चोगों की प्रथा है। आचार्य मिश्र ने लयान्तर में इन प्रथा को निया ही लिया। पाली की बदना है। गुर को व्याख्यान दिया। चौकी पर बैठे थे। व्याख्यान पूरा हुआ, लोग चल गए। दो आदमी जड़े-बड़े चर्चां करते रहे। आचार्य मिश्र उन्हें उच्चर देते रहे। और चातु लो रहे थे। चत का पिछला प्रहर

आया। उन्होंने चाषुओं को चगा दिया। चाषुओं ने पूछा—आपकी नींद कह खुली है आपने कहा—कोई सोया मी तो होँ।

चोने के लिये जागनेवाले बहुत होते हैं पर जागरण के लिये जागनेवाले बिले ही होते हैं।

११ : आचार-निष्ठा

संसार में सब एकल्प नहीं होते। कुछ लेने का होता है, कुछ छोड़ने का। जानने का सब होता है। चोटों छोड़ने का हो सची को छोड़ा जाए, दोष को नहीं, कीवन की दहलता का यह एक मन्त्र है।

एक बहन आई और आचार्य मिशु को मिशा लेने की प्रार्थना कर चली गई। वह काम कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन आचार्य मिशु मिशा लेने उसके घर गये। आपने पूछा—तू मिशा देने के बाद हाथ ठंडे चल जे धोएगी या गर्न से? बहन नहीं गर्न से। आचार्य मिशु—कहाँ धोएगी? बहन नहीं इस नाली में। आचार्य लृप्त हो चल कहाँ जाएगा?

बहन—नीचे।

आचार्य—इससे तो अनेक लीब मर रकते हैं या मर जायेंगे। इसलिए मैं बुझारे हाथ जे मिशा नहीं ले सकता।

बहन—जान मिशा ले लै। मैं हाथ कैसे और कहाँ धोऊँगी, इसकी चिन्ता क्यों करते हैं? मैं मिशा देकर हाथ धोती हूँ, उसे भला कैसे छोड़ूँगी?

आचार्य—तो रोटी के लिए मैं अपना आचार ज्ञां तोड़ूँगा?

एक आत्मस्थ व्यक्ति को जो आनन्दात्मूर्ति आचारनिष्ठ रहने में होती है, वह रोटी छुयने में नहीं होती। आचार के लिए रोटी को ढुकराने में जो पुर्णार्थ है वह रोटी के लिये आचार को ढुकराने में समात हो जाता है।

१२ : व्यक्तिगत आलोचना से दूर

आलोचना दोष की होनी चाहिए और प्रशंसा गुग की। किसी व्यक्ति की आलोचना करनेवाला अपने लिए खतरा उत्पन्न करता है। आलोच्य के लिये वह न मी हो; प्रशंसा करनेवाला प्रशंस्य व्यक्ति के लिये खतरा उत्पन्न करता है। आचार्य मिशु ने बहुत आलोचना की। उनकी हर आलोचना में क्रान्ति का दोष है। पर व्यक्तिगत आलोचना से जितने वे बचे उतना बिला ही बच सकता है।

एक आदमी ने पूछा—महाराज ! इतने सुग्रदाय हैं जिनमें कौन साधु हैं और कौन असाधु ?

आचार्यवर ने कहा—एक अन्वा मनुष्य था । उसने वैद्य से पूछा—नगर में नग्न कितने हैं और कपड़े पहननेवाले कितने ? वैद्य बोला—यह दबा लो, असाधु में डाल लो । मैं तुम्हें दृष्टि देता हूँ, फिर तुम ही देख लेना—नगर कितने हैं और कपड़े पहननेवाले कितने ।

आपने कहा—साधु और असाधु की पहचान मैं बता देता हूँ ; फिर तुम्हीं परन्तु लेना—कौन साधु है और कौन असाधु ।

नाम लेकर किसी को असाधु कहने से भगड़ा खड़ा हो जाता है ।

दृष्टि मैं देता हूँ और मूल्यांकन तुम्हीं कर लेना^३ ।

एक नमय किसी दूसरे व्यक्ति ने ऊपर का कथन दोहराया ।

आपने कहा—एक आदमी ने पूछा—इस दूसरे में साहूकार कौन है और दिवालिया कौन ? उत्तरदाता ने कहा—मैं किसे साहूकार बताऊँ और किसे दिवालिया ? मैं तुम्हें गुण बताये देता हूँ—जो लेकर वापस दे दे वह साहूकार, जो लेकर वापस न करे और माँगने पर भगड़ा करे, वह दिवालिया । परीक्षा तुम्हीं कर लेना—कौन साहूकार है और कौन दिवालिया ?

आपने कहा—मैं तुम्हें लक्षण बता देता हूँ—जो महात्रतों को ग्रहण कर उनका पालन करे, वह साधु और जो उन्हें न निभाये वह असाधु । परीक्षा तुम्हीं कर लेना, कौन साधु है और कौन असाधु^३ ?

: २३ : सिद्धान्त और आचरण की एकता

विज्ञान दूसरों के लिए होता है, अपने लिए नहीं, वहाँ वह जी कर भी निर्जीव जन जाता है । जो महान् होता है वह सबसे पहले विज्ञान को अपने ऊपर ही छागू करता है ।

एक दूसरे सुग्रदाय का साधु आया और आचार्य भिक्षु को एकान्त में ले गया । आपने योद्दे समय तक ब्रातचीत की और लौट आये ।

हेमरवनी स्वामी आपके दाँये हाथ ये । उन्होंने पूछा—गुरुदेव ! वह किसलिए आया था और उसने क्या ब्रातचीत की ?

आपने कहा—वह किसी दोष का ग्रायदिन्त लेने आया था ।

हम—किस दोष का ?

'आ०—मैं नहीं बता सकता' ।

व्यवस्था के पालन के लिए अपने प्रिय शिष्य की भी उपेक्षा कर देनी चाहिए, यह बहुत बड़ा सिद्धान्त नहीं है, पर बहुत बड़ा कार्य है। जहाँ सिद्धान्त की गुरुता कार्य की गहराई में लीन हो जाती है, वहाँ कार्य और सिद्धान्त एक दूसरे में चमक ला देते हैं।

१४ : अकिञ्चन की महिमा

सामग्री चौंधिया देती है, पर प्रथम दर्शन में। आदि से अन्त तक व्यक्ति का तेज ही चमकता है। उपकरण किसी के अन्तर को नहीं छू सकता। आचार्य भिक्षु पुर से भीलवाड़ा ला रहे थे। उन्होंने बीच में एक जगह विश्राम लिया। दूँढ़ाड़ का एक आदमी आ मिला। उसने पूछा—आपका नाम क्या है? आपने कहा—मेरा नाम भीखण है।

वह बोला—भीखण जी की महिमा तो बहुत सुनी है। फिर आप अकेले ही पेह के नीचे कैसे बैठे हैं? मेरी कल्पना तो यह कि आपके पास बहुत आडम्बर होगा—हाथी, घोड़े, रथ और पालकियाँ होंगी; पर कुछ नहीं देखता हूँ।

आप—महिमा इसीलिए तो है कि मेरे पास आडम्बर नहीं है, कुछ भी नहीं है^२।

आचार्य भिक्षु उसके अन्तरतम के देवता हो गए।

अन्तरतम उसी के लिए सुरक्षित रह सकता है जो बाहरी सुरक्षा की चिन्ता से मुक्त होता है। सच तो यह है कि सुरक्षा बाहर में है भी नहीं। आचार्य भिक्षु अन्तर की सुरक्षा से इतने आश्वस्त थे कि बाहरी सुरक्षा का प्रयत्न उनके लिए मूल्यहीन बन गया था।

१५ : जहाँ बुराई-भलाई बनती है

विश्व में अनेक घटनाएँ घटती हैं—कोई अनुकूल और कोई प्रतिकूल। अनुकूल घटना में मनुष्य फूलकर कुप्पा हो जाता है और प्रतिकूल घटना में सिकुड़ जाता है। यह तटस्थवृत्ति के अभाव में होता है। तटस्थ व्यक्ति समभावी होता है। उसका मन इतना बलवान् हो जाता है कि वह अप्रिय को प्रिय मानता है और असम्यक् को सम्यक् रूप में ग्रहण करता है।

आचार्य भिक्षु पाली में चतुर्मास करने आये। एक दुकान में ठहरे। एक सम्प्रदाय के आचार्य दुकान के मालिक के पास गए। उनकी पक्की से

१-दृष्टान्त : ५७

२-दृष्टान्त : १२५

कहा—बहन तू ने दुकान दी है पर चौमासा शुरू होने के बाद चार मास तक भीग्रण ली इसे छोड़ेंगे नहीं। वह आचार्य मिश्र के पास आई। उसने कहा—मेरी दुकान से चले जाएँ। आचार्यवर ने कहा—हम जर्ददत्ती रहनेवाले नहीं हैं। तू नमी केही तभी चले जायेंगे। चतुर्मास में भी हम दुकान को छोड़ सकते हैं। बहन ने कहा—मुझे तुम्हारे जैसे ही कह गये हैं कि चौमासा शुरू होने पर दुकान नहीं छोड़ेंगे। हनुलिए में दुकान में रहने की अनुमति नहीं दे सकती।

आचार्य मिश्र उस दुकान को खाली कर दूसरी लगाई चले गये। दिन में मर्हुंचा में रहते और रात को नीचे दुकान में व्याप्त्यान देते। लोग बहुत आते।

प्रकृति न्यू बदलती रहती है। राजत्यान में वर्षा कम होती है, लेकिन इस वर्ष बरसात ने भीमा तोड़ दी। प्रकृति का प्रकोप बहुतों को उहना पड़ा। उस दुकान को भी सहना पड़ा जिसमें आचार्य मिश्र पहले ठहरे थे। उसका शहतीर ढूँ गया। दुकान ढह गई। आचार्य मिश्र ने वह सुना तो बोल उठे—दुकान से निकलने की प्रेरणा की, उन पर महत कोश आ सकता है। परन्तु सही माने में उन्होंने हमारा उपकार किया। यदि आज हम उस दुकान में होते तो...^१।

बुराई करनेवाला अवश्य ही बुरा होता है। पर बहुत अच्छा तो वह मी नहीं होता जो बुराई के भार से दब जाए। बुराई को पैरों से रींदकर चलनेवाला ही अपने मन को मजबूती से पकड़ सकता है।

: १३ : क्षमा की सरिता में

अमृत को जहर बनानेवाले किन्तु नहीं होते, किन्तु जहर को अमृत बनानेवाले विरले ही होते हैं। जहर को अमृत वही बना सकता है जिसमें जहर न हो।

एक संग्रदाय के साथ... और आचार्य मिश्र के बीच तत्त्व-चर्चा हो रही थी। प्रथमानुचार आपने बताया—वर्ष के लिए हिंसा करने में दोष नहीं, यह अनार्थ बचन है; वह मगवान् महावीर ने कहा है। प्रतिवादी साथु ने अपने शिष्य से कहा—अपनी प्रति आ। वह पाठ शुरू नहीं है। शिष्य से प्रति मङ्गवाक्षर देखा तो वही पाठ मिला जो बताया गया था। उनके हाथ काँपने लगे। तब आचार्यवर ने कहा—मुनि जी! हाथ क्यों काँप रहे हैं? जनता पाठ सुनते ओ उल्लुक है। आप सुनाइये न। उसने पाठ नहीं सुनाया। आचार्य मिश्र ने कहा—हाथ में कंपन होने के बार कारण होते हैं:

१-कंपन वात;

२-क्रोध का अवैद्य;

३-मैथुन का आवेश और

४-चर्चा में पराजय।

यह सुनकर मुनि जी ने कहा—साले का माथा काट डालूँ।

जहर को अमृत बनाते हुए आचार्य मिष्टु ने कहा—मुनि, जगत की सारी दिन्हों मेरी बहन हैं। आपके स्त्री हैं तो मैं आपका भी साला हो सकता हूँ, यदि आपकी स्त्री नहीं है, आप मुझे साला बनाते हैं तो आपको छूठ बोलने का दोष लगता है। आपने दीक्षा ली तब सभी जीवों को मारने का त्याग किया था। आपकी दण्डियाँ मैं साधु भले ही न होऊँ, पर मनुष्य तो हूँ, एक प्राणी तो हूँ। दीक्षा लेते समय क्या मुझे मारने की छूट रखी^१ ?

विरोध विनोद में बदल गया, नहर अमृत बन गया। लोग खिलखिला उठे। आवेश का दोष क्षमा की सरिता में बह गया।

: १७ : सत्य का खोजी

सत्य उसी के पल्ले पड़ता है जिसकी आत्मा पवित्र होती है। उसमें सत्य का ही आग्रह होता है, बाहरी उपकरणों का नहीं। एक दिन कुछ दिगम्बर जैन आचार्य मिष्टु के पास आये। उन्होंने कहा—महाराज आपका आचार और अधिक चमक उठे, यदि आप वस्त्र न पहनें। आपने कहा—आपलोगों की भावना अच्छी है पर मुझे श्वेताम्बर आगमों में विश्वास है। उन्हीं के आधार पर मैंने घर छोड़ा है। उनके अनुसार मुनि कुछ वस्त्र रख सकता है, इसीलिए मैं रखता हूँ। यदि मुझे दिगम्बर-आगमों में विश्वास हो जाय तो मैं उसी समय वस्त्रों को फेंक दूँ, नग्न हो जाऊँ^२ ।

सत्य का शोधक जितना निश्चल होता है उतना ही नम्र। आचार्य मिष्टु ने जो नई व्याख्या की, उसके अंत में लिख दिया कि मुझे यह सही लगता है, इसलिये मैं ऐसा करता हूँ। किसी आचार्य और बहुश्रुति मुनि को यह सही न लगे तो वे इसमें परिवर्तन कर दें^३ ।

यह बात वही लिख सकता है जिसे सत्य के नये उन्मेषों का ज्ञान हो। सत्य अनन्त है, वह शब्दों की पकड़ में नहीं थाता। आग्रही मनुष्य उसे बढ़ि बना देते हैं, किन्तु उसे पा नहीं सकते।

: १८ : जो मन को पढ़ सके

मनुष्य की आकृति जैसे भिन्न होती है, वैसे प्रतिमा भी भिन्न होती है।

१-दृष्टान्तः ६१ २-दृष्टान्तः ३१ ।

इन्होंने तो कवाढ़ीयाँ रो दोष न भासें, जाणें ने सुध बबहार। जे निसंक दोष कवाढ़ीयाँ में जांणों, ते मत बहरजो लिगार रे ॥

कोई अपने मन की बात को भी पूरा नहीं समझ पाता और कोई दूसरों के मन की बात को भी पकड़ लेता है। दूसरों के हृदय को अपने हृदय में उड़ेलने-वाला उस दूरी को मिया देता है जो मनुष्य-मनुष्य के बीच में है।

आचार्य भिष्म आएँ तो मैं साक्षी बनू—एक वहन ऐसा बार-बार कहती रही। आप केलवा में आये। उस वहन को ज्वर हो गया। आम को वह दर्शन करने आई। उसकी गति और बोली में शिथिलता थी। आपने उससे पूछा— वहन ! क्या हुआ, यों धीने-धीमे कैसे बोटती हो ? वह बोली—गुरुदेव ! आपका तो आना हुआ और मुझे ज्वर हो गया। आपने कहा—ज्वर दीक्षा के डर से तो नहीं आया है ? वहन—मन में योद्धा डर आया तो या। आप—दीक्षा कोई ऐसा खेल नहीं है जो हर कोई खेल ले ।

एक भाई ने कहा—गुरुदेव ! साथु बनने की इच्छा है। आचार्यवर ने कहा— तेरा हृदय कोमल है। दीक्षा के समय घरवाले रोये तब तू भी रोने लग जाये तो ? भाई बोला—गुरुदेव ! आप सच कहते हैं, औसू तो छलक पड़ेंगे।

आप—दामाद सुसुराल से अपने घर लौटे तब उसकी स्त्री रोये, वैसे वह भी रो पड़े तो कैसा लगे ?

कोई साधु बने तब उसके परिवारवाले रोये, यह स्वार्थ हो सकता है पर परमार्थ-पथ का अनुगामी भी उनके साथ-साथ रोने लगे तो वैराग्य की रीढ़ ढूँढ़ जाती है^२ ।

नेता का अर्थ होता है दूसरों को लेकर चलनेवाला। जो व्यक्ति नेता होकर मी दूसरों के मन को नहीं पढ़ सकता, वह दूसरों को साथ लिये नहीं चल सकता। दूसरों को साथ लेकर चलने के लिये जो चलता है वह दूसरों के मन को नहीं पढ़ सकता। दूसरों के मन को वह पढ़ सकता है जिसके मन की स्वच्छता में दूसरों के मन अपना प्रतिविम्ब डाल सकें। जिसका मन इतना स्वच्छ होता है उसकी गति के साथ असंख्य चरण चल पड़ते हैं।

: १९ : व्यवहार-कौशल

अन्तर की शुद्धि का महत्व अपने लिये अधिक होता है, दूसरों के लिये कम। व्यवहार की कुशलता का महत्व अपने लिये कम होता है, दूसरों के लिये अधिक। अन्तर की शुद्धि के बिना कोरी व्यवहारकुशलता छलना हो जाती है और व्यवहारकुशलता के बिना अन्तर की शुद्धि दूसरों के लिये उपयोगी नहीं होती।

१-दृष्टान्त : ३६

२-दृष्टान्त : ३७

एक गाँव में साधु भिक्षा लेने के लिये गये। एक जाटनी के घर आटे का धोवन था। साधुओं के माँगने पर भी उसने नहीं दिया। साधु खाली झोली लिये लौट आये। आचार्य मिश्र से कहा— जल बहुत है पर मिल नहीं रहा है।

आचार्य— क्यों ? क्या वह बहन देना नहीं चाहती ?

साधु— वह जो देना चाहती है वह अपने लिये ग्राह्य नहीं है और जो ग्राह्य है उसे वह देना नहीं चाहती है।

आ०— उसे धोवन देने में क्या आपत्ति है ?

साधु— वह कहती है, आदमी जैसा देता है वैसा ही पाता है। आटे का धोवन दूँ तो मुझे आगे वही मिलेगा। मैं यह नहीं पी सकती। यह साफ पानी है, आप ले लीजिये।

आचार्य मिश्र उठे और साधुओं को साथ लेकर उसी घर गये। धोवन की माँग करने पर उस बहन ने वही उत्तर दिया जो वह पहले दे चुकी थी।

आचार्य— बहन तेरे घर में कोई गाय है ?

बहन— हाँ महाराज ! है।

आचार्य— तू उसे क्या स्विलाती है ?

बहन— चारा, घास।

आचार्य— वह क्या देती है ?

बहन— दूध।

आचार्य— तब बहन ! जैसा देती है वैसा कहाँ मिलता है ? घास के बदले दूध मिलता है।

अब वह स्क नहीं सकी। जल का पात्र उठा, सारा जल साधुओं के पात्र में उड़ेल दिया।

इस जगत में अनेक कलाएँ होती हैं। उनमें सबसे बढ़ी कला है दूसरों के हृदय का स्पर्श करना। उस कला का मूल्य कैसे अँका जाए जो दूसरों के हृदय तक पहुँच ही नहीं पाती।

: २० : चमत्कार को नमस्कार

दुनियाँ चमत्कार को नमस्कार करती है। व्यक्ति नहीं पूला जाता, शक्ति पूजी जाती है। पूर्णिमा के चाँद की पूजा नहीं होती, दूब का चाँद पूजा जाता है। सीधी बात पर ध्यान नहीं जाता, बकोक्ति सहसा मन को खींच लेती है। कवित्व एक शक्ति है। बकोक्ति से बढ़कर और काव्य का क्या चमत्कार होगा ?

आचार्य मिश्र पीपाढ़ में चौमासा कर रहे थे। वहाँ नगू गाँधी उनके सम्पर्क

में आया और उनका अनुयायी बन गया। कुछ लोगों ने कहा—स्वामीजी! जग्गू गाँधी आपका अनुयायी बना, इस बात से अमुक सम्प्रदायवाले सभी लोगों को कष्ट हुआ है पर खेतसी लूणावत को तो बहुत ही कष्ट हुआ है। स्वामीजी बोले—विदेश से मौत का समाचार आने पर चिंता सब को होती है पर लम्बी कांचुली तो एक ही पहनती है^१।

आचार्य भिक्षु व्याख्यान देते। कुछ लोगों को वह बहुत ही अच्छा लगता और कुछ उसका विरोध करते। जिनका विरोध था उन्होंने कहा—भीखण जी व्याख्यान देते हैं तब रात एक पहर से बहुत अधिक चली जाती है।

आचार्य भिक्षु ने कहा—सुख की रात छोटी होती है पर दुःख की रात बहुत बड़ा लगती है^२।

एक व्यक्ति ने कहा—स्वामी जी! इधर आप व्याख्यान देते जा रहे हैं और उधर सामने बैठे हुए कुछ लोग आपकी निंदा करते जा रहे हैं। आपने कहा—यह आदत की लाचारी है। भालर बजने पर कुत्ता भाँकता है। वह यह नहीं समझता है कि यह विवाह के अवसर पर बज रही है या किसी के मर जाने पर। निंदा करनेवाला यह नहीं देखता कि यह ज्ञान की बात कही जा रही है या कुछ और। उसका स्वभाव निंदा करने का है सो कर लेता है^३।

तत्त्व की चर्चा में लम्बाई होती है। काव्य की चर्चा लम्बी नहीं होती। उसकी समाप्ति वह एक ही वाक्य कर देता है जिसमें चुभने की क्षमता हो।

: २१ : विवाद का अन्त

एक रस्सी को पकड़ कर दो आदमी खींचते हैं—एक इधर और एक उधर। परिणाम क्या होता है? रस्सी टूटती है। दोनों आदमी गिर जाते हैं। खिंचाव करनेवाला अर्थात् गिरनेवाला। जो खिंचाव को मिटाता है वह गिरने से उत्तर लेता है।

दो साधुओं में खींचातानी हो गई। वे आचार्य भिक्षु के पास आये। एक ने कहा—इसके पात्र में से इतनी दूर तक जल की बूँदें गिरती गईं। दूसरे ने कहा—नहीं, इतनी दूर तक नहीं गिरीं। तीसरा कोई साथ में नहीं था। दोनों अपनी-अपनी बात पर डटे रहे। विवाद नहीं सुलभा। तब आचार्यवर ने कहा—तुम दोनों रस्सी लेकर जाओ और उस स्थान को माप कर वापस आ जाओ।

१-हृष्टान्त : १७

२-हृष्टान्त : १८

३-हृष्टान्त : १६

दोनों के मन की नाप हो गई। पहले ने कहा—हो सकता है मेरे देखने में भूल रह गई हो। दूसरे ने कहा—हो सकता है मैं दूरी को ठीक-ठीक न पकड़ सका होऊँ। दोनों अपने-अपने आग्रह का प्रायदिवचत कर गिरने से बच गये^१।

दो साथ एक विवाद को लेकर थाये। एक ने कहा—गुरुदेव यह रसलोलुप है। दूसरा बोला—मैं नहीं हूँ, रसलोलुपता इसमें है। बाणी का यह विवाद कैसे निपटे? स्वामीजी के समझाने पर भी वे समझ नहीं सके। आखिर आपने कहा—तुम दोनों मुझसे स्वीकृति लिये बिना विगय खाने का त्याग करो। जो विगय खाने की स्वीकृति पहले लेगा, वह कच्चा है और दूसरा पक्का। दोनों ने आचार्य की आज्ञा को शिरोधार्य किया। चार मास तक उन्होंने दूध दही, धी, मिठाई आदि कुछ नहीं खाये। पूरा चातुर्मासी वीतने पर एक ने विगय खाने की स्वीकृति ली। विवाद की थाँच मंद हो गई^२।

'है' और 'नहीं' की चर्चा एक खतरनाक रस्सी है। इसमें हर आदमी के पैर उलझ जाते हैं। एक कहता है कि इसकी लम्बाई-चौड़ाई इतनी है, दूसरा कहता है—नहीं, इतनी नहीं है। एक कहता है—हम आज नौ बजे सोयें; दूसरा कहता है नहीं, हम सबा नौ बजे सोए थे।

ऐसे विवादों का कोई अर्थ भी नहीं है तो कोई अंत भी नहीं है। इसका अंत वही ला सकता है जिसे अन्तर की अनुभूति में स्वाद आ जाए।

२२ : जिसे अपने पर भरोसा है

वहाँ सारी माघाएँ मूक बन जाती हैं, जहाँ हृदय का विश्वास बोलता है। जहाँ हृदय मूक होता है, वहाँ माघा मनुष्य का साथ नहीं देती। जहाँ भाषा हृदय को ठगने का यत्न करती है वहाँ व्यक्ति विभक्त हो जाता है। अखंड व्यक्तित्व वहाँ होता है जहाँ भाषा और हृदय में द्वैघ नहीं होता। आचार्य भिक्षु की व्यास्था बोलती थी। उनकी भावना एक ही देव की उपासना में सिमटी हुई थी। एक देव—कोई एक व्यक्ति नहीं, किन्तु वे सब व्यक्ति जो बीतरागमय हों, जिनके चारिन में राग-द्वेष के घब्बे न हों। लोगों में स्वार्थ होता है। वे उसकी पूर्ति के लिये अनेक देवों की पूजा करते हैं। जिन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं होता वे पग-पग पर देवों की पूजा करते हैं। उस समय के लोग भी भैरव, शीतला आदि अनेक देवों की मनौती करते थे। आचार्य भिक्षु इसे मानसिक द्वुवृल्ता बताते। प्रवचन-प्रवचन में इसका खंडन करते। एक दिन हेमराजनी स्वामी ने कहा—गुरुदेव! आप इन लौकिक देवताओं की पूजा

१-हृष्टान्त : १६७

२-हृष्टान्त : १६८

का खंडन करते हैं पर कहीं वे कुपित हो गये तो ? आपने व्यंग की भाषा में कहा—यह युग सम्यग्हटित देवताओं का है । ये भैरव आदि कुपित होकर करेंगे भी क्या ?

दूसरों पर अधिक भरोसा वही करता है जिसे अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं है । मनुष्य जाग कर भी सोता है, इसका यह मतलब है कि उसे अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं है । मनुष्य सोकर भी जागता है, इसका मतलब है कि उसे अपने आप पर भरोसा है । जिसे अपने पर भरोसा है वह सब कुछ है ।

२३ : पुरुपार्थ की गाथा

कहा जाता है—महापुरुणों की कार्य-सिद्धि उनके सत्य में होती है, उपकरणों में नहीं होती । प्राचीन खगोल-शास्त्री कहते हैं—सूर्य का सारथी लंगड़ा है । फिर भी वह असीम आकाश की परिक्रमा करता है ।

पौराणिक कहते हैं—राम ने रावण को बीता और उनकी सहायता कर रही थी बन्दर-सेना ।

आचार्य भिक्षु की साधन-सामग्री स्वल्पतम थी । एक बार उनके सहयोगी साधु छः ही रह गये थे । साध्यियाँ नहीं थीं । जैन-परम्परा में साधु-साध्वी, श्रावक और श्राविका ये चार तीर्थ कहलाते हैं । एक व्यक्ति ने कहा—भीखण्णी का लड्डू, पूरा नहीं है । आपने कहा—पूरा भले ही मत हो, पर है असली “चौगुणी” का^२ ।

कुछ वर्षों के पश्चात् साध्यियाँ बनीं ।

एक बार तेरह सातु थे । इसे लक्षित कर एक व्यक्ति ने आचार्य भिक्षु के संघ का नाम “तेरापंथी” रख दिया । उन्हें अपने विचारों का अनुगामी समाज होने की परिकल्पना नहीं थी । नया सम्प्रदाय खड़ा करना उनका उद्देश्य भी नहीं था । वे आत्मशोधन के लिए चले थे । उनके साथ एक छोटी सी मंडली थी । आचार्य भिक्षु संख्या को नहीं मानते थे । उनका विश्वास गुण में था । उनके अनन्य सहयोगी और अनन्य विश्वासपात्र थे भारीमालजी ।

भारीमाल ! हम आचार्य रघुनाथजी को छोड़ आए हैं । हमें नये सिरे से दीक्षा लेनी है । तुम्हारे पिता की प्रकृति बहुत उम्र है । हमें कठिनाइयों का सामना करना होगा । तुम्हारे पिता में उन्हें मैलने का सामर्थ्य नहीं है । इसलिये मैं उन्हें अपने साथ नहीं रख सकता । तुम्हारी क्या इच्छा है, मेरे साथ रहना चाहते हो या अपने पिता के साथ ?

भारीमालजी ने दृढ़तापूर्वक आचार्य भिक्षु के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की। मुझे आपका विश्वास है। साधुत्व में मेरी व्यास्था है। मेरे चरण आपके चरण-चिह्नों का ही अनुगमन करेंगे। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता—भारीमालजी ने कहा।

आचार्य भिक्षु ने कृष्णजी के सामने वही बात दोहराई। उन्होंने कहा—आप मुझे साथ नहीं रखेंगे तो मेरा पुत्र भी आपके साथ नहीं रह सकेगा।

आचार्य भिक्षु ने कहा—यह रहा द्वृग्धारा पुत्र, मैं इसे कब रोकता हूँ। तुम इसे ले जा सकते हो। कृष्णजी हठपूर्वक भारीमालजी को अपने साथ लेकर दूसरी जगह चले गए। भारीमालजी उस समय चौदह वर्ष के थे पर उनकी आत्मा चौदह वर्ष की नहीं थी। उनके चिर-संचित संस्कार जाग उठे। पुत्र के सत्याग्रह के सामने पिता का आग्रह ढूट गया। वे अपने पुत्र को साथ लिए आचार्य भिक्षु के निकट आये। नम्रभाव से कहा—गुरुदेव! यह आप ही की संपत्ति है। इसे आप ही सम्भालें। यह दो दिनों का भूखा-प्यासा है। इसे आप भोजन करायें, जल पिलायें। यह आप से विछुड़कर जीवन-पर्यन्त अनशन करने पर तुला हुआ है। यह मेरे साथ नहीं रहना चाहता^१।

फल में जो होता है वह सारा का सारा बीज में होता है। बीज आकार में ही छोटा होता है, प्रकार में नहीं। तेरापंथ के विकास का बीज आचार्य भिक्षु का जीवन था। उनके जीवन में समस्त-पद की वह सफलता है जिसमें अनेक विभक्तियाँ लीन हों। उनके जीवन में सिन्धु की वह गहराई है जिसमें असंख्य सरिताएँ समाहित हो सकती हैं।

उनके जीवन में क्षमा, बुद्धि, परीक्षा आदि ऐसे विशेष मनोभावों का संगम या जो सहंज ही एक धर्म-क्रान्ति की भूमिका का निर्माण कर सका।

अध्याय : २

प्रतिष्ठानि

: १ : वर्म-कान्ति के बीज

वह उन्नीश्वरी नदी के प्रथम चरण की बड़ना है। गलपूताने की मरम्यली में एक वर्म-कान्ति हुई। मारतीय—गरम्य में वर्म राजनीति से भिन्न रहा, इसलिए राज्य-व्यवस्था पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। समाज-व्यवस्था मी वर्म द्वारा परिचालित नहीं थी, इसलिए उसपर भी उसका प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं यहा। किन्तु उनाल में रहनेवाले उससे सर्वथा अछूते कैसे रह सकते थे? परम्परा के पोषक इनको भहन नहीं कर सके। उन्होंने आचार्य भिन्न को विद्रोही वौघित कर दिया।

इन वर्म-कान्ति का निकट सम्बन्ध जैन-परम्परा से था। विरोध की चिनगारी वही दुल्हनी। आचार्य भिन्न एवं उनके नवजात तेरापंथ पर तीव्र प्रहार द्वेषे लगे।

प्रहार करना आत्मन्यम की कमी का प्रतीक है। अग्रिय परिस्थिति उन्हें पर ही व्यक्ति के संयम का नूत्यांकन होता है। आचार्य भिन्न जिस परम्परा से दुज्ज द्वय उनके लिए वह अग्रिय बड़ना थी और उनका उसके प्रति प्रहार करना भी अस्वामानिक नहीं था। वह कैसे ही हुआ। पर वह एक अनिदृ और थी। हवा के फोंके उसे बुझा नहीं सके। उसे जिन-बाणी का स्वेद और संयम की चुख्ता प्रात थी। प्रतिरोध के उपरान्त भी वह प्रदीप होती गई। उसके आलोक में लोगों को 'तिरापंथ' की झाँकी मिली।

तेरापंथ और आचार्य भिन्न आज भी भिन्न नहीं हैं किन्तु उस समय तो आचार्य भिन्न ही तेरापंथ और तेरापंथ ही आचार्य भिन्न थे। तेरापंथ एक प्रस्तोत है। महाबीर-बाणी के कुछ चीज तेरापंथ की भूमिका में प्रस्तुति हुए,

वैसे सम्भवतः पहले नहीं हुए। तेरापंथ, महावीर की अर्हिंसा का महाभाष्य है। उस महाभाष्य की कुछ पर्क्षियाँ आज राजनीति की भूमिका में प्रत्यावर्तन पा रही हैं। समाज भी उन्हें मान्यता दे रहा है। वह शाश्वत-सत्य, जिसकी भगवान् महावीर ने अनुभूति की और जिसे आचार्य भिक्षु ने अभिव्यक्ति दी, आज युग की भाषा में बोल रहा है।

उस समय बड़े जीवों की रक्षा के लिए छोटे जीवों के वध को पुण्य माना जाता था। अर्हिंसा के क्षेत्र में भी बल-प्रयोग मान्य था। पुण्य के लिए धर्म करना भी सम्मत था। अशुद्ध साधन के द्वारा भी शुद्ध साध्य की प्राप्ति मानी जाती थी और दान मात्र को पुण्य माना जाता था।

आचार्य भिक्षु ने इन मान्यताओं की आलोचना की। बड़े-छोटे के प्रश्न पर उन्होंने सब जीवों की समानता की बात याद दिलाई। बल-प्रयोग के स्थान पर हृदय-परिवर्तन की पुष्टि की। उन्होंने कहा—धर्म करने पर पुण्य स्वयं होता है, पर पुण्य करने के लिए धर्म करना लक्ष्य से दूर जाना है। शुद्ध साध्य की प्राप्ति शुद्ध साधनों के द्वारा ही हो सकती है और दान का अधिकारी केवल संयमी है, असंयमी नहीं। उस समय इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई, यह बताने से पूर्व यह बताना आवश्यक है कि ये विचार युग की भाषा में कैसे प्रतिष्ठित हो रहे हैं।

सब मनुष्य समान है, यह इस युग का प्रमुख घोष है। बड़ों के लिए छोटों के बलिदान की बात आज निष्पाण हो चुकी है।

समझा-बुझाकर बुराई को दूर किया जाय, इस हृदय-परिवर्तन के सिद्धान्त पर मनोविज्ञान की छाप लग चुकी है। आज अपराधियों के लिये भी दण्ड-व्यवस्था की अपेक्षा सुधार की व्यवस्था पर अधिक ध्यान दिया जाता है। आज के सभ्य राष्ट्र फौसी की सजा को मिटा रहे हैं और अपराध-सुधार के मनोवैज्ञानिक उपायों पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने हृदय-परिवर्तन के सिद्धान्त पर लगभग उतना ही बल दिया जितना कि आचार्य भिक्षु ने दिया था। इन दोनों धाराओं में अद्भुत सामर्ज्य है।

यह तो कहीं नहीं लिखा है कि अर्हिंसावादी किरी आदमी को मार डाले। उसका रास्ता तो बिल्कुल सीधा है। एक को बचाने के लिये वह दूसरों की हत्या नहीं कर सकता। उसका पुरुषार्थ एवं कर्तव्य तो सिर्फ विनम्रता के साथ समझाने-बुझाने में है^१ !

पं० नेहरू की यह भाषा कि अधिकार के लिये प्रयत्न हो, वह हो कर्तव्य के लिये—अधिकार स्वयं प्राप्त होता है—सहसा उसकी याद दिला देती है

कि पुर्ण के लिये वर्तन न हो, वह आत्मघृदि के लिये हो, पुर्ण स्वर्वं प्राप्त होता है।

ज्ञान्यवादी उक्त की पूर्ति के लिये अशुद्ध साधनों को भी प्रयोगनीय मानते हैं। इसी आवार पर असान्यवादी गच्छनविक उनकी आलोचना करते हैं। वे अशुद्ध साधनों के प्रयोग को उन्हिन नहीं मानते।

साध्य के लही होने पर भी अगर साधन गलत हो तो वे साध्य को विगड़ देने या उसे गलत दिखा में भोइ देने। इस तरह साधन और साध्य में गहर और अद्भुत सम्बन्ध है। वे दोनों एक दूसरे से अलग नहीं किये जा सकते।

दान समाजिक उच्च है। वर्तमान समाजन्यवस्था में उसके लिये कोई स्थान नहीं, यद्यपि उन्मत्त हो चुका है। दान के स्थान पर उद्योग की चर्चा चल पड़ी है। दुनियाँ में आर्थिक अन के बिना मिश्र माँगने का अविकार केवल सच्चे सन्यासी को है। जो ईश्वर-भक्ति के रंग में रँगा हुआ है ऐसे सच्चे सन्यासी को ही यह अविकार है^२।

आचार्य मिश्र अव्याल की भूमिका पर बोलते थे। उनका चिन्तन नोक्ष की भावना के साध-साध्य चलता था। गुजराती की भूमिका उससे मिल है और उसका जाल भी मिल है। इस भूमिका-मैद को ज्ञान में रखकर हम नुन तो हमें यही अनुभव होगा कि वर्तमान युग उसी मापा में बोल रहा है जिसमें आचार्य मिश्र बोले थे। आज उन वर्षों की बोधणा हो रही है जिनकी आचार्य मिश्र ने अभिव्यक्ति दी थी।

: २ : साधना के पथ पर

इस अभिव्यक्ति का दृष्टिहास चलते साधना और कठोर तपस्या का दृष्टिहास है। आचार्य मिश्र अभिव्यक्ति देने नहीं किन्तु उत्त्व की उपलब्धि के लिये चलते थे। ईशा को जाँसी और उक्खरत को विष की प्याली ही नहीं मिली थी कुछ और भी निष्ठा था। आचार्य मिश्र को रोटी-वातना ही नहीं मिली थी, उत्त्व भी निष्ठा था। पाँच वर्ष तक उन्हें पेट भर मिश्र नहीं मिली। एक अविक्त ने पूछा—नहाना, शो-नुहु मिलता होगा। आपने उत्तर दिया—पाली के बाजार में कमी-कमी दीन्त पड़ता है^३।

१-न्तवोदय का निष्ठन्त पृ० : १३

२-विनोदा के विचार पृ० : १२०

३-मिश्र जश रक्षावण :

पाँच वर्ष लग पेक्ष, अन्त पिण पूरो ना मिलो ।

वहुल पण स्त्रपेक्ष, वी चोपड़ तो जिहा ही रह्यो ॥

तेरापन्थ की स्थापना उनका लक्ष्य नहीं था । उनका लक्ष्य था संयम की साधना । वे उस मार्ग पर चलने के लिये मृत्यु का वरण करने से भी नहीं हिचकते थे^१ । उनके तर्थों को लोग पचा सकेंगे, उनकी यह धारणा नहीं थी । उनके विचारों को मान्यता देनेवाला कोई समाज होगा, यह कल्पना उन्हें नहीं थी । उनके पास जाना, उनसे धर्म चर्चा करना सामाजिक अपराध था । लोग उनका विरोध करने में लीन थे । वे अपनी तपस्या करने में संलग्न थे । सतत् विरोध और तपस्या ने एक तीसरी स्थिति उत्पन्न की । जन-मानस में आचार्य भिक्षु के महान् व्यक्तित्व के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हुई । लोग रात में या एकान्त में छिप-छिपकर आने लगे । पर आचार्य भिक्षु : अभिव्यक्ति से दूर अपनी साधना में ही रत थे । दो मुनि आये जो पिता और पुत्र थे । उनका नाम था थिरपाल और फत्तेचन्द । वे हाथ जोड़कर बोले—गुरुदेव ! उपवास हम करेंगे, सूर्य की गर्मी से तपी हुई नदी की सिकता में हम लैटेंगे, आप ऐसा मत करें । आपकी प्रतिमा निर्मल है । आपसे सत्य की अभिव्यक्ति होगी । लोगों में जिज्ञासा जागी है । आप उन्हें प्रतिवोध दें । उनका विनय भरा अनुरोध उन्होंने स्वीकार किया और मौन को उपदेश में परिणत कर दिया ।

अपने ध्येय के प्रति आचार्य भिक्षु की गहरी निष्ठा थी । उसीसे उनमें तितिक्षा का उदय हुआ । उन्होंने बहुत सहा, शारीरिक कष्ट सहे, तिरस्कार सहा, गालियाँ सही और कभी-कभी धूंसे भी सहे । ठहरने के लिये स्थान की कठिनाई थी । लोग पीछे पढ़ रहे थे । नाथद्वारा की घटना है—वे चातुर्मास कर रहे थे । दो मास बीते और राज्य का आदेश हुआ कि वे वहाँ से चले जाएँ । उनके शेष दो मास 'कोठरियाँ' में बीते ।

एक व्यक्ति मिला । उसने पूछा—तुम कौन हो ? मैं भीखन हूँ, आचार्य भिक्षु ने कहा । ओह ! अर्थ हो गया—उसने कहा । उन्होंने पूछा—सो कैसे ? वह बोला—तुम्हारा मुँह देखनेवाला नरक में जाता है । तुम्हारा मुँह देखनेवाला तो स्वर्ग में जाता होगा । आचार्य भिक्षु ने पूछा । उसने स्वीकृति-सूचक सिर हिला दिया । आचार्य भिक्षु ने कहा—तुम्हारे लिये अच्छा नहीं हुआ, मेरे लिये तो अच्छा ही हुआ है—मुझे तो स्वर्ग ही मिलेगा, क्योंकि तेरा मुँह देखा है^२ ।

एक व्यक्ति आया और कहने लगा—मुझ से तत्त्व-चर्चा का कोई प्रश्न पूछो । आचार्य भिक्षु ने नहीं पूछा । बारबार अनुरोध किया, तब पूछा—तुम

१- भिक्षु जश रसायण :

मरणधार सुध मग लहयो, कमी न राखी कांच ।

२-द्वष्टान्त : १५

समनस्क हो या अमनस्क ? उसने कहा—समनस्क । आचार्य ने पूछा—कैसे ? उसने कहा—नहीं, मैं अमनस्क हूँ । फिर पूछा—किस न्याय से ? वह बोला—नहीं, मैं दोनों ही नहीं हूँ । आपने कहा—वह फिर किस न्याय से ? वह बोला—नहीं दोनों ही हूँ । फिर पूछा गया—वह जिस न्याय से ? वह इस न्याय-न्याय से कट होकर छाती में बैंधा भार चलता बना ।

तेरापंथ की आन्तिष्ठी नीति आचार्य मिश्र की तितिशा की ही परिणति है । इन दो शताव्दियों में तेरापंथ की उत्तेजनापूर्ण और निम्नलिखी की आलोचना कुछ सम्बन्धित के व्यक्तियों ने की, प्रत्युत्र मात्रा में विरोधी साहित्य भी निकला । पर इन पूरे दो सौ वर्षों में एक भी ऐसा उदारहण नहीं है कि विरोध का प्रत्युत्तर उत्तेजनापूर्ण ढंग से दिया गया हो या विरोधपूर्ण दो पंक्तियाँ ही प्रकाशित की हो ।

आन्तिष्ठी नीति से क्रियाल्मक शक्ति का बहुत ही अर्जन हुआ है, इसका श्रेय आचार्य मिश्र की व्येय-निष्ठा को है ।

संवार से आचार्य मिश्र की सच्ची विरक्ति थी । उनकी दृष्टि में वह दुष्ट असार है जो धर्म में लौन नहीं होती । उन्होंने जो धर्म-चर्चा की, वह मोक्ष को केन्द्र-विन्दु मान कर की । समाज की भूमिका पर खड़े व्यक्ति को उसमें कहीं-कहीं अतिवाद या वेराग्य के अन्तिम छोर को पकड़ने चांसा लगता है । यद्यपि समाज के पारस्परिक सहयोग का लोप करना उनका उद्देश्य नहीं था, फिर भी ‘आपात-दर्शन’ में पाठक को ऐसा अनुभव होता है कि वे सामाजिक सहयोग का निरसन कर रहे हैं । गहराई में जाने पर अनुभव होता है कि वे मोक्ष-धर्म और जीवन-व्यवहार के बीच मेद-रेखा खींच रहे हैं । धर्म का आधार विरक्ति है और उनकी परिणति है त्याग । त्याग उतना ही होता है जितनी विरक्ति होती है । विरक्तिशूल त्याग, त्याग ही नहीं होता है और वह भी नहीं होता कि विरक्ति हो और त्याग न हो । सब जीवों का मनोभाव समान नहीं होता । किसी की पदार्थों में अनुरक्ति होती है और किसीकी विरक्ति । अनुरक्ति के विचार विरक्ति को अद्भुत से लगते हैं और विरक्ति के विचार अनुरक्ति को । वह अद्भुतता सापेक्ष है । अपनी-अपनी स्थिति में कोई अद्भुत नहीं है ।

: ३ : चिन्तन की धारा

पाँच के रोगी को खुलाना अच्छा लगता है, पर जिसे पाँच नहीं है उसे वह अच्छा नहीं लगता । जिसमें मोह है उसे भोग ग्रिय लगता है । जो मोह

के जाल से दूर है, उसे लगता है, भोग मोक्ष की बाधा है^१। अनुभूति भिन्न होती है और उसका हेतु भी भिन्न होता है। हमारी अनुभूति आत्म-मुक्ति की ओर छुकी हुई होगी तो हम आचार्य भिक्षु के चिन्तन को यथार्थ पायेंगे और हमारी अनुभूति पदार्थोन्मुख होगी तो वह हमें अटपटा सा लगेगा। आचार्य भिक्षु की बाणी है—“जो सांसारिक उपकार हैं वे मोहवश किये जाते हैं। सांसारिक जीव उनकी प्रशंसा करते हैं, साधु उनकी सराहना नहीं करते। इन सांसारिक उपकारों में जिन-धर्म का अंश भी नहीं है। जो इनमें धर्म वतलाते हैं वे मूढ़ हैं।^२ यह धार्मिक तथ्य है। इसकी अभिव्यक्ति करते हुए उनकी अन्तरात्मा में कभी कॅप्न नहीं हुआ। सांसारिक उपकार में जो व्यावहारिक लाभ हैं उनकी उन्हें स्पष्ट अनुभूति थी। उसका उन्होंने मनौवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। जो व्यक्ति किसी जीव को मृत्यु से बचाता है, उसके साथ उसका स्लेह-बन्ध हो जाता है। इस जीवन में ही नहीं किन्तु आगामी जन्म में भी उसे देखते ही स्लेह उत्पन्न हो जाता है^३। जो व्यक्ति किसी जीव को मारता है उसके साथ उसका द्वेष-बन्ध हो जाता है। पर-जन्म में भी उसे देखकर द्वेष-भाव उभर आता है^४। मित्र के साथ मित्रता और शत्रु के साथ

१-नव पदार्थ ढाल १२ गा० ३-५ :

संसार नां सुख तो छै पुह्रल तणां रे, तेतो सुख निश्चय रोगीला जाण रे।
ते कर्मा वश गमता लागें जीवने रे, तां सुखांरी दुधवन्त करो पिछाण रे॥
पाँच रोगीलो हुवै छै तेहने रे, अत्यन्त मीठी लागे छै खाज रे।
एहवा सुख रोगीला छै पुन तणां रे, तिण सूं कदेय न सीमे आतम काजरे॥
एहवा सुखां सं जीव राजी हुवै रे, तिण रे लागे छै पाप कर्म रा पुर रे।
पछै दुःख भोगवै छै नरक निगोद में रे, मुगत सुखां सूं पड़ियो दूर रे॥

२-अणुकम्पा ढाल ११ गा० ३८-३९ :

जितरा उपगार संसार तणा छै, जे जे करे ते मोह बस जांणो।
साध तो त्यांने कदे न सरावें, संसारी जीव तिणरा करसी बखाणो॥
संसार तणां उपगार कीयां में, जिण धर्म रो अंश नहीं छै लिगार।
संसार तणां उपगार कीयां में, धर्म कहे ते तो मूढ़ गिवार॥

३-अणुकम्पा ढाल ११ गा० ४३ :

जोवनें जीव बचावे तिण सूं, बन्ध जावें तिणरों राग सनेह।
जो परभव में उ आय मिलें तो, देखत पाण जागे तिणसूं नेह॥

४-अणुकम्पा ढाल ११ गा० ४४ :

जीव नें जीव मारें छै तिणसूं, बंध जावे तिणसूं धेष विशेष।
ते पर भव में उ आय मिलें तो, देखत पाण जागें तिण सूं धेख॥

चतुर्ता चतुर्ती जाती है। ये दोनों राग-द्वेष के भाव हैं, ये धर्म नहीं हैं^१।

कोई अनुकम्पावश किसी का सहयोग करता है और कोई किसी के कार्य में विनाशक होता है। ये राग और द्वेष के मनोमाव हैं। इनकी परम्परा बहुत लम्बी होती है। आत्म-सुक्षि का सहयोग ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप के द्वारा ही किया जा सकता है^२।

एक दिन मुनि खेतसीनी को अतिसार हो गया। आचार्य मिश्र उनकी परिचर्या में बैठे थे। खेतसीनी कुछ स्वस्य हुए। उन्होंने सामीजी से कहा— सती रूपांजी का ज्ञान विशेष रखियेगा। आपने कहा—बहन की चिन्ता मत करो। तुम अपना मन समाधि में रखो^३। उन्होंने अन्तिम समय में मुनि रायचन्द्रजी को यही सीख दी—“तुम बालक हो। मोह मत लाना”। चौबीस वर्ष की युवावस्था में मिश्र अपनी पल्ली सहित ब्रह्मचारी बन गये और दोनों ही एकान्तर तप (एक दिन उपवास और एक दिन आहार) करने लगे। बीच में ही पल्ली का देहान्त हो गया। आप अकेले ही मुनि बने और अपने साध्य की सिद्धि के लिये सतत् जागरूक रहे।

: ४ : नैसर्गिक प्रतिभा

आचार्य मिश्र सहज प्रतिभा के बनी थे। उन्हें पढ़ने को बहुत कम मिला। मननाही प्रतियाँ सुखम नहीं थीं। वह प्रकाशन का युग नहीं था। उन्हें सब लैन-आगम भी उपलब्ध नहीं थे। उन्हें ‘भगवतीसूत्र’ की प्रति बड़े प्रधत्न के बाद मिली। उन्होंने आगमों को अनेक बार पढ़ा—आगम उनके हृदयर्यगम से हो गये। व्यावहारिक ज्ञान और आगम का, उनकी प्रतिभा में समन्वय हो गया। उन्होंने गम्भीर तत्त्वों को बड़े सरल ढंग से समझाया। प्रश्नों का समाधान भी बड़े अनोखे ढंग से देते।

१-अणुकम्पा ढाल ११ गा० ४५ :

मित्री सूं मित्रीपणों चलीयों जावें, वेरी सं वेरीपणों चलीयों जावें। अं तो राग धेष कर्मा० रा चाला छै, ते श्री जिण धर्म माहे० नहीं आवें॥

२-अणुकम्पा ढाल ११ गा० ४६-५०

कोइ अणुकम्पा आणी घर मंडावें, कोइ मंडता घर नें देवें भंगाय। ओ प्रतख राग नें धेष उत्ताडो, ते आगे लगा दोनूं चलीया जाय॥ कहि कहि नें कितरो एक कहुँ, संसार तणां उपगार अनेक।

न्यान दूरसंण चारित ने तप विना, मोक्ष तणों उपगार नहों छें एक॥

३-हृष्टान्त : २५३

एक व्यक्ति उनसे चर्चा कर रहा था। उसकी बुद्धि स्वत्प थी। लोगों ने बहुत आग्रह किया कि आप इसे समझाइए। आपने कहा—मूँग, मोठ और चने की दाल होती है, पर गेहूँ की दाल कैसे हो ? जिसमें समझने की क्षमता हो नहीं उसे कोई कैसे समझाये ?

किसी ने कहा समझदार व्यक्ति बहुत हैं पर तत्त्व को समझनेवाले थोड़े, क्यों ? आपने कहा—मूर्ति बनाने योग्य पत्थर बहुत हैं, पर कारीगर कम हैं।

एक व्यक्ति ने पूछा—जीव को नरक में कौन ले जाता है ? आपने उत्तर दिया—पत्थर को नीचे कौन ले जाता है ? वह अपने ही भार से नीचे चढ़ा जाता है। प्रश्न आगे बढ़ा—जीव को स्वर्ग में कौन ले जाता है ? उत्तर मिला—काठ के टुकड़े को जल में कौन तिराता है ? वह अपनी लघुता से स्वयं तेरता है। पैसे को पानी में डालो, वह ढूब जायगा। उसीको तपा-पीटकर कटोरी बनालो, वह पानी पर तैरने लगेगी।

चिन्तन उनके लिये भार नहीं था, किन्तु उनके चिन्तन में गुरुत्व था। उनकी चर्चा में भी चिन्तन था। एक व्यक्ति ने कहा—आप वृद्ध हैं, प्रतिक्रमण (आलोचना) बैठे-बैठे किया करें। आपने कहा—मैं खड़ा-खड़ा करता हूँ तो पिछले साथ बैठे-बैठे तो करेंगे, यदि मैं बैठा-बैठा करूँ तो सम्भव है, पिछले साथ लेटे-लेटे करने लगूँ।

उनकी अनुभूति बड़ी तीव्र थी। वे परिस्थिति का अंकन बड़ी गहराई से करते थे। एक दिन स्वामीजी के साथ कोई व्यक्ति तत्त्व-चर्चा कर रहा था। बीच-बीच में वह अंट-संट भी बोलता था। किसी ने कहा—आप उस व्यक्ति से क्यों चर्चा करते हैं जो अंट-संट बोलता है। आपने कहा—वेदा नन्हा होता है तब वह पिता की मूँछ भी खीच लेता है, पगड़ी भी बिखर देता है, किन्तु बड़ा होने पर वही पिता की सेवा-भक्ति करता है। जब तक यह मुझे नहीं पहचान लेता है तबतक बकवास करता है। मुझे समझ लेने पर यही मेरी भाव मरी भक्ति करेगा।

वे अपनी कार्यप्रणाली में स्वतन्त्र चिन्तन उड़ालते रहते थे। अनुकरण-प्रियता उन्हें लुभा न सकी। अनुकरणप्रेमियों की स्थिति का चित्र उनकी 'ध्यान्त शोली' में इस प्रकार है—“एक साहूकार में व्यापारिक समझ नहीं

१-दृष्टान्त : ११७

२-दृष्टान्त : १५७

३-दृष्टान्त : १४१-१४२-१४३

४-दृष्टान्त : २१२

५-दृष्टान्त : २८७

थी। वह पढ़ोसी की देखा-देखी करता। पढ़ोसी जो बस्तु खरीदता उसे वह भी खरीद लेता। पढ़ोसी ने सोचा—यह मेरी देखा-देखी करता है या इसमें अपनी समझ भी है। उसने उसे परखना चाहा और अपने बेटे से कहा—पंचाङ्गों का भाव तेज है उन्हें खरीद लो, थोड़े दिनों में दूने दाम हो जायेंगे। पढ़ोसी ने सुना और विदेशों से पंचाङ्ग मँगवा लिये। दिवाला निकालना पड़ा^१।”

वे मूल को बहुत महत्व देते थे। आचारहीनता उनके लिये असह्य थी। उससे भी अधिक असह्य थी थद्धाहीनता। कुछ व्यक्तियों ने कहा—भीखण्णी हमें साधु या श्रावक नहीं मानते। आपने इस प्रसंग को समझाते हुए कहा—कोयलों की रात्र काले वर्तन में पकाई गई, अमावस की रात, जीमनेवाले अन्धे और परोसनेवाले भी अन्धे। वे खाते जाते हैं और कहते जाते हैं—खबरदार! कोई काला ‘कोंखा’ आये तो टाल देना। भला क्या ढाले, सारा काला ही काला है^२।

: ५ : हेतुवाद के पथ पर

आचार्य मिष्टु तार्किक-शक्ति से सम्पन्न थे। उन्होंने साध्य-साधन का विवेचन केवल आगामों के आधार पर ही नहीं किया, स्थान-स्थान पर उसे तर्क से भी पुष्ट किया है। धर्म को कसौटी पर करते हुये उन्होंने बताया—धर्म मुक्ति का साधन है। मुक्ति का साधन मुक्ति ही हो सकती है, बन्धन कभी उसका साधन नहीं होता। बन्धन भी यदि मुक्ति का साधन हो जाय तो बन्धन और मुक्ति में कोई मेद ही न रहे। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, और तप के सिवाय कोई मुक्ति का उपाय नहीं है^३। इसलिये ये चार ही धर्म हैं। शेष सब बन्धन के हेतु हैं। जो बन्धन के हेतु हैं वे मोक्ष-धर्म नहीं हैं^४। धर्म मुक्ति का साधन है और स्वयं मुक्ति है। इसलिये कहा जा सकता है कि मुक्ति, मुक्ति के द्वारा ही प्राप्य है, बन्धन के द्वारा बन्धन होता है। उसके द्वारा मुक्ति

१-दृष्टान्तः : २८८

२-दृष्टान्तः : १४३

३-अणुकम्पा ढाल ४ गा० १७ :

ग्यान दर्शन चारित्र तप विना, और मुक्ति रो नहीं उपाय हो। छोड़ा भेला उपगार संसार नां, तिणथी सद्गति किण विघ जाय हो॥

४-अकम्पा ढाल : ४-गा० १८ :

जितरा उपगार संसार नां, ते तो सगलाइ सावद्य जाण हो।

श्री जिण धर्म में आवें नहीं, कूँड़ी म करो ताण हो॥

प्राप्य नहीं है। बन्धन अनादि परिचित है और मुक्ति अपरिचित है^१। इसलिये संसारी जीव बन्धन की प्रशंसा करते हैं, किन्तु सुमुक्तु माणी उसकी सराहना नहीं करते^२।

संसार क्या है? शारीर-आत्मा का सम्बन्ध ही संसार है। सूक्ष्म शरीर (कामाण शारीर) के द्वारा स्थूल शरीर की पुनरावृत्ति होती रहती है। इन्द्रिय और मन के विषयों का ग्रहण होता है। प्रिय में राग और अप्रिय में द्वेष होता है। रागद्वेष से कर्म-बन्ध, बन्ध से जन्म-मरण की आवृत्ति। इस प्रकार ही संसार की आवृत्ति होती रहती है।

मोक्ष क्या है? सूक्ष्म शरीर से मुक्ति। उसके बिना स्थूल शरीर नहीं होता। उसके अभाव में इन्द्रिय और मन नहीं होते। इनके बिना विषय ग्रहण नहीं होता। अभाव में राग-द्वेष नहीं होते। रागद्वेष बिना कर्म-बन्धन नहीं होता। बन्धन के बिना संसार नहीं होता, जन्म-मरण की आवृत्ति नहीं होती। मोक्ष से संसार नहीं होता और संसार से मोक्ष नहीं होता, इसलिए मोक्षार्थी व्यक्ति को न जन्म की इच्छा करनी चाहिये और न मृत्यु की। उसके लिये अभिलषणीय है संयम। संयम से जीवन-मृत्यु की आवृत्ति का निरोध होता है। इसलिये वह मोक्ष का उपाय है। वह मोक्ष का उपाय है, इसलिये मोक्ष है।

जो असंयमी जीवन की इच्छा करता है उसे धर्म का परमार्थ नहीं मिला है^३। असंयममय जीवन और बाल-मरण ये दोनों अनभिलषणीय हैं। संयम-मय जीवन और पिंडत-मरण ये दोनों अभिलषणीय हैं^४।

जिन्हें सब प्रकार से हँसा करने का त्याग नहीं है, वे असंयमी हैं। संयमी वे

१-जन्म्यूक्तमार चरित २-१५

२-अणुकम्पा ढाल ११ गा० ३८ :

जितरा उपगार संसार तणां छें, जो जे करे ते मोह वस जाणो ।
साधु तो त्यांने कदे न सरावें, संसारी जीव तिणरा करसी बखाणो ॥

३-अणुकम्पा ढाल ८ गा० १७ :

इवरती जीवां रो जीवणों वाञ्छें, तिण धर्म रो परमारथ नहीं पायो ।
आसरघाअग्यानीरी पग पग अटके, ते सांभलज्यो भवीयण चित ल्यायो ॥

४-अणुकम्पा ढाल ६ गा० ३९ :

असंजम जीतव ने बाल मरण, यां दोयांरी वंछा न करणी जी ।
पिंडत मरण ने संजम जीतव, यांरी आसा वंछा मन धरणी जी ॥

है किनका जीवन हिंसा से पूर्णतः विस्त हो^१ । लोक-दृष्टि में वह जीवन श्रेष्ठ है जो सुनान के लिये उपयोगी हो । मोक्ष-दृष्टि में वह जीवन श्रेष्ठ है जो संयनी हो । असंयनी जीवन की इच्छा समाज की उपयोगिता हो सकती है, वर्म नहीं । आचार्य मिश्र ने कहा—अगते असंयमी जीवन की इच्छा करना भी पाप है दूसरे के असंयनी जीवन की इच्छा करना वर्म क्षेत्रे होगा ? मग्ने-जीने की इच्छा अद्वानी करना है । ज्ञानी वह है जो समझाव रखें^२ ।

आचार्य मिश्र ने साक्ष-नाशन का विविव पहलुओं से स्वर्य करके एक निरान्त स्थापित किया कि जो कार्य करना साक्ष के अनुकूल नहीं है उसे करवाना व करनेवाल का अनुमोदन करना भी साक्ष के अनुकूल नहीं हो सकता । हड्ड; कानित और अनुनति तीनों अमिल्न हैं ।

(क) जो कार्य करना वर्म है, उसे करवाना और उसका अनुमोदन भी वर्म है ।

(क्क) जो कार्य करवाना वर्म है, उसे करना और उसका अनुमोदन भी वर्म है ।

(ग) निमुक्ता अनुमोदन वर्म है, उसे करना और करना भी वर्म है ।

(क्क) जो कार्य करना वर्म नहीं, उसे करवाना और उसका अनुमोदन भी वर्म नहीं ।

(क्त) जो कार्य करवाना वर्म नहीं उसे करना और उसका अनुमोदन भी वर्म नहीं ।

(ग) निमुक्ता अनुमोदन वर्म नहीं, उसे करना और करना भी वर्म नहीं ।

हिंसा करना पाप है, करवाना पाप है और उसका अनुमोदन भी पाप है^३ । अहिंसा का पालन करना वर्म है, करवाना वर्म है और उसके पालन का अनुमोदन करना भी वर्म है ।

१-अणुकम्पा द्वाल ६ गा० १० :

छ कायदा सब्ब जीव इतिरती, त्वांरो असंजम जीतव जांणोती ।

सब्ब सावध त्वाग कीया त्वांरो, संजम जीतव एह पिछांगो जी ॥

२-अणुकम्पा द्वाल २ गा० १४ :

आपणांइ वांछें तो पाप, परनो कुण वाले संताप ।

वणों जीवणो वांछें अन्यांनी, समझाव राखें ते ग्यांनो ॥

३-अणुकम्पा द्वाल २ दू० २ :

मारूयां भरायां मल्हो जाणीयां, तीनोंहि करणां पाप ।

देववण चालान जे कहें, ते खोटा कुणुर सपाप ॥

कुछ लोग कहते हैं, मरते जीवों को बचाना धर्म है। आचार्य भिक्षु ने कहा—धर्म का सम्बन्ध जीवन या मृत्यु से नहीं है। उसका सम्बन्ध संयम से है। एक व्यक्ति स्वयं मरने से बचा, दूसरे ने उसके जीवित रहने में सहयोग दिया और तीसरा उसके जीवित रहने से इर्षित हुआ, इस तीनों में धर्मी कौन सा होगा ? जो जीवित रहा उसका भी अबत नहीं घटा और अनुमोदन करनेवाले का भी ब्रत नहीं बढ़ा, फिर ये धर्मी कैसे होंगे ? जीवा, जिलाना और जीने का अनुमोदन करना, ये तीनों समान हैं और उनके अनुमोदन में भी धर्म नहीं है। जिसका खाना धर्म नहीं है उसे खिलाना भी धर्म नहीं है और उसके खाने का अनुमोदन करना भी धर्म नहीं है।

जिसका खाना धर्म है, उसे खिलाना भी धर्म है और उसका अनुमोदन करना भी धर्म है। आचार्य भिक्षु ने कर्तव्य के धर्माधर्म पक्ष का निर्णय करने में उक्त तर्क शैली का सर्वत्र उपयोग किया है। उन्होंने संयमी या मुनि को मानदण्ड मानकर सबको मापा। संयमी जिस कार्य का अनुमोदन कर सकता है, वह धर्म है, क्योंकि वह जिस कार्य का अनुमोदन कर सकता है उसे कर भी सकता है और करा भी सकता है। वह जिस कार्य का अनुमोदन नहीं कर सकता वह धर्म नहीं है क्योंकि जिस कार्य का वह अनुमोदन नहीं कर सकता, उसे कर भी नहीं सकता और करा नहीं सकता। संयमी असंयम और उसके साधनों का अनुमोदन नहीं कर सकता। इसलिए असंयम धर्म नहीं है। वह संयम और उसके साधनों का ही अनुमोदन कर सकता है, इसलिये-संयम ही धर्म है। कुछ साधु बड़े जीवों की रक्षा के लिये छोटे जीवों को मारने में धर्म कहते थे। आचार्य भिक्षु ने आश्चर्य के स्वर में कहा—जो साधु, कृत, कारित और अनुमति, मनसा, बाचा, कर्मणा से अहिंसक हैं, जीव मात्र की दया का पालन करते हैं वे सभी जीवों के रक्षक होकर जीवों को मारने में

१-अणुकम्पा ढाल ५ गा० २२-२५ :

एक पोते बन्धो मरवा थकी, दूजों कीधो हो तिणरे जीवणरो उपाय ।
तीजों पिण हरज्यों उण जीवीयाँ, यां तीनोंमें हो कुण सुद्ध गति जाय ॥
कुशल रहो तिणरे इविरत घटी नहीं, तो दूजा ने हों तुमे जाणजो एम ।
भलो जाण तिणरे विरत न नीपनी, ए तीनोइ ते सुद्ध गति जासी केम ॥
जीवियाँ जीवायां भलो जीणीयाँ, तीनोइ हो करण सरीषा जांण ।
कोई चतुर होसी ते परखसी, अण समझया हो करसी तांणा तांण ॥
छांकाया रो वांछे मरणो जीवणों, ते तो रहसी हो संसार मफार ।
गयांन दर्शन चारित तप भला, आदरीयाँ हो आदरायाँ स्वेचो पार ॥

धर्म किस न्याय से कहते हैं^३ ? जीवों को मारकर जीवों को पोसा जाता है, वह संसार का मार्ग है, पर इसमें जो साधु धर्म वतलाते हैं वे पूरे मृद् हैं, अज्ञानी हैं^३ । जो साधु जीव-हिंसा में धर्म वतलाते हैं, उनके तीन महात्रतों का भंग होता है । जीव-हिंसा में धर्म वतलाना, हिंसा का अनुमोदन है, इसलिये उनका अहिंसा महाव्रत भय होता है । भगवान् ने हिंसा में धर्म नहीं कहा है । जीवों का पोषण करना अहिंसा-धर्म नहीं, यह सत्य है । इसके विपरीत एक जीव के पोषण के लिए दूसरे जीव को मारना दया धर्म है, यह कहना असत्य है । इस दृष्टि से उनका दूसरा सत्य महाव्रत भग्न होता है ।

जिन जीवों के मारने में धर्म की प्रलृपणा करते हैं वे उन जीवों की चोरी करते हैं । क्योंकि वे जीव अपने प्राण-हरण की स्वीकृति नहीं देते, और बिना अनुमति के उनके प्राण लेना चोरी है । जीवों को मारने में भगवान् की आज्ञा नहीं है । जीवों को मारने में धर्म वतलानेवाले, भगवान् की आज्ञा की भी चोरी करते हैं । इसलिये उनका तीसरा अचौर्य महाव्रत दूष्टा है । इस प्रकार जीव हिंसा में धर्म का प्रलृपण करनेवालों के तीनों महाव्रत दूष्टते हैं^३ ।

१-अणुकम्पा ढाल ६ गा० ४१ :

त्रिविदे त्रायी छ काय रा साध, त्यांरी दया निरन्तर राखें जी ।
ते छ काय रा पीहर छ काय ने मारूयां, धर्म किसें लेखें भाखें जी ॥

२-अणुकम्पा ढाल ६ गा० २५ :

जीवां ने मारे जीवां ने पोषें, ते तो मारग संसार नों जाणो जी ।
तिण मांहें साधु धर्म वतावें, ते पूरा छें मृद् अयांणो जी ॥

३-अणुकम्पा ढाल ६ गा० २६-३२ :

केइ साधरो विड़द् धरावें लोकां में, वले वाजें भगवन्त रा भगताजी ।
पिण हिंसा मांहें धर्म पर्हें, त्यांरा तीन वरत भांगे लगता जी ॥
छ काय मारूयां मां रे धर्म प्रखर्पें, त्यांते हिंसा छकाय री लागे जी ।
तीन काल री हिंसा अणुमोदी, तिणसूं पेंहिलो महाव्रत भागें जी ॥
हिंसा में धर्म तो जिण कहयों नाहीं, हिंसा में धर्म कह्या भूठ लागें जी ॥
इसडो झठ निरंतर घोलें, त्यांरो बीजोई महावरत भागें जी ॥
ज्यां जीवां ने मारूयां धर्म पर्हें, त्यां जीवांरो अदत्त लागो जी ।
वले आगनालोपी श्री अरिहन्त नो, तिण सूं तीजोई महावरत भागें जी ॥

जीव-हिंसा में धर्म बतानेवाले अपने को दया-धर्मी कहते हैं, पर चास्तव में वे हिंसा-धर्मी हैं^१।

साध्य की भीमासा में उन्होंने बतलाया—जीवों को बचाना, यह धर्म का साध्य नहीं है। एक व्यक्ति मरते जीवों को बचाता है और एक व्यक्ति जीवों को उत्पन्न कर उन्हें पाल-पोषकर बढ़ा करता है। यदि धर्म होगा तो इन दोनों को होगा और नहीं होगा तो दोनों को नहीं। बचानेवाले की अपेक्षा उत्पन्न करनेवाला बढ़ा उपकारी है; किन्तु ये दोनों संसार के उपकारी हैं। इन उपकारों में केवली भाषित धर्म नहीं है^२। आचार्य भिक्षु ने कहा—सावद्य दया धर्म नहीं है। तर्क की कसौटी पर करते हुए उन्होंने कहा—धर्म का मूल दया या अहिंसा है। दान देने के लिये जीव-बध किया जाता है, उस सावद्य दान से दया उठ जाती है और जीवों को बचाने के लिये दया की जाती है, उस सावद्य दया से दान उठ जाता है। जो लोग सावद्य दान देने में और जीव बचाने में धर्म मानते हैं, उनके दान के सामने दया का सिद्धान्त नहीं टिकता और उनकी दया के सामने दान का सिद्धान्त नहीं टिकता। दान के लिये जीव-बध करता है, उसके दिल में दया नहीं रहती, और दान देने के लिये बध किये जानेवाले जीवों को बचाता है तो दान नहीं होता। सावद्य दान और सावद्य दया, ये दोनों मुक्ति के मार्ग नहीं हैं। सावद्य दान में जीवों का बध होता है, इसलिए वह मुक्ति का मार्ग नहीं है।

सावद्य दान को रोक कर जीवों की रक्षा करने से जिन्हें दान दिया जाता

१-अणुकम्पा ढाल ६ गा० ३४ :

त्याने पूछ्यां कहें म्हें दयाधर्मी छें, पिण निश्चै छ काय रा धातीजी ।
त्यां हिंसाधर्म्या ने साध सरधे केह्व, ते पिण निश्चै मिध्याती जी ॥

२-अणकम्पा ढाल ११ गा० ४०-४१-४२ :

किणहीजीव नें खपकरनें बचायो, किण ही जीवउपजायनेकीधोमोटों ।
जो धर्म होसी तो दोयांनें धर्म होसी, जो रोटों होसी तो दोयां ने तोटों ॥
बचावणवाला विचें तो उपजावणवालों, सांप्रत दीसें उपगारी मोटों ।
यांरो निरणो कोयां विण धर्म कहें छें, लांरों तो मत निकेवल खोटों ॥
बचावणवालो नें उपजावणवालों, अें तो दोनूं संसार तणां उपगारी ।
एहवाउपगार करें आमां साहमां, तिण में केवली रो धर्म नहींछें लिगारी ॥

उन्हें अन्तराय होता है। इसलिये यह सावद्य दया भी मुक्ति का मार्ग नहीं है^१। सावद्य दान से दया की उत्थापना होती है और सावद्य दया से अभय दान का लोप होता है, इसलिये ये दोनों सांसारिक हैं^२। जहाँ किसी की हिंसा नहीं होती, वह दया और संयमी दान ये ही मोक्ष के मार्ग हैं। भगवान् ने इन्हीं को धर्म-सम्मत कहा है^३।

: ६ : श्रद्धावाद के पथ पर

आचार्य भिक्षु के पास श्रद्धा का भी अमित बल था। वे नितने तार्किक घटने ही श्रद्धालु। श्रद्धा और तर्क के संगम में ही व्यक्ति का व्यष्टिकोण पूर्ण बनता है। कुसुम्भा स्वयं गल कर दूसरों को रंगता है। भक्त-द्वदय का गीलापन दूसरों को स्तिर्घ कर देता है। आचार्य भिक्षु की अटल आस्था इस कोटि की है कि वे भगवान् महावीर और उनकी वाणी पर स्वयं को न्यौछावर कर चलते हैं। उनके समर्पण की भाषा यह है—प्रभो! आपने सम्यक् दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप को मुक्ति का मार्ग कहा है। मैं इनके सिवा और किसी तत्त्व को धर्म नहीं मानता। मैं अर्हन्त को देव, निर्गन्ध को गुरु और आपके

१-ब्रताब्रत ढा० १२ गा० ४४-४७ :

भेषधारी थापे सावद्य दानं नें, तिण दानं सूं दया उठ जाय हो।
बले दया कहे छ काय वचावीयां, तिण सूं दानं उथप गयो ताय हो॥
छ काय जीवां नें जीवां मारनें, कई दानं दे संसार रे माय हो।
तिणरे छ काय जीवां तणी, घट में दया उठे नहीं काय हो॥
कोई दानं देवे तिण नें वरज नें, जीवा वचावे छ काय हो॥
ते जीव वचायां दानं उथपे, त्यां सूं न्यारा रहयां सुख थाय हो॥
छ काय जीवां नें मारे दानं दें, तिण दानं सूं मुगल न जाय हो।
बले फिर वचावे छ काय नें, तिण सूं कर्म कर्टे नहीं ताय हो॥

२-ब्रताब्रत ढा० १२ गा० ४८ :

सावद्य दानं दीयां दया उथपे, सावद्य दया सुं उथपे अभेदान हो।
ते सावद्य दया दानं संसारनां, त्यांनें ओलखे तें बुधवान हो॥

३-ब्रताब्रत ढा० १२ गा० ४९ :

त्रिविधे त्रिविधे छ काय हणवी नहीं, आ थे दया कही जिण राय हो।
दानं देणों सुपातरने कहो, तिणसूं सुगत.. सुखे सुखे जाय हो॥

द्वारा प्रसंगित मुक्ति-मार्ग को ही धर्म मानता हूँ। मेरे लिये और सब भ्रमजाल है। मेरे लिये आपकी आज्ञा ही सर्वोंपरि प्रमाण है^१।

जिसने आपकी आज्ञा को पहचान लिया, उसने आपके मौनको पहचान लिया। जिसने आपके मौन को पहचान लिया, उसने आपको पहचान लिया। जिसने आपको पहचान लिया, वह दुर्गति से बच गया। जिसने आपकी आज्ञा को नहीं पहचाना, उसने आपके मौन को नहीं पहचाना। जिसने आपके मौन को नहीं पहचाना, उसने आपको नहीं पहचाना। जिसने आपको नहीं पहचाना, वह दुर्गति से नहीं बचता। कई लोग आपकी आज्ञा के बाहर भी धर्म कहते हैं और आपकी आज्ञा में भी पाप कहते हैं। वे दोनों ओर से छूट रहे हैं। आपका धर्म आपकी आज्ञा में है। आपकी आज्ञा के बाहर आपका धर्म नहीं है। जो जिन-धर्म को जिन-आज्ञा के बाहर बतलाते हैं, वे मूढ़ हैं। आप अवसर देखकर बोले, और अवसर देखकर मौन रहे। जिस कार्य में आपकी आज्ञा नहीं है उस कार्य में धर्म नहीं है^२।

सूरदास और मीरा के सर्वस्व कृष्ण तथा त्रुलसी के सर्वस्व राम थे, वैसे ही भिक्षु के सर्वस्व महावीर थे। वे स्वयं को महावीर के सन्देश का बाहक मानते थे। एकबार एक व्यक्ति ने पूछा—महाराज ! आप इतने जनप्रिय

१-बीर सुनो मोरी बीनती । ढा० १ गा००६, ७ :

अध्येन अठाबीसमां उत्तराध्येन में, मोक्ष मार्ग कहा च्यार ।

ग्यान दर्शन चरित्र नें तप विना, नहि श्रद्धं धर्म लिगार ॥

देव अरिहंत निप्रथं गुरु माँहरे, केवलीए भाषित धर्म ।

ए तीनूई तत्व सेंठाकर कालीया, और छोड़ दिया सहु मर्म ॥

२-ब्रताब्रत ढा० १२ गा० ३६-४३ :

जिण ओलख लोधी आपरी आगना, जिण ओलख लोधी आपरी मून हो ।

तिण आप ने ओलखे लीया, तिणरी टलगी माठी २ जून हो ॥

जिण अग्यां न ओलखी आपरी, आपरी नहीं ओलखी मून हो ।

तिण आप ने ओलख्या नहीं, तिणरे वधसी माठी२ जून हो ॥

कई जिण आगना बारे धर्म कहें, जिण आग्यां मांहे कहें छें पाप हो ।

ते दोनूँ विध दूहें छें बापड़ा, कूड़ों कर २ अग्यानो विलाप हो ॥

आपरो धर्म आपरी आग्या मझे, आपरो धर्म नहीं आपरी आग्या बार हो ।

जिण धर्म जिण आग्या बारे कहें, ते पूरा छें मूढ़ गिवार हो ॥

आप अवसर देखीने बोलीया, आप अवसर देखे साझी मून हो ।

जिहां आप तणी आगना नहीं, ते करणी छें जाबक जबून हो ॥

क्यों हैं ? आपने कहा—एक पतित्रता स्त्री थी । उसका पति विदेश में था । बहुत दिनों से उसे पति का कोई समाचार नहीं मिला । एक दिन अकस्मात् एक समाचारवाहक आया और उसे उसके पति का सन्देश दिया । उसे अपार हर्ष हुआ । उसके लिये वह आकर्षण का केन्द्र बन गया । हम भगवान् के सन्देशवाहक हैं । लोग भगवान् के भक्त हैं । भगवान् का सन्देश सुनने के लिये आतुर हैं । हम गाँव-नाँव में जाते हैं और लोगों को भगवान् का सन्देश सुनाते हैं । हमारे प्रति जनता के आकर्षण का यही हेतु है ॥

आचार्य मिष्टु की श्रद्धा आलोचक-बुद्धि से बुझी हुई थी । उन्होंने अनेक गुहाओं को देखा-परखा । आखिर स्यानकवासी सम्प्रदाय के आचार्य रघुनाथ की को अपना गुरु चुना । उनके पास जैनी दीक्षा स्वीकार की । आठ वर्ष तक उनके संत्र में रहे । चालू परम्परा और आचार में कुछ मरमेद हुआ । साध्य और आश्रम की विचारधारा मी नहीं मिल सकी । फलतः वे अपने आचार्य से पृथक हो गये । गुरु का उनके प्रति स्नेह था, और उनका गुरु के प्रति । फिर भी आलोचक बुद्धि आचार-मेद को सहन न कर सकी । वे अपने आचार्य के प्रति कृतज्ञ रहते हुए भी उनके विचारों की आलोचना किये विना नहीं रहे ।

भगवान् महावीर से बढ़कर उनके लिये कोई आराध्य नहीं था । एक और उन्होंने कहा—मुझे भगवान् महावीर का ही आधार है और किसी का नहीं । दूसरी ओर वे भगवान् महावीर की भी एक चगह आलोचना करते हैं । भगवान् ने गोशालक को चचाने के लिये शीतल तेजोलेश्या नामक योगशक्ति का प्रयोग किया और वेश्यायन शृंखि गोशालक को उत्ता तेजोलेश्या से मार रहा था, उनसे उसे उत्तर लिया । आचार्य मिष्टु की साध्य-साधन की भीमांसा से यह कार्य आत्मनुकृति का प्रमाणित नहीं होता । इसलिए उन्होंने कहा—इस प्रसंग में भगवान् की शीतलग नाधना में चूक हुई, नयोंकि शृक्ति का प्रयोग शुद्ध साधन नहीं है ॥ इस आलोचना के लिये उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ा । उनके उत्तर-विकारी आचार्य भारमलजी ने उनसे प्रार्थना की—गुरुदेव ! यह पद बहुत ही कठू है । आपने कहा—कठू तो है, पर सच से परे तो नहीं ! भारमलजी ने कहा—नहीं । तब आपने कहा—रहने दो ! यह निर्भीक आलोचना क्या की, मानो अपने लिये उन्होंने विरोध का मोर्चा खड़ा कर लिया । पर इससे उनकी

१-दृष्टान्त : ८७

२-अनुकर्म्या हा : है गा० १२ :

द्व लेस्या हृती जद चीर में जी, हृता आठोई कर्म ।

द्वद्वस्थ चूका तिण समें जी, मूखं थार्प वर्म ॥

सच्चाई का श्रोत पूर्ण पड़ता है। श्रद्धा और व्यालोचना में कोई खाई नहीं है, यह उन्होंने प्रमाणित कर दिया।

“शत्रोरपि गुणा वाच्याः, दोषो वाच्या गुरोरपि”—यह विशाल चिन्तन उनकी इस कृति से साकार बन गया।

: ७ : धर्म का व्यापक स्वरूप

जैन-धर्म पर आचार्य मिक्षु की अगाध श्रद्धा थी, पर वे जैन-धर्म को संकुचित अर्थ में नहीं मानते थे। उनकी वाणी है—मगवान् का मार्ग रानमार्ग है। वह कोई पगड़ंडी नहीं जो बीच में ही रुक जाय। वह तो सीधा मोक्ष का मार्ग है^१।

वे धर्म को एक मानते थे। मिथ्या दृष्टि की निरवद्य प्रवृत्ति धर्म है, इसका दृढ़तापूर्वक समर्थन कर उन्होंने जैन-परम्परा के उदार दृष्टिकोण को बहुत ही प्रभावशाली बना दिया। अमुक सम्प्रदाय का अनुयायी बनने से ही धर्म होता है अन्यत्र नहीं, इस भ्रमपूर्ण मान्यता का उनकी स्पष्ट वाणी से खंडन हो गया^२। धर्म और सम्प्रदाय एक नहीं है, इस सच्चाई की उन्हें गहरी अनुभूति थी। उन्होंने कहा—निरवद्य प्रवृत्ति धर्म है, भले फिर वह जैन की हो या जैनेतर की। सावद्य प्रवृत्ति अधर्म है, भले फिर वह जैन की हो या जैनेतर की^३।

जो व्यक्ति जैन-दर्शन की व्याख्या को अक्षरशः न माने, उसमें वैराग्य और सदाचार की भावना नहीं जागती, यह मानना दुराग्रह की चरम सीमा है। जैन-दर्शन सचमुच ही धर्म की अखण्डता को स्वीकार करता है। सम्प्रदाय धर्म को विमक्त नहीं कर सकते। दृष्टिकोण सम्यक् हो जाता है—ज्ञान, चारित्र और तप की सम्यक् आराधना होती है, तो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है, भले फिर वह किसी भी वेष या सम्प्रदाय में हो। इसके प्रमाण गृहलिंग सिद्ध और अन्यलिंग सिद्ध हैं। सम्यक् दर्शन, चारित्र आदि की पूर्णता प्राप्त होने पर गृहस्थ के वेष में भी और जैनेतर सम्प्रदाय में भी मुक्ति प्राप्त हो सकती

१-आचार्य सन्त भीखणजी पृ० ८५

२-सूत्रछताङ्ग १, २ : १६ :

आगारमावसन्ता वि अरण्णा वा वि पञ्चया ॥

इम दुरिस्पणमावस्ना, सर्वबुद्धक्षां विमुच्यते ॥

३-भ्रम विष्वंसनम्, मिथ्यात्मी क्रियाघिकार पृ० १-४६

है^१। जैन-आगमों में 'असोचा' केवली का वर्णन है^२। जिस व्यक्ति को धर्मोपदेश सुनने का अवसर नहीं मिला, किन्तु सहज भाव से ही सख्तता, क्षमा, सन्तोष, आदि की अराधना करते-करते जो भावना बल से सम्पर्गदर्शन, चारित्र, पा मुक्त हो जाता है, उसके क्रमिक विकास का हेतु धर्म की अराधना है, सम्प्रदाय विशेष का स्वीकार नहीं^३।

आचार्य मिक्षु की व्याख्या में जो सम्पर्गदर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप है वही जैन धर्म है, और जो जैन धर्म है वही सम्पर्गदर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप है। कुछ लोग मिथ्या दृष्टि या जैनेतर व्यक्ति की क्रियामात्र को अशुद्ध मानते थे। आचार्य मिक्षु ने उनके अभिमत की आलोचना की। आपने कहा—जो लोग मिथ्या दृष्टि की निरवद्य क्रिया को भी अशुद्ध मानते हैं, उनकी बुद्धि सही मार्ग पर नहीं है। मिथ्या दृष्टि की निरवद्य क्रिया में कोई गुण नहीं—यों कहने वालों की बुद्धि अष्ट हो गई।

१-नन्दी सूत्र ४२ :

अन्नर्दिंग सिद्धा, गिहीर्दिंग सिद्धा

२-भगवतीं शा० ६ ३० ३१

३-मिथ्यात्वी करणी निर्णय ढा० २ गा० ४६-४७-४८ :

इण रीत पहिली तो समकत पांसीयों रे,

विभंग अनांण रो हुवों अवध गिनान रे।

अनुक्रमे हुवों छें केवली रे,

पछें गयो छें पांचमी गत परधान रे॥

असोचा केवली हुवा इण रीत सूं रे,

मिथ्याती थके करणी तिण कीध रे।

कर्म पतला पाङ्घा मिथ्याती थके रे,

तिण सूं अनुक्रमे शिवपुर लीध रे॥

ज्यो लेस्या रा भला परिणाम हूंता नहीं रे,

तो किण विध पामंत विभग अनांण रे।

इत्यादिक कीधां सूँ हूवो समकती रे,

अनुक्रमे पहुंतो छें निरवांण रे

है^१। आचार्य भिक्षु ने कहा—भगवान् का धर्म समुद्र की तरह विशाल और आकाश की तरह व्यापक है। जो धर्म शुद्ध, नित्य और शाश्वत है, भगवान् ने जिसकी व्याख्या की है वह एक शब्द में है अहिंसा। भगवान् ने कहा—प्राण, भूत, जीव, और सत्त्वों को मत मारो, उनपर अनुशासन मत करो, उन्हें दास-दासी बनाकर अपने अधीन मत करो। उन्हें परिताप मत दो, उन्हें कष्ट मत दो, उन्हें उपद्रव मत करो, यही धर्म ब्रुव, नित्य और शाश्वत है^२। यह धर्म सबके लिये है—जो धर्म के आचरण के लिये उठे हैं या नहीं उठे हैं, जो धर्म सुनना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, जो प्राणियों को दण्ड देने से निवृत्त हुए हैं या नहीं हुए हैं, जो उपाधि-युक्त हैं या उपाधि-न-रहित हैं, जो संयोग से बंधे हुए हैं या नहीं है^३।

आचार्य भिक्षु ने अपने जीवन को भगवान् की इस वाणी का सफल अनुवाद बना डाला।

: ८ : आग्रह से दूर

आचार्य भिक्षु में अपने सिद्धान्त के प्रति जितना आग्रह था, उतना ही दुराग्रह से दूर रहने का तीव्र प्रयत्न। उन्होंने यही सीख दी—खिचातानी से बचो, कोई तत्त्व समझ में न आए तो दुराग्रह मत करो, बहुश्रुत व्यक्तियों से

१-मिथ्यात्वी करणी निर्णय द्वा० १ गा० २६-३० :

निरवद करणी करें पहिले गुण ठाणें,

तिण करणी नें जावक जाणें असुध ।

इसडी पहलपण करें अग्यानी,

तिणरी भिष्ट हुई छें सुधने बुध ॥

पहिले गुण ठाणें निरवद करणी करें छे

तिण करणी सरायां मैं दोषण जाणें ।

अतिचार लागो कहें समकित माँहे,

तिणरो न्याय जाण्यां विना मूरख ताणें ॥

२-आचाराङ्ग १४।१ :

से वेमि जे अइया, जे य पहुप्पन्ना, जे य आगमिस्सा, अरहंता भगवंतो ते सब्बे एवमाइकर्विति, एवं भासंति, एवं पण्णर्विति, एवं पर्हर्विति-सब्बे पाणा, सब्बे भूया, सब्बे जीवा, सब्बे सत्ता, न हंतव्वा, न अज्ञावेयव्वा, न परिधितव्वा, न परियावेयव्वा, न उद्वेयव्वा ।

३-आचाराङ्ग १४।१

समझो, फिर भी समझ में न आये तो उसे ज्ञानीगम्य कहकर छोड़ दो। चिन्तन भले करो—पर दुराग्रह से बचते रहो^१। उन्होंने यह सीख ही नहीं दी, उनके चरण मी इसी पथ पर आगे बढ़े।

उन्होंने एक दिन कहा—दस प्रकार का श्रमण-धर्म। तब पास वैठाँ माई बोल उठा—नहीं, दस प्रकार का यति-धर्म। आपने कहा—भले दस प्रकार का महात्मा-धर्म कहो, मुझे क्या व्यापत्ति है^२। शब्दों के जाल में फँसनेवाला तत्त्व तक नहीं पहुँच पाता। उन्होंने कहा—दया दया सब लोग पुकारते हैं और यह सच है कि दया धर्म है पर मुक्ति उन्हें ही मिलेगी जो दया को पहचान कर उसका पालन करेंगे^३।

वे शाब्दिक उल्लंभन में पहुँचेवालों को सदा सावधान करते रहे। उनकी वोध-वाणी है कि गाय, भैस, आक और धूहर इन चारों के दूध होता है। शब्द को पकड़नेवाला गाय के दूध की जगह आक का दूध पी ले तो परिणाम क्या होगा? हमें तत्त्व तक पहुँचना चाहिये, भले फिर उसका माध्यम कोई भी शब्द बने^४।

कोरे शब्दों को पकड़नेवालों की स्थिति का चिन्नण उनकी कृतियों में अनेक स्खलों पर मिलता है।

एक सास ने बहू से कहा—जाओ, पीपल ले आओ। बहू गई और मोटी रसी से पीपल के तने को वाँध, उसे खींचने लगी पर वह एक इंच भी नहीं

१-मर्यादा मुक्तावली

२-हृष्टान्त : २१३

३-अनुकम्पा ढा० ८ दू० १ :

दया २ सहू कोई कहें, ते दया धर्म छें ठीक।

दया ओलख ने पालसी, त्यांने मुगत नजीक॥

४-अनुकम्पा ढा० १ दू० १-४ :

अणुकंपा ने आदरे, कीजो घणा जतन।

जिणवर ना धर्म माहिली, समकत पाय रतन॥

गाय भेस आक थोर नों, ए च्यारुई दूध।

तिम अणुकम्पा जांणजों, राखे मन में सूध॥

आक दूध पीधां थकां, जुदा करे जीव काय।

सावद अणुकंपा कीयां, पाप कर्म वंधाय॥

भोलेंइ भत भूलजों, अणुकंपा रे नास।

कीजों अंतर पारखा, ज्यू सीझे आतम काम॥

सरका । उसे खींचते-खींचते उसके हाथ छिल गये । वह साथ-साथ गाती गई कि पीपल चलो मेरी सास तुझे बुला रही है । गाते-गाते वह रोने लगी । एक समझदार आदमी आया और उसने उससे पूछा—बहन रोती क्यों है ? उसने सारा हाल कह सुनाया । उसने उसे सास का आशय समझाया और कहा—बहन । पीपल नहीं चलेगा । इसकी एक डाली तोड़ ले जाओ, तुम्हारा काम बन जायगा^१ ।

शब्दों की पकड़ न हो, यह अनाग्रह का एक पक्ष है । इसका दूसरा पक्ष है व्यावेशपूर्ण तत्त्व-चर्चा से बचाव करना । स्वामीजी के पास कुछ लोग आएं । उनमें आपस में चर्चा चली कि पर्याप्ति और प्राण जीव हैं या अजीव ? किसी ने कहा—जीव हैं और किसी ने कहा अजीव । इस प्रकार आपस में खींचातानी होते लगी । उन्होंने अन्त में स्वामी जी से पूछा—गुरुदेव ! पर्याप्ति और प्राण जीव हैं या अजीव ? स्वामी जी ने उनमें चल रही खींचातानी को देखकर कहा—जिस चर्चा में आग्रह हो उसे छोड़ देना चाहिये और चर्चा क्या कम है^२ ।

आग्रह से मुक्ति मिल गई ।

: ९ : कुशल पारखी

आचार्य मिक्षु वेयक्तिक जीवन में जितने आध्यात्मिक थे, उतने ही सामुदायिक जीवन में व्यावहारिक थे । उनके जीवन में विनोद हिलोरे मारता था । वे कभी-कभी तत्त्व की गहराई को विनोद के तत्त्वों से भर देते थे ।

एक चारण को लोगों ने उभाड़ा कि तू भक्तों को लपसी खिलाता है उसमें मीखनबी पाप मानते हैं । वह स्वामी जी के पास आया और बोला—मीखन जी ! मैं भक्तों को लपसी खिलाता हूँ उसमें क्या होता है ? स्वामी जी ने कहा—जितना गुड़ डाला जाता है उतनी ही मिठास होती है^३ । वह इस तत्त्वको ही पचा सकता था ।

एक व्यक्ति ने ब्राह्मणों से कहा—भीखन जी दान देने का निषेच करते हैं । इसलिये हम उन्हें दान नहीं देंगे । वे स्वामी जी के पास आये और अपना रोष प्रगट किया । स्वामी जी ने कहा—जिन लोगों ने ऐसा कहा है वे अगर पौँच रुपये दें तो मी मेरी मनाही नहीं है । मुझे मनाही करने का त्याग है^४ ।

१-अनुकर्मपा ढाल ८ गा० ३२

किणहीक ठोड़े जीव बतावें, किणहि एक ठोड़े संका मन आंरें ।

समझ पड़्यां विण सरधा परुणें, पीपल बांधी मूर्ख झूं तांरें ॥

२-दृष्टान्त : २५६

३-दृष्टान्त : २०

४-दृष्टान्त : ६५

उनका रोष खुशी में परिणत हो गया। तत्त्व का रहस्य उतना ही खुल्ना चाहिये, जितना सामनेवाले को दीख सके।

धर्म को उन्होंने सबके लिये समान माना। धर्म करने का सबको समान अधिकार है इसका समर्थन किया। फिर भी कहीं कहीं उनके विचारों में जो जातिवाद के समर्थन की छाया दीख पड़ती है वह व्यावहारिकता से संबंध मोल न लेने की वृत्ति है। उन्होंने सामाजिक व्यवहार को तोड़ने का यत्न नहीं किया। घणित मानी जानेवाली जातियों के धरों से भिक्षा लेने को अनुचित बतलाया^१। वे परमार्थ और व्यवहार की सीमा को धूप और छाँह की भाँति मानते थे, जो साथ रहते हुए भी कभी नहीं मिलते^२।

१० : क्रांति वाणी

आचार्य मिथु मानव थे। वे मानवीय दुर्वलताओं से सर्वथा मुक्त भी नहीं थे। उनकी विशेषता इसीमें है कि वे उनसे मुक्त होना चाहते थे। उनकी वाणी में कदुता है, प्रहार है और वाणों की वर्पा है। वे व्यक्तिगत आक्षेपों से बहुत बचे हैं, पर व्यवरुण की घजियां उड़ाते समय वे बहुत ही उग्र बन जाते हैं। एक व्यक्ति ने कहा—भीखन जी कुछ लोग आपमें बहुत दोष निकालते हैं। आपने कहा—दोषों को रखना नहीं है। उन्हें निकाल फेंकना है। कुछ प्रयत्न में करता हूँ और कुछ बे कर रहे हैं। वे मेरा सहयोग ही तो कर रहे हैं^३। इसमें उनकी दुर्वलताओं पर विजय पाने की सतत् साधना बोल रही है।

आचार्य मिथु असंयम और संयम में भेद-रेखा खींचते समय कमी-कमी ऐसे प्रतीत होते हैं मानो उनका दिल दया से द्रवित न हो^४। बहुधा प्रश्न ऐसे होता है कि इस विचारधारा का सामाजिक जीवन पर क्या असर होगा! प्रश्न अद्वेतुक भी नहीं है। संसार के प्रति उदासीनता लानेवाला विचार सामाजिक व्यवस्था में कहीं चांधा भी डाल सकता है। पर इन सबके उपरान्त

१-साधु-आचार की चौपाई

२-अनुकर्म्पा ढाल ६ गा० ७० :

हिंसा री करण में दया नहीं क्षें, दयारी करणी में हिंसा नाहीं जी। दया नें हिंसा री करणी क्षें न्यारी, ज्यूं तावड़ो नें छांही जी॥

३-दृष्टान्तः १३

४-अनुकर्म्पा ढाल ४ गा० २१-२२

ग्यांन दर्शन चारित्र नें तप, यां रो करें कोई उपगार हो।

आप तिरे पेलों उधरे, दोयां रो खेबों पार हो॥

ए ज्यार उपगार छें मोटका, तिणमें निश्चे जांणों धर्म हो।

शेष रहया कार्य संसार नां, तिण कीधां बंधसी कर्म हो॥

हमें वह भी तो समझना होगा जो आचार्य मिक्षु हमें समझाना चाहते थे । वे संयम और असंयम के बीच मेद-रेखा खींच रखे थे । उस समय जो विचार उन्होंने दिये, उनका उद्देश्य सामाजिक सहयोग का विघटन नहीं, किन्तु संयम और असंयम का पृथकरण या बन्धन और मुक्ति का विश्लेषण है^१ ।

उनके दर्यार्द्द मानस का परिचय हमें तब मिलता है जब हम उनके सेवा भाव की ओर इष्टि डालते हैं । उन्होंने कहा—जो साधु रोगी, वृद्ध और ग्लान साधुओं की सेवा-शुश्रूषा नहीं करता, वह भगवान् की आशा का उल्लंघन करता है । उसको महामोहनीय कर्म का बन्ध होता है । उसके इहलोक और परलोक दोनों विगड़ जाते हैं ।

एक साधु व्याहार-न्यानी की भिक्षा लाए, उसका कर्तव्य है कि वह दूसरे साधुओं को संविभाग दे । किन्तु यह मैं लाया हूँ, ऐसा सोच जो अधिक लेता है, उसे चोरी का दोष लगता है और उसका विश्वास उठ जाता है^२ ।

एक बार मुनि खेतसी जी को अतिसार हो गया । स्वामी जी ने स्वयं उन्हें सम्भाला और उनकी परिचर्या की^३ । रोगी साधुओं के लिये दाल मँगवाते और उन्हें चलकर अलग-अलग रख देते । किसी में नमक अधिक होता, किसी में

१ अनुकर्णपा ढाल ६ गा० ५०-५४ :

हिंसा री करणीमें दया नहीं छें, दयारी करणीमें हिंसा नाहीं जी ।
दया नें हिंसा री करणी छें न्यारी, ज्यूं तावड़ो ने छांही जी ॥
और वसत में भेल हुवें पिण, दया में नहीं हिंसा रो भेलो जी ।
ज्यूं पूर्व नें पिछ्रम रो मारग, किण विध खायें मेलो जी ॥
केई दया नें हिंसा री मिश्र करणी कहें, ते कूड़ा कुहेत-लगावें जी ।
मिश्र थापण नें मूढ़ मिश्याती, भोला लोकां नें भरमावें जो ।
जो हिंसा कीयां थी मिश्र हुवें तो, मिश्र हुवें पाप अठारो जी ।
एक फिर्यां अठारे फिरें छें, कोई बुधवंत करजो विचारो जी ॥
जिन मारग री नीव दया पर, खोजी हुवें ते पावे जी ।
जो हिंसा मांहे धर्म हुवै तो, जल मथीयां धी आवै जी ॥

२-अनुकर्णपा ढाल ८ गा०-४५ :

रोगी गरड़ा गिलांण साधरी बीचावच,
साध न करे तो श्री जिण आगना वारें ।
महा मोहणी कर्म तणों बंध पाड़ें,
इहलोक नें परलोक दोनूं विगाड़ें ॥

कम। रोगी को कौन सी बँचे, कौन सी नहीं, इसका पूरा ध्यान रखते^१। उनकी शासन व्यवस्था यह है कि कोई साधु रोगी साधु की परिचयां करने में आनाकानी करे वह संघ में रहकर भी संघ का नहीं है। उसे संघ से वहिष्कृत कर देना चाहिये।

जिन-शासन में ‘ग्लान की सेवा ही सार है’ और ‘जो ग्लान की सेवा करता है वह मुरि प्राप्त करता है’^२। जैन-परम्परा के इस आदर्श की उन्होंने कभी विस्मृति नहीं की। उनकी भूमिका साधु-जीवन की थी। उनका साध्य आत्म-मुक्ति था। इसलिये उन्होंने जो कहा वह साधु-जीवन को लक्ष्य कर कहा। यह वाणी किसी समाज-नेता की होती तो वह समाज को लक्ष्य कर कहता। यह भूमिका-मेंद है। समाज की भूमिका में करुणा प्रधान होती है और करुणा गौण। आत्म-मुक्ति की भूमिका में अर्हिंसा प्रधान होती है और करुणा गौण। सामाजिक प्राणी वहाँ अर्हिंसा की उपेक्षा भी कर देता है, जहाँ उसे करुणा की अपेक्षा होती है। आत्म-मुक्ति की साधना करनेवाला करुणा की अपेक्षा वही रखता है जहाँ अर्हिंसा की उपेक्षा न हो। करुणा के भाव से भावित व्यक्तियों का ग्रेरक चान्द यह रहा—मैं राज्य की कामना नहीं करता, मुझे स्वर्ग और मोक्ष की भी कामना नहीं है। दुःख से पीड़ित प्राणियों का दुःख दूर करूँ, यही मेरी कामना है^३।

इसमें करुणा का अजस्त खोत है, पर उद्देश्य का अनुगमन नहीं है। कोई भी मुमुक्षु अपवर्ग (मोक्ष) की इन शब्दों में उपेक्षा नहीं कर सकता। समाज की स्थापना का मूल परस्पर-सहयोग है। सहयोग की भित्ति को अवस्थित करने के लिये ही यह श्लोक रचा गया है। अपने उद्देश्य की सीमा तक यह बहुत ही मूल्यवान है, पर मोक्ष के साधनों पर विचार किया जाय तब यह विषय बहुत चिन्तनीय हो जाता है। वस्तुतः दुःख क्या है? किस प्रकार का दुःख दूर करना मोक्ष के अनुकूल है? दुःख को दूर कैसे किया जाय? किसलिये किया जाय? आदि आदि। साधारण दृष्टि यह है कि प्रिय वस्तु का वियोग और अप्रिय का संयोग ही दुःख है। प्रतिकूल वेदना ही दुःख है। मोक्ष दृष्टि यह है कि वन्धन

१-दृष्टान्तः : १७१

२-उत्तराध्ययन अ० २ श्लोक ३ नेमिचन्द्रीय वृत्ति पत्र १८

गिलाण वेयावच्च मे वेत्य पवयणे सारं।

जो गिलाणं जाणङ्ग सो मं दंसणेणं पठिवलङ्ग॥

३-न त्वहं कामये राज्यं, न स्वर्गं न पुनर्भवम्।

कामये दुखतप्तानां, प्राणिनामार्त्तिनाशनम्॥

दुःख है। सामान्यतः माना जाता है कि प्रिय वस्तु का संयोग और अप्रिय वस्तु का वियोग सुख है। अनुकूल ब्रेदना सुख है। मुमुक्षु लोग मानते हैं कि बन्धन-मुक्ति सुख है।

मनुष्य का ज्येय मोक्ष होना चाहिये, इस विचार में सभी आत्मवादी एकमत है। मोक्ष में राग-द्वेष, स्लेष आदि के बन्धन नहीं हैं, इसमें भी दो भूत नहीं हैं। साध्य के निकट पहुँच शरीर से भी मुक्ति पा लेना है, यह भी विवादास्पद नहीं। भूतमेद है इस बात में कि मोक्ष का साधन क्या है? साध्य सामान होने पर भी साधन समान नहीं हैं।

जो आत्मवादी नहीं हैं, उनका साध्य कोरा सामाजिक अभ्युदय होता है। जिनका विश्वास आत्मवाद में है पर आचरणात्मक शक्ति का जिनमें पर्याप्त विकास नहीं हुआ है, उनका प्रधान साध्य—मोक्ष या आत्मा का पूर्ण विकास होता है, और गौण साध्य—सामाजिक अभ्युदय या आवश्यक भौतिक विकास। आत्मा में जिनका कोरा विश्वास ही नहीं होता, किन्तु जिनकी आचरणात्मक शक्ति पर्याप्त विकसित होती है, वे केवल आत्म-विकास को ही साध्य मानकर चलते हैं। ये जीवन की तीन कोटियाँ हैं। इनके विचारों को पृथक-पृथक दृष्टिकोणों से समझा जाय तो कोई उलझन नहीं आती। जीवन के इन तीन प्रकारों को, जब एक ही तुला से तोलने का प्रयत्न होता है, तब विसंगति उत्पन्न हो जाती है। आत्म-विकास का साधन है ब्रह्मचर्य। सामाजिक प्राणी विवाह करता है। अब्रह्मचर्य मोक्ष का साधन नहीं है। जिस आत्मवादी का साध्य मोक्ष होता है और वह ब्रह्मचारी रह नहीं सकता इसलिये वह विवाह करता है। चिन्तन काल में यह विसंगति प्रतीत होती है। आस्था और कर्म में विरोध की अनुभूति होती है। इस विसंगति का निवारण दो प्रकारसे किया जाता है। एक विचार है कि समाज के आवश्यक कर्म यदि अनासुक्त भाव से किये जायें तो वे मोक्ष साधन के प्रतिकूल नहीं होते। दूसरा विचार है कि आचरण का पक्ष प्रबल होने पर ही आस्था और कर्म की विसंगति मिटती है। साधना के प्राथमिक चरण में उसका निवारण नहीं होता। जब आचरण का बल विकासशील होता है तब आस्था और कर्म की दूरी मिट जाती है।

आचार्य मिष्टु इस दूसरी विचारधारा के समर्थक थे। उन्होंने आस्था और कर्म की विसंगति को मिटाने के लिये साधन के विचार को गौण नहीं किया। उन्हें यह ज्ञात था कि आस्था का परिपाक आचरण से पहले होता है। आचरण के साथ आस्था अवश्य होती है, पर आस्था के साथ आचरण नहीं भी होता। आचरण के अभाव में आस्था को विपरीत बताना उन्हें अभीष्ट नहीं था। आस्था और कर्म में संगति लाने के लिये वे मोक्ष के असाधन को साधन मानने

के लिये प्रस्तुत नहीं हुए। इसी भूमिका में उनके विचारों की कुछ महत्वपूर्ण रेखाएँ निर्मित हुईं, जिनकी प्रतिक्रिया प्राचीन भाषा में है कि भीखण जी ने दयादान को उठा दिया। ये मरते प्राणी को बचाने की मनाही करते हैं; आदि आदि। आज की भाषा में उनकी प्रतिक्रिया है कि उन्होंने सामाजिक जीवन को लौकिक और लोकोत्तर या आध्यात्मिक रूप में विभक्त कर दिया, आदि आदि। इन प्रतिक्रियाओं का उत्तर हमें उनके साध्य-साधन की सेद्धान्तिक चर्चा से ही लेना है ; इसलिये हमें उनके साध्य-साधनवाद के कुछ महत्वपूर्ण अंशों पर दृष्टिपात करना होगा ।



अध्याय : ३

साध्य-साधन के विविध पहलू

: १ : जीवन और मृत्यु

मनुष्य की पहली जिज्ञासा है जीवन और अन्तिम जिज्ञासा है मृत्यु । शेष जिज्ञासाएँ इस द्वन्द्व के बीच में हैं ।

जीवन क्या है ? इससे पहले क्या था ? मौत क्या है ? उसके पश्चात् क्या होगा ? सत्यान्वेषण की रेखा के ये प्रधान विन्दु हैं । जीवन से पूर्व और मौत से पश्चात् क्या है और क्या होगा ? इन प्रश्नों के समाधान में वाचार्य भिक्षु की कोई नई देन है, यह मैं नहीं जानता । जीवन और मृत्यु हमारी दृष्टि के स्पष्ट कोण हैं । इनकी व्याख्या को उन्होंने अवश्य ही आगे बढ़ाया है । सामान्य धारणा के अनुसार जीवन काम्य है और मौत अकाम्य । प्राणियों में तीन एवणाएँ हैं, उनमें पहली है 'प्राणेषणा' । वैदिक ऋषियों ने कहा—“हम सौ वर्ष जिएँ”^१ । भगवान् महाबीर ने कहा—“सब जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता”^२ । यही विचार मनोवैज्ञानिक सुखवाद का आधार बन गया । साधना की दृष्टि से भगवान् महाबीर ने कहा—“जीवन और मृत्यु की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए”^३ । व्यास भी इसी भाषा में बोलते हैं—

१-यजु.८-३:१२४

पश्येम शरदः शतम् ।

.. अदीनाः स्याम शरदः शतम् ।

२-दरवैकालिक ६।११

सव्वे जीवा वि इच्छन्ति, जीविदं न मरिज्जितं

३-सूत्र कृताङ्ग १।१०।२४

नो जीवियं नो मरणाभिकंखी ।

४८
“जीवन और मृत्यु का अभिनन्दन मत करो”^१ ।

आचार्य भिक्षु की चिन्तन-दिशा स्वतन्त्र नहीं थी । उनका चिन्तन जैनागमों की परिक्रमा किये चला, पर परिक्रमा का मार्ग उन्होंने विस्तृत बना दिया । उन्होंने कहा—जीवन और मृत्यु अपने आपमें न काम्य है और न अकाम्य । ये परिवर्तन के अवश्यम्भावी चरण हैं । पहले चरण में प्राणी नये जीवन के लिए आता है और दूसरे में नये जीवन के लिये चला जाता है । पुद्गल की भूमिका में जीवन काम्य है और मृत्यु अकाम्य । आत्मा की भूमिका में जीवन और मृत्यु न काम्य है और न अकाम्य । असंयममय जीवन और मृत्यु अकाम्य हैं, संयममय जीवन और मृत्यु काम्य । निर्णय की भाषा में असंयम अकाम्य है और संयम काम्य । काम्य और अकाम्य सापेक्ष हैं । इनका निर्णय साध्य के धाराओं पर ही किया जा सकता है ।

साध्य दो विभागों में विभक्त है—जीवन या जीवन-मुक्ति । प्रवृत्ति का क्षेत्र है जीवन । उसका स्रोत है रगात्मक या द्वेषात्मक भाव या असंयम । मृत्यु जीवन का अनिवार्य परिणाम है, इसलिये जो जीना चाहता है, वह मरना भी चाहता है । परिणाम की दृष्टि से यही संगत है । जीव जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता, यह रुचि की दृष्टि से ही संगत हो सकता है । किन्तु रुचि की अपेक्षा आचरण में अधिक बल होता है । अधर्म करनेवाला धर्म का फल चाहता है । आचरण अधर्म का और रुचि धर्म के फल की—यह संघर्ष है । इसमें निवारी आचरण होता है, वह रुचि को परास्त कर, जीव को अपने पीछे ले चलता है ।

सच तो यह है कि जो मरना नहीं चाहता वह जीना भी नहीं चाहता । मृत्यु से मुक्ति वही पा सकता है, जो जीवन से मुक्ति पा सके । इस विवेक के बाद हम एक बार सिंहावलोकन करेंगे । रुचि की अपेक्षा सत्य यह है कि जीवन काम्य है, मृत्यु अकाम्य । आचरण की अपेक्षा सच यह है कि जिसे जीवन काम्य है उसे मृत्यु भी काम्य है, और जिसे मृत्यु अकाम्य है, उसे जीवन भी अकाम्य है । आचार्य भिक्षु ने इस साध्य की कसीटी पर साधन को परखा । परख का परिणाम उन्होंने इन शब्दों में रखा—“अध्यात्म की माया में जीवन साध्य नहीं है । साध्य है जीवन की मुक्ति, उसका साधन है संयम । इसलिये संयम ही काम्य है । असंयम जीवन-मुक्ति का साधन नहीं है, इसलिये वह अकाम्य है । असंयत जीवन भी अकाम्य है और उसे चलाने के

१-महाभारत शान्तिपर्व, २४५।^{१५}

नाभिनन्देत् मरणं, नाभिनन्देत् जीवितम् ।

साधन भी अकाम्य हैं। संयत जीवन भी काम्य है और उसे चलाने के साधन भी काम्य हैं। साधन वही होता है जो साध्य के सर्वथा अनुकूल हो। जीवन-मुक्ति की साधना तभी हो सकती है जब कि जीवन टिके। जीवन अन्न और पानी के बल पर टिकता है। उनका अर्जन प्रवृत्ति से होता है, इसलिये सब काम्यों का मूल प्रवृत्ति है। इस तर्क के आधार पर जीवन-मुक्ति का साधन, जीवन का साधन, अन्न-पान, और उसका साधन प्रवृत्ति है। इसलिये ये सब काम्य हैं।

आचार्य भिक्षु ने इस कारण-परम्परा को पूर्ण सत्य नहीं माना। उन्होंने कहा—जीवन-मुक्ति का साध्य, संयत जीवन और अन्न-पान के अर्जन की प्रवृत्ति संयत हो तो यह क्रम साध्य के अनुकूल है, इसलिए काम्य हो सकता है। जीवन मुक्ति का साध्य, असंयत जीवन और अन्न-पान के अर्जन की प्रवृत्ति असंयत हो तो यह क्रम साध्य के अनुकूल नहीं है, इसलिये यह अकाम्य है। साध्य जीवन मुक्ति का न हो, जीवन और अन्न-पान के अर्जन की प्रवृत्ति असंयत हो वह तो अकाम्य है ही। यह दिशा साध्य और साधन दोनों से शून्य है। आचार्य भिक्षु के धर्म और अधर्म, अहिंसा और हिंसा के पृथक्करण की भेद-रेखा यही है। उन्होंने कहा है :

“जीव जीता है, वह अहिंसा या दया नहीं है। कोई मरता है, वह हिंसा नहीं है। मारने की प्रवृत्ति हिंसा है और मारने की प्रवृत्ति का संयम करना अहिंसा है।”

उन्होंने दृष्टान्त की भाषा में कहा—चीटी जीवित रहे हसलिये आपने उसे नहीं मारा, यह अहिंसा या दया है तो हवा का भौंका आया, चीटी उड़ गई, आपकी दया भी उड़ गई। किसी का पैर टिका वह मर गई, आपकी दया भी मर गई। जो अहिंसा किसी जीव को जिलाने के लिये होती है वह उसकी मौत के साथ चली जाती है, और जो अपनी जीवन-मुक्ति के लिये होती है वह संयम में परिणत हो जाती है।

आचार्य भिक्षु की भाषा में संयम और धर्म अभिन्न हैं। जीवन और मृत्यु की इच्छा असंयम है, इसलिये वह अधर्म है। वह अहिंसा नहीं है, किन्तु मोह है।

१-अणुकम्पा ढाल ५ गा० ११

जीव जीवें ते दया नहीं, मरें ते हो हिंसा मत जांण।
मारणवालां नें हिंसा कही, नहीं मारें हों ते तो दया गुण खांण॥

नोहात्मक प्रवृत्ति से जीवन की परम्परा का अन्त नहीं होता किन्तु वह बढ़ती ही है^३ ।

मोह नूद मानव का साध्य जीवन वन जाता है । जो जीवन को साध्य मान कर जीता है, वह पवित्रता या संयम को प्रबान नहीं मान सकता । संयम को प्रबानता वही दे सकता है जिसका साध्य जीवन-सुक्षि हो ।

एक आदमी लोहे का लाल-लाल तपा हुआ एक गोला संडासी से पकड़ कर लाता है और कहता है—

हे धर्म संस्थापको ! लो इस गोले को एक क्षण के लिए अपनी हयेली में लो । यह कहकर उस आदमी ने गोले को आगे बढ़ाया परन्तु सबने अपने हाथ पीछे खींच लिए । यह देख उसने कहा—

“ऐसा क्यों ? हाथ क्यों खींच लिए ?”

“हाथ बल उठेंगे ।”

“क्या होगा उठेंगे तो ?”

“वेदना होगी ।”

वैसे तुम्हें वेदना होती है वैसे क्या औरों को नहीं होती ?

“सब जीवों को अपने समान समझो । सब जीवों के प्रति इसी गब और प्राप से काम लो^४ ।”

१-अणुकम्पा ढाल उ दू १

वांछे मरणों जीवणों, तो धर्म तणों नहीं अंस ।

ए अणुकम्पा कोधां थकां, वधे कर्म नो वंस ॥

२-अणुकम्पा ढाल ह गा० द०७-८५ :

केह जीव मार्यां मांहे धर्म कहें छें, ते पूरा अग्यांनी उधा जी ।
त्यांनें जांग पुरुष मिलें जिण मारग रो, किण विव बोलावें सूधा जी ॥
लोह नो गोलो अगन तपाए, ते अगन वर्ण करें तानो जी ।
ते पकड़ संडासें आयों त्यां पासें, कहें वलतो गोलो थें मालो हाथो जी ॥
जव पापंडीयां हाथ पाढ़ो खांच्यो, जव जाण पुरुष कहें त्यांनें जी ।
थे हाथ पाढ़ो खांच्यों किण कःरण, थांरी सरधा म राखों छानें जी ॥
जव कहें गोलो म्हें हाथे लयां तों, म्हांरो हाथ वले लागें तापो जी ।
तो थांरो हाथ वाले तिणनें पाप के धर्म, जव कहें उणनें लागो पापो जी ॥
थांरो हाथ वाले तिणनें पाप लागें तो, ओरांनें मारयां धर्म नांही जी ।
थें सर्व जीव सरीया जांणों, थे सोच देखो मन मांहि जी ॥
जे जीव मारयां में धर्म कहें तें, रुलें काल अनंतो जी ।
सूयगढाङ्ग अधेन अठारमें, तिहां भाष पाया भगवंतो जी ॥

: १ : आत्मौपम्य

भगवान् महाबीर ने कहा—“सब बीवों को आत्मतुल्य समझो” ।

महात्मा दुर्द ने कहा—“दण्ड से सब डरते हैं, मृत्यु से सब मर करते हैं। दूसरों को अपनी तरह जान कर, मनुष्य किसी दूसरे को न मारे, न मरवाए” ।

योगीराज कृष्ण ने कहा—“जो योगयुक्त आत्मा है, जो सर्वत्र समदर्शी है, वह अपनी आत्मा को अपनी आत्मा में रखता है” ।

यह आठर्शी बाणी है—साधना के पहले सोगन में आदर्श और व्यवहार का पूर्ण सामग्र्य नहीं होता, वह सिद्धिकाल में होता है। मान्यता और आचरण में विरोध नहीं ही होता, ऐसा नहीं मानना चाहिए। मनुष्य जो कुछ मानता है वही करता है, यह एकान्त सत्य नहीं है। मान्यता यथार्थ होने पर भी कुछ ऐसी अनिवार्यताएँ या दुर्बलताएँ होती हैं कि मनुष्य मान्यता के अनुरूप आचरण नहीं कर पाता। बीतराग आत्मा के सिद्धान्त और आचरण में कोई विसंगति नहीं होती। अबीतराग की पहचान सात बातों से होती है—
 (१) वह हिंसा करता है ; (२) असत्य बोलता है ; (३) अदत्त लेता है ;
 (४) इन्द्रिय-विषयों का आस्वादन करता है ; (५) पूजा-स्तकार चाहता है ; (६) यह सपाप है, यों कहता हुआ भी उसका आचरण करता है ; और (७) कथनी के अनुरूप करणी नहीं करता ।

३-दशबैकालिक १०५

अत्तसमे मनिज्ज छपिप काए ।

२-घम्मपद दण्ड वर्ण-१

सब्बे तसंति दंडस्स, सब्बे भायंति भच्चुनो ।

अत्तान उपमं कत्वा न हनेष्य न घातये ॥

३-चीता—६२६

सर्वभूनस्थमात्मानं, सर्वभूतानि चालनि ।

ईक्षते योगयुक्तात्मा, सर्वत्र समदशनः ॥

४-ठा० सू० ६५०

सत्त्वहि ठाणेहि छउमत्यं जाणेज्ञा, तं०-पाणे अइवाएत्ता भवति मुसंवइत्ता भवति अदिन्नमादित्ता भवति सहकरिसरसरुवांधे आसादेत्ता भवति पूतासक्कारमणुवूहेत्ता भवति इमं सावज्जन्ति पण्णवेत्ता पडिसेवेत्ता भवति पो जधावादी तधाकारी यावि भवति। सत्त्वहि ठाणेहि केवली जाणेज्ञा, तं०-पाणे अइवाइत्ता भवति जाव जधावादी तधाकारी यावि भवति ।

यह एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक तथ्य है, इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। केवल सिद्धान्त और आचरण में गति लाने का प्रयत्न हुआ। फलस्वरूप हिंसा ने अहिंसा का रूप ले लिया। हिंसा उपादेय नहीं है—यह मान्यता पक्ष रहा। जीवन-निर्वाह के लिये हिंसा अनिवार्य है, यह व्यवहार-पक्ष रहा। यह स्पष्ट विसंगति है, इसे मिटाने का और कोई मार्ग नहीं सूझता, तब ये व्याख्याएँ रिथर होने लगीं कि

१—आवश्यक हिंसा, हिंसा नहीं है।

२—बहुतों के लिये योद्धों की हिंसा, हिंसा नहीं है।

३—योद्धों के लिये छोटों की हिंसा, हिंसा नहीं है।

आचार्य भिक्षु ने इस ओर जनता का ध्यान खींचा कि यह दोहरी भूल है। एक तो हिंसा करना और दूसरे हिंसा को अहिंसा मानना। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ कहा—हिंसा कभी और किसी भी परिस्थिति में अहिंसा नहीं हो सकती। इनमें पूर्व और पश्चिम की सी दूरी है^१।

उन्होंने तर्ककी भाषामें कहा—आवश्यकता की कोइ सीमा नहीं है। आवश्यक हिंसा को अहिंसा माना जाय तो हिंसा कोइ रहेगी ही नहीं। आवश्यकता की स्थिति, दुर्बलता के तत्वों से होती है। वे हिंसा को अहिंसा में बदल सकें इतनी क्षमता उनमें नहीं है, इसलिए आवश्यक हिंसा भी हिंसा है।

महात्मा गांधी ने जीवन की विसंगति पर प्रकाश डालते हुए लिखा है—“श्रद्धा और कर्म में विरोध किसलिए? विरोध तो अवश्य है ही। जीवन एक भंगना है। इसका ध्येय पूर्णता अर्थात् आत्म-साक्षात्कार के लिये मन्थन करने का है। अपनी निर्बलताओं और अपूर्णताओं के कारण धार्दर्श को नीचे गिराना नहीं चाहिए। मुझ में निर्बलता और अपूर्णता दोनों है, इसका दुःखद मान सुके है। हालांकि बोरसद के लोगों के सामने मैंने अपने सहोदर चूहे, चींचड़ के विनाश का समर्थन किया तथापि मैंने जीव मात्र के प्रति शाश्वत प्रेम-धर्म का शुद्ध रूप भी चतलाया। इसका पूर्णता से पालन मुझसे इन जन्म न हो सके तथापि इस सम्बन्ध की नेरी श्रद्धा तो अविचल रहेगी^२।”

वर्तमान का नीति शास्त्र कहता है—“ग्रेटेस्ट गुड ऑफ दी ग्रेटेस्ट नम्बर”—अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक सुख या हित। इसमें विरोधी

१-अणुकम्पा ढाल ६ गा० ७१ :

और वसत में भेल हुवें पिण, दया में नहीं हिंसा रो भेलो जी।

२-ज्यूं पूर्व नें पिछम रो मारग, किण चिध खायें मेलो जी॥

२-च्यापक धर्म भावना: जीवमात्र की पृक्ता पृ० ६, १०

हितों की कल्पना है। बहुसंख्यकों के लिए अत्यसंख्यकों के बलिदान को उचित माना गया है। इनी सिद्धान्त ने बहुसंख्यक और अत्यसंख्यक का भगवा खड़ा किया है। नीति-शास्त्र की इस मान्यता पर राजनीति का प्रभाव है। एकतन्त्र की प्रतिक्रिया जनतन्त्र के रूप में हुई। जनतन्त्र का अर्थ है—अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों का राज्य और बहुमत के सामने अल्पमत की परानगा। इस भावना का प्रतिविम्ब नीति-शास्त्र पर पड़ा और वह सर्वभूत-आत्मभूत की बात भूल गया।

मध्यकालीन धर्मशास्त्र के व्याख्याता भी इस भूल से अपने को बचा नहीं सके। उन्होंने भी वहुमत का साथ दिया। इसलिये आचार्य भिक्षु ने क्रान्ति के स्वर में कहा—

“बहुतों के हित के लिये थोड़ों के हित को कुचल देना उतना ही दोषपूर्ण है जितना कि थोड़ों के हित के लिये बहुतों को कुचलना। एक आदमी सौ रोगी मनुष्यों को स्वस्थ करने के लिये ‘ममाई’ करता है—एक मनुष्य के शरीर को क्षत-विक्षत कर खून निकालता है। एक आदमी सिंह व कसाई को मारकर अनेक जीवों को मृत्यु के मुँह में जाने से बचाता है। इनमें धर्म बतानेवालों की श्रद्धा विशुद्ध नहीं है^३।”

राज्यतन्त्र में राजा के जीवन का असीम भूत्य था। उसकी या उसके परिवार की इच्छा की बेदी पर मनुष्यों तक की बली हो सकती थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक राजकन्या की इच्छा पर राजा ने वैश्य-पुत्र को मारने की आज्ञा दे दी। प्रमुख नागरिक राजसभा में गए। राजा ने उनकी प्रार्थना के उत्तर में कहा—राजकन्या का आग्रह है कि या तो वह जीएगी वा वैश्य-पुत्र। दोनों एक साथ नहीं जी सकते। राजा ने कहा—आप कहिए, मैं किसे मारूँ^१। नागरिक अवाक् हो कापस चले बाए। राजकन्या के लिये वैश्य-पुत्र मारा गया।

राज्यसत्त्व शक्ति का जाल है। उसमें जो फँसे, उन्होंने इसे क्षम्य मान लिया। पर अहिंसा आत्मा की सहज पवित्रता है। वह एक के लिये दूसरे की बली को कभी भी क्षम्य नहीं मान सकती। जो लोग अहिंसा के क्षेत्र में

१-अणुकम्पा ढान्ड ७ गाठ १०,२७

मरता देखी सो रोगला, ममाइ विण हो ते तो साजा न थाय।
कोई ममाइ कर एक मिनघरी, सो जणा रे हो साता कीधी बचाय॥
कोइ नाहर कसाइ मारनें, मरता राख्या हो घणां जीव अनेक।
जो गिणे दोयांनें सराषा, त्यांरी बिगड़ी हो सरधा बात बवेक॥

राज्यतन्त्र की परम्परा को निभा रहे थे, उनके विरुद्ध आचार्य भिक्षु ने विद्रोह किया। उनकी विद्रोही जीवों ने धोयित किया :

“छोटे जीवों को मारकर बड़ों का पोषण करने को अहिंसा कहते हैं, वे छोटे जीवों के दुश्मन हैं^१।”

उनका दयार्द्र मन कह उठा—“ये छोटे जीव अपने अशुभ कर्म भुगत रहे हैं, लोग इन्हें सता रहे हैं। और उनके द्वारा बड़े जीवों के पोषण में पुण्य बतलानेवाले ये मेपधारी और उठ खड़े हुए हैं^२।” छोटे और बड़े जीवों में अरीर और ज्ञान की मात्रा का तारतम्य है। आत्मल की दृष्टि से सब जीव समान हैं। अहिंसा और हिंसा की नाप छोटा-बड़ा आकार नहीं हैं। वह राग-द्वेषात्मक प्रवृत्ति के भाव और अभाव से नापी जाती है।

आवश्यक हिंसा, हिंसा नहीं है; बहुतों के लिये योद्धों की हिंसा, हिंसा नहीं है; बड़ों के लिये छोटों की हिंसा, हिंसा नहीं है—इन धारणाओं का मूल्य रागात्मक प्रवृत्ति है और इनका आचरण भी रागात्मक है। इसलिये यह सारा हिंसा पक्ष है।

जीव जीव का जीवन है—यह प्राणी की विवशता है पर अहिंसा नहीं है। बहुसंख्यकों के हित के लिये अल्पसंख्यकों का अहित क्षम्य है, वह जनतन्त्र का सिद्धान्त है पर अहिंसा नहीं है।

बड़ों के लिये छोटों का बलिदान क्षम्य है, यह राज्यतन्त्र की मान्यता है पर अहिंसा नहीं है।

इन सिद्धान्तों से आत्मीपम्य या सर्वभूतात्मभूतवाद की रीढ़ टूटी है। विवशता, बहुसंख्यक, और अल्पसंख्यक तथा छोटे और बड़े के प्रदन हिंसा के क्षेत्र में उठते हैं, अहिंसा का स्वरूप इन सभी प्रदनों से मुक्त है।

आत्मीपम्य के प्रयोग की भूमिकाएँ विभिन्न हैं। रागद्वेषात्मक प्रवृत्ति तीव्र होती है, आत्मीपम्य की बुद्धि मन्द हो जाती है। रागद्वेषात्मक प्रवृत्ति मन्द होती है, आत्मीपम्य की बुद्धि तीव्र हो जाती है। मनुष्य का ज्ञान विशुद्ध होता है तब वह आत्मीपम्य को जानता है। उसकी दृष्टि विशुद्ध होती है तब वह

१-ब्रतान्त्रत ढाल ७ गा० ४ :

रांकां नैं मार·धींगां नैं पोख्यां, एतो वात दीसं घणी गंरी ।

तिण माहें दुष्टी धर्म वतावें, ते रांक जीवांरा उठया वेरी ॥

२-ब्रतान्त्रत ढाल ७ गा० ५ :

पालिल भव पाप उपाया तिणसूं, ते हूआ एवं द्री पुन परवारी ।
त्यां रांक जीवां रे उसभ उद्देसुं, लोकां साहित लागू उठया भेषधारी ॥

आत्मौपम्य में विश्वास करता है। उसका मन विशुद्ध होता है तब वह आत्मौपम्य का आचरण करता है।

कुछ लोग हिंसा को अनिष्ट जानते हुए भी अहिंसा में विश्वास नहीं कर पाते। यह वह स्थिति है जहाँ ज्ञान है पर दृष्टि की शुद्धि नहीं है। कुछ लोग हिंसा को अनिष्ट जानते हुए और अहिंसा में विश्वास करते हुए भी उसका आचरण नहीं कर पाते। यह वह भूमिका है जहाँ ज्ञान और दृष्टि है पर चारित्रिक क्षमता नहीं है।

इन भूमिका मेदों को ध्यान में रखकर ही आचार्य मिश्र ने हिंसा और अहिंसा, व्यवहार और परमार्थ का विश्लेषण किया।

२ : संसार और मोक्ष

संसार व्यवहार से चलता है। व्यवहार में हिंसा की अनिवार्यता है। यदि हिंसा और अहिंसा में अत्यन्त भेद हो तो हिंसा करना कौन चाहेगा? उसके बिना व्यवहार नहीं चलेगा। व्यवहार के बिना संसार मिट जाएगा।

प्रत्येक आदमी मोक्ष चाहता है, सुख चाहता है। उसका साधन अहिंसा है। सब लोग उसीका आचरण करना चाहेंगे। संसार किसी भी समझदार आदमी का साध्य नहीं है। दुःख कोई नहीं चाहता। वह हिंसा से होता है। उसका आचरण कोई नहीं करेगा, सारा व्यवहार गड़बड़ा जाएगा। इस तर्क की कसौटी पर आचार्य मिश्र के अभिमत को कहा तो लोगों को संसार का भविध अंधकारमय दीखा।

आचार्य मिश्र ने उसे उक्त मेदों के आधार पर सुलभाया। उन्होंने कहा— हिंसा और अहिंसा का सिद्धान्त मोहाणुओं की सक्रियता और निष्क्रियता पर अवलम्बित है। मोहाणु मनुष्य को पदार्थ की ओर आकृष्ट करते हैं। उनकी मात्रा अधिक होती है तब वे आत्मा के सहजभाव को निर्जीव बना देते हैं। जीवन और भोग साध्य बन जाते हैं। उनके लिये हिंसा की जाती है। आपने स्वयं अनुभव किया होगा और अनेक लोगों को यह कहते सुना होगा कि बुराई को बुराई जानते हुए भी उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। यह स्थिति मोहाणुओं की सक्रियता से बनती है। उनकी सक्रियता के लिये कठोर साधना अपेक्षित है। इसलिये व्यवहार की विशृद्धलता के काल्पनिक भय से अहिंसा की यथार्थता को बदलने की आवश्यकता नहीं है। संसार किसी का भी साध्य नहीं होगा, सब लोग अहिंसा का आचरण करना चाहेंगे—यह तर्क हो सकता है वस्तुस्थिति नहीं। दुःख कोई नहीं चाहता, यह आप और हम सब मानते हैं। अपराधी भी दुःख के लिये अपराध नहीं करता है पर उसका परिणाम

सुख नहीं है। जीवन-मुक्ति की इष्टि से देखा जाये तो भोग भी अपराध है। भोगी दुःख के लिये भोग नहीं करता होगा पर भोग का परिणाम सुख नहीं है। साध्य की प्राप्ति केवल मान्यता से नहीं किन्तु आचरण की पूर्णता से होती है। भोग का परिणाम संसार है। इसलिये भोग-दशा का साध्य संसार ही होगा।

भोगासक्त लोग यथेष्ट मात्रा में अहिंसा का आचरण करना चाहते भी नहीं और यदि चाहें तो कर नहीं सकते। आसक्ति और अहिंसा के मार्ग दो हैं।

अहिंसा के फूल सुकुमारतम है। ये शक्ति के धारे में पिरोये नहीं जा सकते।

: ३ : वल-प्रयोग

एकेन्द्रिय को मारकर पञ्चेन्द्रिय का पोषण करने में लाभ है, किसी ने कहा। आचार्य मिथु बोले—किसी व्यक्ति ने तुम्हारा तौलिया ढीनकर दूसरे व्यक्ति को दे दिया, उसमें लाभ है या नहीं ? एक व्यक्ति ने गेहूँ के कोठों को लट लिया, उसमें लाभ है या नहीं ?

वह चोला—नहीं।

आचार्य—क्यों ?

वह चोला—उनके स्वामी के मन चिना दिया गया, इसलिए।

आचार्य—एकेन्द्रिय ने कब कहा कि हमारे प्राण लट कर दूसरों का पोषण करना। यह वलात्कार है, एकेन्द्रिय की चोरी है। इसलिए एकेन्द्रिय को मार पञ्चेन्द्रिय का पोषण करने में धर्म नहीं है^१।

: ४ : हृदय-परिवर्तन

मनुष्य की प्रवृत्ति के निमित्त तीन हैं—शक्ति, प्रभाव और सहजवृत्ति। सत्ता से शक्ति, सम्बन्ध से प्रभाव और हृदय-परिवर्तन से सहजवृत्ति का उदय होता है। शक्ति राज्य संस्था का आधार है। प्रभाव समाज संस्था या भौतिक-जीवन का आधार है। सहजवृत्ति हृदय की पवित्रता का आधार है। शक्ति से प्रेरित हो मनुष्य को कार्य करना पड़ता है। प्रभाव से प्रेरित होकर मनुष्य सोचता है कि यह कार्य मुझे करना चाहिए। सहजवृत्ति से प्रेरित होकर मनुष्य सोचता है कि यह कार्य करना मेरा धर्म है। सब लोग अंहिंसक या मोक्षार्थी हो जाएँ यह कल्पना ठीक है पर सबको अंहिंसक या मोक्षार्थी बना देंगे यह शक्ति का सूत्र है। हमें यह मानने में कोई व्यापत्ति नहीं होगी।

कि शक्ति के धारों में सबको एक साथ बाँधने की क्षमता है। पर उससे व्यक्ति के स्वतन्त्र मनोभाव का विकास नहीं होता। वह व्यक्ति-व्यक्ति की चारित्रिक अयोग्यता का निर्दर्शन है। आपसी सम्बन्धों से प्रभावित होकर जो अहिंसक बनता है वह अहिंसा की उपासना नहीं करता। वह सम्बन्धों को बनाए रखने की प्रक्रिया है। प्रभाव मनुष्यों को बाँधता है पर वह मानसिक अनुभूति की स्थूल रेखा है, इसलिये उसमें स्थायित्व नहीं होता।

मोहाणुओं व पदार्थों से प्रभावित व्यक्ति जो कार्य करते हैं उनके लिये हम अहिंसा की कल्पना ही नहीं कर सकते। शक्ति के दबाव और बाहरी प्रभाव से रिक्त मानस में जो आत्मैषमयं का भाव जागता है वह हृदय-परिवर्तन है। हृदय वही होता है, उसकी वृत्ति बदलती है, इसलिये उसे हृदय-परिवर्तन कहा जाता है। शक्ति और प्रभाव से दबकर जो हिंसा से बचा जाता है, वह हिंसा का प्रयोग भले न हो किन्तु वह हृदय की पवित्रता नहीं है, इसलिये उसे हृदय-परिवर्तन नहीं कहा जा सकता।

अहिंसा का आचरण वही कर सकता है जिसका हृदय बदल जाय। अहिंसा का आचरण किया जा सकता है किन्तु कराया नहीं जा सकता। अहिंसक वही हो सकता है जो अपने को बाहरी वातावरण से सर्वथा अप्रभावित रख सके। बाहरी वातावरण से हमारा तात्पर्य शक्ति, मोहाणु और पदार्थ से है। इनमें से किसी एक से भी प्रभावित आत्मा हिंसा से नहीं बच सकती।

आक्रमण के प्रति आक्रमण और शक्ति-प्रयोग के प्रति शक्ति-प्रयोग कर हम हिंसा के प्रयोगात्मक रूप को टालने में सफल हो सकें—यह संभव है। पर वैसा कर हम हृदय को पवित्र कर सकें या करा सकें यह संभव नहीं। आचार्य मिश्नु ने कहा—शक्ति के प्रयोग से जीवन की सुरक्षा की जा सकती है; पर वह अहिंसा नहीं है।

अहिंसा का अंकन जीवन या मरण से नहीं होता, उसकी अभिव्यक्ति हृदय की पवित्रता से होती है।

अनाचार करनेवाले को समझा-बुझाकर अनाचार से छुड़ाना, यही है अहिंसा का मार्ग^१। अहिंसा और वध सर्वथा एक नहीं है। अहिंसक के द्वारा भी किंचित् अशक्य कोटि का वध हो सकता है किन्तु यदि उसकी प्रवृत्ति संयम-मय हो तो वह हिंसा नहीं होती। वध को बल प्रयोग से भी रोका जा सकता है किन्तु वह अहिंसा नहीं होती। अहिंसा तभी होती है जब हिंसा करनेवाला

१-अणुकम्पा ढाल ५ गा० १५ :

दब देवो गांम जलायबो, इत्यादिक हो सावध कार्य अनेक।
ए सर्व छोड़ावें समझायनें, सगलां री हो विध जांणो तुमें एक॥

समझ-दूरभक्ति उसे छोड़ता है। आचार्य भिक्षु ने कहा—प्रेरक का काम हिंसक को समझाने का है। अहिंसा के क्षेत्र में वह यहीं तक पहुँच सकता है। हिंसा तो तब छूटेगी जब हिंसा करनेवाला उसे छोड़ेगा ।

५ : साध्य-साधन के बाद

साध्य और साधन एक ही है, यह सुनकर समझ वहै कि व्याप पहले क्षण असमझस में पढ़ जायें। तर्क-शास्त्र आपको कार्य-कारण में भेद बतलाता है। वही धारणा आपकी साध्य और साधन के बारे में होगी। दो क्षण के लिये आप तर्क-शास्त्र को भुला दीजिए। अभी हम आध्यात्मिक क्षेत्र में घूम रहे हैं। हृदय-परिवर्तन का अर्थ ही आध्यात्मिकता है।

दिन हो या रात, अकेला हो या परिणद के बीच, सोया हुआ हो या जागृत, प्रत्येक स्थिति में जो हिंसा से दूर रहता है, वह आध्यात्मिक है और दूर रहने की वृत्ति ही अव्यात्म है।

आध्यात्मिक जगत का साध्य है आत्मा की पवित्रता और उसका साधन भी चही है। आत्मा की अपवित्रता कभी भी आत्मिक पवित्रता का साधन नहीं बन सकती। पहले क्षण का साधन दूसरे क्षण में साध्य बन जाता है और वही उसके अगले चरण का साधन बन जाता है। पहले क्षण का जो साध्य है वह अगले क्षण के लिये साधन है। पवित्रता ही साध्य है और वही साधन।

साध्य और साधन की एकता के विचार को आचार्य भिक्षु ने लो सेद्वान्तिक रूप दिया वह उनसे पहले नहीं मिलता। शुद्ध साध्य के लिये साधन भी शुद्ध होने चाहिए, इस विचार की उनको भाषा में जो अभिव्यक्ति मिली वह उनसे पहले नहीं मिली। साध्य और साधन की सिद्धि का सिद्धान्त अब राजनीतिक चर्चा में भी उत्तर आया है। एम्मा गोल्डमैन ने, जिसके विचार बड़े ही क्रन्तिकारी कहे जाते हैं, हाल में लन्दन में एक मापण में कहा था—“सबसे हानिकारक विचार यह है कि यदि साध्य ठीक है तो उसके लिये हर तरह के साधन ठीक समझे जाएँगे। अन्त में साधन ही साध्य बन जाते हैं और असली साध्य पर दृष्टि हो नहीं जाती।” स्वयं ट्राटस्की ने लिखा है—“निसका लक्ष्य साध्य पर रहता है वह साधनों की उपेक्षा नहीं कर सकता। किन्तु शायद उसने यह नहीं समझा कि साधन का कितना बड़ा प्रभाव साध्य पर

१-अणुकम्पा ढाल ८ गा० ५१ :

त्यांसुं सरीरादिक रो संभोग टालेन्म, ग्यांनादिक गुण रो राखें भेलापो।
उपदेस देह निरदावे रहिणो, पेंलो समझे नें टाले तो टलसी पापो॥

पड़ता है। दुरे साधनों से तो दुरा साध्य ही प्राप्त होगा, इसलिये चाहे जैसे साधन प्रयुक्त करने का सिद्धान्त कभी उचित नहीं हो सकता^१।

आचार्य मिश्र ने दो शताब्दी पूर्व कहा था—शुद्ध साध्य का साधन अशुद्ध नहीं हो सकता और शुद्ध साधन का साध्य अशुद्ध नहीं हो सकता। मोक्ष साध्य है और उसका साधन है संयम। वह संयम के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। जो व्यक्ति लड्डुओं के लिये तपस्या करते हैं वे कभी भी धर्मी नहीं हैं और इस उद्देश्य से तपस्या करनेवालों को जो लड्डू स्विलते हैं वे भी धर्मी नहीं हैं^२।

बवाहरलाल नेहरू ने लिखा है—“गाँधी जी ने हमें सबसे बड़ी शिक्षा यह दी था कि हमारे साधन पवित्र होने चाहिए, ज्योंकि वैसे हमारे साधन होंगे, वैसे ही हमारे साध्य और स्वेच्छा भी होंगे।

एक योग्य साध्य तक पहुँचने के साधन भी योग्य होने चाहिए। यह बात एक श्रेष्ठ नैतिक सिद्धान्त ही नहीं बल्कि एक त्वरित व्यावहारिक राजनीति मालूम पहुँची थी, ज्योंकि जो साधन अच्छे नहीं होते, वे अन्यर साध्य का ही अन्त कर देते हैं और उनसे नई समस्याएँ तथा कठिनाइयाँ उठ जाती होती हैं^३।

“जो साधन अच्छे नहीं होते वे अन्यर साध्य का ही अन्त कर देते हैं।” इसका उदाहरण आचार्य मिश्र ने प्रस्तुत किया है। देव, गुरु, और धर्म की उपासना धार्मिक का साध्य है। उपासना का साधन है अहिंसा। किन्तु जो व्यक्ति हिंसा के द्वारा उनकी उपासना करता है, वह उपासना के मार्ग से भटक जाता है। जो हिंसा के द्वारा धर्म करना चाहता है वह मिथ्या दृष्टि है। सम्यग्दृष्टि वह है जो धर्म के लिये हिंसा नहीं करता^४।

१-अहिंसा की शक्ति (रिचर्ड० बी० श्रेग) पृ० ४०

२-वारह ब्रत की चौपड़ ढाँ १२ गा० २१-२२

ते तो अरथी छे एकन्त पेट रा, ते मजूरिया तणी छे पात जी ।

त्यांरा जीवरो कारज सरे नहीं, उलटी घाली गला माँहि रातजी ॥

३-राष्ट्रपिता (पं० जवाहरलाल नेहरू) पृ० ३६

४-त्रताब्रत ढाल १ गा० ३५,३७ :

देव गुर धर्म नें कारण, मूढ हणे छकायो रे।

उल्टा परोया जिण मार्ग थी, कुगुरां दीया बेंहकायो रे॥

बीर कहो आचारंग मांहे, जिण ओलखीयो तत सारो रे।

समद्विधी धर्म नें कारण, न करें पाप लिगारो रे॥

लोहू से लिपटा हुआ पीताम्ब्रं लोहू से साफ नहीं होता । इसी प्रकार हिंसा से हिंसा का साधन नहीं होता^१ ।

वर्तमान राजनीति में दो प्रकार की विचारधाराएँ हैं । साम्यवादी और इतर-साम्यवादी । बनता का जीवनस्तर ऊँचा । करना—दोनों का लक्ष्य है । पर पद्धतियाँ दोनों की मिल्न हैं ।

साम्यवादी विचारधारा यह है—लक्ष्य की पूर्ति के लिये साधन की शुद्धि का विचार आवश्यक नहीं है । लक्ष्य यदि अच्छा है तो उसकी पूर्ति के लिये दुरे साधनों का प्रयोग भी आवश्यक हो तो वह करना चाहिए । एक बार थोड़ा अनिष्ट होता है और आगे इष्ट अविक होता है^२ । गांधीवादी विचार यह है कि जितना महत्व लक्ष्य का है उतना ही साधन का । लक्ष्य की पूर्ति येन केन प्रकारेण नहीं किन्तु उचित साधनों के द्वारा ही करनी चाहिए ।

आचार्य मिष्ठु के समय में भी साधन शुद्धि के विचार को महत्व न देने वाली मान्यता थी उसके अनुयायी कहते थे—प्रयोजनवश धर्म के लिये भी हिंसा का अबलभूत लिया जा सकता है । एक बार थोड़ी हिंसा होती है, किन्तु आगे उससे बहुत धर्म है ।

आचार्य मिष्ठुने इसे मान्यता नहीं दी । उन्होंने कहा—बाद में धर्म या पाप होगा, इससे वर्तमान अच्छा या दुरा नहीं बनता । कार्य की कसौटी वर्तमान ही है । कुछ जैन लोग दूसरों को लड्डू खिलाकर उनसे तपस्या कराते थे । उनका विश्वास या कि वे उपवास करेंगे उसमें हमें धर्म होगा । आचार्य मिष्ठु इस अभिमत के आलोचक थे । उनका सिद्धान्त या कि पीछे जो करेगा उसका फल उसे होगा किन्तु लड्डू खिलाने में धर्म नहीं है^३ ।

१-ब्रताव्रत ढाल १ गा० ३६ :

लोही खरड्यो जो पितंवरं लोही सूं केम धोवायो रे ।

तिम हिंसा में धर्म कीयां थी, जीव उजलो किम थायो रे ॥

२-ब्रताव्रत ढाल १ गा० ४०

कहे मे पाप करां थोडो सो, पछ होसी धर्म अपारो रे ।

सावद्य कांम करां इण हें, तिणथी खेवो पारो रे ॥

३-ब्रताव्रत ढाल ७ गा० २६,३० :

कोई कहै लाडू खवायां धर्म, वो तप करें तिणसे म्हांरा कटसी कर्म । तिणसे म्हें ओरांने लाडू खवावां, लाडूवां साटें म्हें उपवास करावां ॥ पाछें तो वो करसी सो उणने होय, पिण लाडू खवायां धर्म नहीं कोय । लाडू खवायां तो एकान्ति पाप, श्रीजिन मुखसे भाल्यो छै आप ॥

आगे धर्म करेगा इसलिये चर्तमान में उसके लिये साध्य के प्रतिकूल साधन का प्रयोग किया जाय, यह युक्तिसंगत नहीं। दया उपादेय तत्त्व है। अहिंसा का पालन वही कर सकता है, जिसका मन दया से भीगा हुआ हो। पर साधन की विकृति से दया भी विकृत बन जाती है। एक आदमी मूली खा रहा है। दूसरे के मनमें मूली के लीबों के प्रति दया उत्पन्न हुई। उसने बल-प्रयोग किया और जो मूली खा रहा था उसके हाथ से छीन ली। दया का यह साधन शुद्ध नहीं है। हिंसक वही होता है जो हिंसा करे, जिसके मनमें हिंसा का भाव हो; और अहिंसक भी वही होता है जो अहिंसा का पालन करे; जिसके मनमें अहिंसा का भाव हो। बलात् किसी को हिंसक या अहिंसक नहीं बनाया जा सकता। भोग धर्म नहीं है, यह जानकर यदि कोई बलात् किसी के भोगों का विच्छेद करता है, तो वह अधर्म करता है^१।

जिसके मन में दया का भाव उठा, उसके लिये दया का साधन है उपदेश। और जिसके लिये दया का भाव उत्पन्न करना है उसके लिये दया का साधन है हृदय-परिवर्तन। आत्मवादी का साध्य है मोक्ष—आत्मा का पूर्ण विकास। उसके साधन हैं सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र^२। अज्ञानी को ज्ञानी, मिथ्या दृष्टि को सम्यक्दृष्टि और असंयमी को संयमी बनाना साध्य के अनुकूल है^३।

१-ब्रताव्रत ढाल १ गा० ३३, ३४ :

मूला गाजर नें काचो पांणी, कोइ जोरी दावें लें खोसी रे ।
जे कोइ बस्त छोड़ावें बिना मन, इण विध धर्म न होसी रे ॥
भोगीना काँइ भोगज रुँधें, बलें पाडें अन्तरायो रे ।
माहा मोहणी कर्मज बांधें, दसाश्रुतखंध माहि बतायो रे ॥

२-(क)-तत्त्वार्थ सूत्र ११

सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राण मोक्षमार्गः

(ख)-अणुकम्पा ढाल ४ गा० १७ :

ग्यान दर्शन चारित्र तप बिना, और मुक्ति रो नहीं उपाय हो ।
छोड़ा मेला उपगार संसार ना, तिणथी सदगति किण विध जाय हो ॥
३-अणुकम्पा ढाल ४ गा० १६-२० :

अग्यानी रो ग्यानी कीयां थकां, हुबो निश्चें पेलारो उधार हो ।
कीयों मिथ्याती रो समकती, तिण उत्तारीयों भवपार हो ॥
असंजती नें कीयों संजती, ते तो मोक्ष तणा दलाल हो ।
तपसी कर पार पोहचावीयों, तिण मेटया सर्व हवाल हो ॥

यह साध्य और साधन की संगति है। इनकी विसंगति तब होती है जब या तो नाध्य अनात्मिक होता है या साधन। यदि कोई व्यक्ति जीवों को मारकर; मृत बोलकर, चोरी कर, मैथुन सेवन कर और घन देकर इसी प्रकार अठारह पापों का सेवन कर जीवों की रक्षा करता है, तो यह जीव-रक्षा का सही तरीका नहीं है। यदि हिंसा के द्वाय जीव-रक्षा करने में योद्धा पाप और बहुत धर्म हो, थोड़े या छोटे जीव मारे जायें वह योद्धा पाप और बहुत या बड़े जीवों की रक्षा हुईं वह बहुत धर्म हो तो फिर असत्य आदि सभी अजूत्य कायों के द्वाय ऐसा होगा। हिंसा के द्वारा जीव-रक्षा करने में पाप और धर्म दोनों मानें जायें तथा शेष अजूत्य कायों के द्वारा जीव-रक्षा करने में कोरा पाप माना जाय यह न्याय नहीं है:

एक जीव को मार दूसरे जीव की रक्षा करना, यह सूत्र में कहीं नहीं कहा गया है। यह भगवान् की वाणी नहीं है^३।

अशुद्ध साधन की आलोचना करते हुए म० गांधी ने लिखा है—“यह तो कहीं नहीं लिखा है कि अहिंसाचारी किसी को मार डाले। उसका रास्ता तो विलकुल सीधा है। एक को चाने के लिये वह दूसरे की हत्या नहीं कर सकता^३।” चेन-धर्म की दया का रहस्य है—दुष्प्राचारी को समझा-नुसाकर

१-अणुकम्पा ढाल ७ गा० २१-२४ :

जीव मारे मृत बोलने, चोरी करने हो पर जीव बचाय।
बले करे अकार्य एहंवा, मरता राख्या हो मैथुन सेवाय॥
घन दे राखें पर प्राण नें, क्रोधादिक हो अठारें सेवाय।
ए सावद्य कांम पोरं करी, पर जीवानें हो मरता राखें ताय॥
जों हिंसा करे जीव राखीयां, तिण में होसी हो धर्म नें पाप दोय।
तों द्रम अठारंड जांणज्ञों, ए चरचा में हो विरलो समझें कोय॥
जों एकण में मिथ्र कहें, सतराँ में हो भाषा बोलें और।
दंधी सरथा रो न्याय मिलें नहीं, जब उलटी हो कर उठे झोड़॥

२-अणुकम्पा ढाल ७ गा० २५ :

जीव मारें जीव राखणा, सुत्तर में हो नहीं भगवंत बैण।

दंधों पंथ कुगुरे चलावोयो, सुव न सूर्क्ष हो फूटा अन्तर नेण॥

३-हिन्दू स्वराज्य पृ० ७५-७६

सदाचारी किया जाय। यदि कोई चोर, हिंसक, व्यभिचारी है तो उसे उपदेश देकर अधर्मी से धर्मी बनाया जाय।^१

महात्मा गांधी के शब्दों में उसका (अहिंसक का) कर्तव्य तो सिर्फ विनश्चाता के साथ समझाने-तुम्हाने में है^२। यदि एक अशुद्ध साधन का प्रयोग किया जाय तो फिर नियन्त्रण की शुखला ढीली हो जाती है।

आचार्य भिष्म ने इस तथ्य को इन शब्दों में व्यक्त किया है—“दो वेस्याएँ कसाईखाने में गईं, जीवों का संहार होते देख उनका मन अनुकम्पा से भर गया। दोनों ने दो हजार जीवों को बचाने का संकल्प किया। एक ने अपने आभूषण दिये और जीवों की रक्षा की, और दूसरी ने अनाचार का सेवन किया और जीवों की रक्षा की। आभूषण देकर जीवों की रक्षा करना, यह अहिंसा का शुद्ध साधन नहीं है। यदि इसे प्रयोजनीय माना जाय तो अनाचार सेवन कर जीवों की रक्षा करने को अप्रयोजनीय कहने का कोई तात्त्विक आधार नहीं रहता^३।

: ६ : धन से धर्म नहीं

धन से धर्म नहीं होता, यह बाणी साधन-शुद्धि की भूमिका पर ही आलोकित हुई। भगु ने अपने पुत्रों से कहा था—जिनके लिये लोग तप

^१-अणुकम्पा ढाल ५ गा० ५ :

चोर हिंसक ने कुसीलीया, यारें ताँई रे दीधो साधा उपदेस।
त्याँनें सावद्य रा निरबद कीया, एहवो छे हो जिण दुया धर्म रेस ॥

^२-हिन्द स्वराज्य पृ० ७६

^३-अणुकम्पा ढाल ७ गा० ५१-५४ :

दोय वेस्या कसाइ बाडें गईं, करता देख्या हो जीवांरा संघार।
दोनूं जण्यां मतो करी, मरता राख्या हो जीव एक हजार ॥
एकण गेंहणो देइ आपणों, तिण छडाया हो जीव एक हजार।
दूजी छोडाया इण विधें, एकां दोयां हो चोथो आश्रव सेवार ॥
एकणनें पापंडी मिश्र कहें, तो दूजी नें हो पाप किण विध होय।
जीव वरोवर बचावीया, फेर पढीयों हो ते तों पापमें जोय ॥
एकण सेवायो आश्रव पांचमों, तो उण दूजो हो चोथो आश्रव सेवाय।
फेर पढ़यों तों इण पाप में, धर्म होसी हो ते तो सरीषो थांय ॥

जलते हैं वे धन, स्त्रियां, स्वजन और काममोग तुम्हारे अबीन हैं, किर किस-
लिए तुन तप जला नाइते हों ।

दृगु पुत्रों ने कहा—पिता ! धर्मान्वयण में धन, स्त्री, स्वजन और काम-
मोगों का क्या प्रयोगन है ? धर्म की आराधना में इनका कोई अर्थ नहीं है ।
इम अमग बर्नेंगे और अप्रतिवृद्ध विद्वानी होकर धर्म की आराधना करेंगे ।

आचार्य मिश्र ने इनी को आवार भानकर कहा—देव, गुरु और धर्म
ये तीनों अनमोल हैं । इन्हें धन से खरीदा नहीं जा सकता । जो धन के द्वारा
नोक्षण भी आराधना बताते हैं, वे लोगों को फ़ल्दे में डालते हैं । उस समय
देसी परम्परा हाँ चली थी कि जैन लोग कठाइन्डाने में जाते और कठाइयों
को धन देकर बदरों को ‘अमरिया’ करवाते—छुड़वाते । आचार्य मिश्र ने इस
परम्परा की इन्द्रिये आचार्यना की कि यह देवा का नहीं तरीका नहीं है ।
उन्होंने कहा—कलाइ को सनसा-तुझाकर हिंसा से विरत किया जाए, देवा का
नहीं लाधन कही है ।

चिन्तन की दो धाराएँ हैं—छौकिक और आव्यात्मिक । छौकिक धारा का
जो तात्पर्य है वह आव्यात्मिक धारा का नहीं है और नाधन भी दोनों के
मिल है । पहली का तात्पर्य है जीवन का अनुदय, और दूसरी का तात्पर्य है
आत्मा की मुक्ति । अन्युदय नदायों की दृष्टि से होता है और मुक्ति उनके
स्थान से होती है । अन्युदय का नाधन है परिश्रद्ध । यस्त्रिह के लिये हिंसा

१-उत्तराध्ययन-१४।१६

धर्णं पमूर्यं सद् इस्तिव्याहि॑ स्तवणा तदा कामगुणा पगामा ।

दत्तं क्षणं तप्पद् जस्त लोगो तं सत्वंसाहीणमिहेव तु वर्मं ॥

२-उत्तराध्ययन-१४।१७

वर्णेण कि॒ वस्तुवुराहिगारे॑ स्तवणेण वा कामगुणेहि॑ चेव ।

स्तमणा भविल्लासु॑ तुगांहवारी॑, वर्द्धिविहारा॑ अभिगम्नम् भिस्त्वं ॥

३-अणुक्लना दाल ७ गा० ३३-३४ :

त्रिविवे॑ त्रिविवे॑ छक्काय॑ हणवी॑ नहीं॑, एहवी॑ छै॑ हो॑ भगवत्त री॑ वाय॑ ।

मोल छीयां॑ धर्मं कहै॑ नोश्वरो॑, एफ़ंद मांडयो॑ हो॑ कुनुरां॑ कुवद॑ चलाय॑ ॥

देवगुरु॑ धर्मं रतन तीनूं॑, सुत्तर में॑ हो॑ जिण भाष्या अमोल॑ ।

मोल छीयां॑ नहीं॑ नोपज्जे॑, साची॑ सरवो॑ हो॑ आंख॑ हियारी॑ खोल॑ ॥

करनी होती है। मुक्ति का साधन है त्याग। ममत्व का त्याग, पदार्थ का त्याग और अन्त में शरीर का त्याग। त्याग और अहिंसा में उतना ही सम्बन्ध है, जितना योग और हिंसा में है। यदि हम दोनों धाराओं के साध्यों और साधनों को अलग-अलग समझते हैं, तो हम बहुत सारी उलझनों से बच जाते हैं और उन्हें मिश्रित दृष्टि से देखते हैं तो हम उलझ जाते हैं और धर्म विकृत हो जाता है।

आचार्य भिक्षु ने कहा—धर्म के साधन दो ही हैं—संवर और नर्जरा या त्याग और तपस्या। यदि धन के द्वारा धर्म होता तो महावीर की धर्म-देशना विफल नहीं होती! भगवान् को वैशाख शुक्ला १० को केवल-ज्ञान उत्पन्न हुआ। समा में केवल देवताओं की उपस्थिति थी, मनुष्य कोई नहीं था। भगवान् ने धर्म देशना दी। देवताओं ने धर्म अंगीकार नहीं किया। कोई साधु या श्रावक नहीं बना, इसलिए माना जाता है कि भगवान् की पहली देशना विफल हुई^१। यदि धन से धर्म होता तो देवता भी धर्म कर लेते। भगवान् की बाणी को विफल नहीं होने देते। देवताओं से व्रतों का आचरण होता नहीं और धन से धर्म नहीं होता, इसलिए भगवान् की बाणी विफल हुई^२।

भगवान् की बाणी तब सफल हुई जब मनुष्यों ने ब्रत ग्रहण किया, साधु और श्रावक बने।

धन उपकार का साधन है पर आध्यात्मिक उपकार का साधन बनने की क्षमता उसमें नहीं है। कोई समर्थ व्यक्ति किसी दरिद्र को धन देकर सुखी बना देता है, यह सांसारिक उपकार है। सांसारिक उपकार से संसार की परम्परा

१-अणुकर्म्पा ढाल १२ दू० ५ :

देवतां आगें वाणी वागरी, थित साच्चवता कांम।
कोइ साध श्रावक हुवो नहीं, तिणसू वाणी निरफल गई आंग॥

२-अणुकर्म्पा ढाल १२ दू० ६, ७ :

जो धन थकी धर्म नीपजें, तो देवता पिण धर्म करतं।
वीर वाणी सफली करे, मन माहें पिण हरप धरतं॥
चरत पचखाण न हुवें देवतां थकी, धन सूं पिण धर्म न थाय।
तिणसू वीर वाणी निरफल गई, तिणरो न्याय सुणो चित्त ल्याय॥

चलती है और आवासिक उपकार से संसार का अन्त होता है अर्थात् मुक्ति होती है। साव्य वही सबता है किसे अनुकूल साधन मिले ।

कोइ लाजों द्वये देख नहते हुए जीवों को छुड़ाता है, वह संसार का उपकार है। यह आपका निशाया हुआ वर्म नहीं है। इससे आत्मनुकिं नहीं होती ।

आचार्य मिश्र के चिन्तन का निचोड़ यह है कि पश्चिम, बल-प्रयोग और अनुनाम का अनुनोदन—ये अहिंसात्मक तत्त्व नहीं हैं इत्यादि ये मोक्ष के साधन भी नहीं हैं।

अभिग्रह, हृदय-पश्चिम और संयम का अनुनोदन—ये अहिंसात्मक तत्त्व हैं, इन्हिए ये नोक्र के साधन हैं।

आचार्य मिश्र ने अहिंसा या दया के बारे में लो चिन्तन दिया, वह बहुत ही विशाल है। उसके कई पहले हैं। पर उनका मुख्य पहल या साव्य-साधन की चर्चा है। आचार्य मिश्र के उम्मेद चिन्तन को हम एक शब्द में बांधता चाहें तो उसे “साव्य-साधनवाद” कह सकते हैं।



१-अणुकूल्या द्वाडश ११ गाँ० ३-५

संसार क्षणों उपगार करें छें, तिणरें निश्चेंद्र संसार बधतो जांणों ।
मोक्ष न्यणों उपगार करें छें, तिणरे निश्चेंद्र नेहीं दीसे निरवाणों ॥
कोइ दृष्टदरी जीवनें घनवन्त कर दें, नव जातरो परियहो देव भरपूर ।
बले विविध प्रकारे साता उपजावें, उणरो जावक दृष्टदर कर दें दूर ॥
छकाय रा शत्र जीव इविरती, त्वांरी साता पृथीनें साता उपजावें ।
त्वांरी करें वीयावच विविध प्रकारें, तिणरें तीर्थंकरदेव तों नहीं सरावें ॥

२-त्रिवाक्रत द्वाडश १२ गाँ० ५

कोइ जीव छुड़ावें लाजां दाम दें, ते तो आपरो सीखावों नहीं वर्म हो।
ओ तो उपगार संसार न्यों, तिणसूं कठता न जाण्यां आप कर्म हो ॥

अध्याय ४

मोक्ष-धर्म का विशुद्ध रूप

: १ : चिन्तन के निष्कर्ष

जितना प्रयत्न पढ़ने का होता है उतना उसके आशय को समझने का नहीं होता । जितना प्रयत्न लिखने का होता है उतना तथ्यों के यथार्थ संकलन का नहीं होता । अपने प्रति अन्याय न हो, इसका जितना प्रयत्न होता है, उतना दूसरों के प्रति न्याय करने का नहीं होता । गहरी दुवकी लगानेवाला गोताखोर जो पा सकता है, वह समुद्र की झाँकी लगानेवाला नहीं पा सकता ।

आचार्य भिक्षु के विचारों की गहराई विहर्गावलोकन से नहीं मापी जा सकती । उन्होंने जो व्याख्याएँ दीं वे व्यावहारिक जगत् को कैसी ही क्यों न लगी, पर उनमें वास्तविक सच्चाई है । दृष्टान्त और निगमन—तत्त्व को सरल ढंग से समझाने के लिये होते हैं । इनका प्रयोग मन्द बुद्धिवालों के लिये होता है । इनके द्वारा उलझने भी बढ़ती हैं । सिद्धान्त की रोचकता और भयानकता जैसी इनके द्वारा होती है, वैसी उसके स्वरूप में नहीं होती ।

पक्ष और विपक्ष दोनों कोटि के दृष्टान्तों को छोड़कर सिद्धान्त की आत्मा का स्पर्श किया जाय, तो आचार्य भिक्षु की सिद्धान्त बाणी के मौलिक निष्कर्ष ये हैं :

- (१) धर्म और अधर्म का मिश्रण नहीं होता ।
- (२) अशुद्ध साधन के द्वारा साध्य की प्राप्ति नहीं होती ।
- (३) वहों के लिये छोटे जीवों का धात करना पुण्य नहीं है ।
- (४) गृहस्थ और साधु का मोक्ष धर्म एक है ।
- (५) अहिंसा और दया सर्वथा एक हैं ।
- (६) हिंसा से धर्म नहीं होता ।

(७) लौकिक और आध्यात्मिक धर्म एक नहीं है ।

(८) आवश्यक हिंसा अहिंसा नहीं है ।

२ : मिथ्र धर्म

कहें दार्शनिकों की मान्यता है कि वनस्पति आदि एकेन्द्रियवाले जीवों के घात में जो पाप है, उससे कहें गुणा अधिक पुण्य मनुष्य आदि वडे प्राणियों के पोषण में है । एकेन्द्रिय की अपेक्षा पञ्चेन्द्रिय जीव बहुत भाग्यशाली है । अतः वडे जीवों के सुख के लिये छोटों का घात करने में दोष नहीं है^१ ।

किन्तु हिंसा की करणी में दया नहीं हो सकती और दया की करणी में हिंसा नहीं हो सकती । इस प्रकार धूप और ढाँह मिट्ठ हैं उसी प्रकार दया और हिंसा भिन्न है^२ ।

दूसरी बतुखों में मिलावट हो सकती है, परन्तु दया में हिंसा की मिलावट नहीं हो सकती । पूर्व और पश्चिम के मार्ग कैसे मिल सकते हैं^३ ?

विद्व जी व्यवस्था बहुत विचित्र है । इसमें मिलने और विद्युद्धने की व्यवस्था भी है । सब तत्त्व नहीं मिलते-विद्युद्धते हैं । केवल पुट्टगल ही एक ऐसा द्रव्य है जो मिलता है, विद्युद्धता है ।

दूसरे महायुद्ध के बाद मिलों की मात्रा बढ़ी है । यातायात की सुविधाएँ बढ़ी हैं । पर्यटन बढ़ा है । एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से अधिक मिलते-जुलते हैं । यह मिलन ही नहीं बढ़ा है, किन्तु वैसा मिलन भी बढ़ा है जो नैतिकता और स्वास्थ्य दोनों के लिये हानिकर है । खाद्य में मिलावट होती है, दूध में, धी में, औपचिं भी न जाने किन-किन पदार्थों में क्या-क्या मिलाया जाता है ।

१-अणुकम्पा ढाल ह गा० १६-२० :

कैहै कहें म्हें हणां एकेंद्री, पर्चिन्द्री जीवां रे ताहैं जी ।

एकेंद्री मार पर्चिन्द्री पोज्यां, धर्म घणां तिण मांहि जी ॥

एकेंद्री थी पर्चिन्द्रीना, सोटा घणा पुन भारी जी ।

एकेंद्री मार पर्चिन्द्री पोज्यां, म्हांनें पाप न लागें लिगारी जी ॥

२-अणुकम्पा ढाल ह गा० ७० :

हिंसा री करणी में दया नहीं छें, दयारी करणी में हिंसा नाहीं जी ।

दया नें हिंसा री करणी छें न्यारी, झ्यूं तावडो नें छांही जी ॥

३-अणुकम्पा ढाल ह गा० ७१ :

और वस्त में भेल हुवें पिण, दया में नहीं हिंसा रो भेलो जी ।

झ्यूं पूर्व ने पिछ्रम रो मारग, किण विध खायें भेलो जी ॥

आचार्य मिक्षु के जमाने में मिलावट का यह प्रकार नहीं था । खाद्य शुद्ध मिलता था । धी भी शुद्ध मिलता था । औपचि लेनेवाले लोग कम थे । दूध में पानी मिलाने की प्रथा कुछ पुरानी है पर आज जैसी व्यापक शायद नहीं थी । ऐसा क्यों होता है ? यह प्रश्न है और इसलिये महत्वपूर्ण है कि धर्मप्रधान देशमें ऐसा क्यों होता है ? यहाँ इसकी लम्बी चर्चा में नहीं जाना है । संक्षेप में हतना ही बस होगा कि जब स्वार्थ धर्म पर हावी हो जाता है तब ऐसा होता है, जब धर्म रुद्धि बन जाता है तब ऐसा होता है, और जब धर्म पूजा जाता है तब ऐसा होता है ।

आचार्य मिक्षु के सामने धर्म और अधर्म की मिलावट का प्रश्न था । यह प्रश्न कोई नया नहीं था । याजिक लोग यह में धर्म और पाप दोनों मानते थे । उनका अभिमत यह रहा कि दक्षिणा देने में पुण्य होता है । और पश्च वध में पाप^१ । यह में पाप थोड़ा होता है और पुण्य अधिक । कई जैन भी मानने लगे कि दया की भावना से जीवों को मारने में पाप और धर्म दोनों होते हैं । वह जीव पर दया होती है यह धर्म और छोटे जीव की धात होती है वह पाप है । धर्म अधिक होता है और पाप थोड़ा, यह मिश्र दया है^२ ।

असंवयित को दान देने में धर्म-अधर्म दोनों होते हैं । यह मिश्रदान का सिद्धांत है^३ । खाद्य-पेय में मिलावट का विरोध अनुब्रत के माध्यम से आचार्य श्री तुलसी कर रहे हैं । धर्म और अधर्म की मिलावट का विरोध तेरापन्थ के माध्यम से आचार्य मिक्षु ने किया । उन्होंने कहा—प्रवृत्ति के स्रोत दो हैं—रागद्वेषात्मक भाव—और वैराग्य भाव । पहले स्रोत से प्रवाहित प्रवृत्ति असम्यक् या अधर्म और दूसरे स्रोत से प्रवाहित प्रवृत्ति सम्यक् या धर्म कहलाती है^४ । अधर्म और धर्म की करनी अलग-अलग है । अधर्म

१-सांख्य तत्त्व कौमुदी पृ० २८,३१

२-निहवरास ढाल ३ दू० २

कहें दया आंण नें जीव मारीयां, हुवें छें धर्म नें पाप ।

ए करम उदे पंथ काढीयो, भगवंत वचन उथाप ॥

३-निहवरास गा० १४५ :

एक करणी करें तेह में, नीपनों कहें छें धर्म नें पाप के ।

एहवी करें छें परूपणा, मिश्र दान री कीधी छें थाप के ॥

४-ब्रताब्रत ढा० १२ दू० २ :

दोय करणी संसार में, सावद्य निरवद्य जाण ।

निरवद करणी में जिण आगना, तिण सूं पामें पद् निरवाण ॥

करने से धर्म नहीं होता और धर्म करने से अधर्म नहीं होता^१। एक करनी में दोनों नहीं हो सकते^२। धर्म और अधर्म ये ही मार्ग हैं। तीसरा कोई मार्ग नहीं है^३।

दो ज्ञान एक साथ नहीं हो सकते। एक व्यक्ति नदी के लल में खड़ा है। सिर पर धूप है। पैरों को टंडक लग रही है और सिर को गर्भी की धूप और लल का संयोग सतत है। पर सर्दी और गर्भी की अनुभूति सतत नहीं होती। जिस समय गर्भी की अनुभूति होती है, उस समय सर्दी की नहीं होती और जिस समय सर्दी की होती है, उस समय गर्भी की नहीं होती।

योग्यता की दृष्टि से मनुष्य पाँच इन्द्रियवाला होता है। एक काल में वह एक ही इन्द्रिय से जानता है। जब एक आदमी सज्जा लट्टू खाता है, तब उसे चब्द भी सुनायी देता है, उसे देखता भी है, उसकी गंध भी आती है, रस भी चाहता है। लगता है पाँचों की जानकारी या अनुभूति एक साथ हो रही है। परन्तु ऐसा होता नहीं। इन सबका काल मिल होता है। दो ज्ञान एक साथ नहीं हो सकते। दो क्रियाएँ एक साथ ही सकती हैं, किन्तु अविरोधी हीं तो। दो विरोधी क्रियाएँ एक साथ नहीं हो सकतीं। दो प्रकार के विचार एक साथ नहीं हो सकते।

सम्बूद्ध और असम्बूद्ध दोनों क्रियाएँ एक साथ नहीं हो सकतीं। अहिंसा और हिंसा, धर्म और अधर्म का आचरण एक साथ नहीं किया जा सकता। सांसारिक उपकार सांसारिक व्यवस्था का मार्ग है। आत्मिक उपकार मोक्ष की साधना का मार्ग है। मिथ्या दृष्टि इन दोनों को एक मानता है, सम्यग्दृष्टि इनको अलग मानता है^४।

१-त्रितात्रत ढा० ११ गा० ३२ :

पाप अठारें सेव्यां एकतं पाप, ते सेव्यां नहीं धर्म होयो रे।
पाप धर्म री करणी छें न्यारी, पिण मिश्र करणी नहीं कोयो रे॥

२-निहवरास ढा० ३ दू० ३ :

पाप कोयां धर्म न नीपजें, धर्म यी पाप न होय।
एक करणी में दोय न नीपजें, ए संका म आणो कोय॥

३-अद्वा आचार की चौपहे ढा० १ गा० १०५ :

धर्म अधर्म मारग द्वौय छें रे, पिण तीजो पंथ न कोय रे।
तीजो मिश्र मिथ्याती भूठो कहें रे, आप द्वौय ओरां ने द्वौय रे॥

४-अनुकम्पा ढा० ११ गा० ५२ :

संसार नें मोग्न तणा उपगार, समद्विष्टी हुवें ते न्यारा न्यारा जांगे।
पिण मिथ्यातीनेंखवर पढ़े नहीं सूधी, तिण सूँ मोह कर्म वस उंधी तांगे॥

: ३ : धर्म की अविभक्तता

अमृत सबके लिये समान है। छाठी खींचतान मत करो^१।

मुक्ति का मार्ग सब के लिये एक है। सुसुखमाव गृहस्थ में भी रहता है और मुनि में भी। मुनि गृहवास को छोड़ सर्वारम्भ से विरत रहता है, इसलिये वह मोक्ष-मार्ग को आराधना का पूर्ण अधिकारी होता है। एक गृहस्थ गृहवास में रहकर सर्वारम्भ से विरत नहीं हो पाता, इसलिये वह मोक्ष-मार्ग की आराधना के पथ का एक सीमा तक अधिकारी होता है। किन्तु किन्तु मोक्ष-मार्ग की आराधना का पथ दोनों के लिये एक है^२। अन्तर है केवल मात्रा का। साधु और शावक दोनों रक्तों की मालाएँ हैं—एक बड़ी और दूसरी छोटी^३। साधु और शावक दोनों लहू हैं एक पूरा और दूसरा अधूरा। साधु केवल ब्रती होता है और शावक ब्रतावती। ब्रत की अपेक्षा से साधु केवल रक्तों की माला है। शावक ब्रत की अपेक्षा से रक्तों की माला है, और अव्रतों की अपेक्षा वह कुछ और भी है। साधु के लिये अहिंसा महाब्रत है और शावक के लिये अहिंसा अणुब्रत है। अणुब्रत महाब्रत का ही एक लघु रूप है, उससे अतिरिक्त नहीं है। मोक्ष की आराधना के लिये जो साधु करता है या कर सकता है, वही कार्य एक शावक के लिये करणीय है। जो कार्य साधु के लिये करणीय नहीं है, वह मोक्ष मार्ग की आराधना के लिये शावक के लिये भी करणीय नहीं है। शावक अवती भी होता है, इसलिये समाज-व्यवस्था की दृष्टि से उसके लिये वैसा भी करणीय होता है, जो एक साधु के लिये करणीय नहीं होता।

१-अनुकर्म्या ढा० २ दू० ३ :

साध श्रावक दोनूँ तणीं, एक अणुकंपा जाण।

इमरत सहू नें सारिषों, कूड़ी मत करों ताण॥

२-ब्रताव्रत ढा० १ गा-२८

साध श्रावक नो एकज मारग, दोय धर्म बताया रे।

ते पिण दोनूँ आज्ञा माहे, मिश्र अणहूँतो ल्याया रे॥

३-ब्रताव्रत ढा० १ गा-१

साध नें श्रावक रतनां री माला, एक मीटी दूजी नानी रे।

गुण गुंध्या च्यारुं तीर्थ नां, इविरत रह गइ कानी रे॥

चावु के लिये हिंसा उर्वशा अकरणीय है, मोक्ष की दृष्टि से आवक के लिये भी वह उर्वशा अकरणीय है। किन्तु आवक कोरा मोक्षार्थी नहीं होता अर्थ और काम का भी अर्थी होता है। अर्थ और काम मोक्ष के साधन नहीं हैं। मोक्ष के प्रति तीव्र मनोमान किसी एक व्यक्ति में होता है और जिसके बहु होता है, उसके लिये मोक्ष के प्रतिकूल जो भी है वह करणीय नहीं रहता। किन्तु जिनका मनोमाव मोक्ष के प्रति इतना तीव्र नहीं होता, वे मोक्ष के बावजूद कायों को भी करणीय मानते हैं। मोक्ष में बाबा आए वह उनकी चाह न भी हो किन्तु मोह का ऐसा उदय होता है कि वे मोक्ष के बावजूद कायों को छोड़ने में अपने को असमर्थ पाते हैं। असामर्थ के कारण वे जीवन का जो मार्ग चुनते हैं उनमें उनके करणीय कायों की सीमा विस्तृत हो जाती है। मोक्ष का साधन धर्म है, हिंसा में धर्म नहीं है भले ही फिर वह आवश्यक हो। आनन्द अप्पु ने कहा—प्रयोगनवच या निप्रयोगन किसी भी प्रकार से हिंसा की जाय उससे हित नहीं होता। जो धर्म के लिये हिंसा को आवश्यक मानते हैं, उनका बोधि-बीज—सुन्यकृ दृष्टिकोण ही लुप्त हो जाता है¹।

महात्मा गांधी ने आवश्यक हिंसा के विषय में लिखा है—किसान जो अनिवार्य हिंसा करता है उसे मैंने कभी अहिंसा में गिनाया ही नहीं है। यह बब्र अनिवार्य होकर क्षम्य भले ही गिना जाय किन्तु अहिंसा तो निश्चय ही नहीं है²।

: ४ : अपना-अपना दृष्टिकोण

जोइं सुइं की नोक में रस्ता पिरोये वह आगे कैसे पैठे ?
चैते ही जोइं आइमी हिंसा में धर्म बताये वह त्रुदि में कैसे उमाये³ ?
जो जीवों की हिंसा में धर्म बतलाते हैं वे जीवों के प्राणों की चोरी

१-अणुकल्पा ढा० ६ गा० ४८ :

अर्थ अनर्थ हिंसा कीधाँ, अहेत रो कारण तासो जी।

धर्म रें कारण हिंसा कीधाँ, बोध बीज रो नासो जी॥

२-अहिंसा पू० ५०

३-साध्वाचार चौपहू ढा० ६ गा० २८ :

सूई नाङ्गे सिवर पावे, कहो किम आगो पेसे।

खूं हिंसा माँहे धर्म पह्से, ते सालो साल न वेसे रे

करते हैं। वे भगवान की आशा का लोपकर तीसरे ब्रत का विनाश करते हैं^१।

कुछ लोग कहते थे—धर्म के लिये हिंसा की जाय, वह विहित है। आचार्य मिशु ने कहा—देव, गुरु और धर्म के लिये हिंसा करनेवाला मूढ़ है—वह विन-मार्ग के प्रतिकूल जा रहा है। वह कुरुरुष के बाल में फँसा हुआ है^२।

जो सम्यक्‌दृष्टि होता है, वह धर्म के लिये हिंसा नहीं करता^३। जैसे लहू से भरा हुआ पीताम्बर लहू से साफ नहीं होता वैसे ही हिंसा से होनेवाली मलीनता हिंसा से नहीं छुलती^४।

कुछ लोग कहते थे—धर्म के लिये जीव मारने में पाप इसलिये नहीं है कि उस समय मन शुद्ध होता है। मन शुद्ध हो तब जीव मारने में हिंसा नहीं है।

आचार्य मिशु ने कहा—जान वूफ़ कर प्रथलपूर्वक जीवों को मारने वालों के मन को शुद्ध बतलाते हैं और अपने आप को जैन भी कहते हैं यह कितने आश्चर्य की बात है^५ !

१-अनुकम्पा ढा०६ गा०३२ :

ज्यां जीवां नें मार्यां धर्म पर्यो, त्यां जीवां रो अदृत लागो जी ।
बले आगना लोपी श्रीअरिहंतनी तिण सूँ तीजोऽ महावरत भागोजी ॥

२-ब्रताब्रत ढा० १ गा० ३५ :

देव गुर धर्म नें कारण, मुढ हणे छ कायो रे ।
उलटा परीया जिण मार्ग थी, कुर्गारां दीया बैहकायो रे ॥

३-ब्रताब्रत ढा० १ गा० ३७ :

बीर कहो आचारंग मांहे, जिण ओलखीयो तत सारो रे ।
समद्विधी धर्म नें कारण, न करें पाप लिगारो रे ॥

४-ब्रताब्रत ढा० १ गा० ३८ :

लोही खरड्यो जो पितंवर, लोही सुं केम धोवायो रे ।
तिम हंसा में धर्म कीयां थी, जीव उजलो किम थायो रे ॥

५-ब्रताब्रत ढा० ८ दू०३ :

जीव मारें छें उदीर नें, तिणरा चोखा कहें परिणाम ।
ते बिवेक विकल सुधवुध चिना, बले न्यानी धरावें नाम ॥

कुछ लोग कहते थे—जीवों को मारे विना धर्म नहीं होता । शुद्ध मन से जीवों को मारने में दोष नहीं है^१ ।

कुछ लोग कहते थे—जीवों को मारे विना मिश्र नहीं होता, जीव मरते हैं, उसका थोड़ा पाप होता है, पर दूसरे वडे जीवों को तृप्ति मिलती है, यह धर्म है^२ ।

आचार्य भिक्षु ने कहा—धर्म या मिश्र करने के लिये जीवों के प्राण भी रुक्टते हैं और मन को शुद्ध भी ब्रतलाते हैं । यह केसी विडम्बना है^३ ।

दुनिया में मात्स्य न्याय चल रहा है । वडी मछली छोटी मछली को खाती है, वैसे ही वडे जीव छोटे जीवों को खा रहे हैं । जाना स्वाभाविक सा है, पर इस कार्य में धर्म ब्रतलाते हैं, उनमें सुवृद्धि नहीं^४ ।

नीति शास्त्र कहता है—जब स्वभाविक प्रवृत्ति और औचित्य में विरोध होता है, तभी कर्तव्यता की आवश्यकता होती है और कर्तव्य शास्त्र का निर्माण ऐसी ही स्थिति में होता है । यदि मनुष्य का कर्तव्य वही मान लिया जाय, जिसकी ओर मनुष्य की सहज प्रेरणा है, तो कर्तव्य अकर्तव्य के निर्णय की अपेक्षा ही नहीं रहेगी^५ ।

वडे जीवों में छोटे जीवों का उपयोग करने की सहज प्रवृत्ति है, पर इसमें औचित्य नहीं है, इसलिये वह अकर्तव्य है ।

१-ब्रतान्त्र ढाठ १२ गा-३४ :

कैर्ह कहे जीवा ने मारया विना, धर्म न हुवे तांम हो ।
जीव मारया रो पाप लागें नहीं, चोखा चाहीजें निज परिणाम हो ॥

२-ब्रतान्त्र ढाल १२ गा-३५ :

कई कहे जीव मारया विना, मिश्र न हुवे छें तांमहो ।
पिण जीव मारण रो सान्ती करे । ले ले परिणाम रो नांमहो ।

३-ब्रतान्त्र ढाल १२ गा-३६ :

कैर्ह धर्म ने मिश्र करवा भणी, छ कायरो करें धमसांग हो ।
तिणरा चोखा परिणाम किहां थकी, पर जीवांरा लूटें छें प्राण हो ॥

४-अणुकम्पा ढाल ७ दु१ :

मछ गलागल लोक में, सबला ते निवला नें खाय ।

तिण माँहें धर्म पस्तीयों, कुगुरां कुवुद्ध चलाय ॥

५-नीतिशास्त्र-पृ० १६६

कुछ लोग कहते थे—जीवों को जिलाना धर्म है ।

आचार्य भिक्षु ने कहा—जो साधु हैं, जिनकी लय मुक्ति से लग चुकी है, वे जीने मरने के प्रपञ्च में नहीं फँसते^१ ।

गृहस्थ ममता में बैठा है और साधु समता में । साधु धर्म और मुक्त ज्ञान में रत रहते हैं, इसलिये मृतोंकी चिन्ता में नहीं फँसते^२ । गृहस्थ में ममत्व छोता है इसलिये यह जिलाने का यत्न करता है और मृत व्यक्तियों की चिन्ता करता है ।

कुछ लोग कहते थे, जिसे उपदेश न दिया जा सके, अथवा समझाने पर भी जिसका हृदय न बदले, उसे हिंसा से बल-पूर्वक रोकना भी धर्म है ।

आचार्य भिक्षु ने कहा—एक के चौंदा मारना और दूसरे का उपद्रव मिटाना, यह रागद्वेष का कार्य है^३ ।

समाज में ऐसा होता है पर इसे धर्म की कोटि में नहीं रखा जा सकता । गृहस्थ जो कुछ करता है, वह धर्म ही करता है, ऐसा नहीं है । सामाजिक जीवन को एक अनात्मवादी भी सुचारू रूप से चला सकता है । समाज के क्षेत्र में दायित्व और कर्तव्य का वितना व्यापक महत्व है, उतना धर्म का नहीं । धर्म वैयक्तिक बस्तु है । व्यष्टि उसका परिणाम समाज पर भी होता है, पर उसका मूल व्यक्ति हित में सुरक्षित है । उसकी अराधना व्यक्तिगत होती है और वह व्यक्ति के ही पंचित्र हृदय से उत्पन्न होता है । अनात्मवादी की इष्टि में धर्म का कोई स्वतः सम्मत मूल्य नहीं होता ; जबकि समाज के प्रति होने वाले दायित्वों और कर्तव्यों का उनकी इष्टि में भी मूल्य होता है । इसलिये यह तर्क भी बहुत मूल्यवान् नहीं है कि समाज के लिये आवश्यक कर्तव्यों को धर्म का चोगा पहनाये जिना समाज-च्यवस्था सुन्दर ढंग से नहीं चल सकती । सम्भव है कभी ऐसा अनुभव किया गया हो, पर आजके बुद्धिवादी युग में ऐसा करना आवश्यक नहीं है ।

१-अणुकम्पा ढा० २-गा-४ :

जीवणों मरणों नहीं चावें, साधु व्याने वंधावे हुडावे ।
ज्यांरी लागी मुगत सूं ताली, नहीं करें तिके रुखवाली ॥

२-अणुकम्पा ढा० २-गा १२ :

गृहस्थ नो सरीर ममता में, साधु बेंठों समता में ।
रहा धर्म सुकल ज्ञान व्याई, मूर्खों गयांरी फिकर न काई ॥

३-अणुकम्पा ढा० ३ गा १७ :

एकण रे दे रे चपेटो, एकण रो उपद्रव मेटी ।
य तो राग द्वेषनो चालो, दूसरीकालक संभालो ॥

कुछ लोग कहते थे—हम जीवों की रक्षा के लिये उपदेश देते हैं, इससे बहुत जीवों को सुख होता है^३। आचार्य भिक्षु ने कहा—हम हिंसक को पाप से बचाने के लिये उपदेश देते हैं। एक व्यक्ति समझकर हिंसा को छोड़ता है, तब ज्ञानी जानता है कि इसे सुख मिला है; इनका जन्म-मरण का संकट टला है^२।

एक सेठ की दो पत्नियां थीं। एक धार्मिक थी और दूसरी धर्म का मर्म नहीं जानती थी। सेठ विदेश गया हुआ था। अकस्मात् वहीं उसकी मृत्यु हो गई। घर पर समाचार आया। एक पनी फूट-फूट रोने लगी। दूसरी पनी, जो धार्मिक थी, नहीं रोई। उसने सममाव रखा। जोग बहुत थाए। सबने देखा—एक पनी रो रही है, दूसरी शान्त है। लोगों ने उसे सराहा जो रो रही थी। जो नहीं रो रही थी उसकी निन्दा की। जो रोती है वह पतित्रता है, उसे पति के मरने का कष्ट हुआ है। यह पतित्रता नहीं है, इसे पति के मरने का कोइ कष्ट नहीं है, यह यह क्यों रोये? यह तो चाहती थी कि पति मर जाए, फिर इसके आँसू क्यों आये? संयोग वश साधु भी उधर से चले गये। उन्होंने उसे सराहा जो सममाव से बैठी थी। लौकिक दृष्टि से देखने वालों को वह अच्छी लग रही थी जिसकी आँखों में आँसू थे। लोको-चर दृष्टि से देखने वालों को वह अच्छी लग रही थी जिसकी आँखों में सममाव लहरा रहा था। यह अपना-अपना दृष्टिकोण है^३।

कोइ गृहस्थ किसी साथुसे ब्रत लेकर अपने घर जाने लगा। जीचमें दो नित्र मिले, एक ने कहा—जो ब्रत लिया है, उसे अच्छी तरह से पालना। दूसरे ने कहा—यदीर का ध्यान रखना, कुटुम्ब का प्रतिपालन करना। इन दोनों मित्रों

१-अणुकम्पा ढाल ५ गा० १६-१७ :

हिंवं कोइक अग्रांनी डम कहें, छ काय काजें हो द्यां छां धर्म उपदेश। एकण जीव नें समकावीयां, मिट जाए हो घणा जीवांरो कलेश॥ छ काय घरे साता हुड, एह्वो भापें हो अण तीरथी धर्म। तां भेद न पावो जिण धर्म रो, ते तो भूला हो उद्दें आयो मोह कर्म॥

२-अणुकम्पा ढाल ५ गा० १८-१९ :

हिंवे साध कहें तुम ते सांभलों, छकाया रे हो साता किण विध थाय। सुभ असुभ वांव्या ते भोगबें, नहीं पाम्या हो द्यां मुगत उपाय॥ हणवा सुंस कीया छकाय नां, तिणेरे टलीया हो मेला असुभ कर्म पाप। न्यांनी जारें साता हुई एह्नें, मिट गया हो जन्म मरण संताप॥

३-दृष्टान्त : १३०

में जो ब्रत में दृढ़ रहने की सलाह देता है, वह धर्म का मित्र है, और जो अव्रत के सेवन की सलाह देता है, वह धार्मिक मित्र नहीं है^१। पर अपना-अपना दृष्टिकोण है।

एक राजा को रानी एक दिन गवाख में बैठी-बैठी राजमार्ग की और झाँक रही थी। उस समय एक युवक उधर से जा रहा था, संयोगवश दोनों की हृषि मिल गई। युवक की सुन्दरता से रानी लिंच गई और रानी के सौन्दर्य ने युवक को मोह लिया। दोनों की तड़प ने उपाय निकाल लिया। वह युवक 'फूला मालिन', जो रनिवास में पुष्पाहार लाया करती थी, की पुत्रवधु बन महलों में आने लगा। एक दिन इस बड़्यन्न का मण्डाफोड़ हो गया। राजा ने, रानी और युवक को इसलिये मृत्यु-दण्ड दिया कि वे दुराचार करते थे; मालिन को इसलिये मृत्यु-दण्ड दिया कि वह दुराचार करा रही थी। राजाज्ञा से वे चाजार के बीच निढ़ा दिये गये। राज पुरुष गुत रूप से खड़े थे। जो लोग उन्हें धिक्कारते वे चले जाते और जिन्होंने उनकी प्रशंसा की उन्हें पकड़ लिया गया। राजाने उन्हें भी इसलिये मृत्यु-दण्ड दिया कि वे दुराचार का अनुमोदन कर रहे थे।

एक व्यादमी कोई कार्य करता है, दूसरा उसे करवाता है और तीसरा उसका अनुमोदन करता है ये तीनों एक ही श्रेणी में आते हैं।

करना, मन, चाणी, और काया से होता है।

करना, मन, चाणी और काया से होता है।

अनुमोदन, मन, चाणी और काया से होता है।

इन्हें परिभाषा के शब्दों में करण योग कहा जाता है। व्याचार्य भिक्षु ने कहा—जो लोग असंयम के सेवन में धर्म बतलाते हैं, वे करणयोग का विघटन

१-ब्रताब्रत ढाठ २ गाठ २३-२७ :

जगत समिक्ष उत्कष्टा श्रावक, तीनांरी एकज पांतो रे।

इविरत छै सगलांरी माठी, तिणमें म राखो भ्रांतो रे॥

कोइ श्रावक ना ब्रत ले साधां पें, आयो जिण दिस जायो रे।

मार्ग में दोय मित्री मिलिया, ते वोल्या जूदीर वायो रे॥

एक कहें ब्रत चोखा पालें, ज्यूं कटें आठोइ कर्मो रे।

काल अनादि रे भ्रमन्ते भ्रमन्ते, पायो जिणवर धर्मो रे॥

एक कहें तू आगार सेवें, सचितादिक सब संभाली रे।

जतन धणां कीजें ढीलांरा, बले कुटुंब तणी प्रतपाली रे॥

ब्रत पालणरी आज्ञा दीधी, एतो धम रो मित्री मोटो रे।

अविरत आम्या दीधी तिणने, ग्यांनी तो जाणे खोटो रे॥

करते हैं^१। एक व्यक्ति असंयम का आचरण स्वयं करे, दूसरा दूसरों से करवाये, और तीसरा करने वालों का अनुमोदन करे, ये तीनों एक कोटि में हैं^२।

मनुष्य तीन प्रकार के होते हैं असंयमी, संयमासंयमी और संयमी। आचार्य भिक्षु के पास धर्म और अधर्म की कस्तीटी थी—संयम और असंयम। जो कार्य संयम की कस्तीटी पर खरा उतरे वह धर्म और खरा न उतरे वह अधर्म। संयम धर्म है और असंय अधर्म। इस मान्यता में सम्बवतः मतमेद नहीं है। मतमेद इसमें है कि किस कार्य को संयम में गिना जाए और किसको असंयम में।

आचार्य भिक्षु के अनुसार जो संयमी नहीं हैं इसके जीवन-निर्वाह के सारे उपक्रम असंयम में हैं और वे असंयम में हैं इसलिये धर्म नहीं है^३।

कुछ लोग कहते थे—असंयमी स्वयं खाए वह पाप है और दूसरों को खिलाए वह धर्म है।

आचार्य भिक्षु ने कहा—असंयमी स्वयं खाए वह पाप और वह दूसरे असंयमी को खिलाए वह धर्म, यह कैसे^४! असंयमी का खाना यदि असंयम में है तो असंयम का सेवन करना करना दोनों एक कोटि के कार्य हैं। इनमें से एक को पाप एक को धर्म कैसे माना जाय?

असंयमी कोई वस्तु अपने अधिकार में रखता है वह पाप है तो उस वस्तु को दूसरे असंयमी के अधिकार में देने से धर्म कैसे होगा? यह दृष्टिकोण

१-ब्रताब्रत ढाल १ गा० ६

करण जोग विगटावें अग्यांनी, लाग रहया मत भूठें रे।

न्याय करे समझावें तिणसुं, क्रोध करे लड़वा उठे रे॥

२-ब्रताब्रत ढाल ५ गा० ११

इब्रत सुं धंधें कर्म, तिण में नाहीं निश्चै धर्म।

तीन करण सारिखा ए, ते विरलां परिखाए॥

३-ब्रताब्रत ढाल १६ दू० ७-८

तिणरों खाणों पेणोंने पहरणों, बले उपधि उबभोग परिभोग।

ते सगलाङ् राख्या ते इविरत में, लानें भोगव्यां सावद्य जोग॥

भोगवें ते पहले करण पाप छें, भोगवावें ते दूजे करण जाँण॥

सरावें ते करण तीसरें, सारां रे पाप लागें छें आंण॥

४-ब्रताब्रत ढाल १ गा० ७

खायां पाप खवायां धर्म, ए अन्यतीर्थी री वायो रे।

विरत इविरत री खवर न कांइ, भोलां ने दे भरमायो रे॥

विशुद्ध आध्यात्मिक होने के कारण लौकिक दृष्टि से मेल नहीं खाता है। फिर भी उन्होंने जो तर्क उपस्थित किया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कोई भी व्यक्ति संयम और असंयम की कसौटी से धर्म और अधर्म को कसेगा उसके सामने वे ही निष्कर्ष आयेंगे जो आचार्य भिक्षु के सामने आए थे। हम कथण की कसौटी से धर्म और अधर्म को परखें तो उन निष्कर्षों से हमारा मत-मेद कैसे नहीं होगा, जो संयम की कसौटी से परखने पर निकले?

खानेवाले और लेनेवाले को पाप तथा खिलानेवाले और देनेवाले को धर्म होता है यह विचित्र कसौटी है^१।

आचार्य भिक्षु ने कहा—भगवन् ! मैंने यह समझा है और इसी तुला से तोला है कि जिसे करना धर्म है उसका कराना और अनुमोदन करना भी धर्म है और जिसे करना अधर्म है उसका कराना, और अनुमोदन करना भी अधर्म है^२।

बृक्ष को काटने में पाप है तो उसे काटने के लिये कुल्हाड़ी देने और उसका अनुमोदन करने में भी धर्म नहीं है^३।

गाँव जलाने में पाप है तो उसे गाँव जलाने के लिये अग्नि देने और उसका अनुमोदन करने में भी धर्म नहीं है^४।

१-ब्रताब्रत ढाठ ७ गाठ १६, २४ :

जब जीमण वाला नें पाप वतावें, हिंसा करण वाला नेइ कहें छै पापी । जीमावण वाला नें धर्म कहें छें, आ सरधा भेपधारथां थांपी ॥ ते देण वाला नें तो धर्म वतावें, लेवाल नें तो कहें पापज होवें । तो धर्म करण नें मूढ़ अग्यांनी, सर्व सामग्री नें कांय छवोवें ॥

२-ब्रताब्रत ढाल १२ गाठ ३३ :

जीव खाधां खवायां भलो जांणीयां, तीनोइ करणां पाप हो । आ सरधा परूपी छें आपरी, ते पिण दीधी आगना उथाप हो ॥

३-ब्रताब्रत ढाल १५ गाठ ४८ :

रुंख वाढुण नें साध क्लहाड़ो दीधों, तिण कुहड़ा सूं रुंख वाडें छें आणों । रुंख वाढें तिणनें साज दीयो छें, यां दोयां ने एकंत पापज जाणों ॥

४-ब्रताब्रत ढाल १५ गाठ ५०, ५३ :

गांव वालण नें साम अगन रों दीधों, तिणसं गांम वालें आंणों । गांम वालें तिणनें साम देवें तिणनें, यां दोयां रो लैखो वरावर जाणों ॥ पाप करण रों साम देसी तिणनें, एकंत पाप लागें छें आंणों । पाप रों साम दीयां नहीं धर्म नें मिश्र, समझो रे समझो थे मृढ अंयाणो ॥

युद्ध करने में पाप है तो युद्ध करने के लिये शस्त्र देने और उस का अनुमोदन करने में भी वर्ष्य नहीं है

कुछ लोगों ने कहा—जीव को मारने में पाप है, मरवाने और मारने वाले का अनुमोदन करने में पाप है वैसे ही कोई किसी को मार रहा हो उसे देखने में भी पाप है। आचार्य मिथु ने कहा—चीन वार्ते टीक हैं पर देखने वाले को पाप कहना अनुचित है^१। यदि देखने मात्र से पाप लगे तो पाप से बचा ही नहीं जा सकता। मारने, मरवाने, और मारने का अनुमोदन करने से आदमी बच सकता है पर देखने से बचना उसके हाथ की बात नहीं है। जो सर्वज्ञ हैं वे सब कुछ देखते हैं। यदि देखने मात्र से पाप लगे तो वे उससे कैसे बच पायेंगे? आचार्य मिथु ने जैन आगमों की इस सीमा का ही समर्थन किया कि कल्प, कारणवाण और अनुमोदन ये तीन ही वर्ष्य और अवर्ष्य के साथन हैं और नहीं।

: ५ : धर्म और पुण्य

गेहूँ के साथ भूसा होता है पर भूसे के लिये गेहूँ नहीं बोया जाता। धर्म के साथ पुण्य का बन्धन होता है पर पुण्य के लिये धर्म नहीं किया जाता। जो पुण्य की हङ्घा करता है उसके पाप का बन्ध होता है^२।

धर्म आत्मा की मुक्ति का साधन है, पुण्य शृग परमाणुओं का बन्धन है। बन्धन और मुक्ति एक नहीं हो सकते—धर्म और पुण्य भी एक नहीं हो सकते।

पाप लोह की बेड़ी है और पुण्य चोने की। बेड़ी अखिर बेड़ी है, भले किंतु वह लोह की हो या चोने की। धर्म बेड़ी को तोड़नेवाला है। आत्मा में मन, वाणी और काया की चक्करता होती है, तब तक परमाणु उसके चिपकते रहते हैं। प्रवृत्ति धर्म की होती है तो पुण्य के परमाणु चिपकते हैं और प्रवृत्ति अवर्ष्य की होती है तो पाप के परमाणु चिपकते हैं। आत्मा पर जो अणुओं का आवरण होता है उसे हर कोई आदमी नहीं जान पाता। जिनकी दृष्टि विशुद्ध

१-अणुकम्पा ढाल ४ दू० २ :

मारद्यां मरायां भलो जाणीयां, तीनों॑ करणां पाप ।

देखण वाला नै जे कहें, ते खोटा कुगुर सपाप ॥

२-नव पदार्थः पुण्य पदार्थ गा० ५२ :

पुन तणी बंद्रा कीयां, लागे छै एकतं पाप हो लाल ।
तिण सुं दुख पामें संसार में, बवतो जाये सोग संताप हो लाल ॥

होती है वे उसे प्रत्यक्ष देख लेते हैं। धर्म इसलिये किया जाना चाहिए कि आत्मा इन दोनों आवरणों से मुक्त हो।

जैन-परम्परा में एक मान्यता थी कि अमुक कार्यों में धर्म होता है और अमुक-अमुक कार्यों में धर्म नहीं होता, कोरा पुण्य होता है। आचार्य भिक्षु ने इसे मान्यता नहीं दी। उन्होंने कहा—कोरा पुण्य नहीं होता। पुण्य का बन्धन वहीं होता है जहाँ धर्म की प्रवृत्ति हो। धर्म-मुक्ति का हेतु है इसलिये उससे पुण्य का बन्धन नहीं होता। मुक्ति और बन्धन दोनों साथ-साथ चले तो मुक्ति हो ही नहीं सकती। धर्म की पूर्णता प्राप्त नहीं होती तब तक उसके साथ भी पुण्य का बन्धन होता है। और जब धर्म की पूर्णता प्राप्त होती है तब पुण्य का बन्धन भी रुक जाता है। बन्धन रुकने के पश्चात् मुक्ति होती है।

पुण्य की स्वतन्त्र मान्यता के आधार पर जैनों में कई परम्पराएँ चल पड़ीं। कुछ लोग खिलाकर उपवास करते थे। उनका विश्वास था कि ये उपवास करेंगे इसका लाभ हमें मिलेगा। आचार्य भिक्षु ने इसका तीव्र प्रतिवाद किया। उन्होंने यह स्मरण कराया कि धर्म खरीदने-वेचने की वस्तु नहीं है। उसका विनिमय नहीं होता। दूसरे का किया हुआ धर्म और अधर्म अपना नहीं होता^१। ऐसा विश्वास इतर धर्मों में भी रहा है। जैसे कुछ लोग समझते लगते हैं कि धर्मभाव और पुण्य खरीदने वेचने की चीज है। ब्राह्मण को दक्षिणा दी उसने यज्ञ और जाप किया और उनका फल दक्षिणा देनेवाले के हिसाब में जमा हो गया। रोम के पोप की ओर से क्षमा-पत्र बेचे जाते थे। खरीदने वाले समझते थे कि ये क्षमा पत्र उन्हें परलोक में पाप-दण्ड से बचा देंगे। इस प्रकार का विश्वास दाक्षणिक बन्धन है^२।

आचार्य भिक्षु ने इस विचार के विरुद्ध जो क्रान्ति की वह उनकी एक चहुमूल्य देन है। उससे मनुष्य को अपनी पूर्ण स्वतन्त्र सत्ता और अपने पुरुषार्थ में विश्वास उत्पन्न होता है।

: ६ : प्रवृत्ति और निवृत्ति

जो रात को भटक जाए उसे आशा होती है कि दिनमें मार्ग मिल जाएगा। पर जो दुष्प्री ही में भटक जाए वह मार्ग मिलने की आशा कैसे रखे^३।

१—पेलारो लगायो पाप न लागे, आपरो लगायो पाप लागे। सावद्य जोग दोयां रा जुआ जुआ वर्ते, त्यांरो पाप लागे छे सागे॥
२—दर्शन संग्रह (द्वा० दोवानचन्द्र) पृ० ५६

३—ब्रताव्रत द्वा० १ गा० ६२

राते भूला तो आशा राखें, दीयां सुकसी छुला रे। कहो ने आंसा किण विध राखें, दीयो दोपारां रा भूला रे॥

प्रवृत्ति और निवृत्ति की चर्चा उतनी ही पुरानी है जितना पुराना धर्म का उपदेश है। यथार्थवादी युग में प्रवृत्ति का पलड़ा भारी होता है और आत्मवादी युग में निवृत्ति का। प्रवृत्ति का अर्थ है चंचलता और निवृत्ति का अर्थ है स्थिरता, चंचलता का अभाव। मनुष्य का सारा प्रयत्न योग और वियोग के अन्तराल में चलता है। वह प्रिय का योग चाहता है और अप्रिय का वियोग। चाह मन में उत्पन्न होती है। मन को इन्द्रियों प्रेरित करती है। वे पाँच हैं—स्पर्शन, रसन, ग्राण, चक्षु और शोत्र। स्पर्श, रस, गन्ध, रूप और शब्द इनके विषय हैं। हमारा ग्राह्य जगत् इतना ही है। इन्द्रियों अपने अपने विषय को जानती हैं और अपनी जानकारी मन तक पहुँचा देती हैं। मन के पास कल्पना-शक्ति है। वह इन्द्रियों के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार ज्ञात पदार्थों में प्रियता और अप्रियता की कल्पना करता है। फिर वह इन्द्रियों को अपने प्रिय विषय की ओर प्रेरित करता है—रक्त करता है, अप्रिय विषय से विरत करता है—द्विष्ट करता है। यह है इन्द्रिय और मन के विनिमय का क्रम। आध्यात्मिक जगत् में इसीको प्रवृत्ति कहा जाता है। निवृत्ति का अर्थ है—इन्द्रिय और मन का संयम; राग-द्वेष का नियन्त्रण। निवृत्ति का अर्थ नहीं करना ही नहीं है। इन्द्रिय और मन पर नियन्त्रण करने में भी उतना ही पुरुषार्थ आवश्यक होता है जितना किसी दूसरी प्रवृत्ति करने में चाहिये। बल्कि कहना यह चाहिये कि निवृत्ति में प्रवृत्ति की अपेक्षा कहीं अधिक उत्साह और पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। निवृत्ति का अर्थ केवल निषेध या निठलापन नहीं है। कोरा निषेध हो ही नहीं सकता। आत्मा में प्रवृत्ति होती है उसका अर्थ है सांसारिक निवृत्ति। आत्मा में निवृत्ति होती है उसका अर्थ है सांसारिक प्रवृत्ति। प्रवृत्ति धार्मिक भी होती है पर वह न कोरी प्रवृत्ति होती है और न कोरी निवृत्ति।

जहाँ अशुभ की निवृत्ति और शुभ को प्रवृत्ति हो उसे धार्मिक प्रवृत्ति कहा जाता है। मोक्ष का अर्थ है—दुःख की निवृत्ति। किन्तु दुःख की निवृत्ति ही मोक्ष नहीं है। कोरा अभाव, शून्य या तुच्छ होता है। दुःख की निवृत्ति का अर्थ है—अनन्त सुख की प्राप्ति। मोक्ष में पौद्गलिक सुख-दुःख का निवर्तन होता है इसलिये कहा जाता है—मोक्ष का अर्थ है दुःख की निवृत्ति। मोक्ष में आत्मिक सुख का सतत् उदय होता है। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि मोक्ष का अर्थ है—सुख की प्रवृत्ति। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों सापेक्ष हैं। जिस पुरुषार्थ का प्रेरक सांसारिक उत्साह होता है और जहाँ संयम की निवृत्ति होती है उसे हम प्रवृत्ति कहते हैं और जिस पुरुषार्थ

का प्रेरक धार्मिक उत्साह होता है और जहाँ असंयम की प्रवृत्ति नहीं होती उसे हम निवृत्ति कहते हैं। इस प्रकार प्रवृत्ति और निवृत्ति का प्रयोग सापेक्ष दृष्टि से किया जाता है।

कहा जाता है कि जीवन का लक्ष्य भावात्मक होना चाहिये, निषेधात्मक नहीं। इसमें जैन-दर्शन की असहमति ही नहीं है। मोगवादी जैसे जीवन का अन्तिम उद्देश्य भोगात्मक सुखानुभूति मानते हैं वैसा भावात्मक लक्ष्य नहीं होना चाहिये और आत्मवादी जैसे जीवन का अन्तिम उद्देश्य अनन्त सुख की प्राप्ति मानते हैं वैसा भावात्मक लक्ष्य होना चाहिये।

आचार्य भिक्षु जैन-दर्शन के भावात्मक लक्ष्य को आधार मानकर चले। इसलिये उन्होंने असंयम की निवृत्ति और संयम की प्रवृत्ति पर अधिक वल दिया। इसीलिये कुछ लोग कहते हैं कि उनका दृष्टिकोण निषेधात्मक है। उन्होंने 'मत करो' की भाषा में ही तत्त्व का प्रतिपादन किया है।

इस उक्ति में सञ्चार्द्ध है भी और नहीं भी है। किंतु एक का निषेध है इसका अर्थ किसी एक का विधान भी है। एक धार्मिक व्यक्ति असंयम प्रवृत्ति को अस्वीकार करता है, इसका अर्थ निषेध ही नहीं है संयत प्रवृत्ति का स्वीकार भी है। असंयम की भूमिका से देखा जाय तो वह निषेध है और संयम की भूमिका से देखने पर वह विधान है।

आचार्य विनोदा भावे ने निवृत्ति धर्म पर एक टिप्पणी की है। एक भेंट का उल्लेख करते हुए लिखा है^१ :

'हमें कुछ ऐसे जैन भाई मिले, जो कहते हैं कि दया करना निवृत्ति धर्म के खिलाफ है; व्याध्यात्मिकता के खिलाफ है। निवृत्ति-धर्म कहता है कि हर एक को अपना प्रारब्ध भोगना चाहिये। हम किसी बीमार की सेवा करते जाते हैं तो उसके प्रारब्ध में दखल देते हैं। मैं बीमार हुआ तो मानलो कि पिछले जन्म की या इस जन्म की कुछ गलती होगी। इस जन्म की गलती हो तो उसे सुधारूँगा। पुराने जन्म की हो तो प्रारब्ध मोगँगा। इस तरह मैं अपने लिए कह सकता हूँ, लेकिन लोग दुःखी व बीमार पड़े हैं और मैं शानी होकर उससे यह कहूँ कि त्रुम्हारा प्रारब्ध क्षय हो रहा है, उसमें मैं सेवा करके दखल नहीं दूँगा क्योंकि मैं निवृत्ति-प्रधान हूँ तो क्या कहा जाएगा? अध्यात्मवादी सेवा को ही गलत मानते हैं। यह बात ठीक है कि सेवा में अहंकार हो तो वह सेवा अध्यात्म के खिलाफ होगी, लेकिन क्या यह नहीं है कि सेवा में अहंकार हो ही। सेवा निष्काम भी हो सकती है। भगवद्‌गीता

ने हमें निष्क्राम सेवा करना चिन्हाया है, परन्तु लोगों ने आश्चात्यक सेवा को यहाँ तक निवृत्ति परयग बताया कि उनका सेवा या नीति से कोई संबंध नहीं रहा है।”

“इन किसी चीमार की सेवा करने जाते हैं तो उसके प्रारब्ध में दखल देते हैं”—वह मान्यता किसी भी जैन सम्प्रदाय की नहीं है। जैनों का कर्मवाद आरण-नामग्री को भी मान्यता देता है। मुख्त के अनुकूल कारण सामग्री मिलते पर नुक्त का उदय भी ही उकता है। यही चात दुःख के लिये है। इम किसी के मुख दुःख के निमित्त बन सकते हैं।

जिनोंचाही ने चित्र तथ्य की आलोचना की है वह या तो उनके समने उही रूप में नहीं रहा गया या उन्होंने उसे अपनी विष्टि से ही देखा है। इस चर्चा का मूल आचार्य मिथु के द्वारा चीवन-प्रसंग में है :

एक व्यक्ति ने पूछा—भीषणगती ! कोइं बकरे को मार रहा हो उससे बकरे को बचाया जाय तो क्या होगा ?

नारनेवालि को समझा कर हिंडा छुड़ाई चाय तो धर्म होगा—आचार्य मिथु ने कहा। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपने कहा—ये दो ठेंगुलियाँ हैं। एक को नारनेवाला भान को और एक को बकरा। इन दोनों में कौन छूटेगा ? नारनेवाला या नारनेवाला ? नरक में कौन चाएगा ? मरनेवाला या नारनेवाला ?

प्रश्नकर्ता ने उच्चर दिया—मारनेवाला।

साथ दूब रहा हो उसे तारे या नहीं दूब रहा हो उसे ? मारनेवाले को उनकाप या भरनेवाले को ?

नारनेवालि को समझाकर हिंडा छुड़ाए वह धर्म है, मोक्ष का मार्ग है। दूसरा उदाहरण देते हुए आचार्य मिथु ने कहा :

एक नाहुकार के दो पुत्र हैं। एक ऋषि लेता है और दूसरा ऋषि चुकाता है। पिता किसको बचेगा ? ऋषि लेनेवाले को या ऋषि चुकानेवाले को ?

नाथु नव जीवों के पिता के समान है। मारनेवाला अपने सिर ऋषि करता है और नारनेवाला ऋषि चुकाता है। साथु मारनेवाले को समझाएगा कि न ऋषि जीवों के रहा है। इससे भारी होकर दूब जाएगा, अधोगति में चढ़ा जाएगा। इन प्रकार मारने या ऋषि लेनेवाले को समझा कर हिंडा छुड़ाना चाहने हैं।

यह हृदय परिवर्तन की नीमांश है। आचार्य मिथु का विष्टिकोण यह या

कि मरनेवाले को बचाने का यज्ञ किया जाय, यह मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है। किन्तु मरनेवाले^१ को हिंसा के पाप से बचाने का यज्ञ किया जाय, इसमें धर्म की सुरक्षा है।

विनोदाजी ने कहा है—सेवा में अहंकार होगा तो वह सेवा अध्यात्म के खिलाफ होगी।

कोई कहता है—सेवा में स्वार्थ हो तो वह सेवा अध्यात्म के खिलाफ होगी।

कोई कहता है—सेवा में असंयम हो तो वह सेवा अध्यात्म के खिलाफ होगी।

अध्यात्मवादी सेवा को ही गलत नहीं मानते हैं। वे उसे अनेक दृष्टिकोणों से देखते हैं और उसे अनेक भूमिकाओं में विभक्त करते हैं। डाक्टर मनुष्य-समाज की सेवा के लिये नये-नये प्रयोग करते हैं। महात्मा गाँधीने उनकी आलोचना की है। वे लिखते हैं—“अस्पताल तो पाप की बड़ी है। उनके कारण मनुष्य अपने शरीर की तरफ से लापरवाह हो जाता है। और अनीति बढ़ती है। अंग्रेज डाक्टर तो सबसे गये चीते हैं। वे शरीर की झूठी सावधानी के लिये ही हर साल लाखों जीवों की जान लेते हैं। जीवित प्राणियों पर वे विभिन्न प्रयोग करते हैं। यह बात किसी धर्म में नहीं है। हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी सभी धर्म यही कहते हैं कि मनुष्य के शरीर के लिए इतने जीवों की जान लेने की जरूरत नहीं है^२।”

युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों की सेवा को भी युद्ध को प्रोत्साहन देना माना है^३।

आचार्य भिष्म ने कहा—असंयमी की सेवा असंयम को और संयमी की सेवा संयम को प्रोत्साहन देती है। इन दृष्टियों से यह स्पष्ट है कि सेवा न तो अध्यात्म के सर्वथा अनुकूल है और न सर्वथा प्रतिकूल। सामाजिक भूमिका में रहनेवालों के लिये समाज सेवा का निषेध नहीं हो सकता, मगेर वह असंयम की सीमा में ही क्यों न हो। मुनियों के लिए भी समाज-सेवा का सर्वथा विधान नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी भी अपनी कुछ सीमाएँ हैं।

समाज और अध्यात्म की रेखाएँ समानान्तर होते हुए भी मिलती नहीं हैं। कोई सामाजिक प्राणी के लिये असंयम की निवृत्ति की उपयोगिता है और वह भी एक सीमा तक। पर आध्यात्मिक प्राणी के लिये असंयम की निवृत्ति

१-हिन्दू स्वराज्य पृ० ६२

२-हिन्दी नवजीवन २० सितम्बर १९२८

परम धर्म है और वह भी निसीम रूप में। प्रवृत्ति और निवृत्ति की मात्रा और उनका महत्व सबके लिये एक रूप नहीं है।

दया शब्द दो मावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। एक मावना सामाजिक है और दूसरी धार्मिक। समर्थ व्यक्ति असमर्थ व्यक्ति के कष्टों से द्रवित हो उठता है, वह दीन के प्रति उक्षण की सहानुभूति है। इस मावना की अभिव्यक्ति दया शब्द से होती है। एक व्यक्ति समर्थ या असमर्थ सभी जीवों को कष्ट देने का प्रसंग आते ही द्रवित हो जाता है। यह एक आत्मा की शेष सब आत्माओं के प्रति समता की अनुभूति है। इस मावना की अभिव्यक्ति भी दया शब्द से होती है। इसलिये यह कहना उचित है कि दया शब्द दो मावनाओं का प्रतिनिधि है। द्रवित होने के बाद दो कार्य हैं—कष्ट न देना और कष्टों का निवारण करना। कष्ट न देना यह सर्व सम्मत है और कष्टों का निवारण करना इसमें कई प्रकार उपस्थित होते हैं। इसीलिये आचार्य मिथुन ने कहा—सब दया दया पुकारते हैं। दया-धर्म सही है पर मुक्ति उन्हीं को मिलेगी जो उसे पहचान कर उसका पालन करेंगे^१। दया के नाम से भुलावे में मत आओ। गहराई में पैंड उसे परखो^२।

कष्ट निवारण क्यों किया जाय ? कैसे किया जाय ? और किसका किया जाय ? इसका एक उत्तर नहीं है।

समाज-धर्म की भूमिका से इनका उत्तर मिलता है—कष्टों का निवारणा चीजों को मुख्ती बनाने के लिये किया जाय, जैसे तेंसे किया जाय और मनुष्यों का किया जाय और जहाँ मनुष्य जाति के हित में वाधा न पढ़े वहाँ औरों का भी किया जाय।

आत्म-धर्म की भूमिका से इनका उत्तर मिलता है—कष्टों का निवारण आत्मा को पवित्र बनाने के लिये किया जाय, शुद्ध साधनों के द्वारा किया जाय और उत्तरका किया जाय।

श्वास के शब्दों में अप्यादश पुराणों का सार यह है कि परोपकार से मुण्ड होता है और पर-पीड़न से पाप।

१-अनुकम्पा ढाल ८ दू०।

दया २ सहूको कहें, ते दया धर्म हैं ठीक।

दया ओलख ने पालसी, त्वाने मुगत नजीक॥

२-अनुकम्पा ढाल १ दू० ४

भोलेंद्र मत भूलज्जो, अणुकम्पा रे नाम।

कीजो अन्तर पारखा, ज्यूं सीमें आतम कांम॥

किन्तु यह एक सामान्य सिद्धान्त है। दूसरों को पीड़ित नहीं करना चाहिये यह संयमवाद है। इसलिये आत्म-धर्म की भूमिका में यह सर्वथा स्वीकार्य है, वैसे समाज-धर्म की भूमिका में नहीं है। समाज के क्षेत्र में असंयम को भी स्थान प्राप्त है। दूसरों का उपकार करना चाहिये, यह समाजवाद है। इसलिये समाज धर्म की भूमिका में यह सर्वथा स्वीकार्य है, वैसे आत्म-धर्म की भूमिका में नहीं है।

आत्म-धर्म के क्षेत्र में असंयम को स्थान प्राप्त नहीं है। समाज के क्षेत्र में असंयम का सर्वथा परिहार नहीं हो सकता और धर्म के क्षेत्र में असंयम का सर्वथा स्वीकार नहीं हो सकता। इस दृष्टि को ध्यान में रख कर आचार्य मिश्नु ने दया और उपकार को दो भागों में विभक्त किया—लौकिक दया और लोकोत्तर दया, लौकिक उपकार और लोकोत्तर उपकार, समाज धर्म और आध्यात्मिक धर्म।

जिसमें संयम और असंयम का विचार प्रधान न हो किन्तु करुणा ही प्रधान हो वह लौकिक दया है। जहाँ करुणा संयम से अनुपमाणित हो वह लोकोत्तर दया है। अग्नि में जलते हुए को किसी ने बचाया, कूएं में गिरते हुए को किसी ने उत्तारा—यह लौकिक उपकार है^१।

जन्म-मृत्यु की अग्नि में झुलसते हुए को संयमी बना किसी ने बचाया, पाप के कूएं में गिरते हुए को उपदेश देकर किसी ने उत्तारा—यह लोकोत्तर उपकार है^२। किसी दरिद्र को धन-धान्य से सम्पन्न कर सुखी बना देना लौकिक उपकार है^३।

एक आदमी तृणा की आग में झुलस रहा है उसे उपदेश देकर शान्त बना देना लोकोत्तर उपकार है^४।

१-अनुकृत्पा ढाल ८ गा० २

कोइ द्रवे लाय सूं वलतों राखें, द्रवे कूवो पडता नें फाल बचायो। औंतो उपगारकीयों इन भवरों, जे बवेक विकल त्यांने खवर न कायो॥

२-अनुकृत्पा ढाल ८ गा० ३

घटमेंग्यांन घालनें पाप पचखावें, तिण पडतो राख्यो भव कूआ माहयो। भाव लायसूं वलता नें काढें रवेसर, ते पिण गेहलां भेद न पायो॥

३-अनुकृत्पा ढाल ११ गा० ४

कोइ दलदरो जोवनें धनवंत कर दें, नवजात रो परिग्रहो देइ भरपूर। चलें विविध प्रकारें साता उपजावें, उणरो जावक दलदर कर दें दूर॥

४-अनुकृत्पा ढाल ११ गा० १५

किणरें त्रिसणा लाय लागी घर भितर, ग्यानादिक गुण वलें तिण माय। उपदेस देइ तिणरी लाय बुकावें, लूंम लूंम में साता दीधी घपराय॥

एक आदमी अपने माता-पिता की दिन रात सेवा करता है, उन्हें मन इच्छित भोजन करता है—यह लौकिक उपकार है^१।

एक आदमी अपने माता-पिता को ज्ञान, श्रद्धा और चारित्र की प्राप्ति हो वैसा यज्ञ करता है, उन्हें वार्मिक सहयोग देता है—यह लोकोत्तर उपकार है^२।

कहा जाता है—लौकिक और आध्यात्मिक का भेद डालकर जीवन को विभक्त करना अच्छा नहीं है। इससे लौकिक कर्तव्य और धर्म के बीच खाई हो जाती है। आचार्य भिष्णु का दृष्टिकोण या कि इनके बीच खाई है। कुछ लोगों का कहना या कि लौकिक कर्तव्यों को धर्म से पृथक् मानने पर उनके प्रति उपेक्षा का भाव वढ़ता है और दायित्व को निमाने पर कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। आचार्य भिष्णु का दृष्टिकोण यह या कि इन्हें एक मानने से मोक्ष के सिद्धान्त पर प्रहार होता है। जिस कार्य से संसार चले, बन्धन हो उसी से यदि मुक्ति मिले तो किर बन्धन और मुक्ति को पृथक् मानने की ज्या आवश्यकता है। बन्धन और मुक्ति यदि एक हों तो उनकी सामग्री भी एक हो सकती है। और यदि वे भिन्न हों तो उनकी सामग्री भी भिन्न होगी। रागद्वेष और मोह से संसार का प्रवाह चलता है तो उससे मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? बीतराग भाव से मुक्ति प्राप्त होती है तो उससे संसार कैसे चलेगा? दोनों भिन्न दिशाएँ हैं। उन दोनों को एक बनाने का यज्ञ करने पर भी हम एक नहीं बना सकते। लौकिक दृष्टि से देखा जाय तो कर्तव्य का स्थान सर्वोपरि है। दोनों को एक दूसरे की दृष्टि से देखा जाय तो उलझन वढ़ती है। दोनों को अपनी-अपनी दृष्टि से देखा जाय तो अपने-अपने स्थान में दोनों का महत्व है। लौकिक दया के साथ अहिंसा की व्याप्ति नहीं है, इसलिये अहिंसा और दया भिन्न तत्त्व हैं। लोकोत्तर दया और अहिंसा की निश्चित व्याप्ति है। वहाँ दया है वहाँ अहिंसा है और अहिंसा है वहाँ दया है। इस दृष्टि से अहिंसा और दया एक तत्त्व है।

१-अनुस्पा ढाल ११ गा० १८

मात पितारी सेवा करें दिनरात, वले मन मान्यां भोजन लाने खबावें। वले कावड़ कांधे लीयां फिरे त्यांरी, वले बेहुंरो सिनान करावें॥

२-अनुकम्पा ढाल ११ गा० १९

कोइ मात पितानें रुड़ी रीतें, भिन भिन करने धर्म सुणावें। न्याय दर्शन चारित लानें पमावें, कांम भोग शब्दादिक सर्व छोड़ावें॥

: ७ : दया

कुछ सम्प्रदाय के साधुओं ने कहा—हम जीव बचाते हैं, भीखणनी नहीं बचाते। आचार्य मिक्षु ने कहा—जीव बचाने की बात रहने दो, उन्हें मारना तो छोड़ो। आपने कहा—एक पहरेदार था। उसने पहरा देना छोड़ दिया और चोरी करने लगा। उसने गांव के लोगों से कहा—मैं पहरा देता हूँ इसलिए मुझे पैसा दो। लोग बोले—पहरा देना दूर रहा, चोरी करना ही छोड़ दो^१।

प्राणिमात्र के प्रति जो संयम है वह अहिंसा है। प्राणिमात्र के प्रति जो मैत्री-भाव है, उन्हें पीड़ित करने का प्रसंग आते ही हृदय में एक कम्पन हो जाता है, वह दया है। दया के बिना अहिंसा नहीं हो सकती और अहिंसा के बिना दया नहीं हो सकती। इन दोनों में अविनाभाव सम्बन्ध है। सर्व जीवों के प्राणातिपात से दूर रहना पहला महात्र है^२। इसमें समूची दया समायी हुई है। किसी भी प्राणी को भयाकुल न करना यह अभयदान है। यह भी दया या अहिंसा का ही दूसरा नाम है^३।

स्वयं न मारना, दूसरों से न मरवाना और मारने वाले को अच्छा न समझना—यह अभयदान है और यही दया है^४। जिसे अभयदान की पहचान नहीं है, वह दया को नहीं पहचानता^५।

१-हष्टान्त-६५

२-अनुकम्पा ढाल ६ गा० ८

आहीज दया छें महावरत पहिलों, तिणमें दया दया सर्व आइ जी। ते पूरी दया तो साध जी पालें, बाकी दया रही नहीं काइ जी॥

३-अनुकम्पा ढाल ६ गा० ४

त्रिविषे त्रिविषे छकाय जीवांने, भय नहीं उपजावे तांमो जी। ए अभय दानं कहयो भगवंते, ते पिण दया रो नांसो जी॥

४-अनुकम्पा ढाल ६ दू० १-२

पोते हणे हणावे नहीं, पर जीवां ना प्रांण।

हणे जिणने भलों जांणे नहीं, ए नव कोटी पचखांण॥

ए अभय दानं दया कही, श्री जिण आगम मांय।

तो पिण दंध उठावीयों, ग्यांनी नांम धराय॥

५-अनुकम्पा ढाल ६० दू० ३

अभय दान न ओलख्यों, दयारी खबर न कांय।

भोला लोकां आगलें, कूड़ा चोज लगाय॥

: ८ : दान

कुछ लोग आकर बोले, भीखणजी ! आपका अभिमत ही ऐसा है कि आपके श्रावक दान नहीं देते । आचार्यवर ने कहा—एक शहर में चार वजाज दुकान करते थे । उनमें से तीन वजाज वारात में गये, पीछे एक वजाज रहा । कपड़े के ग्राहक बहुत आए । कहिये, इससे वजाज राजी होगा या नाराज ? वे बोले—वह तो प्रसन्न ही होगा ।

आचार्यवर ने कहा—तुम कहते हो, भीखणजी के श्रावक दान नहीं देते, तो जितने याचक हैं वे सब तुम लोगों के पास ही आयेंगे । धर्म और पुण्य का लाभ सारा का सारा तुम्हीं को प्राप्त होगा—यह तुम लोगों के लिये खुशी की बात है । फिर तुम किसलिये कोसने आए हो कि भीखणजी के श्रावक दान नहीं देते ?

दान भारतीय साहित्य का सुपरिचित शब्द है । इसके पीछे अनुग्रह का मनोभाव रहा है । एक समर्थ व्यक्ति दूसरे असमर्थ व्यक्ति को दान देता है, इसका अर्थ है, वह उस पर अनुग्रह करता है । दान की परम्परा में असंख्य परिवर्तन हुए हैं । प्रत्येक परिवर्तन के पीछे एक विशिष्ट मान्यता रही है । प्राचीन काल में राजाओं की ओर से दानशालाएँ चलती थीं । दुर्मिक्ष आदि में उनकी विशेष व्यवस्था की जाती थी । पाद-यात्रियों को भी आहार आदि का दान दिया जाता था । सार्वजनिक कार्यों के लिये दान देने की प्रथा सम्भवतः नहीं जैसी थी । उस समय दान, समाज-न्यवस्था का एक प्रधान अंग था । उससे पूर्वकाल में जाते हैं तो दान जैसा कोई तत्त्व था ही नहीं । न कोई देने वाला था और न कोई था लेनेवाला । भगवान् ऋषभनाथ ने दीक्षा से पूर्व दान देना चाहा, पर कोई लेने वाला नहीं मिला ।

भगवान् ऋषभनाथ श्रमण बने । एक वर्ष तक उन्हें कोई भिक्षा देनेवाला नहीं मिला, उसके पश्चात् श्रेयांस कुमार ने उन्हें हक्कुरस का दान दिया ।

साधुओं को दान देने का प्रवर्तन हुआ तब यह प्रश्न मोक्ष से जुड़ गया, धर्म का अंग बन गया । समाज में दीन-वर्ग की स्थिति हुई तब दान करणा से जुड़ गया ।

याचकों ने दान की गाथाएँ गाईं । दान सर्वोपरि तत्त्व बन गया । इससे अकर्मण्यता बढ़ने लगी, तब दान के लिये पात्र, अपात्र की सीमाएँ बनने लगीं । इससे दाताओं का गर्व बढ़ने लगा, तब दाता के स्वरूप की मीमांसा की जाने लगी ।

मांगनेवालों का लोभ बढ़ गया तब देय की भीमांसा होने ल्या। दान के कारणों का विशद् विवेचन हुआ। भारतीय साहित्य के हजारों लाखों पृष्ठ हन भीमांसाथों से भरे हैं। आचार्य मिश्र ने इस अध्याय में कुछ पृष्ठ और जोड़ दिये। उन्होंने दान का मोक्ष और संसार की दृष्टि से विश्लेषण किया। उनका अभिमत है कि जो लोग समूचे दान को धर्म मानते हैं वे धर्म की शैली को नहीं जान पाए हैं। वे आक और गाय के दूध को एक मान रहे हैं^३। मोक्ष का मार्ग संयम है। असंयमी को दान दिया जाय और उसे मोक्ष का मार्ग बताया जाय—यह विरोध है। दान को धर्म बताए बिना लोग नहीं देते इसीलिये सम्भव है दान को धर्म बताया जाता है^४।

आचार्य मिश्र की समूची दान भीमांसा का सार शब्दों में है कि संयमी को दिया जाय वह दान मोक्ष का मार्ग है और असंयमी को दिया जाय वह दान संसार का मार्ग है। संयमी को दान देने से संसार घटता है और असंयमी को दान देने से संसार वढ़ता है^५।

दाता वही होता है जो संयमी या असंयमी सभी को देते हैं। वह पग-पग पर संयमी-असंयमी की परख करने नहीं बैठता। अपने व्यवहार में जिसे संयमी मानता है उसे मोक्ष मार्ग की बुद्धि से देता है और जिसे असंयमी मानता है उसे संसार-मार्ग की बुद्धि से देता है।

१-ब्रताव्रत ढाल २ गा० १४

समर्चे दान में धर्म कहें तो, नाहं जिण धर्म सेली रे।

आक नें गायरो दुध अग्यानी, कर दीयो भेल सभेली रे॥

२-ब्रताव्रत ढाल २ गा० १५

अविरत में दान ले पेंलारों, भोष रो मार्ग बतावें रे।

धर्म कहयां विण लोक नहीं दे, जब कूर कपट चलावें रे॥

३-ब्रताव्रत ढाल १६ गा० ५७

सुपातरनें दीयां संसार घटें छें कुपातर नें दीयां बघे संसार।

ए वीर बचन साचा कर जाणों, तिण में संका नहीं छें लिगार रे॥

४-ब्रताव्रत ढाल १६ गा० ५०

पातर कुपातर हर कोइ नें देवं, तिणनें कहीजें दातार।

तिण में पातर दान मुगतरो पावडीयों, कुपातर संख्लें संसार रे॥

निवचय इष्ठि का निर्गंय, अद्वहार-द्विष्ठि से मिन्न मी हो सकता है। सम्बन्ध है हिसे संयमी माना जाय वह बास्तव में असंयमी हो और जिसे असंयमी माना जाय, वह बास्तव में संयमी हो। यह व्यक्तिगत घात है। जिद्वान्त की भाषा में वही छह जा सकता है कि संयमी को दान देना मोक्ष का नाम है और असंयमी को दान देना संसार का नाम है। संयमी और असंयमी की परिभाषा अपनी-अपनी ही सकती है। आचार्य मिथुन की भाषा यह है कि को पूर्ण अद्विक्षक हो वह संयमी है और जो मनसा, वाचा, कर्मणा, दृष्टि, कारिता और अनुभवि से अहिंसा का गान्ध न करे वह असंयमी है।

असंयमी नोक-दान का अविकारी नहीं है। जिसके कुछ बत हो वह संयमान्तर्यामी जो नोक-दान का अविकारी नहीं है। एक आदमी वह काय के जीवों को नास्त्र दूरतरों को नियता है, यह हिता का नाम है^१। जीवों को नास्त्र विद्याने में पुन्य बहलते हैं, वे सिद्ध की मात्रि निर्भय होकर नाद नहीं करते। उन्हें पृथ्वी पर वे नेमने की मात्रि कांधने लग जाते हैं^२। जो जीवों को नास्त्र विद्याने में पुन्य बहलते हैं, उनकी जीम तज्ज्वार की तरह चलती है^३।

एक दूसरे सम्बन्ध का नामु आचार्य मिथुन का व्याख्यान मुनने आया। वह व्याख्यान मुन बहुत प्रसन्न हुआ। बहुत बार आने आया। एक दिन मुनने का आचार्य मिथुन से कहा—आप अपने आददों को कह दें कि मुझे रोटी दिलाए। मिथुन जोड़े आददों को कह दें रोटी दिलाएं, तो हम अपनी रोटी हुन्हें दें इनमें ज्या अन्तर है? तब मुनने कहा—तो आप दान का निषेद-

१-ब्रह्मद ढाळ १७ गाँ० दे

ओइ ओ आय जीवांते गढ़ों करावं, अथवा ओ काय मारे नै स्ववावें। ओ जीव हितानों दाहज जीटों, तिण मैं पक्कं घर्म नै पुन ब्रह्मावें॥

२-ब्रह्मद ढाळ १७ गाँ० दे

जीव स्ववावां मैं पुन पक्कं, ते सीह तणी परें कहै न गूँजें। परगट कहिता खंडा दीचं, त्यांते प्रसन्न पूछ्यां गाहर जिन घूँजें॥

३-ब्रह्मद ढाळ १७ गाँ० दे

जीव स्ववावां मैं पुन पक्कं, त्यां दुष्टवालैं कहिजें निश्वें अनारज। त्यांरीजीभवहैतरक्ता सूर्योन्ती, त्यांविकल्पांरकिणविक्ति सीमन्तीकारज॥

करते हैं ? आचार्य भिक्षु ने कहा—देनेवालों को मनाही करो चाहे किसीसे ढीन औ इच्छे क्या अन्तर है ।

लोग कहते हैं—आचार्य भिक्षु ने दान का निषेध किया है । आचार्य भिक्षु का अभिमत है कि निषेध करने में और ढीनने में कोई अन्तर नहीं है । उनकी वाणी है—दान दे रहा हो, देनेवाला ले रहा हो, उच समय साधु उसे रोके तो लेने वाले को अन्तराय होता है, इसलिये साधु वैसा नहीं कर सकता । साहु वर्तमान असंबभी दान की न तो प्रवर्त्ता करे, और न उसका निषेध करे, किन्तु मौन रहे । धर्म-चर्चा के प्रतिंग में दान के यथार्थ स्वरूप का विश्लेषण करें ।

इस पर भी कुछ लोगों ने कहा—दान को धर्मन मानने का अर्थ ही उचका निषेध है । आचार्य भिक्षु ने इचका उमाधान किया कि दान देने वाले को कोई कहे कि तू मत दे वह दान का निषेध करने वाला है । किन्तु दान चित्त कौटि का हो उसी कौटि का वतलाया जाय वह निषेध नहीं है । वह ज्ञान की निर्निलता है । भगवान ने असंबभी को दान देने में धर्म नहीं कहा—इचका अर्थ वह नहीं कि भगवान् ने दान निषेध किया है । इसका अर्थ इतना ही है कि चित्तका जो स्वरूप या वही वरला दिया ।

किंतु व्यक्ति ने साधु से कहा—तुम मेरे घर भिक्षा लेने मत आना । दूसरे व्यक्ति ने साधु को गालियाँ दीं । जिसने निषेध किया उसके घर साहु भिक्षा

१-द्व्यान्त-२४५

२-ब्रतावत दाल ३ गा० १७—२१

द्रातार दान देवें तिण कालें, लेवाल लेवें घर पीतो रे ।
जब साथ कहे वृं मतदे इणनें, नपेवणों नहीं इण रीतो रे ॥
जो दान देतां नै साथ नपेदें तो, लेवाल रे पढें अंतरायो रे ।
अन्तराय दीयां फल कडवा लागें, तिणसू नपेव न करें इण न्यायो रे ॥
अन्तराय सुं डरतो साधु न बोलें, और परमारथ मत जांणो रे ।
ते पिण मुन छें वरतमान कालं, बुधवंत कीजों पिछांणो रे ॥
उपदेस देवें साथ तिण कालें, दूध पाणी ज्यूं करे नीवेरो रे ।
विना वतायां च्यार तीर्थ में, किण विघ मिटें अन्वेरो रे ॥
दोनूं भाषा साधु नहीं बोलें, मुन छें अथवा मुन नांही रे ।
ते वरज्जों वरतमान काल आसरी, ये सोच देखो मन मांही रे ॥

लेने नहीं जाता । जिसने गालियाँ दी उसके घर मिक्षा लेने जाता है । कारण यह है कि निषेध करना और कठोर वचन बोलना एक भाषा में नहीं समाते । इसी प्रकार दान देने का निषेध करना और दान को अधर्म बतलाना भिन्न-भिन्न भाषाएँ हैं । इनका एक ही भाषा में समावेश नहीं होता^१ ।

१-ब्रताब्रत ढाल ३ गा० ३६—४३

दान देतां नै कहे तू मत दे इणन्हें, तिण पालयों नपेद्यों दानो रे ।
पाप हुंतो नै पाप वतायों, तिणरो छें निरमल ग्यानो रे ॥
असंजती नै दान दीयां में, कहि दीयों भगवांत पापो रे ।
त्यां दान नै वरज्यों नपेद्यों नाही, हुंती जिसी कीधीं थापो रे ॥
किण ही साधुनें कहयों आज पछें तू म्हारें घर कदे मत आयो रे ।
किण ही एक करला वचनज बोल्यों, हिवें साधु किसें घर जायो रे ॥
साधानें वरज्यो तिण घर में न पेसें, करला कहा तिण घरमांहे जावें रे ॥
निषेध्यों नै करला बोल्यां ते, दोनूं एकण भाषा में न समावें रे ॥
ज्यूं कोइ दान देतां वरज राखें, कोइ दीधां में पाप वतावें रे ।
ए दोनूंई भाषा जुदी जुदी छें, ते पिण एकण भाषा में न समावें रे ॥

अध्याय ५

क्षीर-नीर

जीम की दवा आँख में डालने से और आँख की दवा जीम के लगाने से आँख मूट जाती है और जीम फट जाती है—दोनों इन्द्रियों नष्ट होती हैं। इसी प्रकार जो अर्धम के कार्य का धर्म में और धर्म के कार्य का अर्धम में समावेश करता है, वह दोनों प्रकार से अपने आपको बाँध लेता है^१।

सम्यक् दृष्टिकोण

दया, दान और परोपकार ये तीन तत्त्व सामाजिक जीवन के आधार स्तम्भ रहे हैं। धर्म की व्याख्याना में भी इनका स्थान महत्वपूर्ण रहा है। समाज की व्यवस्था बदलती रहती है। जिस समाज में उच्चता और नीचता निसर्ग-सिद्धि मानी जाती थी, उसमें दया, दान और परोपकार को विकसित होने का अवसर मिला। आज समाज-व्यवस्था बदल चुकी है। इसमें समान अधिकार का सिद्धान्त विकास पा रहा है। वहाँ और छोटों के वर्ग-मेद को इसमें स्थान नहीं है। जब वहाँ और छोटों का मेद मिटने लगता है तब दया, दान और परोपकार सिमटने लग जाते हैं। आचार्य मिक्षु ने जब दया-दान का विश्लेषण किया, उस समय की समाज-व्यवस्था में उन्हें बहुत महत्व दिया जाता था। आज की व्यवस्था में ‘समान अधिकार’ देने का जो महत्व है, वह दया दिखाने का

१-ब्रतान्त्रत ढा० ४ गा० ४,५ :

जीभरो ओपद् आँख्यां में घाल्यों, आँख्यांरे ओषद् जीभमें घाल्योरे। तिणरी आँखई फूटीनें जीभइ फाटी, दोनूँ इँद्री खोय चाल्योरे॥ ज्युं अधर्म रा कांमा धर्ममाहे घाल्या, धर्मरा कर्मा अधर्ममें घाल्योरे॥ दोनूँ विध कर्म वांछे अग्यांनी, दुरगत माहे चाल्योरे॥

नहीं। जो महत्त्व सहयोग का है वह दान और परोपकार का नहीं है। समाज-व्यवस्था परिवर्तनशील है इसलिए परिवर्तन भी स्वाभाविक है। एक व्यवस्था में उसके अनुरूप तत्त्व विकसित होते हैं और दूसरी व्यवस्था में वे बदल जाते हैं। धर्म अपरिवर्तनशील है। उसमें दया, दान और परोपकार की मान्यता व्यवस्था से उत्पन्न नहीं है। वह संयम से ज़ुझी हुड़े है। संयम का विकास हो वहीं दया हो सकती है, वहीं दान और वहीं परोपकार। जो वर्तमान के असंयम को सहारा दे वहाँ न दया है, न दान और न परोपकार। आचार्य भिष्म ने कहा—यह लोकोत्तर भाषा है। लौकिक भाषा इससे भिन्न है और चहुत भिन्न है। उसके पास मानदण्ड है—मावों का आवेग या मानसिक कम्पन और लोकोत्तर भाषा संयम के मानदण्ड से माप कर बोलती है।

आचार्य भिष्म के इस अभिमत के स्पष्टीकरण के बाद जो प्रदर्शित हुए उनमें सर्वाधिक प्रभावशाली प्रश्न सेवा का है। निःस्वार्थ भाव से सेवा करना क्या धर्म नहीं है? क्या हृदय की सहज स्फूर्ति कशणा धर्म नहीं है? इसे अधर्म कहना भी तो चहुत बड़े साहस की बात है। जिस समाज में रहना और उसी की सेवा को धर्म न मानना चहुत ही विचित्र बात है। पर हमें से चहुत लोगों ने समाचार पत्रों में चहुत बार यह शीर्षक पढ़ा होगा—“यह सच है, आप मानें या न मानें”। चहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनपर सहसा विश्वास नहीं होता, पर वास्तव में वे सच होती हैं और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो चस्तुतः सच नहीं होतीं, परन्तु उनपर सहसा विश्वास हो जाता है। समाज-सेवा में वर्म नहीं, यह सुनते ही आदमी चौंक उठता है। किसी भी वस्तु के स्थूल दर्शन के साथ सच्चाई का लगाव इतना नहीं होता जितना कि संस्कारों का होता है।

जो लोग सेवा मात्र को धर्म मानते थे, उनको लक्षित कर महात्मा गांधी ने कहा—जो मनुष्य बन्दूक धारण करता है और जो उसकी सहायता करता है दोनों में अहिंसाकी दृष्टिसे कोई भेद नहीं दिखाई पड़ता। जो आदमी डाकुओं की टोली में उसकी आवश्यक सेवा करने, उसका भार उठाने, जब वह डाका डालता हो तब उसकी चौकीदारी करने, जब वह घायल हो तो उसकी सेवा करने का काम करता है वह उस डकैती के लिये उतना ही जिम्मेवार है जितना कि वह खुद डाकू। इस दृष्टि से जो मनुष्य युद्ध में घायलों की सेवा करता है वह युद्ध के दोपां से सुक्त नहीं रह सकता^१।

अहिंसा की दृष्टि से शास्त्र धारण कर मारने वालों में और निःशास्त्र रहकर घायलों की सेवा करनेवालों में कोई फर्क नहीं देखता हूँ। दोनों ही लड़ाई में

शामिल होते हैं और उसीका काम करते हैं, दोनों ही लङ्घाई के दोष के दोषी हैं ।^१

गाँधीजी ने युद्ध के सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किए, वे ही विचार आचार्य भिक्षु ने जीवन-युद्ध के बारे में व्यक्त किये। सामाजिक क्रान्ति की दृष्टि से नहाँ मनुष्यों को दूसरे मनुष्यों को मारने की खुली छूट होती है वह युद्ध है। मोक्ष की दृष्टि से नहाँ एक जोव में दूसरे जीवों को मारने की भावना या वृत्ति होती है वह युद्ध है। अर्थात् जीवन ही युद्ध है। युद्ध में लगे जीवों की सहायता करनेवाला युद्ध के दोपों से मुक्त नहीं रह सकता—यह महात्मा गाँधी की वाणी है। आचार्य भिक्षु की वाणी है—असंयममय जीवन-युद्ध में संलग्न जीवों की सहायता करनेवाला असंयममय जीवन-युद्ध के दोपों से मुक्त नहीं रह सकता। पहली बात सूक्ष्म है और दूसरी सूक्ष्मतर। इसलिए इनपर सहसा विश्वास नहीं होता, पर इनकी सच्चाई में सन्देह नहीं किया जा सकता।

आचार्य भिक्षु ने कहा—कोई व्यापारी भी और तम्बाकू दोनों का व्यापार करता था। एक दिन वह किसी कार्यवश दूसरे गाँव गया। उसका पुत्र दुकान में बैठा। उसने देखा कि एक वर्तन में धी पड़ा है और एक में तम्बाकू। दोनों आधे आधे थे। उसने सोचा—पिताजी कितने कमसमझ हैं, विना भत्तल दो पात्र रोक रखे हैं। उसने धी का पात्र उठाया और तम्बाकू में उड़ेल दिया। उन्हें मलकर रात्र सी बना ली। ग्राहक धाया तम्बाकू लेने। उसने वह रात्र दी, ग्राहक विना लिए लौट गया। दूसरा ग्राहक आया धी लेने। वही रात्र उसके सामने आई। वह भी खाली लौट गया। जितने भी ग्राहक आए वे सारे के सारे रीते हाथ लौट गए। वह पात्र खाली न हो तबतक दूसरा पात्र निकालने की पिताजी मनाही कर गए थे और यह कोई लेते नहीं। उसे समूचे दिन इस समस्या का सामना करना पड़ा^२।

उस व्यक्ति को भी इसी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जो आध्यात्मिक और लौकिक कार्यों का मिश्रण करता है।

आचार्य भिक्षु के अभिमत में “मिश्रण” अनुचित है। इसका विरोधी विचार समाज-सेवियों का है। उनके अभिमत में सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक पहलुओं को अलग-अलग मानना अनुचित है। इन दिनों हम

१-हिन्दी नवजीवन २० सितम्बर १९२८

२ ब्रताव्रत ढा० ४ गा० १ :

जिम कोइ घृत तंवाखू विणजें, पिण वासण विगत न पाडें रे ।

घृत लेई तंवाखू में घाल, ते दोनूँई वसत विगाडें रे ॥

लोगों में जीवन के टुकड़े करने की आदत पड़ गई है। सामाजिक पहलू अलग, नैतिक पहलू अलग, आध्यात्मिक पहलू अलग—इस तरह अलग-अलग पहलू बनाए गये हैं। उसका परिणाम यह हुआ है कि सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले नीति-विचार के बारे में सोचते नहीं, नीति का काम करने वाले समाज के मसले हाथ में नहीं लेते और अध्यात्मवादी दोनों की तरफ ध्यान नहीं देते। इस तरह टुकड़े करके हम ने जीवन को छिन्न-विच्छिन्न कर दिया है^१।

ये दोनों विचार परस्पर विरोधी हैं। एक की दिशा है कि सामाजिक और आध्यात्मिक कार्यों का मिश्रण मत करो; दूसरे की दिशा है कि इन्हें बाँट कर जीवन के टुकड़े मत करो। इन दोनों दिशाओं में से प्रश्न उठते हैं—क्या जीवन विभक्त ही है? क्या जीवन अविभक्त ही है? एकान्त की भाषा में इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। और यदि दिया जाय तो वह सच नहीं होगा। इसका यथार्थ उत्तर होगा कि वह विभक्त भी है और अविभक्त भी। वह विभक्त इसलिए है कि वे सारी प्रवृत्तियाँ एक ही जीवन में होती हैं। विभाजन प्रवृत्तियों का होता है उनके आधार का नहीं। एकता आधार में होती है। उनकी प्रवृत्तियों में नहीं। दोनों के समन्वय की भाषा यह होगी कि आधार होने के नाते जीवन एक है, अविभक्त है। और उसमें अनेक कार्य होते हैं, इस दृष्टि से वह अनेक है, विभक्त है। भगवान् महावीर ने तीन पक्ष बतलाए—अधर्म पक्ष, धर्म पक्ष और मिश्र पक्ष^२। हिंसा और परिग्रह से जो किसी प्रकार निवृत्त नहीं है वे अधर्म पक्ष में समाते हैं, उनसे जो सर्वथा निवृत्त है वे धर्म पक्ष में हैं। और जो लोग किसी सीमा तक उनसे निवृत्त भी हैं और शोष सीमा में निवृत्त नहीं भी हैं, वे मिश्र पक्ष के अधिकारी हैं। मिश्र पक्ष में अहिंसा और हिंसा दोनों हैं। अनावश्यक हिंसा का जितना संवरण किया है, वह जीव का अहिंसा पक्ष है। और जीवन में आवश्यक हिंसा का जितना प्रयोग है वह उसका हिंसा पक्ष है। ये दोनों जीवन में मिश्रित हैं क्योंकि इनका आधार एक ही जीवन है। पर ये दोनों मिश्रित नहीं हैं क्योंकि इनका स्वरूप सर्वथा भिन्न है।

जीवन में सारी प्रवृत्तियाँ अहिंसक ही होती हैं—ऐसा कौन कहेगा? और सारी प्रवृत्तियाँ हिंसक ही होती हैं ऐसा भी कौन कहेगा? अहिंसक और हिंसक दोनों प्रकार की प्रवृत्तियाँ होती हैं, उन्हें एक कोटि की कौन

१-विनोदा प्रवचन पृ० ४४० (मंगलवार, २६ मई १९५६)

२-सूत्रकृताङ्ग २-१

कहेगा ? आचार्य भिक्षु ने जीवन-विमाजन की जो रेखा खींची वह यही है । व्यापारी व्यापार करते समय आध्यात्मिक-भावना को भूल जाय, चाहे जितना क्रूर व्यवहार करे, धर्मस्थान में वह धार्मिक और कर्मस्थान में निर्दय हो, यह आशय उस विमाजन की रेखा का नहीं है^१ । उसका आशय है—व्यापार और दयाभाव एक नहीं हैं । दया भाव धर्म है और व्यापार सांसारिक कर्म । दोनों को एक मानने का अर्थ होता है, धर्म और सांसारिक कर्म का मिश्रण । धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार वर्ग हैं । इनमें दो साध्य हैं और दो साधन । मोक्ष साध्य है, धर्म उसका साधन । काम साध्य है, अर्थ उसका साधन । आर्थिक विकास और काम का आसेवन जीवन का एक पहलू है । और दूसरा पहलू है—धार्मिक विकास और मुक्ति की उपलब्धि । ये चारों एक ही जीवन में होते हैं पर ये सत्र स्वरूप-हृष्टि से एक नहीं हैं । आचार्य भिक्षु ने जीवन के टुकड़े नहीं किए, उन्होंने जीवन की प्रवृत्तियों के मिश्रण से होने वाली क्षति से लोगों को सावधान किया । उनकी वाणी है—‘सावद्य-दान’ संसार-संवर्धन का हेतु है, और ‘निरवद्य दान’ संसार-मुक्ति का हेतु है । संसार और मोक्ष के मार्ग भिन्न हैं । वे समानान्तर रेखा की तरह एक साथ रहते हुए भी कहीं भी नहीं मिलते^२ ।

उनकी वाणी है—जो सांसारिक उपकार करता है उसके संसार बढ़ता है,

१-विनोदा प्रवचन पृष्ठ ४४० (मंगलवार, २६ मई १९५६)

व्यापारी इधर भगवान की भक्ति करता है, पूजा-पाठ करता है और उधर व्यवहार में भूठ चलाता है । इस तरह वह तीर्थ-यात्रा, ध्यान, जप-जाप आदि करेगा, लेकिन सत्य व्यापार के खिलाफ है, ऐसा अवश्य कहेगा । व्यापार अलग और सत्य, प्रेम, दया अलग । व्यापारी दुखियों के बास्ते दान देगा, लेकिन व्यापार में दया नहीं रखेगा । यह नहीं सोचेगा कि व्यापार में भी दया पढ़ी है । हम गलत हाँग से व्यापार करते हैं, तो समाज को दुख पहुँचता है । इस तरह हम ने व्यवहार को नीति से अगल रखा और नीति को अध्यात्म से अलग रखा ।

२-न्रतान्त्रत ढाँ ३ गाँ ३ :

ते सावद्य दाँन संसार ना कारण, तिण में निरवद रों नहीं भेलो रे ।
संसार ने मुगतरा मारग न्यारा, ते कठें न खावें मेलो रे ॥

और जो मोक्ष के अनुकूल उपकार करता है उसके मोक्ष निकट होता है^१ ।

कोई गृहस्थ किसी गरीब को धन देकर सुखी बनाता है, यह सांसारिक उपकार है, वीतराग उसकी प्रशंसा नहीं करते^२ ।

उनकी वाणी है—एक लौकिक दया है। उसके अनेक प्रकार हैं^३ । एक कृष्ण जल से भरा है, कोई उसमें गिर रहा था, उसे बचा लिया। कहीं लाय—आग लगी, कोई उसमें जल रहा था, उसे बचा लिया। यह दया है, उपकार है, पर है सांसारिक ।

एक व्यक्ति पाप का आचरण कर रहा हो, उसे कोई समझाए, उसका हृदय बदल दे, वह जन्म-मरण के क्रैं में गिरने से बचता है, यह दया है, उपकार है, पर है आध्यात्मिक^४ ।

सामाजिक प्राणी-समाज में रहता है। समाज रूपी धर्मनियाँ उसमें रक्त का संचार करती हैं इसलिए वह सांसारिक उपकार करता है।

आत्मवादी का सर्वोपरि ध्येय मोक्ष होता है। उसकी साधना करना व्यक्ति का सहज धर्म है। इसलिए वह आध्यात्मिक उपकार करता है।

१-अणुकम्पा ढाठ० ११ गा० ३ :

संसार तणों उपगार करें छें, तिणरें निश्चेष्ट संसार वधतो जाणों ।
मोक्ष तणों उपगार करें छें, तिणरे निश्चेष्ट नैडी दीसे निरवाणों ॥

२-अणुकम्पा ढाल ११ गा० ४, ५ :

कोई दलद्री जीव ने धनवंत कर दें, नव जात रों परिग्रहो देइ भरपूर ।
वले विविध प्रकारें साता उपजावें, उणरो जावक दलदर कर दें दूर ॥
छ कायरा ससत्र जीव इविरतो, त्यांरी साता पूछी ने साता उपजावें ।
त्यांरी करें चीयावच विविध प्रकारें, तिणनें तीर्थंकरदेव तों नहीं सरावें॥

३-अणुकम्पा ढाठ० ८ ढू० ५ :

एक नाम दया लोकीक री, तिणरा भेद अनेक ।
तिण में भेदधारी भूला घणा, ते सुणजों आण ववेक ॥

४-अणुकम्पा ढाल ८ ढू० १-३ :

दया २ सहू को कहें, ते दया धर्म छें ठीक ।
दया ओलखने पालसी, त्यांनें मुगत नजीक ॥
आ दया तो पहिलो ब्रत छें, साध श्रावक नों धर्म ।
पाप रुकें तिणसुं आवता, नवा न लागें कर्म ॥
छ काय हणें हणावें नहीं, हणीयां भलो न जाणें ताय ।
मन वचन काया करी, आ दया कही जिण राय ॥

जो मिथ्या दृष्टि होता है, वह इन दोनों को एक मानता है और सम्यक्‌दृष्टि इन्हें भिन्न-भिन्न मानता है।

आम और धतुरे के फल सीखे नहीं होते। किसी के बाग में ये दोनों प्रकार के वृक्ष हों, वह आम की इच्छा से धतुरे को सीचे तो उसका परिणाम क्या होगा? आम का वृक्ष सुखेगा और धतुरे का पौधा फलेगा। ठीक इसी प्रकार गृहस्थ के जीवन में व्रत रूपी आम का वृक्ष और अव्रत रूपी धतुरे का पौधा होता है। जो व्यक्ति व्रतों-प्रयोग दृष्टि दे उसके अव्रत को सीचेगा, उसे आम की जगह धतुरे का फल मिलेगा।

अमरीकी वायु सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल थामस ह्याइट सीनेट वैदेशिक सम्बन्ध समिति की एक बैठक में ६ मई को गवाही दे रहे थे, उसके कुछ प्रसंग इस प्रकार हैं—

सीनेटर गोर : मैं पाकिस्तान को इतनी झाड़ा बड़ी रकम सैनिक सहायता के रूप में देने का समर्थन करना कठिन पाता हूँ....।

श्री मैक एल राय : यह रक्षा-व्यवस्था निःसन्देह भारत के विरुद्ध नहीं बल्कि उसे रुक्ष और चोन के विरुद्ध दी गई है।

सीनेटर गोर : अच्छा आपका यह उद्देश्य हो सकता है, किन्तु हमारा जो अफसर उस कार्यक्रम का इंचार्ज है, वह कहता है कि पाकिस्तानी सैनिक अस्वशास्त्र सहायता भारत के विरुद्ध चाहते हैं।

१-ब्रताव्रत ढांल ५ गा० ५-११

हिंने सुणजो चुतर सुजांन, श्रावक रत्नां री खांन।
ब्रतां कर जांनजों ए, उलटी मत तांनजो ए॥
केद्द रुख बाग में होय, आंव धतूरा दोय।
फल नहीं सारिखा ए, करज्यो परिखा ए॥
आंवा सु लिव लाय, सीचे धतूरो आय।
आसा मन अति घणी ए, अंव लेवा तणी ए॥
पिण अंव गयो कुमलाय, धतूरो रखो डहिडाय।
आम नें जोवें जरें ए, नेणा नीर जरहरें ए॥
इण दिष्टते जांन, श्रावक ब्रत अंव समांन।
अविरत अलगी रही ए, धतूरा सम कही ए॥
सेवारें इविरत कोय, ब्रतां सामो जोय।
ते भूला भर्म में ए, हिंसा धर्म में ए॥
इव्रत सूं वंदें कर्म, तिण में नहीं निश्चें धर्म।
तीन करण सारिखा ए, ते विरलां परिखा ए॥

श्री मैक एल राय : हम उनसे सहमत नहीं ।

सीनेटर : किन्तु फिर भी आप उन्हें यह सहायता देते हैं और इसका उपयोग तो वे ही करेंगे आप नहीं...। दूसरे शब्दों में हम उन्हें सहायता एक उद्देश्य से देते हैं और वे उसे लेते हैं दूसरे उद्देश्य से...।

जनरल हाइट : मैं नहीं समझता कि ऐसा कहना न्याय-संगत है। निःसन्देह पाकिस्तानियों के ख्याल भारतीयों की तरफ से विगड़े हुए हैं किन्तु उस के विरुद्ध भी उनके ऐसे ही माओ हैं...।

सीनेटर चर्च : हम पाकिस्तान को रूसी आक्रमण के विरुद्ध सहायता दे रहे हैं, किन्तु पाकिस्तानी भावना है कि खतरा मुख्यतः हिन्दुस्तान की ओर से है। मैं बहुत गम्भीरता से पूछता हूँ कि क्या एक मित्र देश को, दूसरे के विरुद्ध शत्रु सजित करने में अमरीकी रूपये खर्च करना उचित है?

यह संवाद व्याचार्य मिष्टुके उस उदाहरण की बाद दिलाता है, जिसका प्रयोग उन्होंने, असंयम पूर्ण सहयोग की स्थिति को समझाने के लिए किया था :

एक राजा ने दस चोरों को मारने का आदेश दिया। एक दयालु सेठ ने राजा से निवेदन किया कि आप चोरों को प्राण-दान दें तो मैं प्रत्येक चोर के लिए पांचसौ-पांचसौ रुपये दे दूँ। राजा ने कहा—ये चोर बहुत दुष्ट हैं, छोड़ने योग्य नहीं हैं। सेठ ने कहा—सबको नहीं तो कुछेक को प्राणदान दें। सेठ का आग्रह देख राजा ने पांच सौ रुपये ले एक चोर को छोड़ा। नगर के लोग सेठ की प्रशंसा करने लगे। उसके परोपकार को बखानने लगे। चोर भी बहुत प्रसन्न हुआ। चोर अपने गाँव गया। नौ चोरों के घरवालों को सारे समाचार सुनाए। वे बहुत कुपित हुए। वे उस चोर को साथ ले नगर में आए। दरबारे पर एक चिठ्ठी चिपका दी। उसमें निनानवे नागरिकों को मारकर सौ का बदला लेने की वात लिखी हुई थी। और चोर को बचाने वाले साहूकार को छूट दी गई थी। अब नगर में चोरों का आतंक फैला। हत्याओं पर हत्याएँ होने लगी। किसीका वेदा मारा गया, किसी का वाप। किसी की मां और किसी की पत्नी। नगर में कोलाहल मचा। लोग उस साहूकार की निन्दा करने लगे, उसे कोसने लगे। सेठ के पास घन अधिक था तो उसे कूएँ में क्यों नहीं डाल दिया? चोर को सहायता दे, हमारे प्रियजनों की हत्याएँ क्यों करवाईं? उस साहूकार की दशा दयनीय हो गई। उसे अपने बचाव के लिये नगर छोड़ दूसरी नगह नाना पढ़ा^१।

सेठ ने चोर को प्राणदान दिया और अमरीका पाकिस्तान को सुरक्षा का

साधन दे रहा है। अमरीका रूस और चीन के विश्वद पाकिस्तान को सैनिक सहायता दे रहा है। सेठ ने उन निनानवें व्यक्तियों के विश्वद, जो चोरों द्वारा मारे गए, उस चोर की सहायता की। असंयमी प्राणी कभी भी किसी भी प्राणी को मार सकता है, उसे सहायता देना सब जीवों के विश्वद है। इसी दृष्टि से आचार्य मिखु ने कहा—मैं असंयमी जीवों को सांसारिक सहयोग देनेका समर्थन करने में अपने को असमर्थ पाता हूँ। यहाँ तर्क हो सकता है कि सेठ ने निनानवें व्यक्तियों के विश्वद चोर की सहायता नहीं की, केवल चोर को जीवित रखने के लिए प्रयत्न किया। इसी तर्क का अंश इस संवाद में मिलता है कि अमरीका भारत के विश्वद पाकिस्तान को सहयोग नहीं दे रहा है। चोर निनानवें व्यक्तियों की हत्या कर सकता है, पाकिस्तान उस सैनिक सहायता का प्रयोग भारत के विश्वद भी कर सकता है।

जिस प्रकार इन सहयोगों से हत्या और आक्रमण की कड़ी जुड़ी हुई है उसी प्रकार असंयमी को सहयोग देने के साथ भी सूहम हिंसा का मनोभाव जुड़ा हुआ है। इसलिए परिणाम की दृष्टि से चोर का सहयोग करने के कार्य को महत्व नहीं दिया जा सकता। जिस प्रकार राजनीतिक दूरदर्शिता की दृष्टि से सैनिक-सहयोग का समर्थन नहीं किया जा सकता उसी प्रकार आत्मिक दृष्टि से असंयमी को दिए जानेवाले सांसारिक सहयोग को धार्मिक उच्चता नहीं दी जा सकती।

तर्क की पद्धति एक होती है उसके क्षेत्र भले ही मिलन हों। राजनीति के क्षेत्र में एक दूसरे देश के विश्वद शस्त्र-सञ्जित करना यदि चिन्तनीय हो सकता है तो आत्मिक क्षेत्र में एक जीव को दूसरे जीवों के विश्वद शस्त्र-सञ्जित करना क्या चिन्तनीय नहीं होता? भगवान् ने कहा—असंयम शस्त्र है^९। एक जीव दूसरे जीवों की हिंसा इसलिए करता है कि वह असंयमी है। संयमी अपने खानपान के लिए भी किसी जीव की हिंसा नहीं करता। वह मधुकरी वृत्ति के द्वारा सहज ग्रास भिक्षा से ही अपना जीवन चलाता है। असंयमी की भिक्षा लेने का अधिकार नहीं। वह अपने को एक सीमा तक ही संयत कर सकता है।

यदि हम सैनिक सहयोग पर केवल सामरिक दृष्टि से विचार करते हैं तो उन अमरीकी अधिकारियों की दृष्टि में पाकिस्तान को जो सहयोग दिया जा रहा है, वह उचित है, किन्तु उस पर नैतिक दृष्टि से विचार करने वाले और

१-स्थानाङ्क १०।१।७४३ :

दस विघे सत्ये पं० तं० सत्थमगी, विसं,
लोणं, सिणेहो, खार, मंचिलं, दुष्पउत्तो
मणो, वाया, काया, भावो त अविरती

चर्चे सुनेटर गोरे की इष्टि में वह उचित नहीं है। उसे उचित मानने के पीछे भी एक इष्टिकोण है, और अनुचित मानने के पहले भी एक इष्टिकोण। उचित मानने का इष्टिकोण स्वार्थपूर्ण है और अनुचित मानने का इष्टिकोण वस्तुस्थिति से सम्बन्धित है। आन्वार्य मिश्र ने कहा—मैं असंयमी को नांजारिक लहयोग देने का उमर्शन करने में अपने को असुर्मर्श पाता हूँ। इसमें आव्यासिक तथ्यों का विश्लेषण है। केवल सामाजिक स्वार्थ की इष्टि से सोचने वाले, नम्बव हैं, इन विशुद्ध आव्यासिक विचार से सहमत न भी हो सकें।

अहिंसा का व्येय

कोइ आदमी नीम आम आदि वृक्षों को न काटने का व्रत लेता है, वृक्ष सुरक्षित रहते हैं; कोइ आदमी तालाब, सर आदि न सुखाने का नियम करता है, तालाब जल से परिष्पूर्ण रहता है; कोइ आदमी मिठाई न खाने का व्रत करता है, मिठाई बचती है; कोइ आदमी दू-आग लगाने और गाँव ललने का त्याग करता है, गाँव और चंगल की सुखाहोती है; कोइ आदमी चोरी करने का त्याग करता है, दूसरों के धन की रक्खा होती है।

वृक्ष आदि सुरक्षित रहते हैं, वह अहिंसा का परिणाम है, उद्देश्य नहीं^१।

बीब-रक्षा अहिंसा का परिणाम हो सकता है, होता ही है, ऐसी बात नहीं। पर उच्चका प्रयोगन नहीं है। नदी के जल से भूमि उपचाल हो सकती है। पर नदी इन उद्देश्य से बहती है वह नहीं कहा जा सकता।

अहिंसा का उद्देश्य क्या है? आत्म-शुद्धि या जीव-रक्षा? इस प्रश्न पर उत्तर एक नहीं है। कई विचारक अहिंसा के आचरण का उद्देश्य जीव-रक्षा वत्तलाते हैं और कई आत्मशुद्धि। ऐसा भी हो सकता है कि जीव-रक्षा होती है और आत्मशुद्धि नहीं होती—संयम नहीं होता। और ऐसा भी होता है कि आत्मशुद्धि होती है, संयम होता है, जीव-रक्षा नहीं होती। अहिंसा जीव-

१-अणुकन्पा ढाल ५ नां० १३-१५

नीव आंदादिक विरप नों, किण ही कीबो हो बाढण रो नेम। छविरत बटी तिण जीव नीं, विरप उमो हो तिण रो वर्म केम॥ सर द्रह तलाब फोडण तणों, सुंस लेहे हो मेढ्या आवता कर्म। सर द्रह तलाब भरवा रहें, तिण मांहि हो नहीं जिणजी रो वर्म॥ लाडू वेवर आदि पक्कवांन नें, खाणा छोड्या हो आत्म आंणी तिण ठाय। वेदाग बध्यों तिण जीव रें, लाडू रह्या हो तिण रो वर्म न थाय॥ द्रव देवों नें गांम जलायवों, इत्यादिक हो सावद्य कार्य अनेक। ए सर्व छोडावें समझायनें, सगलांरी हो विध जाणो तुमे एक॥

रक्षा के लिए हो तो आत्मशुद्धि या संयम की वात गौण हो जाती है। और यदि वह आत्मशुद्धि के लिए हो तो जीव-रक्षा की वात गौण हो जाती है। आचार्य मिशन ने कहा—अहिंसा में जीव-रक्षा की वात गौण है, मुख्य वात आत्म-शुद्धि की है। एक संयमी सावधानी पूर्वक चल रहा है। उसके पैर से कोई जीव मर गया तो भी वह हिंसा का भागी नहीं होता, उसके पाप कर्म का बन्धन नहीं होता^१। एक संयमी असावधानी पूर्वक चल रहा है। उसके द्वारा किसी भी जीव का घात नहीं हुआ, फिर भी वह हिंसक है, उसके पाप कर्म का बन्धन होता है^२।

जहाँ जीवों का घात हुआ, वहाँ पाप का बन्धन नहीं हुआ और जहाँ जीवों का घात नहीं हुआ वहाँ पाप का बन्धन हुआ, यह आश्चर्य की वात है। परन्तु भगवान की वाणी का यही रहस्य है^३।

संयमी मुनि नदी को पार करते हैं। उसमें जीव-घात होता है। उस कार्य में हिंसा का दोष होता तो भगवान उसकी अनुमति नहीं देते। जहाँ भगवान की अनुमति है वहाँ हिंसा का दोष नहीं है। जहाँ आत्मा का प्रयोग प्रशस्त होता है, हिंसा का दोष नहीं होता, वहीं भगवान की अनुमति होती है^४।

१-जिन आज्ञा चौढ़ालीयो ढाल १ गा० ३० :

इरज्या सुमत चालता साधु सूं, कदा जीव तणी हुवें घात ।
ते जीव मुंबां रो पाप साधु नैं, लागे नहीं अंस मात रे॥

२-जिं ० आ० ३१ :

ज्यो इरज्या सुमत विण साधु चालें, कदा जीव मरें नहीं कोय ।
तो पिण साधु नैं हंस्या छु कायरी लागे, कर्म तणों बन्ध होय रे॥

३-जिं ० आ० ३२ :

जीव मुंबा तिंहा पाप न लागों, न मुंबा तिंहा लागो पाप ।
जिण आगम संभालों जिण आगन्याजोबों, जिण आग्यामें पापम थायोरे॥

४-जिं ० आ० ३३ :

साधू नदी उत्तरयां माहें दोप हुवें तो, जिण आगन्या दें नाही ।
जिण आगन्या देवें त्यां पाप नहीं छें, ते सोच देपों मन मांही रे॥
नदी उत्तरे त्यारों ध्यान किसों छें, किसी लेस्या क्रिसा परिणाम ।
जोग क्रिसा अभायं क्रिसा छें, भला भूंडा पिछांणो तांम रे॥
ए पांचु भलां छें तो जिण आगन्या छें, माठीमें जिण आगन्या न कोय ।
पांचु माठां सूं तो पाप लागे छें, पांचु भलांसुं पाप न होय रे॥

देह के रहते हुए जीव-वात से नहीं बचा जा सकता किन्तु अहिंसा की पूर्णता आ सकती है। जीतराग या सर्वज्ञ के द्वारा भी जीव-वात हो जाता है। पर उनका संयम अपूर्ण नहीं होता, उनकी अहिंसा अधूरी नहीं होती। अवीत-राग-संयमी के मी पूर्ण अहिंसा की साधना होती है। हिंसा और अहिंसा का मूल चौत, आत्मा की असत् और सत् प्रवृत्ति है। जीव-वात या जीव-रक्षा उनकी कसीटी नहीं है। यह व्यवहारिक दृष्टि है। वहाँ प्रवृत्ति असत् होती है और जीव-वात भी होता है वहाँ व्यवहार और निश्चय दोनों दृष्टियों से हिंसा होती है। जहाँ प्रवृत्ति सत् होती है और जीव-वात भी नहीं होता वहाँ व्यवहार और निश्चय दोनों दृष्टियों से अहिंसा होती है। प्रवृत्ति सत् होती है और जीव-वात हो जाता है वहाँ निश्चय दृष्टि से अहिंसा और व्यवहार दृष्टि से हिंसा होती है। प्रवृत्ति असत् होती है और जीव-वात नहीं होता, वहाँ निश्चय दृष्टि से हिंसा और व्यवहार दृष्टि से अहिंसा। जैसे व्यवहार दृष्टि की अहिंसा से धर्म नहीं होता वैसे ही व्यवहार दृष्टि की हिंसा से पाप नहीं होता। जैसे जीव-वात होने पर भी व्यवहारिक हिंसा बन्धनकारक नहीं होती वैसे ही जीव-रक्षा होने पर भी व्यवहारिक अहिंसा मुक्ति कारक नहीं होती।

कहूँ लोग हसीलिए मिंह आदि हिंब जीवों को मारने में धर्म मानते हैं, कि एक को मारने से अनेकों की रक्षा होती है। दूसरी बात, जो जीव-रक्षा को अहिंसा का उद्देश्य बतलाते हैं उन्हें पग-पग पर रक्ना पड़ता है। जीव-रक्षा के लिए जीवों को मारने का भी प्रसंग था जाता है। अहिंसा का ध्येय जीव-रक्षा हो तो साधन शुद्धि का विचार सुरक्षित नहीं रहता। आत्म-शुद्धि का साधन शुद्ध ही होता है। जीव-रक्षा को अहिंसा का ध्येय माननेवालों की कठिनाई का आन्वार्य भिक्षु ने इन शब्दों में चित्र खींचा है—“कभी तो वे जीवों की रक्षा में पुण्य कहते हैं और कभी वे जीवों की वात में पुण्य कहते हैं, यह बड़ा विचित्र मत है”। चोर चोरी की वस्तु को लुक, छिप कर बेचता है, वह प्रगट लूप में नहीं बेच सकता। उसी प्रकार एक जीव की रक्षा के लिए दूसरे जीवों की वात करने में पुण्य मानते हैं, वे इस मत को प्रगट करते हुए सकुचाते हैं^३। जो जीवों की रक्षा को अहिंसा का ध्येय मानते हैं उन्हें बड़े जीवों की

१-न्रतान्त्र ढा० १७ गा० ३८ :

कदे तों पुन कहें जीव खवायां, कदे कहें जीव वचायां पुन। यां दोयांसो निरणों न कीयों विकला, यंही वकें गेहला ज्यूं हीया सून ॥

२-न्रतान्त्र ढा० : १७ गा० ३९ :

चोर चोरी री वस्तु छाँनें २ बेचे, चोढ़े धाँड़े तिण सूं बेचणी नावें। ज्यूं जीव खवायां पुन कहें त्यां सू, चोढ़े लोका म बतावणी नावें॥

रक्षा के लिये छोटे जीवों की वात में पुण्य मानना ही पड़ता है और वे मानते भी हैं। इसीलिए आचार्य भिक्षु ने जीव-रक्षा को अहिंसा का ध्येय नहीं माना।

जर्मन विद्वान् अलबर्ट स्वीजर भी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि भगवान् महावीर के अनुसार अहिंसा संयम की उपज है। संयम या आमिक पवित्रता से सम्बन्धित होने के कारण ही वह पवित्र है। अहिंसा का सिद्धान्त जहाँ करुणा या जीव रक्षासे जुड़ जाता है वहाँ अहिंसा लोक प्रिय बनती है पर पवित्र नहीं रह सकती। आत्म-शुद्धि का मतलब है, असंयम से बचना। असंयम से बचने और अहिंसा को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। जहाँ असंयम से बचाव है वहाँ अहिंसा है। और जहाँ अहिंसा है वहाँ असंयम से बचाव है। किन्तु जीव-रक्षा का अहिंसा के साथ ऐसा सम्बन्ध नहीं है। अहिंसा में जीव-रक्षा हो सकती है पर उसकी अनिवार्यता नहीं है। आचार्य भिक्षु ने इस दृष्टिकोण को तीन उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया।

१—एक सेठ की दुकान में साधु ठहरे हुए थे। करीब रात के १२ बजे रहे थे। गहरा सन्नाटा था। निःस्तब्ध वातावरण में चारों ओर मूँक शान्ति थी। चौर आए, सेठ की दुकान में घुसे। ताला तोड़ा। धन की थैलियाँ ले, मुझने लगे। इतने में उनकी निःस्तब्धता भंग करने वाली आवाज आई—भाई! तुम कौन हो? उनको बहुत कहने या करने का मौका ही नहीं मिला कि तीन साधु सामने आ खड़े हो गए। चौरों ने देखा कि साधु हैं, उनका भय मिट गया और उत्तर में बोले—महाराज! हम हैं। उन्हें यह विश्वास था कि साधुओं के द्वारा इमारा अनिष्ट होने का नहीं। इसलिए उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा—महाराज! हम चौर हैं। साधुओं ने कहा—भाई इतना बुरा काम करते हो यह ठीक नहीं।

साधु बैठ गए और चौर भी। अब दोनों का संवाद चला। साधुओं ने चौरी की बुराई बताई और चौरों ने अपनी परिस्थिति। समय बहुत बीत गया। दिन होने चला। अखिर चौरों पर उपदेश असर कर गया। उनके हृदय में परिवर्तन आया। उन्होंने चौरी को आत्म-पतन का कारण मान उसे छोड़ने का निश्चय कर लिया। चौरी न करने का नियम भी कर लिया। अब वे चौर नहीं रहे। इसलिए उन्हें भय भी नहीं रहा। कुछ उबाला हुआ, लोग इधर-उधर घूमने लगे। वह सेठ भी घूमता-घूमता अपनी दुकान के पास हो निकला। टूटे ताले और खुले किवाड़ देख वह अबाक् सा हो गया। दुर्स्त ऊपर आया और देखा कि दुकान की एक बाजू में चौर बैठे साधुओं से चातचीत कर रहे हैं और उनके पास धन की थैलियाँ पड़ी हैं। सेठ को कुछ

आशा बँधी। कुछ कहने जैसा हुआ, इतने में चोर बोले—सेठ जी! यह आपका धन सुरक्षित है, चिन्ता न करें। यदि आज ये साधु यहाँ न होते तो आप भी करीब करीब साधु जैसे बन जाते। यह मुनि के उपदेश का प्रमाण है कि हम लोग सदा के लिए इस बुराई से बच गए और इसके साथ-साथ आपका यह धन भी बच गया। सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ। अपना धन सम्माल मुनि को धन्यवाद देता हुआ अपने घर चला गया। यह पहला, चोर का दृष्टान्त है। इसमें दो बातें हुईं—एक तो साधुओं का उपदेश सुन चोरों ने चोरी छोड़ी, इसमें चोरों की आत्मा चोरी के पाप से बची और दूसरी—उसके साथ सेठ जी का धन भी बचा। अब सोचना यह है कि अहिंसा क्या है? चोरों की आत्मा चोरी के पाप से बची वह है या सेठ जी का धन बचा वह?

२—कसाई बकरों को आगे किए जा रहे थे। उन्हें मार्ग में साधु मिले। उनमें से प्रमुख साधु ने कसाईयों को सम्रोधन करते हुए कहा—भाई! इन बकरों को भी मौत से प्यार नहीं, यह तुम जानते हो? इनको भी कष्ट होता है, पीड़ा होती है, तुम्हे मालूम है? खैर! इसे जाने दो। इनको मारने से तुम्हारी आत्मा मलिन होगी उसका परिणाम दूसरा कौन भोगेगा? मुनि का उपदेश सुन कसाईयों का छद्य बदल गया। उसने उसी समय बकरों को मारने का त्याग कर दिया और आजीवन निरपराध चस जीवों की हिंसा का भी ग्रत्यारूपान किया। कसाई अहिंसक—स्थूल हिंसा-त्यागी बन गये।

यह दूसरा, कसाईयों का दृष्टान्त है। इसमें भी साधु के उपदेश से दो बातें हुईं—एक तो कसाई हिंसा से बचा और दूसरी—उसके साथ-साथ बकरे मौत से बचे। अब सोचना यह है कि अहिंसा क्या है? कसाई हिंसा से बचा वह है या बकरे बचे वह?

चोर चोरी के पाप से बचे और कसाई हिंसा से, यहाँ उनकी आत्म-शुद्धि हुई। इसलिए यह निःसन्देह अहिंसा है। चोरी और जीव-नृथ के त्याग से अहिंसा हुई किन्तु इन दोनों के साथ-साथ दो कार्य और हुए। धन और बकरे बचे। यदि इन्हें भी अहिंसा से जोड़ दिया जाय तो तीसरे दृष्टान्त पर ध्यान देना होगा।

३—अर्द्ध रात्रि का समय था। बाजार के बीच एक दुकान में तीन साधु स्वाध्याय कर रहे थे। संयोगवश तीन व्यक्ति उस समय उधर से ही निकले। साधुओं ने उन्हें देखा और पूछा—भाई! तुम कौन हो? इस घोर बेला में कहाँ जा रहे हो? यह प्रश्न उनके लिए एक भय था। वे मन ही मन सकुचाए और उन्होंने देखने का यत्न किया कि प्रश्नकर्ता कौन है? देखा तब पता चला कि इमें इसका उत्तर एक साधु को देना है—सच कहें या छढ़?

आखिर सोचा—साधु सत्य मूर्ति हैं, इनके सामने शूठ बोलना ठीक नहीं। कहते संकोच होता है, न कहें यह भी ठीक नहीं, क्योंकि इससे इनकी अवशा होती है। यह सोच वे बोले—महाराज ! क्या कहें ? आदत की लाचारी है। हम पापी जीव हैं, वेश्या के पास जा रहे हैं। साधु बोले— तुम बड़े भले मानस दीखते हो, सच बोलते हो, फिर भी ऐसा अनार्य कर्म करते हो ! तुम्हें यह शोमा नहीं देता। विषय-सेवन से तुम्हारी वासना नहीं मिटेगी। वी की आहुति से आग बुझती नहीं। साधु का उपदेश हृदय तक पहुँचा और ऐसा पहुँचा कि उन्होंने तत्काल उस जघन्य वृत्ति का प्रत्याख्यान कंर डाला। वह वेश्या कितनी देर तक उनकी बाट जोहती रही, आखिर वे आए ही नहीं तब उनकी खोज में चल पड़ी और धूमती फिरती वहीं आ पहुँची। अपने साथ चलने का आग्रह किया, किन्तु उन्होंने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। वह व्याकुल हो रही थी। उसने कहा—आप चलें, नहीं तो मैं कुएँ में गिर कर आत्महत्या कर लूँ गी। उन्होंने कहा—हम जिस नीच कर्म को छोड़ चुके, उसे फिर नहीं अपनाएंगे। उसने तीनों की बात सुनी अनसुनी कर कुएँ में गिर कर आत्म-हत्या कर ली।

यह तीसरा, व्यभिचारी का दृष्टान्त है। दो बातें इसमें भी हुईं। एक तो साधु के उपदेश से व्यभिचारियों का दुराचार छूटा और दूसरी—उनके कारण वह वेश्या कुएँ में गिर कर मर गई। अब कुछ उपर की ओर चलें। यदि चोरी-त्याग के प्रसंग में वचने वाले धन से चोरों को, हिंसा-त्याग के प्रसंग में वचने वाले बकरों से कसाइयों को अहिंसा हुई मानी जाय तो व्यभिचार-त्याग के प्रसंग में वेश्या के मरने के कारण उन तीनों व्यक्तियों को हिंसा हुई यह भी मानना होगा^१।

१-अणुकम्पा.ढालं ५ गा० १—१० :

एक चोर चोरें धन पार को, बले दूजों हो चोरावें आगेवाण। तीजों कोई करें अनुमोदना, ए तीनांरा हो खोटा किरतव जांण ॥
 एक जीव हणें तस कायना, हणावे हो वीजो पर नां प्राण। तीजों पिण हरखे मारीयां, ए तीनोई हो जोव हंसक जांण ॥
 एक कुसील सेवे हरध्यों थको, सेवाडे हो तेतो दूजें करण जोय। तीजों पिण भलो जांणें सेवीयां, ए तीनारे हो कर्म तणों वंध होय ॥
 ए सगला नें सतगुर मिल्या, प्रतिवोध्या हो आंण्या मारग ठाय। किण २ जीवांने साधां उधरया, तिणरा सुणजो हो विवरा सुध न्याय ॥

बीव-रक्षा को अहिंसा का व्येय मानने वालों के सामने दूसरी कठिनाइयों मी है। बहुत सारे प्रसंग ऐसे होते हैं जिनमें बीव-रक्षा का प्रश्न दूसरे बीवों के हितों का विरोधी होता है। आचार्य मिष्ठु ने ऐसे सात प्रसंग उपस्थित किए वे इस प्रकार हैं—

१—तलाई भेंटुक और मछलियों से भरी है। उसमें काई जमी हुई है। अनेक प्रकार के बीव-जन्म उसमें तैर-रहे हैं।

२—पुराने अनाज के ढेर पड़े हैं। उनमें कीड़े विचर रहे हैं। अनेक बीवों के अंदेरे रखे हुए हैं।

३—जमीकन्द से गाड़ियाँ मरी हैं। जमीकन्द में अनन्त बीव हैं। उन्हें मारने से काष्ट होना है।

४—झन्ने बल के बड़े भरे हैं। बलकी एक चून्द में असंख्य बीव होते हैं। बहाँ बल होता है बहाँ बनत्यति होती है। इस दृष्टि से उसमें अनन्त बीव है।

५—कूड़े के ढेर में भीनी खात पड़ी है। उसमें अनेक बीव-जन्म तिल-मिल कर रहे हैं। अगरने किए हुए कर्मों से उन्हें ऐसा अधम बीवन मिला है।

६—किंतु बगह बहुत चूहे हैं। वे इवर-उवर आ जा रहे हैं। योद्धा-ना शब्द सुनते ही वे माग बाते हैं।

७—गुड़ बीनी आदि मीठी बीबों पर अनेक बीव मँडरा रहे हैं।

चोर हंसक ने कुनीलीया, यां रे तांडि रे दीधो साधां उपदेस।
त्यांन साथ्य रा निरवद् कीया, एहबो छें हो जिण दया धर्म रेस॥
ग्यान दर्शन चारित तीनूं तणों, साधां कीधो हो जिण थी उपगार।
तेवों तिरण तारण हुआ तेहना, उत्तारया हो त्यांने संसार थी पार॥
ए तो चोर तीनूं समझ्यां थकां, घन रहयो हो धणीने कुसल खेम।
हिंसक तीनूं प्रतिबोधीयां, जीव बचोयो हो किबो मारन रो नेम॥
सील आदरीयो तेहनों, असतरी पड़ी हो कूआ मांहे जाय।
चांरो पाप धर्म नहीं सावने, रह्या मूँआ हो तीनूं इविरत मांय॥
घन रो वणी राजी हुवों घन रहयां जीव बचोयो हो ते पिण हरपत थाय।
साथ तिरण तारण नहीं तेहना, नारी ने पिण हो नहीं ढवोई आय॥
केड़ मूँढ मिथ्याती डम कहे, जांच बचीया हो घन रहो ते धर्म।
तो उणरी सरधा रे लेखे, असतरी मूँह हो तिणरा लागे कर्म॥

मनिखर्यों मिनमिना रही है। वे आपस में एक दूसरे को मार डालते हैं।
मक्खा-मक्खी को मार डालता है।

तलाई में भैंस आदि पशु जल पीने को आ रहे हैं।

अनाज का दिग देख बकरियों आ रही हैं।

जमीकन्द की गाढ़ी पर बैल ललचा रहे हैं।

जल का घड़ा देख गाय जल पीने आ रही है।

कूदे के जीवों को चुगने के लिए पंखी आ रहे हैं।

चूहों पर बिल्ली झपट रही है।

मक्खा मक्खी को पकड़ रहा है।

भैंसों को हांकने से तलाई के जीवों की रक्षा होती है।

बकरियों को दूर करने से अनाज के जीवों की रक्षा होती है।

बैलों को हांक देने से जमीकन्द के जीव बचते हैं।

गाय को हांकने से जलके जीवों की रक्षा होती है।

पंखियों को उड़ा देने से कूदे के जीव जीवित रह जाते हैं।

बिल्ली को भगा दिया जाय तो चूहे के घर शोक नहीं होता।

मक्खे को थोड़ा इधर उधर कर देने से मक्खी बच जाती है।

पर अहिंसा के क्षेत्र में सब जीव समान हैं। कठिनाई यह है कि किसको भगाया जाय और किसको बचाया जाय? भैंसे को हांका जाय तो उसे कष्ट होता है और न हांका जाय तो तलाई के जीव मरते हैं। ऐसे प्रसंगों में अहिंसक का धर्म यही है कि वह समभाव रखे। किसी के बीच में न पढ़े।

१—आणुकम्पा ढा ४ गा० १-१३ :

नाढो भरीयो छें डेढक माल्कल्यां, मांहे नीलण फूलण रो पूर हो।
लट पूंछरा आदि जलोक सूं, तस थावर भरीया अरुड हो॥
सुलीया धान तणो ढिगलो पस्थो, मांहे लटां ने इल्यां अथाय हो।
सुलसल्यां इण्डादिक अति घणा, किल विल करें तिण मांय हो॥
एक गाढो भस्यो जमीकन्द सूं, तिण में जीव घणा अनन्त हो।
च्यार प्रज्ञया च्यार प्राण छ्र, मारूयां कष्ट कहो भगवंत हो॥
काचा पांणी तणा माटा भरूया, घणा जीव छे अणगल नीर हो।
नीलण फूलण आदि लटां घणी, त्यांमें अनन्त वताया छे वीर हो॥
खात भीनों उकरडो लटां घणी, गोडोला गधईया जांण हो।
टल घल २ कर रहया, याने कर्मा नास्व्या आंण हो॥

जीव-रक्षा को प्रधान मानने वाले इन कठिनाइयों का पार नहीं पा सकते, तब वडों के लिए छोटे और बहुतों के लिए थोड़े जीवोंकी हिंसा को निर्दोष मान लेते हैं। किन्तु इस मान्यता से अहिंसा का सिद्धान्त टूट जाता है। महात्मा गांधी ने भी ऐसे प्रसंग की चर्चा में बताया है—“एक भाई पूछे छे—नाना चन्द्रुओं एक बीजा नो आहार करता अनेक बार जोड़े छे। मारे खां पूँ एक बरोली ने एवो शिक्कार करता रोज जोऊंठूं, अने बिलाडी ने पक्षीओं नो। चुं ए मारे जोया करवो ? अने अटकावतां बीजानी हिंसा करवी ? आवी हिंसा अनेक थयाव करे छे, आमा आपणे चुं करवुं ? में आवी हिंसा नथी थती जोड़ चुं ? धणीए वार बरोली ने चांदानो शिक्कार करती अने चांदा ने बीजा चन्द्रुओंना शिक्कार करता में जोया छे। पण ऐ ‘बीबो बीबस्य चीव-नम्’ नो प्राणी जगत नो कायदो अटकाववानुं मने कदी कर्तव्य नथी जणायुं। इंद्रवरनी ए अगम्य गूच उकेलवानो हुं दावो नथी करतो”

अद्वितीय सब जीवों के प्रति संयम करता है इसलिए वह सब जीवों की रक्षा करता है। जामानिक प्राणी समाज की उपयोगिता को व्यान में रखकर छलते हैं। वे अपने उपयोगी जीवों को बचाते हैं, और अनुपयोगी जीवों

कायक जायंगां नें ढंदर घणां, फिरे आमां सांहमा अथाग हो। थोडो सो खड़को सांभलें, तो जाओं दिशां दिशा भाग हो॥ गुल खांड आदि मिसटांन में, जीव चिहुं दिस दोङ्घ्या जाय हो॥ माल्यां ने माका फिर रह्या, तेतो हुचके मांहो मां आय हो॥ नाडो देखी ने आवे भेसीयां, बान छूके बकरा आय हो॥ गाडे आवें बल्द पावरा, माटों आय उसी छे गाय हो॥ पंखी चूंगे उकरली उपरे, ढंदर पासें मिनकी जाय हो॥ साखी ने माका पकड़ ले, साथू किण ने बचावें छोड़ाय हो॥ भेस्या हाकल्यां नाडा माहिलां, सगलां रे साता थाय हो॥ बकरां ने अलगा कीयां, इंडादिक जीव ते बच जाय हो॥ थोडा सा बल्दां नें हांकलयां, तो न मरे अनंत काय हो॥ पाणी पूँहारादिक किण विव मरे, नेड़ी आवण न दे गाय हो॥ लट गोडोलादिक कुसले रहें, जो पंखी ने दीयें उड़ाय हो॥ मिनकी छुङ्कार नसार दें, तो ढंदर घर सोग न थाय हो॥ मांका में आवो पाल्यो करें, तो माखी उड नाठी जाय हो॥ साधां रे सगला सारिपा, ते तो विचेन पहें जाय हो॥

की उपेक्षा करते हैं। उपयोगिता और अहिंसा का सिद्धान्त एक नहीं। गांधी जी ने जो उक्त उत्तर दिया वह काका कालेलकर को नहीं जचा^१ तब किशोर लाल भाई ने इसके साथ अपनी व्याख्या और जोड़ दी, वह यह है—

मन तटस्थ या उदासीन हो तो बचाने का प्रयत्न न किया जाय। जीव को बचाने की वृत्ति जागृत हो जाए, दया भाव उमड़ पड़े तो उसे दबाने की अपेक्षा जीवों को बचाने का प्रयत्न करना अच्छा है।

यह कथणा के उभार की बात है। गांधीजी ने जो कहा वह प्रकृति के नियम और सामाजिक उपयोगिता की बात है। अहिंसा की बात इससे भिन्न है और सूख्म है।

अहिंसा वादी और उपयोगितावादी अपने रास्ते पर कई बार मिलेंगे किन्तु अन्त में ऐसा अवसर भी आएगा जब उन्हें अलग-अलग रास्ते पकड़ने होंगे। और किसी किसी दिना में एक दूसरे का विरोध भी मानना होगा।

१—धर्मोदय पृ० ६३

वधाज प्राणीयों ने बचावनानो आपणो धर्म नथी। गरोली जीवड़ा ने खाय छे, ओ शुं आना पहेलां मे कोई काले जोयुं नथी? गरोली पोतानो खोराक शोधे छे ऐमा अटले के कुदरती व्यवस्था मां पड़वानु में मारुं कर्तव्य मान्युं नथी। जे जानवरो ने आपणे स्वार्थ खातर के शोख खातर पालीए छीए तेमने बचावबानो धर्म आपणे माथे लीघो छे, ओथी आगल, आपणाथी जबाय नहीं।

अध्याय : ६

संघ-व्यवस्था

: १ : मार्ग क्व तक चलेगा ?

किसी व्यक्ति ने पूछा—“महाराज ! आपका मार्ग बहुत ही संयत है, यह क्वतक चलेगा ?” आचार्य मिश्र ने उत्तर में कहा—“उसका अनुगमन करने-वाले सातु लबतक श्रद्धा और आचार में सुटढ़ रहेंगे, वस्त्र-पात्र आदि उपकरणों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे और स्थानक बौध नहीं बैठेंगे, तब तक वह मार्ग चलेगा ।”

अपने लिये स्थान बनाने वाले वस्त्र-पात्र आदि की मर्यादा का लोप करते हैं और एक ही स्थान में पड़े रहते हैं—इस प्रकार वे शिथिल हो जाते हैं। मर्यादा को बहुमान देकर चलने वाले शिथिल नहीं होते ।

: २ : धर्म-शासन

धर्म आरावना है। वह स्वतन्त्र मन से होती है। मन की स्वतन्त्रता का अर्थ है—वह बाहरी वन्धन से मुक्त हो और अपनी सहज मर्यादा में बधा हुआ हो। कानून बाहरी वन्धन है। धार्मिक नियम कानून नहीं है। वे मनवाये नहीं जाते। धर्म की आरावना करनेवाले उन्हें स्वर्य अंगीकार करते हैं।

आचार्य मिश्र ने तेरापन्थ संघ को संगठित किया। उसकी सुव्यवस्था के लिये अनेक मर्यादाएँ निर्धारित कीं। जब उन्होंने विशेष मर्यादाएँ बनानी चाहीं तब सब सातु-सात्वियों को पूछा। उन्होंने भी यह इच्छा प्रगट की कि वे होनी चाहिए^१ ।

फलित की भाषा में कहा जा सकता है कि मर्यादाओं के निर्माण में सूक्ष्म आचार्य मिश्र की थी और सहमति सबकी। मर्यादा किसी के द्वारा किसी पर थोपी नहीं गई, वल्कि सबने उसे स्वयं अपनाया।

आचार्य मिश्र सूक्ष्म-वृक्ष के धनी थे। उन्होंने व्यवस्था के लिए अनेक वार्ते सुभार्द्द, इसलिए वे मर्यादा के कर्ता कहलाए। पर धर्म-शासन की दृष्टि से मर्यादा की सृष्टि उन सत्रों हुई है जिन्होंने उसे अंगीकार किया। धर्म वैयक्तिक ही होता है, किन्तु जब उसकी सामूहिक आराधना की जाती है तब वह शासन का रूप ले लेता है।

: ३ : मर्यादा क्यों ?

शासन व्यवहार पर अवलम्बित होता है। साधना का स्रोत अकेले में अधिक स्वच्छ हो सकता है किन्तु अकेले चलने की क्षमता सब में नहीं होती। दूसरों को सहयोग लिए-दिए जिना अकेला रह कर आगे बढ़ना महान् पुरुषार्थ का काम है। जैन-परम्परा में एक कोटि एकल-विहारी साधुओं की होती है। उस कोटि के साधु शरीर-वल, मनोवल, तपोवल और ज्ञानवल से विशिष्ट सामर्थ्यवान् होते हैं। दूसरी कोटि के साधु संघ वद्ध होकर रहते हैं। जहाँ संघ है वहाँ बन्धन तो होगा ही। अकेले के लिए भी बन्धन न हो, ऐसा तो नहीं होता। उसका आत्मानुशासन परिपक्ष होता है और वह अकेला होता है इसलिए उसे व्यवहारिक बन्धनों की अपेक्षा नहीं होती।

सामुदायिक जीवन में रहनेवाले साधुओं में अधिकांश दृढ़ मनोवल वाले होते हैं, तो कुछ दुर्वल भी होते हैं। सबका आत्मानुशासन, विवेक और वैराग्य एक सरीखा नहीं होता। आत्मिक-विकास में तारतम्य होता है। उसे किसी व्यवस्था के निर्माण से सम नहीं बनाया जा सकता। जीवन यापन और व्यवहार के कौशल में जो तारतम्य होता है उसे मर्यादाओं द्वारा सम किया जा सकता है। एक घृण्य तमाकू सूखता है और दूसरा नहीं सूखता। दोनों साधु बनते हैं। तमाकू सूखनेवाला साधु हो ही नहीं सकता—ऐसा नहीं है, फिर भी, यह एक व्यसन है। व्यसन साधु के लिए अच्छा नहीं होता। उसे मिटाने के लिए मर्यादा का निर्माण किया जाता है। हमारे संघ में कोई भी साधु तमाकू सूखनेवाला नहीं है। पहले कुछ थे। उनके इस व्यसन को मिटाने के लिए एक मर्यादा बनी कि विशेष प्रयोजन के जिना कोई भी साधु तमाकू न सूखे और किसी विशेष प्रयोजन से सूखे तो, जितने दिन सूखे उतने दिन दूध, दही मिठाई आदि 'विग्राह' न खाएँ। इस मर्यादा ने तमाकू सूखने

बालों और न सूँधने वालों का मेद मिया दिया। आब कोई भी साधु तमाकू सूँधने वाला नहीं है।

४ : मर्यादा क्या ?

आचार्य संघ के लिये मर्यादाओं का निर्माण करते हैं। वे योपी नहीं जाती। योपी हुई हों तो सम्मव है, हिंसा हो जाए। वल पूर्वक कुछ भी मनवाना अहिंसा नहीं हो सकता। धर्म-शासन की मर्यादाओं को अहिंसा की भाषा में मार्ग-दर्शन ही कहना चाहिए। साधनाशील मुनि साधना के पथ में निर्विन्द्र भाव से चलना चाहते हैं। निर्विन्द्रता अपने आप नहीं आती। उसके लिए वे आचार्य का मार्ग-दर्शन चाहते हैं। आचार्य उन्हें अमुक-अमुक प्रकार से आत्मनिर्यत्न के निर्देश देते हैं। वे ही मर्यादा बन जाती हैं।

५ : मर्यादा का मूल्य

मर्यादा का मूल्य साधक के विवेक पर निर्भर होता है। साधक का मनोभाव साधना की ओर झुका हुआ होता है, तब वह स्वयं नियंत्रण चाहता है। मर्यादाएँ मूल्यवान् बन जाती हैं। साधक साधना से मटकता है तब मर्यादाओं का मूल्य घट जाता है। आत्मानुशासन की मर्यादा का अवमूल्यन होता देख अत्यपिक्रियता साधकों के लिए कभी-कभी आचार्य को बाहरी नियंत्रण भी करना पड़ता है। वह करना चाहिए या नहीं, यह अहिंसा की दृष्टि से विचार-गीय है, किन्तु उंधीय बीवन में ऐसा हो ही जाता है। बाहरी नियंत्रण पर आधारित मर्यादाएँ संघ के लिये आवश्यक होती हाँगी, किन्तु साधना की दृष्टि से उनका कोई मूल्य नहीं है। साधना की दृष्टि से मूल्यवान् मर्यादाएँ वे ही हैं, जो आत्मानुशासन से उपजी हों।

६ : मर्यादा की पृष्ठमूर्मि

श्रद्धा के युग में प्रत्येक मर्यादा की सुरक्षा अपने आपमें होती है। तर्क के युग में वह सहल कार्यकर नहीं रहती। जिस स्थिति को जब बदलना चाहिए, वह ठीक समय पर बदल जाए, तो परिमाण अच्छा आता है, और उसे आगे सरकाने का यत्न होता है, तो वह बदलती अवश्य है, किन्तु प्रतिक्रिया के नाय। सफल मर्यादा वही है, जिसे पालने वालों की श्रद्धा ग्रास हो। जिसके प्रति निभानेवालों का अधिकांश भाग अश्रद्धाशील हो, आलोचक हो, वह बहुत समय तक टिक नहीं सकती, और टिक कर भी हित नहीं कर सकती। तार्किक दृष्टिकोण से न तो मर्यादाओं का पालन किया जा सकता है और न कराया जा सकता है। उसका पालन करने वाला श्रद्धावान् हो, हृदयवान् हो, तभी उसका निर्वाह हो सकता है।

आचार्य भिक्षु ने अपने प्रिय शिष्य भारीमाल जी से कहा—“यदि तुझे में किसी ने खामी बताई, तो प्रत्येक खामी के लिए तेला (त्रिदिवसीय उपवास) करना होगा ।”

उन्होंने उसे स्वीकार करते हुए कहा—“गुरुदेव ! यदि कोई भूठमूठ ही खामी बता दे तो ।”

आचार्यवर ने कहा—“तेला तो करना ही है । खामी होने पर कोई उसे बताए, तो ‘तेला’ उसका प्रायदिव्यता हो जाएगा । खामी किये बिना भी कोई उसे बताए, तो मान लेना कि यह किये हुए कर्मों का परिणाम है ।” भारीमल जी ने आचार्य की बाणी को सहर्ष शिरोधार्य कर लिया⁹ । तर्क से यह कभी शिरोधार्य नहीं किया जा सकता था ।

एक आचार्य ने अपने शिष्य से कहा—“जाओ, सौंप की लम्बाई को नाप आओ ।” शिष्य गया, एक रस्सी से उसकी लम्बाई को नाप लाया । आचार्य जो चाहते थे, वह नहीं हुआ । आचार्य ने फिर कहा—जाओ, सौंप के दाँत गिन आओ । शिष्य गया, उसके दाँत गिनने के लिए मुँह में हाथ ढाला कि सौंप ने उसे काट खाया । आचार्य ने कहा—बस काम हो गया । उसे कम्बल उढ़ा सुला दिया । विष की गर्मी ने उसके शरीर में से सारे कीड़ों को बाहर फेंक दिया ।

अधिकांश लोग जो अपने आपको कूटनीतिक मानते हैं, अहिंसा में विश्वास नहीं करते । जहाँ हिंसा है, वह प्रयोग है, राजसी वृत्तियाँ हैं, वहाँ हृदय नहीं होता, छलना होती है । छलना और श्रद्धा के मार्ग दो हैं । श्रद्धा निश्छल भाव में उपलती है । जहाँ नेता के तर्क के प्रति अनुगमी का तर्क आता है, वहाँ बड़े-छोटे का भाव नहीं होता, वहाँ होता है, तर्क की चोट से तर्क का हनन ।

आज का चतुर राजनयिक तर्क को कवच मानकर चलता है, पर यह भूल है । प्रत्यक्ष या सीधी बात के लिए तर्क आवश्यक नहीं होता । तर्क का क्षेत्र है, अस्पष्टता । स्पष्टता का अर्थ है, प्रत्यक्ष । प्रत्यक्ष का अर्थ है, तर्क का अविषय । तर्क की अपेक्षा प्रेम और विश्वास अधिक सफल होते हैं । जहाँ तर्क होता है, वहाँ जाने-अनजाने दिल सन्देह से भर जाता है । जहाँ प्रेम होता है, वहाँ सहज विश्वास बढ़ता है ।

अहिंसा और कोरी व्यवस्था के मार्ग दो हैं । अहिंसा के मार्ग में तर्क नहीं आता, और कोरी व्यवस्था के मार्ग में प्रेम नहीं पनपता । तर्क की भाषा

में दोनों को अपूर्ण कहा जा सकता है, पर प्रेम कभी अपूर्ण नहीं होता। प्रेम की अपूर्णता में ही तर्क का जन्म होता है। प्रेम की गहराई में सारे तर्क लीन हो जाते हैं।

यह विराट प्रेम ही अहिंसा है, निःकी गहराई सर्वभूत-साम्य की भावना से उत्पन्न होती है, और व्यात्मीपम्य की सीमा में ही फिर विलीन हो जाती है। हमारे विश्वास व्यवहारस्पर्शी अधिक हैं, इसलिए यह मार्ग हमें निर्विघ्न नहीं लगता। व्यवहार-कौशल ने हमारी विशुद्ध आन्तरिक प्रवृत्तियों को बुरी तरह दबोच रखा है। आवश्यकता यह है, कि हम अपनी स्वतः-स्फूर्त अन्तःकरण की प्रवृत्तियों को व्यवहार की संकीर्ण सीमा से बाहर जाने दें। मर्यादा के औचित्य का दर्शन हमें वहीं होगा।

आचार्य भारीमलजी ने अपने उत्तराधिकार पत्र में दो नाम लिखे। मुनि जीतमलजी ने उनसे प्रार्थना की—गुरुदेव ! इस पत्रमें नाम एक ही होना चाहिए, दो नहीं। आपने कहा—जीतमल ! खेतसी और रायचन्द मामा-भानजे हैं। दो नाम हों तो क्या आपत्ति है ? मुनिवर ने फिर अनुरोध किया कि नाम तो एक ही होना चाहिए, रखें आप चाहे जिसका। आचार्यवर ने खेतसी का नाम हटा दिया। उनका नाम लिखा गया, उसे उन्होंने गुरु का प्रसाद माना, हटा दिया उसे भी गुरु का प्रसाद माना। यह प्रेम की पूर्णता है। यदि प्रेम अपूर्ण होता, तो नाम हटने की स्थिति में बहुत बड़ा विवाद उठ खड़ा होता। प्रेम की पूर्णता में असह्य कुछ भी नहीं होता।

७ : मर्यादा की उपेक्षा क्यों ?

मर्यादा का भाग्य योग्य व्यवस्थापक के हाथों में ही सुरक्षित रहता है। अधिकारी व्यक्ति जब अपना या अपने आस-पास का हित देखने लग जाता है, तब मर्यादा पालने वालों की दृष्टि में सन्देह भर जाता है। उनकी अनिवार्यता उनके लिए समाप्त हो जाती है। व्यवस्था की कभी व्यवस्थापक के प्रति अश्रद्धा लाती है। इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है, कि व्यवस्थापक की कभी से व्यवस्था वीर्य-हीन बन जाती है। व्यवस्था की अप्रामाणिकता भी उसमें अश्रद्धा उत्पन्न करती है। व्यवस्था के प्रति विश्वास तभी स्थिर होता है, जब वह कभी अधिक और कभी कम साधन प्रस्तुत न करे। व्यवस्था को प्राणवान् बनाए रखने के लिए उसे किसी भी व्यक्ति से अधिक मूल्य मिलना चाहिए।

आचार्य मिष्टु की व्यवस्था इसलिए प्राणवान् है, कि वे अनुशासन के पक्ष में बहुत ही सजग थे। एक बार की घटना है, आचार्य मिष्टु ने मुनि वेणीराम जी को बुलाने के लिये शब्द किया। उत्तर नहीं मिला। दो तीन बार आवाज देने पर भी उत्तर नहीं मिल रहा था।

लगता है, वेणीराम संघ से अलग होगा—आचार्य मिश्र ने गुमानजी लुणावत से कहा। गुमानजी तत्काल उठे, और सामने की दूकान में वेणीरामजी स्त्रामी के पास जा वह सब सुना दिया, जो आचार्यवर ने कहा था।

वे उसी क्षण आचार्यवर के पास आए, और बन्दना की। आपने कहा—
शब्द करने पर भी नहीं बोलता है।

वेणीरामजी ने कहा—गुरुदेव। मैंने सुना नहीं था। उनके नम्र व्यवहार ने आचार्यवर को प्रसन्न कर लिया, किन्तु इस घटना से सब साधुओं को अनुशासन की एक सजीव चिक्षा मिल गई^१।

आचार्य मिश्र अनुशासन में कभी चिथिलता नहीं आने देते थे। सिंहनी गुजराती साधु थे। वे आचार्य मिश्र के शिष्य बन गए। कुछ दिन वे अनुशासन में रहे, फिर मर्यादा की अवहेलना करने लगे। यह देख आचार्यवर ने उन्हें संघ से अलग कर दिया। वे दूसरे गाँव चले गए। पीछे से खेतसीनी स्त्रामी ने कहा—उन्हें प्रायशिच्त दें, मैं वापस ले आता हूँ। आचार्यवर ने—
कहा—वह फिर लाने योग्य नहीं है।

खेतसीनी ने आचार्यवर की बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया। वे उन्हें लाने के लिये तैयार हुए। आचार्यवर ने अनुशासन की डोर को खींचते हुए कहा—खेतसी! तूने उनके साथ आहार का सम्बन्ध लोडा, तो तेरे साथ हमें आहार का सम्बन्ध रखने का त्याग है। खेतसीनी के पैर लहर्ते थे, वही रह गए। फिर उनकी अयोग्यता और अनुशासनहीनता के अनेक प्रमाण सुनने को मिले^२।

: ८ : अनुशासन की भूमिका

अनुशासन की पूर्णता के लिए अनुशासन करने वाला योग्य हो इतना ही पर्याप्त नहीं है। उसकी पूर्णता के लिए इसकी भी बड़ी अपेक्षा होती है कि उसे मानने वाले भी योग्य हों। दोनों की योग्यता से ही अनुशासन को समुचित महत्व मिल सकता है।

आचार्य मिश्र शिष्यों के नुनाव को बहुत महत्व देते थे। वे हर किसी को दीक्षित बनाने के पक्ष में नहीं थे। अयोग्य-दीक्षा पर उन्होंने तीखे बाण फेंके। जो शिष्य-शिष्याओं के लोभी हैं, केवल सम्प्रदाय चलाने के लिए बुद्धि-विकल व्यक्तियों को मूँड-मढ़ कर इकट्ठा करते हैं, उन्हें स्पर्यों से मोल

१—हृष्टान्त-१६३

२—हृष्टान्त-१६४

लेते हैं, वे गुणहीन आचार्य हैं और उनकी शिष्य-मण्डली कोरी पेटू^१।

कुछ साधु गृहस्थ को इसकी प्रतिक्रिया दिलाते कि दीक्षा मेरे पास ही लेना और कहीं नहीं। यह ममत्व है। ऐसा करना साधु के लिए अनुचित है^२।

विवेक-विकल व्यक्ति को साधु का स्वांग पहनाने वाले और अयोग्य को दीक्षित करने वाले भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं^३।

अयोग्य शिष्यों की बाढ़ आ रही थी, उसका कारण या आचार्य पद की लालसा। आचार्य भिष्म ने रोग की जड़ को पकड़ लिया। उन्होंने उस पर दोनों ओर से नियन्त्रण किया। उन्होंने एक मर्यादा लिखी कि मेरे बाद आचार्य भारमलजी होंगे। तेरापंथ में आचार्य एक ही होगा, दो नहीं हो सकेंगे^४। दूसरी ओर आपने उसी मर्यादा-पत्र में एक धारा यह लिखी कि जो शिष्य बनाए जाएँ वे सब भारमलजी के नाम से बनाए जाएँ^५। इसके द्वारा शिष्य बनाने पर भी नियन्त्रण हो गया। जो चाहे वह आचार्य भी नहीं

१-साध्वाचार ढाठ० ३ गा० ११-१३

चेला-चेली करण रा लोभिया रे, एकरं मत वांधण सूं काम रे।
विकलां नें मूँढ-मूँढ भेला करे रे, द्विराए गृहस्थ ना रोकड़ दाम रे॥
पूजरी पदवी नाम धरावसी रे, में छां सासण नायक साम रे।
पिण आचारे ढीला मुधनहिं पालसी रे, नहिं कोइ आतम साधन काम रे॥
आचार्य नाम धरासी गुण चिना रे, पेटभरा ज्यारों परवार रे।
लपटी तो हूसी झन्द्री पोपवा रे, कपट कर ल्यासी सरस आहार रे॥

२-साध्वाचार ढाठ० १ गा० १८-१६

दिल्या ले तो मो आगे लीजे, ओर कनें दे पालजी।
झुगुर एहबो सूंस करावे, ए चोड़े ऊँधी चालजी॥
ए वंधाथी ममता लगे, गृहस्थ सूं भेलप थायजी।
नशीत रे चोथे उद्देसे, डंड कहो जिनरायजी॥

३-साध्वाचार ढाठ० १ गा० २३-२४

विवेक विकल नें सांग पहराए, भेलो करे आहार जी।
सामग्री में जाय बंदावें, फिर फिर करे खुदार जी॥
अजोग नें दिल्या दीधी ते, भगवंतरी आज्ञा वार जी।
नसीतरो ढंड मूल न मान्यों, ते चिट्ठ हुवा वेकार जी॥

४-लिखित १८३२

५-लिखित १८३२

हो सकता और जो चाहे वह शिष्य भी नहीं बना सकता। आचार्य हुए बिना शिष्य कैसे बनाएँ और शिष्यों के बिना आचार्य कैसे बने? यह उभयतः पाश रचकर आचार्यवर अयोग्य दीक्षा की बाद को रोकने में सफल हुए।

आचार्य भिक्षु ने एक अपबाद रखा था—भारमलनी प्रसन्न होकर किसी साधु को शिष्य बनाने की स्वीकृति दें, तो वह बना सकता है। इस विधि का प्रयोग नहीं हुआ।

कुछ वर्षों तक साधु किसी व्यक्ति को दीक्षित कर आचार्य को संौंप देते थे, पर अब वह परम्परा भी नहीं है। वर्तमान में जितनी भी दीक्षाएँ होती हैं, उनमें निन्यानवे प्रतिशत आचार्य के हाथों से ही सम्पन्न होती हैं। एक प्रतिशत कहीं अन्यत्र आचार्य की स्वीकृति से दूसरे साधु-साध्यों द्वारा सम्पन्न होती है। आचार्य को दीक्षा का सर्वाधिकार देकर भी उन्हें एक धारा के द्वारा फिर सचेत किया है—“आचार्य भी उसे ही शिष्य बनाएँ जिसे और-और बुद्धिमान साधु भी दीक्षा के बोग्य रमझे। दूसरे साधुओं को जिसकी प्रतीति हो उसीको दीक्षा दें, जिसकी प्रतीति न हो उसे दीक्षा न दें। दीक्षा देने के बाद भी कोई अयोग्य हो तो बुद्धिमान साधुर्वां की सहमति से उसे संघ से पृथक् कर दें।”

दीक्षा लेने का मुख्य हेतु वैराग्य है, किन्तु कोरे वैराग्य से संयम की साधना नहीं हो सकती। विरक्त आदमी इन्द्रिय और मन का संयम कर सकता है किन्तु संयम की मर्यादा इससे भी थागे है। भगवान् ने कहा है—जो जीवों को नहीं जानता, अजीवों को नहीं जानता वह संयम को कैसे जानेगा? जो जीवों को जानता है, अजीवों को जानता है, वही संयम को जान सकेगा। जीव है, अजीव है, बन्धन है, उसके हेतु हैं, मुक्ति है, उसके हेतु हैं। साधक के लिए ये मौलिक तत्त्व हैं। इन्हीं के विस्तार को नव-न्तत्त्व कहा जाता है।

आचार्य भिक्षु ने लिखा कि दीक्षार्थी को नव-न्तत्त्वों की पूरी जानकारी

१-लिखित १८३२

१-दशवैकालिक ४ : १२, १३ :

जो जीवे वि न याणाङ्, अजीवे वि न याणाङ्।

जीवाजीवे अयाणंतो, कह सो नाहीङ् संजमं ॥

जो जीवे वि वियाणाङ्, अजीवे वि वियाणाङ्।

जीवाजीवे वियाणंतो, सो हु नाहीङ् संजमं ॥

करने के बाद दीक्षा दी जाए । आचार्य मिश्र अपने जीवन में सदा सर्तक रहे । उन्होंने अन्तिम दीक्षा में भी वही कहा—“लिसतिस को मत मूँढ निना, दीक्षा देने में पूरी सावधानी रखना ॥” इस प्रकार अयोग्य दीक्षा पर कहा प्रतिबन्ध लगा उन्होंने अनुशासन की भूमिका को सुदृढ़ बना दिया ।

३ : अनुशासन के दो पक्ष

अनुशासन आत्मशुद्धि के लिए भी आवश्यक होता है और सामुदायिक व्यवस्था के लिए भी । इनमें एक नैश्चयिक पक्ष है और दूसरा व्यावहारिक । मुनि जीवन भर के लिए पाँच महात्रतों को अंगीकार करता है, यह नैश्चयिक अनुशासन का पक्ष है ।

महात्रतों को एक पक्ष कर स्वीकार नहीं किया जा सकता । इनका स्वीकार एक ही साथ होता है । आचार्य मिश्र के शब्दों में महात्रत उस धारे में पिरोड़ हुई माला है, जिसमें मनकों के बीच-बीच में गाँठ नहीं होती । वे एक ही सुरुच धारे में एक साथ रहते हैं और धागा ढूँटा है तो सारे के सारे मनके गिर जाते हैं । अगुत्रत उस धारे में पिरोड़ हुई माला है, जिसमें प्रत्येक मनके के बीच गाँठ होती है । वह एक गाँठ के बाद एक होता है और धागा ढूँटा है तो एक ही मनका गिरता है, सारे के सारे नहीं गिरते ।

महात्रतों की युग्मता प्राप्ति को आचार्यवर ने संचादात्मक शैली से समझाया है—

गुरु :—हिंसा, असत्य, चोरी, अव्रहम्य और परिग्रह ये पाँच महान् दोष हैं । इनके द्वारा जीव हुँल की परम्परा को बनाए रखता है ।

शिष्य :—जो भगवन् । तुम्हारी की प्राप्ति के उपाय क्या है ?

गुरु :—अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, और अपरिग्रह ये पाँच महान् गुण हैं । इनके द्वारा जीव असूम तुल को प्राप्त होता है ।

शिष्य :—गुरुदेव ! मैं अहिंसा महात्रत को अंगीकार करता हूँ । मैं आत्म से किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करूँगा । किन्तु गुरुदेव वाणी पर नेरा दृष्टना नियन्त्रण नहीं कि मैं असत्य बोलना छोड़ सकूँ ।

गुरु—शिष्य ! इस प्रकार महात्रत अंगीकार नहीं किये जा सकते । असत्य बोलने का त्याग किये त्रिना त्रुप अहिंसा-महात्रती कैसे बन पाओगे ? असत्य बोलने वाला हिंसा में धर्म ब्रताने में क्यों संकोच करेगा ?

असत्य भाषी इस सिद्धान्त का भी प्रचार कर सकता है कि हिंसा में भी

धर्म, है तो उसे कौन रोकेगा ? असत्य और हिंसा दोनों साथ-साथ रहते हैं। जहाँ हिंसा है, वहाँ असत्य वचन नहीं भी हो सकता किन्तु जहाँ असत्य-वचन है, वहाँ हिंसा अवश्य है। इसलिए असत्यभाषी रहकर तुम अहिंसा के महाव्रती नहीं बन सकते।

शिष्यः—गुरुदेव ! मैं हिंसा और असत्य दोनों का त्याग करूँगा, परन्तु मैं चोरी नहीं छोड़ सकता। धन के प्रति मेरी अत्यन्त लालसा है।

गुरुः—तू हिंसा नहीं करेगा, असत्य भी नहीं बोलेगा तो चोरी कैसे कर सकेगा ? तू चोरी करके सत्य बोलेगा तो चोरी का धन तेरे पास कैसे रहेगा ? लोग तुम्हे चोरी करने भी कब देंगे ?

दूसरों का धन चुराने से उन्हें कष्ट होता है। किसी को कष्ट देना हिंसा है। इस प्रकार तेरा पहला महाव्रत टूट जाएगा और तू यह कहे कि धन चुराने में हिंसा नहीं है तो तेरा दूसरा महाव्रत भी टूट जाएगा।

शिष्यः—अच्छा, गुरुदेव ! मैं इन तीनों महाव्रतों को अंगीकार कर लूँगा, पर मैं ब्रह्मचारी नहीं बन सकता। भोग मुझे बहुत प्रिय है।

गुरुः—अब्रह्मचारी पहले तीनों महाव्रतों को तोड़ देता है। अब्रह्मचर्य सभी गुणों को इस प्रकार जला डालता है जिस प्रकार धुनी हुई रुई को आग। अब्रह्मचर्य के सेवन से जीवों की हिंसा होती है—पहला महाव्रत टूट जाता है। हिंसा नहीं होती—ऐसा कहने पर दूसरा महाव्रत टूट जाता है। अब्रह्मचर्य का सेवन भगवान की आशा के विरुद्ध है, इसलिये तीसरा महाव्रत टूट जाता है। इस प्रकार अब्रह्मचर्य सेवन से पहले तीनों महाव्रत टूट जाते हैं।

शिष्यः—गुरुदेव ! मैं अपनी आत्मा को बद्ध में करूँगा। आप मुझे ये चारों महाव्रत अंगीकार करा दीजिए। पर पाँचवें महाव्रत को अंगीकार करने में मैं अपने को असमर्थ पाता हूँ। ममत्व को त्यागना मेरे लिए बहुत कठिन है। परिग्रह के बिना मेरा काम नहीं चल सकता।

गुरुः—यदि परिग्रह नहीं छोड़ा, तो तसे छोड़ा ही न्या ! हिंसा, असत्य, चोरी और अब्रह्मचर्य—इन सब रोगों की जड़ परिग्रह ही तो है। परिग्रह की छूट रख कर तू अन्य महाव्रतों का पालन कैसे करेगा ? मनुष्य परिग्रह के लिए हिंसा करता है, असत्य बोलता है, चोरी करता है और भोग स्वयं परिग्रह है। इसलिये परिग्रह रखने वाला ज्ञेय महाव्रतों को अंगीकार नहीं कर सकता।

शिष्यः—गुरुदेव ! केवल परिग्रह के कारण यदि मेरे चारों महाव्रत टूटे हैं तो मैं उसे भी त्याग दूँगा। मैं हिंसा आदि पाँचों दोषों का मनसा, वाचा कर्मणा, सेवन नहीं करूँगा। अब तो मैं महाव्रती हूँ न !

गुरुः—नहीं हो ।

शिष्य :—यह कैसे ?

गुरु :—तुम केवल हिंसा करने का त्याग करते हो, कराने का नहीं। इसका अर्थ हुआ कि तुम हिंसा कर सकते हो। तब भला महाब्रती कैसे ? हिंसा करने वाला हिंसक है तो क्या करानेवाला हिंसक नहीं है ?

धर में तो पूरा अनाज ही खाने को नहीं मिलता और साधु बन कर बहुत सारे लोग राजसी ठाट भोगने लग जाते हैं। यह महाब्रत की आराधना का मार्ग नहीं है।

शिष्य :—गुरुदेव ! मैं हिंसा कराने का भी त्याग करता हूँ, फिर तो कुछ शेष नहीं होगा ?

गुरु :—हिंसा के अनुमोदन का त्याग किये बिना महाब्रत कहाँ है ? हिंसा करने, कराने वाला हिंसक है तो उसका अनुमोदन करने वाला अहिंसक कैसे होगा ?

शिष्य :—समझ गया हूँ गुरुदेव ! हिंसा आदि दोषों का सेवन करने, कराने और उनका अनुमोदन करने का मनसा, वाचा, कर्मण त्याग करने वाला ही महाब्रती हो सकता है। भगवन् ! मैं ऐसा ही होना चाहता हूँ।

गुरु :—जैसी उम्हारी इच्छा ।

शिष्य :—इनके दूटने का क्रम क्या है ? यदि कदाचित् कोई महाब्रत दूट जाय तो शेष तो बच रहेंगे ?

गुरु :—यह कैसे हो सकता है ?

शिष्य :—तो फिर यह कैसे हो सकता है कि एक के दूटने पर सभी दूट जायें ।

गुरु :—एक भिखारी को पाँच रोटी जितना आटा मिला। वह रोटी बनाने वैठा। उसने एक रोटी बना चूहे के पीछे रख दी। दूसरी रोटी तबे पर सिक रही थी, तीसरी अँगारों पर, चौथी रोटी का आटा उसके हाथ में था और पांचवीं रोटी का आटा कठौती में पड़ा था।

एक कुत्ता आया। कठौती से आटे को उठा कर ले गया। उसके पीछे पीछे वह भिखारी दौड़ा। वह ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसके हाथ में जो एक रोटी का आटा था वह धूल से भर गया। उसने बापस आकर देखा कि चूहे के पीछे रखी हुई रोटी विण्ठी ले जा रही है। तबे पर रखी हुई रोटी तबे पर और अँगारों पर रखी हुई अँगारों पर लाल गई। एक रोटी का आटा ही नहीं गया, पाँचों रोटियाँ चल 'गईं'। गुरु ने कहा—यह अकस्मात् हो सकता

है, पर यह सुनिश्चित है कि एक महाव्रत के दृग्ने पर सभी महाव्रत टूट जाते हैं^१।

महाव्रत मूल्यगुण है। इनकी सुरक्षा के लिए ही उत्तर-गुणों की सृष्टि होती है। मर्यादाएँ उत्तर-गुण हैं। मूल पूँजी ही न रहे तो उसकी सुरक्षा का प्रश्न ही मूल्यहीन हो जाता है।

अनुशासन और विनय का मूल्य महाव्रती जीवन में ही बढ़ता है। इसी-लिये आचार्य भिक्षु ने एकाधिक वार कहा है कि मैंने जो मर्यादाएँ की हैं, उनका मूल्य इसीलिए है कि वे महाव्रतों की सुरक्षा के उपाय हैं।

१० : अनुशासन का उद्देश्य

तीन प्रकार की नौकाएँ हैं—

- (१) एक काठ की, जिसमें छेद नहीं होता।
- (२) एक काठ की, किन्तु फूटी हुई।
- (३) एक पत्थर की।

पहली नौका के समान साधु होते हैं, जो स्वयं तरते हैं और दूसरों को भी तारते हैं।

दूसरी कोटि की नौका के समान साधु का मेष धारण करने वाले हैं, जो स्वयं डूबते हैं और दूसरों को डूबते हैं।

तीसरी कोटि के समान पाखंडी हैं, जो प्रत्यक्ष विरुद्ध हैं, इसलिए उनके जाल में लोग सहसा नहीं फँसते।

मैथिधारी प्रत्यक्ष विरुद्ध नहीं होते। इसलिए उनके जाल में लोग सहसा फँस जाते हैं^२।

आचार्य भिक्षु ने अनुभव किया कि अनुशासन का भंग उच्छृङ्खल वृत्तियों से होता है। अंकुश के विना जैसे हाथी चलता है, लगाम के विना जैसे घोड़ा चलता है वैसे ही जो अनुशासन के विना चलता है वह नामधारी साधु है^३।

इस युग में श्रमण योद्धे हैं और मुँडी अधिक हैं। वे साधु का मेष (मेष)

१-दृष्टान्त-४१

२-दृष्टान्त-२०१

३-साध्वाचार ढाल १ गा० ३५ :

विन अंकुस जिम हाथी चाले, घोड़ो विगर लगाम जी।
एहवो चाल कुगुरु री जाणो, कहिवा नै साधु नाम जी॥

पहन कर माया-लाल विद्या रहे हैं^१। इस माया लाल की अन्तेष्ठि के लिए उन्होंने मर्यादाएँ की। उनकी वाणी है—शिष्यो ! बस्त्रों और सुविधाकारी गाँधों की ममता में बंध कर असंख्य जीव चरित्र से भ्रष्ट हो गए हैं।

इसलिए मैंने शिष्यों की ममता मिटाने व शुद्ध चरित्र को पालने का उपाय किया है, विनय मूल धर्म व न्याय मार्ग पर चलने का प्रण किया है।

मैण्डियारी विकल शिष्यों को मूँड़ इकट्ठा कर लेते हैं। वे शिष्यों के भूखे होकर परस्पर एक-दूसरे में दोष बतलाते हैं, एक-दूसरे के शिष्यों को फटा पृथक् कर लेते हैं, कलह करते हैं। मैंने ये चरित्र देखे हैं। इसलिए मैंने साधुओं के लिए ये मर्यादाएँ की हैं। शिष्य-शास्त्र का सन्तोष कर कर सुन्नपूर्वक संयम पालने का उपाय किया है^२।

११ : विचार स्वातन्त्र्य का सम्मान

भागत में गगतन्त्र का श्रुतिहास पुराना है। गणतन्त्र का अर्थ है—अनेक शासकों द्वारा चलित राज्य। जनतन्त्र जनता का राज्य होता है। गणतन्त्र की अपेक्षा जनतन्त्र अधिक विकासशील है। विकास की कसीटी है स्वतन्त्रता, स्वतन्त्रता का मूल्य है आध्यात्मिक विचार।

जननदर्शन के अनुमार प्रत्येक आत्मा की स्वतन्त्र सत्ता है। वह अपने ही कावों द्वारा स्वयं चालित होती है। उसकी व्यवस्था अपने आप में निहित है। प्रत्येक आत्मा स्वयं ब्रह्म है, स्वयं विष्णु और स्वयं शंकर।

स्वतन्त्रता का वात्सविक मूल्यांकन धार्मिक जगत् में ही होता है। राजनीति में गगतन्त्र या जनतन्त्र हो सकता है, पर स्वतन्त्रता का विकास नहीं हो सकता। राज्य का मूल मन्त्र है-शक्ति, और धर्म का मूल मन्त्र है—पवित्रता। जहाँ शक्ति है वहाँ विवशता होगी और जहाँ पवित्रता है वहाँ हृदय की शुद्धि होगी।

हृदय की शुद्धि जिस अनुशासन को स्वीकार करती है वह है धर्म-शासन।

विवशता से जो अनुशासन स्वीकार करना होता है वह है राज्य शासन।

धर्म-शासन हृदय का शासन है। इसलिये उसे एकतन्त्र, गणतन्त्र, जनतन्त्र जैसी राजनीतिक संशा नहीं दी जा सकती। फिर भी यदि हम नामकरण

१-साध्वाचार ढाल २ दू-२

समरण थोड़ा नैं मुँड़ घणा, पांचमें चेन।

भेष लेह साधां तणो, करसी कूड़ा फेन॥

२-लिखित १८३२

का लोभ-संवरण न कर सकें तो आचार्य भिक्षु की शासन प्रणाली को एकतन्त्र और जनतन्त्र का समन्वय कह सकते हैं।

एकतन्त्र इसलिये कि उसमें आचार्य का महत्व सर्वोपरि है। आचार्य का महत्व सर्वोपरि है इसलिए इसे 'एकतन्त्र' की संज्ञा मिल जाती है, यदि यह राजनीतिवाद होता। किन्तु यह धर्म-शासन का एक प्रकार है। इसमें आचार्य को मानने के लिए दूसरे विवरण नहीं किये जाते, किन्तु साधना करने वाले स्वयं आचार्य को महत्व देते हैं। उनके निर्देशन में ही अपनी यात्रा को निर्वाध समझते हैं। जनतन्त्र इसलिये कि आचार्य अपने शिष्यों पर अनुशासन लादते नहीं किन्तु उन्हें, उन्हीं के हित के लिए, उसकी आवश्यकता समझा कर अनुशासित करते हैं। इसलिये यह न कोरा एकतन्त्र है और न कोरा जनतन्त्र, किन्तु एकतन्त्र और जनतन्त्र का समन्वय है।

आचार्य भिक्षु ने एक मर्यादा-पत्र में लिखा है कि—“मैंने जो मर्यादाएँ की हैं, वे सब साधुओं के मनोभावों को देख कर, उन्हें राजी कर, उनसे कहला कर कि ये होनी चाहिए, की हैं। जिसका आन्तरिक विचार स्वच्छ हो, वह इस मर्यादा-पत्र पर हस्ताक्षर करें। इसमें शर्माशर्मी का कोई काम नहीं है। मुँह पर और तथा मन में और—यह साधु के लिये उचित नहीं है।” यह हृदय की स्वतन्त्रता ही एकतन्त्र में जनतन्त्र को समन्वित करती है।

आचार्य भिक्षु ने अनुशासन को जितना महत्व दिया है उतना ही स्वतन्त्रता का सम्मान किया है। एक और कोई साधु मर्यादा को स्वीकार करे और दूसरी ओर उसकी आलोचना करे—यह स्वतन्त्रता नहीं किन्तु अनुशासन हीनता है। स्वतन्त्रता वह है कि जो न जंचे, उसे स्वीकार ही न करे। स्वीकार कर लेने पर उसकी टीका-टिप्पणी करता रहे, यह अपने मतदान के ग्रन्ति भी न्याय नहीं है।

एक साधु ने कहा—मुझे प्रायशिच्चत लेना है पर मैं आपके पास नहीं लौगा। मुझे आपका विश्वास नहीं है।

आपने कहा—“आलोचनां मेरे पास करो, दोष का निवेदन मुझे करो फिर प्रायशिच्चत भले उस तीसरे साधु से करो।”

प्रायशिच्चत कम-बेशी नहीं देना चाहिये, यह अनुशासन का प्रश्न है। इस-

छिए आपने अलोचना किसी के पास करने की छूट नहीं दी। आलोचना आप के पास होती है तो प्रायदिव्यत देने वाला कम नहीं दे सकता।

प्रायदिव्यत आचार्य के पास ही करना चाहिए, पर उस साथ ने दूसरे साथ के पास करना चाहा। वह उनकी मानसिक दुर्बलता है और आचार्यवर ने उसे यह छूट दी, वह उनकी मानसिक उचितता है। यह उँचाइ उन्हें त्वतन्त्रता का सम्मान करने के प्रत्यक्षलक्ष्य मिली थी।

उन्होंने एक नर्यादा-पत्र छिपा कि जो साथ मुझसे प्रायदिव्यत ले वह मुझ में मरीजा रखे। मुझे बैसा दोष लगेगा ऐसा प्रायदिव्यत में दूँगा। प्रायदिव्यत देने के पश्चात् इसे थोड़ा दिया, उसे अधिक दिया—यों कहना अनुचित है। जिसे मुझ में विद्यात न हो, वह न करे। मैं अपनी हुद्दि से तोल कर प्रायदिव्यत देता हूँ। गगड़ेप वश कम-बैशी दूँगा तो उनका कुछ मुझे सुगतना होगा। इस पर मी किंतु को मेरा विद्यात न हो तो वह किंतु दूनरे साथ से प्रायदिव्यत ले ले। पर प्रायदिव्यत उन्हें के बाद किनी प्रकार का विग्रह लड़ा न करे।^१

एक साथ की भूल ने उनकी छिपी हुई अद्वितीय को प्रकाश में ला दिया। फिर किंतु भी साथ ने इन भूल को नहीं दुहराया।

स्वतन्त्रता का सम्मान वही कर सकता है जो अनुनृति की गहराई में डुबकियां ले चुका हो। आचार्य मिश्र ने बहुत देखा, बहुत उन और बहुत सहा।

आप एक बार साथ-साथ ने पीड़ित हो गए थे। उन दिनों की बात है—हेमगृह जी स्वामी ‘गांवचंद’ गए। मिला की खोली आचार्यवर के सामने रही। एक पात्र में ढाल थी—चनों और चूंगों की मिली हुई।

आचार्यवर ने पूछा—वह चनों और चूंगों की ढाल किसने मिलाई?

हेमगृहजी—स्वामी ने उत्तर दिया—मैंने।

आचार्यश्री—रोगी के छिपे नूँग की बाल की खोज करना तो दूर रहा, किन्तु जो उद्देश प्राप्त हुई उसे मी मिला कर लाया है।

हेमगृह जी—चान नहीं रहा, अनजाने ऐसा हो गया।

आचार्य श्री—वह ऐसी क्या गहरी बात थी, जो ज्यान नहीं रहा? बर्दनाम की आवश्यकता को तू जानता है फिर अनजाने में यह कैसे हुआ?

हेमगृह जी स्वामी की आचार्य मिश्र की यह बात चुम्ही। वे उत्तर द्दे प्रकाश स्थान में चा लेट गए। आचार्य मिश्र ने उमय की सुइ को कूछ और लुकले दिया। वे आहार कर आए और हेमगृह जी स्वामी को उमोघित कर लड़ा—अपना अवगुण देन रहा है या मेरा?

हेमराजी त्वामी ने कहा—“गुरुदेव ! अपना ही देख रहा हूँ ।”

आचार्य मिश्र चोले—‘मैंने बो कहा है वह चुभन उत्पन्न करने के लिए नहीं कहा है, किंतु तेरी स्वतन्त्र बुद्धि का सम्मान बढ़े, इसलिए कहा है। ठीक-ठीक निर्णय करने में तू भूल न करे, इसलिए कहा है ।’

१२ : संघ-व्यवस्था

मगवान्-महावीर के समय १४ हजार सालु और ३६ हजार साञ्चियों थीं। ८ गण और ११ गणवर थे। उनकी सामाचारी एक थी। उनका विमालन व्यवस्था की दृष्टि से था। प्राचीन समय में सालु-संघ में सात पद थे—

(१) आचार्य (२) उपाध्याय (३) गणी (४) गणावल्लेदक (५) स्थविर (६) प्रवर्तक (७) प्रवर्तिनी

इनके द्वारा हजारों-हजारों सालु-साञ्चियों का कार्य-तंचालन होता था। इनमें आचार्य का स्थान सर्वोपरि है। उपाध्याय का काम है संघ में शिक्षा का प्रसार करना, प्रबचन अविद्धिन रहे वैसी व्यवस्था करना।

गणी—मुनि-गण का व्यवस्थापक।

गणावल्लेदक—गच्छ के विकास के लिए सालुओं की मण्डली को साथ लेकर गाँव-नाँव विहरने वाला और उनके संयम का स्थान रखने वाला।

स्थविर—बड़ी उम्र वाला विशेष अनुभवी मुनि।

प्रवर्तक—रुद्धम की बुद्धि और अन्यास के लिए प्रेरणा देने वाला।

प्रवर्तिनी—साञ्चियों की व्यवस्था करने वाली साली।

एक व्यक्ति ने पूछा—आपके उपाध्याय कौन हैं ?

आचार्य मिश्र ने उत्तर दिया—कोई नहीं।

उसने कहा—तो उपाध्याय के बिना संघ पूर्ण कैसे होगा ?

आचार्य मिश्र ने उत्तर दिया—संघ पूर्ण है। सातों पदों का काम मैं अकेला देख रहा हूँ।

आचार्य और उपाध्याय एक होते थे—ऐसा प्राचीन साहित्य में मिलता है। आचार्य सालुओं को वर्य पढ़ाते और उपाध्याय सूत्र पढ़ाते। जिन विषयों को वर्य पढ़ाते उनके लिए वे आचार्य होते और जिन्हें सूत्र-पाठ पढ़ाते उनके लिए वे ही उपाध्याय होते—इस प्रकार एक ही व्यक्ति किसी के लिए आचार्य और किसी के लिए उपाध्याय होते^२।

१-हृष्टान्त १६६

२-स्थानांग वृत्ति ५। २। ४३८

ओघ नियुक्ति के अनुसार वह कोई आवश्यक नहीं कि आचार्य और उपाध्याय भिन्न ही हों। एक ही व्यक्ति गियों को अर्थ और सूत्र दोनों देसकता है और वह आचार्य और उपाध्याय दोनों हो सकता है^१। इससे जान पड़ता है कि एक ही व्यक्ति के आचार्य और उपाध्याय होने की परम्परा पुरानी है। पर सातों पदों का काम एक ही व्यक्ति करे वह नई परम्परा है। इसका सूत्रपात आचार्य भिन्न ने किया।

यह प्रथम दर्शन में कुछ अटपटा सा लगता है। दूसरों के अधिकारों पर प्रहार और व्यक्तिवाद को बढ़ावा देने वाला कार्य सा लगता है। थोड़े चिन्तन के बाद स्थिति पेसी नहीं रहती। अधिकार का प्रश्न राज्य-शासन में होता है। धर्म-शासन में केवल धर्म-पालन का ही प्रश्न होता है। जो मुनि बनते हैं वे आचार्य, उपाध्याय आदि आदि पद पर बनने के लिए नहीं बनते। वे आत्म-साधना के लिए मुनि बनते हैं। जहाँ आत्म-साधना गौण और पद-साधना प्रधान बन जाती है, वहाँ मुनित्व दोग बन जाता है। वहाँ साधना आत्मा की होती है और पद का काम जिसे करना हो वह करे, वहाँ साधना प्रधान और सर्वोपरि अभिलेखीय तथा पद गौण बन जाता है। जिस साधु संघ में पद का प्रश्न सर्वोपरि होता है वह प्राणहीन बन जाता है। पद और प्रतिपादा की भूत्त कोई नई वीमारी नहीं है। यह शाक्वत-सी है। इसका समूल-उन्मूलन होना तो बहुत ही कठिन है। इतना अवश्य होता है कि परिस्थिति की उत्तेजना मिलती है, तो यह बढ़ जाती है और उसकी उत्तेजना न मिलने पर वह शान्त रहती है।

आचार्य भिन्न ने पेसी अवस्था की, जिसे किसी भी साधु को आचार्य पद की भूत्त रखने का अवसर ही न मिले।

उन्होंने लिखा—“वर्तमान आचार्य की इच्छा हो तब वह गुरु-भाई अथवा अपने शिष्य को अपना उत्तराधिकारी चुने, उसे सब साधु-साधियों आचार्य मान लें। सब साधु-साधियों एक ही आचार्य की आज्ञा में रहें। यह परम्परा मैंने की है^२।”

इस मर्यादा का तेरापंथ के आत्मार्थी साधु-साधियों ने बहुत ही आन्तरिकता से पालन किया है। आचार्य श्रीतुलसी नवमें आचार्य हैं। इन्हें इनके पूर्ववर्ती आचार्य पूज्य प्रब्रह्म काल्घणी ने २२ वर्ष की अवस्था में अपना-

१-नावश्यमाचार्योपाध्यायै भिन्नैर्भवितव्यम्;

अपितु क्वचिद् सावेव सूर्वं शिष्येभयः प्रचञ्चन्त्य सावेव चार्यम्।

—ओघ० बृ० ५० ३

उत्तराधिकारी चुना। इस समय पांच सौ के लगभग साधु-साध्वियों थीं। उनमें बयः प्राप्त भी थे, विद्वान् भी थे, सभी प्रकार के थे। यह आंखों देखा विवरण है कि आचार्य तुलसी को संघ ने वही सम्मान दिया, जो महान् तपस्वी पूर्ववर्ती आचार्य को देता था।

छहे आचार्य माणकलालजी अपने उत्तराधिकारी का निर्वाचन नहीं कर सके। उनका अकस्मात् स्वर्गवास हो गया। फिर साधु-संघ मिला। सब साधुओं ने मुनि कालजी को भार सौंपा। उन्होंने डालचन्दजी के नाम की घोषणा की। सब साधु-साध्वियों ने उन्हें अपना आचार्य स्वीकार कर लिया। हमारा इतिहास यह है कि आचार्य पद के लिए कभी कोई विवाद नहीं हुआ।

व्यवस्था आखिर व्यवस्था होती है। वह प्राणवान् साधना से बनती है। हमारे आचार्य और साधु जब तक साधना को अधिक महत्व देंगे, तब तक आचार्य पद का प्रश्न जटिल नहीं बनेगा। साधना के गौण होने पर जो होता है सो होता ही है।

आचार्य पद के निर्वाचन का प्रश्न जटिल न बने—इसका सम्बन्ध औरों की अपेक्षा आचार्य से अधिक है। आचार्य पद व्यक्तिवाद से जितना अस्थृ रह पाए, उतना ही वह विचादास्पद बनने से बचता रहेगा। साधु-साध्वियों से भी इसका सम्बन्ध न हो, ऐसा नहीं है। उनका दृष्टिकोण संघ की अपेक्षा अपना महत्व साधने में लग जाए तो आचार्य पद की समस्या जटिल बने विना नहीं रह पाती। स्वार्थ की दृष्टि खुलते ही सामुदायिकता का रूप धुंधला दीखने लगता है।

: १३ : गण और गणी

आचार्य भिक्षु की व्यवस्था में गणी की अपेक्षा गण का स्थान महत्वपूर्ण है। गणी गण में से ही आते हैं। गण स्थायी है, गणी बदलते रहते हैं। वे गण के प्रति उत्तरदायी होते हैं। गण के प्रति जेसी मिठा एक साधु की होती है, वैसी ही गणी की होती है। वे गण की सुव्यवस्था के लिए होते हैं। गण न हो तो गणी का अर्थ ही क्या?

गण अवयवी है। गणी और साधु उसके अवयव हैं। गणी की तुलना पेट से की जाती है और साधु-साध्वियों की शोष अवयवों से। पेट से समूचे शरीर को पोष मिलता है, सभी अवयव उससे रस लेते हैं। सभी बीमारियां भी पेट से होती हैं। आचार्य की स्वस्थता सबसे अधिक अपेक्षित है। इसीलिए आचार्य

अपने उत्तराधिकारी के निर्वाचन में बहुत सूक्ष्मता से पर्यालोचन करते हैं। आचार्य के निर्वाचन में इन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है—

(१) आचार-कुशलता (२) गण-निष्ठा (३) अनुशासन की क्षमता (४) दूसरों को साथ लिए चलने की योग्यता (५) ज्ञान और व्यावहारिक निषुणता।

वर्तमान आचार्य को विश्वास हो जाता है और वे अपनी आयु के अन्तिम समय के लगभग या उससे पहले भी जब उचित लगे, तब वे एक पत्र लिख निर्वाचित मुनि को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। आचार्य भिक्षु ने भारमलजी को अपना उत्तराधिकारी चुनते समय जो 'लिखत' लिखा, उसीको वर्तमान युवाचार्य का नाम जोड़ एक प्रति लिखी जाती है और उसमें वर्तमान के सभी साधु-साध्यों अपने हस्ताक्षर देते हैं। यह कार्य उनकी सहर्ष स्वीकृति का सूचक होता है। वर्तमान आचार्य की उपस्थिति में युवाचार्य का कार्य, आचार्य जो आज्ञा दे उसीको क्रियान्वित करना होता है। आचार्य के स्वर्गवास होने के पश्चात् उनके सारे अधिकार युवाचार्य के हस्तगत हो जाते हैं। गण के द्वारा विधि पूर्वक 'एक पट्टोत्सव' मनाया जाता है और आचार्य का बहुत सम्मान किया जाता है। आचार्य का इतना सम्मान, मेरी कल्पना नहीं है, कहीं देखने को मिले। आचार्य गण के साधु-साध्यों को उसी शरीर के अवयव मानते हैं। पेट और शेष अवयवों में संघर्ष हो तो समूचे शरीर को कलेश होता है। आहार जुटाना पेट का काम नहीं है, तो आहार को पचा कर पोष देना शेष अवयवों का काम नहीं है। दोनों अपना-अपना कार्य करते हैं तब शरीर स्वस्थ रहता है, शक्ति बढ़ती है और सौन्दर्य खिलता है। आचार्य भिक्षु की व्यवस्था का प्राण यह सापेक्षता ही है।

गणी का कार्य है, गण में समान आचार, समान विचार और समान पर्लुपणा को बनाए रखना। आचार और पर्लुपणा की समानता का मूल, विचारों की समानता है। जैसा विचार होता है वैसा आचार बनता है और वैसी ही पर्लुपणा की जाती है। विचारों में अन्तर आता है तब आचार और पर्लुपण में भी भेद आ जाता है।

विचार-समान कैसे हो ? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। सब आदमी एक ही प्रकार से कैसे सोचें ? शरीर पर नियंत्रण हो सकता है, पर विचारों पर नियंत्रण कैसे हो ? विचारों पर नियंत्रण किया जाय तो व्यक्ति की स्वतन्त्रता नष्ट होती है। विचारों को खुली छूट दी जाय तो एकता नष्ट होती है। ये दोनों अपूर्व हैं। साम्यवादी-स्वतन्त्र-विचारों की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण लगाते हैं तो जनतन्त्र में विचारों की उच्छृङ्खलता पूर्वक अभिव्यक्ति होती है।

दोनों ही दोषामुक्त नहीं हैं। विचारों की स्वतन्त्रता की हत्या न हो और उच्छृङ्खलता न बढ़े, एकता का धारा न दूटे इसलिये किसी तीसरी धारा की आवश्यकता है।

वहाँ सिद्धान्तवादिता कम होती है वहाँ विचार-मेद भी कम होता है। सिद्धान्तों की गहराई में विचारों के मेद पनपते रहते हैं। जैन-दर्शन सिद्धान्त-वादी अधिक है। उसमें तत्वों की भानवीन बड़ी स्फूर्ति से की गई है। अहिंसा और संयम की ऐसी सूक्ष्म रेखाएँ हैं कि जिनसे योड़े में ही विचार-मेद की सृष्टि हो जाती है। इसके साथ अनेकान्त-वृष्टि जुड़ी हुई है। वह नहीं होती तो विवाद सीमा पार कर जाता। अनेकान्त का ठीक ठीक उपयोग किया जाय तो विवाद खड़े भी न हों और कचित् हो भी जायें तो वे सहसा मिट जायें। पर उसका उपयोग बहुत कम किया जाता है।

जैनर्धन की सम्प्रदायों का इतिहास देखिये। उनकी स्थापना के मूल में जितना एकान्त है, उतना अनेकान्त नहीं है। सम्प्रदाय बहुत हैं, यह कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है। सम्प्रदायों में अनेकता बहुत है, यह बड़ा दोष है। वीर निर्माण के पश्चात् शतान्विद्यों तक संघ में एकता रही। यद्यपि व्यवस्था की वृष्टि से कुछ और गण अनेक थे। पर संघ एक था। वीर निर्माण की दसवीं शती या देवार्धि गणी के पश्चात् संघ की एकता विछिन्न-सी होती गई। वर्तमान में केवल सम्प्रदाय हैं। संघ जैसी बस्तु आज नहीं है। पहले जो स्थिति संघ की थी, वही आगे चल कर सम्प्रदायों की होने लगी। एक ही सम्प्रदाय में असेक मत और अनेक परम्पराएँ स्थापित होने लगी।

वे नों में आपसी मत-मेद होने का मुख्य कारण आगम है। उनकी धार्मिक मान्यता का सर्वोपरि आधार आगम है। दिगम्बर जैन कहते हैं—आगम लुप्त हो गए। श्वेताम्बर जैन कहते हैं—कुछ आगम लुप्त हो गए और कुछ आगम अभी भी विद्यमान हैं। कुछ श्वेताम्बर सम्प्रदाय ४५ आगमों को और कुछ ३२ आगमों को प्रमाण मानते हैं। ४५ को प्रमाण मानने वालों में भी मतैक्य नहीं है और मतैक्य उनके भी नहीं है जो ३२ को प्रमाण मानते हैं। इसका कारण भी कोई बहुत गहराई में नहीं है। आगम स्वयं अर्थ नहीं देते। वे अपनी अपेक्षाओं को खोल कर हमारे सामने नहीं रख देते। उनका अर्थ करने वाले हम ही होते हैं। उनकी अपेक्षाओं का निर्णय भी हम ही करते हैं। अन्तिम निर्णय हमारी ही त्रुदि करती है। हम अपनी त्रुदि द्वारा निस सूत्र-पाठ की जैसे संगति विठा सकते हैं, उसे उसी रूप में मान्य करते हैं।

शब्द-शान को प्रमाण मानने में लाम यह है कि उससे हमारे उच्छृङ्खल तर्क पर एक अंकुश लग जाता है। वहुश्रुतों द्वारा संचित ज्ञान-राशि से हमें अपूर्व आलोक मिलता है। हेयोपादेय का अपूर्व चिन्तन मिलता है। और वह सब कुछ मिलता है, जो साधना के लिए एक साधक को चाहिए। किन्तु पाने वाला केवल प्रकाश ही नहीं पाता, कुछ न कुछ अन्धकार भी पाता है। ज्ञान-राशि में अन्धकार नहीं होता। हम कोरे ज्ञान को नहीं लेते, आगम के आशय को नहीं लेते, साथ-साथ शब्दों को भी पकड़ते हैं और शब्दों की पकड़ जितनी मजबूत होती है, उतनी आशय की होती ही नहीं। चतुर्मासि में मुनि को एक जगह रहना चाहिए, यह आगमिक विधान है। वर्षाकाल में हरियाली और जीव-जन्म अधिक उत्पन्न होते हैं, मार्ग बल से भर जाते हैं, पानी गिरता है—इन कारणों से चतुर्मासि में विहार करने का निषेध है। दक्षिण भारत में कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ कार्तिक के पश्चात् वरसात शुरू होती है। आशय को पकड़ा जाय तो वहाँ चतुर्मासि शरद् और हेमन्त में होना चाहिए। किन्तु शब्दों की पकड़ ऐसा नहीं होने देती। शब्दों को पकड़ कर विचार-मेद खड़ा कर देने की समस्या नई नहीं है। इसका समान सभी को करना पड़ा है। इसके द्वारा अनेकता भी उत्पन्न हुई है। आचार्य मिष्ट ने तेरापंथ की व्यवस्था को इस अनेकता के दोष से बचाना चाहा। उन्होंने लिखा है—“किसी साधु का आचार, श्रद्धा, सूत्र या काल सम्बन्धी किसी विषय की समझ न पड़े तो वह, आचार्य तथा वहुश्रुत साधु कहे, उसे मान ले। उनके समझाने पर भी बुद्धि में न बैठे तो उसे केवली-गम्य कर दे। किन्तु दूसरे साधुओं को सन्देह में डालने का यत्न न करे।”

श्रद्धा या आचार का कोई नया विषय ध्यान में आए तो उसे बड़ों के सामने चर्चा जाए, औरों से न चर्चा जाए। औरों से उसकी चर्चा कर उन्हें सन्देह में डालने का यत्न न किया जाय। वहे जो उत्तर दें, वह अपने हृदय में बैठे तो मान लिया जाय और यदि न बैठे तो उसे केवली-गम्य कर दिया जाय। पर उसकी खींचतान बढ़ाकर गण में भेद न डाला जाय^२।

आचार्य मिष्ट का यह विधान संघ की एकता को अक्षुण्ण रखने का अमोघ उपाय है। वास्तविक सत्य क्या है? इसका समाधान हमारी बुद्धि के पास नहीं है। हम व्यावहारिक सत्य के आधार पर ही सारा कार्य चलते हैं। हमने जो निर्णय किया वही अनित्म सत्य है—इतना आग्रह रखने जैसा सुदृढ़ साधन हमें उपलब्ध नहीं है।

व्यावहारिक सत्य की स्वरूप-मीमांसा कविवर प्रसाद ने बड़े प्राञ्जल ढंग से

—
“और सत्य यह एक शब्द तू
कितना गहन हुआ है
मेघा के क्रीड़ा पञ्चर का
पाला हुआ सुआ है
सब बातों में खोज तुम्हारी
रट-सी लगी हुई है
किन्तु स्पर्श यदि करते हम
बनता छुइसूई है ।”

हम जिसे सत्य मानते हैं, सम्भव है वह सत्य न भी हो, हम जिसे सत्य नहीं मानते, सम्भव है वह सत्य हो । सीमित शब्दों में अनन्त सत्य को बाँधना भी कठिन है और उसे सीमित बुद्धि द्वारा पकड़ना तो और भी अधिक कठिन है । इसीलिए आचार्य भिक्षु ने कहा—“हम जो कर रहे हैं वह उत्तरवर्ती आचार्यों को सही लगे तो करें और सही न लगे तो वह उसे छोड़ दें ।”

इस उक्ति के अधार पर अनेक परिवर्तन भी हुए । कुछ लोगों ने प्रश्न उपस्थित किया कि प्रचलित परम्परा में परिवर्तन जो किया है, उसका अर्थ यह हुआ कि या तो वे सही नहीं ये या आप सही नहीं हैं, या तो उनकी मान्यता सही नहीं थी या आपकी सही नहीं है ? इसका समाधान इन शब्दों में किया जाता रहा है—“पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो किया, उसे उन्होंने व्यवहार सत्य की दृष्टि से सही मान कर किया, इसलिए वे भी सही हैं और अभी हम जो कर रहे हैं, उसे भी व्यवहार-सत्य की दृष्टि से सही समझ कर कर रहे हैं, इसलिए हम भी सही हैं । उनकी सत्य-निष्ठा में हमें विश्वास है, इसलिए हमारी दृष्टि से भी वे सही हैं और हमारी सत्य-निष्ठा में उनको विश्वास या, तभी तो उन्होंने हमें यह अधिकार दिया, इसलिए उनकी दृष्टि से हम सही हैं ।

सत्य पूर्ववर्ती आचार्यों या साधुओं की पकड़ में ही आ सकता है, यह भी कोई महत्त्व की बात नहीं है और वह आधुनिक आचार्यों या साधुओं की पकड़ में नहीं आ सकता, इसका भी कोई महत्त्व नहीं है । जो सत्य पहले नहीं पकड़ा गया, वह आज पकड़ा जा सकता है और जो आज नहीं पकड़ा गया वह पहले

१-कंवाड़ाथारी ढाल ५१ :

माँनें तो कवाड़-थां रो दोष न भासें, जाँणें नें सुध व्यवहार ।
जे निसंक दोष कवाड़-थां में जाँणों, ते मत वहरजो लिगार रे ॥

पकड़ा गया है। यह विरोध नहीं है। यह सापेक्षता है। ज्ञान, वौद्धिक—निर्मलता, चारित्रिक—विशुद्धि, हठि-सम्पन्नता और साधन-सामग्री अधिक उपलब्ध होते हैं तो सत्य के निकट पहुँचने में सुलभता होती है और इनकी उपलब्धि कम हो तो उसके निकट पहुँचना दुर्लभ होता है। इनकी उपलब्धि किसी समय में सर्वों की होती है, यह भी सच नहीं है और किसी समय में किसी की भी नहीं होती, यह भी सत्य से परे है। इस सारी वस्तु-स्थिति को ध्यान में रखकर आचार्य मिष्टु ने जो विधान किया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और सैद्धान्तिक मतभेदों को तान-तान कर आग्रह के गढ़ों में गिरने से बचाता है।

इससे न तो विचार-स्वातन्त्र्य का हनन होता है और न आग्रह को बैसा बढ़ावा ही मिलता है, जिससे गण में कोई दरार पड़ सके।

इसका सारांश यह है कि मनुष्य अपने विचार को व्यवहार में सत्य मान कर चले, किन्तु उसका हतना आग्रह न रखे कि जिस से संगठन की एकता का मंग हो जाए।

जो सत्य लगता है उसे छोड़ा भी कैसे जाए और जो सत्य नहीं लगता उसे स्वीकार भी कैसे किया जाए—यह समस्या है और जटिलतम् समस्या है। पर यह भी उतनी ही बड़ी समस्या है कि जिसे मैं सत्य मानता हूँ, वह सत्य ही है, इसका निर्णय मैं कैसे करता हूँ? आखिर सीमित बुद्धि, सीमित साधनों और देश-काल की सीमित मर्यादाओं के द्वारा ही तो मैं उसे सत्य मान रहा हूँ। इसलिये हतना आग्रह कैसे रख सकता हूँ कि जो मैंने पाया वही अन्तिम सत्य है। जो व्यक्ति अकेला हो या अकेला रहना चाहता हो, वह फिर भी ऐसा आग्रह रख सकता है, किन्तु जो किसी समुदाय में रहना चाहे, और रहे, वह ऐसा आग्रह कैसे रखे? उसके लिए ऋजुपन्था यह है कि बहुश्रुत साधुओं व आचार्य के सामने अपना विचार रख दे, फिर वे जो मार्ग सुझाएँ उसका अनुगमन करे।

यह विचार-स्वतन्त्रता का हनन नहीं है। यह सामज्जस्य का मार्ग है। यह किसी स्वार्थ या मानसिक दुर्बलता से किया जाए तो वह दोष है। यह निर्देश तभी है, जब कि अपनी अपूर्णता और सत्य-शोध की विनम्र भावना से प्रेरित हो, किया जाए।

आचार्य मिष्टु ने अन्तिम निर्णायक आचार्य को माना है। फिर भी उन्होंने बहुश्रुत साधुओं को उचित स्थान दिया है। उन्होंने लिखा है—“किसी विषय को प्रामाणिक या अप्रामाणिक ठहराने का अवसर आए तो उसके लिए बहुश्रुत साधुओं को भी पूछा जाए ।”

किंतु साधारण बुद्धि वाले साधु के जैसे कोई विचार-मेद हो सकता है, वैसे बहुश्रुत साधुओं में भी विचार-मेद हो सकता है। सामान्य साधु के लिये यह निर्देश पर्याप्त हो सकता है कि वह बहुश्रुत के मार्ग का अनुगमन करे, किन्तु जब दो या अनेक बहुश्रुतों में परस्पर विचार-मेद हो जाए तब क्या किया जाए ?

इसके समाधान का पहला सोपान तो यह है कि वे बहुश्रुत साधु परस्पर में बातचीत कर, उस चर्चनीय विषय का समाधान ढूँढ़ें, जैसा कि आचार्य मिश्नु ने लिखा है—“कोई चर्चा या श्रद्धा का प्रश्न उपस्थित हो तो बहुश्रुत या बुद्धिमान साधु सोच-विचार कर उसका समाधान ढूँढ़, सामज्ञस्य विदायें। किंतु विषय का सामज्ञस्य न वैठे तो खींचतान न करें, उसे केवली-गम्य कर दें, किन्तु अंश मात्र भी खींचतान न करें^१।

इससे भी काम पूरा न हो तो फिर आचार्य जो निर्णय दें, उसे मान्य कर लें। आचार्य मिश्नु ने इस विषय की, अपने अनेक मर्यादा पत्रों में चर्चा की है। उसका उद्देश्य विचार-स्वातन्त्र्य का लोप करना नहीं है। उसका उद्देश्य है, विचारों के संघर्ष को उपशान्त किये रखना। वैचारिक-पराधीनता जैसे अच्छी बात नहीं है, वैसे ही वैचारिक-संघर्ष भी अच्छा नहीं है। अच्छी बात है, मन की शान्ति। और शान्ति में से ही अच्छे विचार निकलते हैं।

विसका मन दूसरों को शंकाशील बना कर अपने गुट में लेने का होता है, जो गण में मेद डाल अपना नया गण खड़ा करना चाहता है, यह सब अशान्त मन की प्रतिक्रिया है। आचार्य मिश्नु इसको रोकना चाहते थे। इसलिये उन्होंने पुनर्शक्ति का विचार किये बिना बार-बार इसे दोहराया—“कोई श्रद्धा या आचार का नया विषय निकल आए तो उसकी चर्चा बड़ों से की जाय पर औरों से न की जाय। औरों से उसकी चर्चा कर उनको संदिग्ध न बनाया जाय। बड़े जो उत्तर दें वह अपने हृदय में वैठे तो उसे मान लिया जाय और न वैठे तो उसे केवली-गम्य कर दिया जाय। पर उस विचारास्पद विषय को लेकर गण में मेद न डाला जाय^२।

समूचे का सारांश इतना है—“अपने विचारों का ऐकानिक आग्रह सामान्य साधु भी न करे, बहुश्रुत साधु भी न करे और आचार्य भी न करे।” तर्क की पूँछ को बहुत लम्बी न बनाए। सामान्य साधु बहुश्रुत व आचार्य पर विश्वास करे और आचार्य बहुश्रुतों की बात पर समुचित ध्यान दें। इस

प्रकार यह एक ऐसी शृङ्खला गैंथी है, जिसमें न कोई पूरा स्वतन्त्र है और न कोई पूरा परतन्त्र स्वतन्त्रता उत्तनी ही है कि जिससे साधना का मार्ग अवश्य न हो और परतन्त्रता उत्तनी है जिससे साथ में रहने में बाधा उत्पन्न न हो। गग की धृक्षि, दौहराई और विकास का पथ अवश्य न हो।

: १४ : निर्णीयकता के केन्द्र

आत्मों में 'आचार्य' शब्द के अनेक निरक्त और परिमापाएँ हैं। उनके पीछे अनेक अभिप्राय और अनेक कल्पनाएँ हैं।

कुछ वर्ग पहले मर्यादा-नहाँत्सुब के अवसर पर मैंने एक कविता लिखी। उनमें आचार्य की परिमापा हन शब्दों में है—

तू चाँ कहता रख नहीं है, मैं कहता हूँ रख वही है।

'तू' 'मैं' के इन कहाँदे ज्ञातो, शान्ति-पाठ आचार्य वही है ॥

संगठन की दृष्टि से यह परिमापा मुक्त बहुत अच्छी लगी। परिमापा जो दूळ नेरी नहीं है। नेरी अपनी बहुत केवल कविता की पंक्तियाँ हैं। यह मौलिक-दत्त आचार्य मिश्र और उनके महान् भाष्याकार जयाचार्य से मिला।

वहाँ संगठन होता है, वहाँ अनेक व्यक्ति होते हैं और वहाँ अनेक व्यक्ति है, वहाँ अनेक विचार होते हैं। अनेक विचार संगठन को एक केंद्रे बनाए रखने करते हैं?

संगठन आचार और विचार की एकलूपता के आधार पर ही टिक सकता है। जिसने व्यक्ति, उसने ही प्रकार के आकार—यह स्थिति संगठन के अनु-दूल नहीं होती। व्यक्तिगत विचारों की स्वतन्त्रता होती है और वह होनी ही चाहिए, किन्तु उच्चकी भी एक चीमा है। जैसे एक व्यक्ति अपने विचारों के लिये स्वतन्त्र है वैसे दूसरा भी है। चैयक्तिक स्थिति में ऐसा हो सकता है। पर निल कर चलने की स्थिति में ऐसा नहीं हो सकता।

संगठन अवहारिक होता है। अवहार की स्थिति का अनुमापन अवहार से ही होता है। वहाँ विचारों पर अंडूब नहीं लगता, किन्तु एकलूपता में ऊलूल ढालने वाले विचार पर नियंत्रण अवश्य होता है। इसे भले ही संगठन की दुर्बलता भाना चाह। पर यह किंतु एक व्यक्ति की दुर्बलता नहीं है। किन्होंने संगठन कहना चाहा है, उन्होंने वह भी चाहा है कि हम एक रूप रहें। इस एकलूपता की चाह में से ही वह तत्त्व प्रगट होता है कि उनमें बाधा ढालने वाले विचारों पर नियंत्रण रहे। साथ-साथ यह भी सष्ट कर देना उचित होगा कि कोरी एकलूपता भी अमीम नहीं है। मूल दृढ़ने लगे तत्र ऊपरी सौन्दर्य

का मूल्य ही क्या है और वह टिकता भी कब है ? सत्य, आचार और संयम की निष्ठा बनी रहे, उसी स्थिति में संगठन का महत्व है और उसी स्थिति में इसका महत्व है कि साधारण सी बातों को लेकर अनेकता का बीज न बोया जाए । कोई नया विचार आए तो उसका प्रयोग संघ या संचरपति—जहाँ निर्णायकता केन्द्रित हो, उन्हीं की स्वीकृत से किया जाए ।

एकतन्त्रीय अनुशासन में निर्णायक एक होता है और बहुतन्त्र में कुछेक सबके सब निर्णायक कहाँ भी नहीं होते । एकतन्त्र में एक के सामने निष्पान्वें की उपेक्षा हो सकती है और बहुतन्त्र में ५१ के सामने ४६ की । सर्व सम्मति के निर्णय की स्थिति श्रद्धा ही है । विचार, तर्क या बुद्धि के प्रवाह से वह स्थिति नहीं बनती । श्रद्धा का अर्थ है आग्रहीनता, नम्रता और सत्य-शोषण की सतत् साधना । सत्य का शोधक कभी भी आग्रही नहीं होता । वह अपने विश्वास को ढढ़ता के साथ निभाता है, फिर भी नम्रता को नहीं छोड़ता ।

व्यक्ति-व्यक्ति की रुचि विचित्र होती है । संस्कार भी अपने निराले होते हैं । अधिकांश व्यक्ति अपने रुचि और संस्कारों को जितना महत्व देते हैं, उतना वस्तु-स्थिति को नहीं देते । परन्तु साधना का मार्ग संस्कारों से ऊपर उठकर चलने का है । श्रद्धा की यही विशेषता है कि उसमें सारी शंकाएँ लीन हो जाती हैं । नदियाँ कहाँ सीधी चलती हैं और कहाँ टेढ़ी । आखिर वे समुद्र के गर्भ में लीन हो जाती हैं । विचारों के प्रवाह कहाँ झूँझ होते हैं और कहाँ बक । आखिर वे आचार्य के निर्णय में लीन हो जाते हैं । यही है आचार्य भिष्म की मर्यादा का महातम्य ।

“रुचिनां वेचिन्याद् शूङ्कुटिलं नानापथं जुषां तृणामे कोगम्यस्त्वमसि पयसा भावि इव ।”

दार्शनिक-कवि की वाणी में अद्वैत का जो काल्पनिक-चित्र है उसे आचार्य भिष्म ने साकार बना दिया । उनकी मर्यादवलि के अनुसार आचार्य सबके गम्य बन गए ।

: १५ : गण में कौन रहे ?

सम-विचार, आचार और निरूपण के प्रकार में जिन्हें विश्वास होता है, वे गण के सदस्य होते हैं । गण किसी एक-दो से नहीं बनता । वह अनेकों की सम-जीवन-परिपाटी से बनता है । गण तब बनता है, जब एक दूसरे में विश्वास हो । गण तब बनता है, जब एक दूसरे में आत्मीयता हो । गण तब बनता है, जब सब में ध्येय की निष्ठा हो ।

आचार्य मिश्र ने किंवा है—“उब साथु शुद्ध आचार का पालन करें और परस्पर में प्रगाढ़ प्रेम रखें ।”

प्रेम परस्पर में रखना चाहिए—यह इष्ट बात है। इसका उपदेश देना भी इष्ट है। पर इष्ट की उपलब्धि किसे हो ? आचार्य मिश्र ने उसके कई नारंग सुझाए हैं। किंवा है—

- (१) साथु गण के साथु-साक्षियों को साथु नाने ।
- (२) अपने आपको भी साथु माने, वह गण में रहे ।
- (३) क्रष्ण पूर्वक गण में साथुओं के साथ न रहे ।
- (४) साथु नाम त्रय कर अनाथुओं के साथ रहना अनुचित है ।
- (५) किसका मन शुद्ध हो वह ऐसा किञ्चाच दिलाए ।
- (६) वह गण के किसी भी साथु-नान्की का अवगुण बोलने का, आपन में एक-दूसरे के मन में मंद डालने का, एक-दूसरे को असाथु मनवाने का त्याग करे ।^३
- (७) मेरी इच्छा होगी तब तक गण में दौड़ा हूँ, इच्छा नहीं होगी तब वहाँ में चला जाऊँगा—इस अनास्था से गण में न रहे ।
- (८) संजोनवश गण में न रहे^४ ।

इनमें गण, गणी और गण के उभी उद्दर्श्यों के प्रति और अपने प्रति भी अस्था की अमित्यज्ञना है। किसकी ऐसी अस्था होती है, वह दूसरों का प्रेम के उक्ता है और अपना प्रेम दूसरों को दे उक्ता है। प्रेम उभी दूष्टा है जब एक-दूसरे में अनास्था का भाव होता है।

: १६ : गण में किसे रखा जाए ?

योग्यता और अयोग्यता का अंकन कई दृष्टियों से होता है। स्वस्य व्यक्ति आरीरिक इष्टि से योग्य होता है और अत्यरिक्त व्यक्ति अयोग्य। वौद्धिक योग्यता किसी में होती है, किसी में नहीं होती। कोनल प्रकृति वाला व्यक्ति स्वभाव से योग्य होता है और कठोर प्रकृति वाला अयोग्य।

आरीरिक अद्यक्षि की स्थिति में दूसरों को कष्ट होता है पर सेवा का कष्ट आरीरिक है। वह बस्तुतः कष्ट नहीं, अम है।

१-लिखित १८५०

२-लिखित १८५०

३-लिखित १८४५

बौद्धिक योग्यता हो तो बहुत लाभ होता है। वह न हो तो उतना लाभ नहीं होता, पर उससे किसीको क्लेश भी नहीं होता।

स्वभाव की चण्डता जो है वह दूसरों में क्लेश उत्पन्न करती है।

आचार्य भिक्षु ने शारीरिक अयोग्यता वाले व्यक्ति को गण में रखने योग्य बतलाया है। उन्होंने वैसे व्यक्ति को गण में रखने के अयोग्य बतलाया है, जो अपने स्वभाव पर नियंत्रण न रख सके। उन्होंने लिखा है—

(१) कोई साधु रुग्ण हो या चूढ़ा हो तब दूसरे साधु अगलान भाव से चैयावृत्त्य—सेवा करें।

(२) उसे संलेखना—विशिष्ट तपस्या करने को न उकसायें।

(३) वह विहार करना चाहे और उसकी आँखें ढुब्ल हों तो दूसरा साधु उसे देख-देख चलाए।

(४) वह रुग्ण हो तो उसका बोझ दूसरे साधु लें।

(५) उसका मन चढ़ता रहे वैसा कार्य करें।

(६) उसमें साधुपन हो तो उसे 'छेह' न दें—छोड़ें नहीं।

(७) वह अपनी स्वतन्त्र भावना से वैराग्य पूर्वक संलेखना करना चाहे तो उसे सहयोग दें, उसकी सेवा करें।

(८) कदाचित् एक साधु उसकी सेवा करने में अपने को असमर्थ मानें तो सभी साधु अनुक्रम से उसकी सेवा करें।

(९) कोई न करे तो उसे टोका जाए, और उससे कराई जाए।

(१०) रुग्ण साधु को सब साधु इकड़े होकर कहें, वह आहार दिया जाए।

(११) किसी साधु का स्वभाव अयोग्य हो, जिसे कोई निभा न सके, जिसे कोई साथ न ले जाए, तब उसे विनम्र व्यवहार करना चाहिए। वहें साधु जैसे चलाएँ वैसे चले। जो विनम्र व्यवहार में न लग सके तो वह तपस्या में लग जाए। इन दोनों में से कोई कार्य न करे तो उसके साथ फिर कौन क्लेश करता रहेगा ?

(१२) रोगी की अपेक्षा स्वभाव का अयोग्य अधिक दुःखदायी होता है। उसे गण में रखना अच्छा नहीं है।

(१३) जो मर्यादाओं को स्वीकार करे उसे गण में रखा जाए।

योग्य व्यक्ति गण में होते हैं, उससे गण की शोभा बढ़ती है और साधना का पथ भी सरल बनता है। अयोग्य व्यक्ति में साधना का भाव नहीं होता,

अपनी प्रकृति पर वह नियंत्रण करना नहीं चाहता या कर नहीं पाता । उससे गण की अवहेलना होती है और दूसरों को भी बुरा बनने का अवसर मिलता है । कुछ व्यक्ति निसर्ग से ही अयोग्य होते हैं और कुछेक अपने अपने पर नियंत्रण न रखने के कारण अयोग्य बन जाते हैं । आचार्य भिष्म ने उन कारणों का उल्लेख किया है जिनसे अयोग्यता आती है और बढ़ती है । उनकी वाणी है—“शिष्यो ! कपड़ों और सुख-सुविधा मिले, वैसे गौवों की ममता कर बहुत जीव चरित्र से भ्रष्ट हो जाते हैं^१ ।”

कुछ कारण ऐसे होते हैं कि किसी साधु को गण से पृथक् करना पड़ता है और कुछ प्रसंगों में कुछ साधु स्वयं ही गण से पृथक् हो जाते हैं ।

अकल्पनीय कार्य करने वाले साधु को गण से पृथक् करने की विधि बहुत ही ग्राचीन है^२ । दीक्षित करने का अधिकार जैसे मूलतः आचार्य के हाथों में है, वैसे ही किसी को गण से पृथक् करने का अधिकार भी आचार्य के हाथों में है । परम्परा यह हो गई है कि पहले कोई व्यक्ति योग्य जान पड़ता तो साधु उसे दीक्षित कर लेते, पर अब ऐसा नहीं होता । गण से पृथक् करने का अधिकार इससे अधिक व्यापक है । कोई साधु गण की मर्यादा के प्रतिकूल चले तो उसे गण से पृथक् करने का अधिकार सबको है । ऐसे भी प्रसङ्ग आए हैं कि गृहस्थों ने भी साधुओं को गण से पृथक् कर दिया । परन्तु इस कार्य में विवेक की बहुत आवश्यकता है । अधिकार होने पर भी उपयोग वही करता है और करना चाहिए कि जो परिस्थिति का सही-सही अंकन कर सके । कोई व्यक्ति जैन-मुनि बनता है वह बहुत बड़ी बात है । मुनि कुछेक वर्षों के लिये नहीं बनता, उसे जीवन भर मुनि-धर्म का पालन करना होता है । गृहस्थ जीवन से उसके सारे सम्बन्ध छूट जाते हैं । उसके पास भावी जीवन की कोई निधि नहीं होती । वह निरालम्ब मार्ग में ही चलता है । वैसी स्थिति में पूर्ण चिन्तन किये बिना किसी को गण से पृथक् कर देना न्याय नहीं होता । इसलिए सामान्य स्थिति में इस विषय में अधिकार का उपयोग करने से पूर्व आचार्य की सहमति प्राप्त करना अपेक्षित-सा लगता है । गण से स्वयं पृथक् होने के भी अनेक कारण हैं । कुछ कारणों का उल्लेख आचार्य भिष्म ने किया है । जैसे—

(१) कोई साधुपन का पालन न कर सके ।

(२) किसी भी साधु से स्वभाव न मिले ।

- (३) कोई या ढीठ जानकर कोई भी अपने पास न रखे ।
- (४) विहार करने के लिए सुविधाजनक गाँव में न भेजा जाए ।
- (५) कपड़ा मन चाहा न दिया जाए ।
- (६) अयोग्य जान कर दूसरे साधु सुने गण से पृथक् करने वाले हैं—ऐसा मालूम हो जाए ।

ये, और ऐसे और भी अनेक कारण हैं, जिनसे प्रभावित होकर कोई साधु गण से पृथक् हो जाता है^१ ।

: १७ : पृथक् होते समय

साधु जीवन साधना का जीवन है । उसमें बल से कुछ भी नहीं होता । साधना हृदय की पूर्ण स्वतन्त्रता से ही हो सकती है । आचार्य साधुओं पर अनुशासन करते हैं पर तभी, जबकि साधु ऐसा चाहें । मार्गदर्शन या शिक्षा प्रार्थी को दी जाती है । कोई प्रार्थी ही न हो तो उसे कौन क्या मार्ग दिखाएँ और कौन क्या सीख दे ? शिष्य आचार्य के अनुशासन का प्रार्थी होता है । इसलिए आचार्य उसे अनुशासन देते हैं । जब वह प्रार्थी न रहे तब आचार्य भी अपना हाथ खींच लेते हैं । फिर वह स्वतन्त्र है, जहाँ चाहे वहाँ रहे और जो चाहे सो करे । गण से पृथक् होने का यही अर्थ है ।

आचार्य भिक्षु ने इसके लिए भी कुछ निर्देश दिये हैं । उनके अभिमत में गण से पृथक् होते समय और होने के पश्चात् भी कुछ शिष्टताओं का पालन करना चाहिए । उन्होंने लिखा है—

(१) किसी का मन गण से उच्छट जाए अथवा किसी से साधु-जीवन न निमे, उस समय वह गण से पृथक् हो तो कियी दूसरे साधु को साथ न ले जाए ।

(२) किसी को शिष्य बनाने के लिए गण से पृथक् हो तो शिष्य बना कर नया मार्ग या नया सम्रदाय न चलाए ।

(३) गण से पृथक् होने का मन हो जाने पर गृहस्थों के सामने दूसरे साधुओं की निन्दा न करे ।

(४) गण में रह कर ग्रन्थों की प्रतिलिपियाँ करे या कराए अथवा किसी के पास से ले, वे तब तक ही उसकी हैं जब तक गण में रहे । गण से पृथक् होने के समय उन्हें साथ न ले जाए । क्योंकि वे सब गण के साधुओं की ‘निशा’ में हैं ।

(५) कोई पुस्तक आदि गृहस्थों से ले, उन्हें आचार्य की, गण की ‘निशा’

में ले, अपनी 'निशा' में न ले। अनज्ञान में कोई ले भी ले तो वे पुस्तक-पन्ने आचार्य के हैं, गण के हैं, उन्हें गण से पृथक् होते समय नाथ न ले जाए।

(६) पात्र आदि भी गण में रहता हुआ ले, वे भी आचार्य व गण की 'निशा' में ले, आचार्य दे वह ले। गण से पृथक् होते समय उसे नाथ न ले जाए।

(७) नवा कपड़ा ले, वह भी आचार्य व गण की 'निशा' में ले। गण से पृथक् होते समय उसे नाथ न ले जाए^३।

(८) गण से पृथक् होने के पश्चात् गण के साथ-साक्षियों के अवगुण न ले जाए।

(९) शंख लट्ठे, आस्था लट्ठे कैसी धार न कहे।

(१०) गण में से किसी साथ को छूटा कर नाथ न ले जाए, वह आए तो भी न ले जाए^३।

(११) गण से पृथक् कर देने पर या स्वयं हो जाने पर वहाँ न रहे, वहाँ हन गण के अनुग्रामी रहते हैं। चलते-चलते भार्ग ने वह गाँव आ जाए तो एक गत से अविक्ष न रहे। कारण विशेष ने रहे तो, 'विगव' न स्वाए।

कोई गूँड़े वह निषेद नहीं, तो उमका कारण आचार्य मिष्टु ने इन शब्दों में इत्याहा है—

"यत-द्वे प्र और द्वेष लट्ठने तथा उपकार लट्ठने की सम्भावना को ज्ञान में स्वयं कर एना किया है।"

(१२) गण से पृथक् होते समय एक पुराना 'चोलमट्टा', एक 'पठेवडी', चढ़र, सुखवस्त्रिका, पुणी करड़ी और पुराना रजोहरण—इनके चिवाय और कोई उपकरण या पुस्तक नाथ में न ले जाए^३।

इन निर्देशों में सानुदायिक जीवन प्रणाली की एक त्यष्ट लपरेखा है। आचार्य मिष्टु ने जितना वल संविमान पर दिया है उतना ही वल प्रत्येक घर्मो-पक्षण के संबीचक्षण पर दिया है। साथ किसी भी घर्मोपक्षण पर ममत्त न रहे—यह आगनिक दिव्यान्त है। इसे उन्होंने व्यवस्था के द्वारा व्यावहारिक रूप प्रदान किया।

: १८ : गुटवंदी

साथना और गुटवंदी का मछा क्या नेल ! गुटवंदी वे करते हैं, जिन्हे अविक्ष इयियाना हो। गुटवंदी वे करते हैं, जिन्हे सत्ता हयियानी हो।

साधना धर्म है। जहाँ धर्म होता है वहाँ न अधिकार होता है और न सत्ता। फिर भी समुदाय आखिर समुदाय है। यह गुटबंदी की परिस्थिति है।

जिनके विचार और स्वार्थ एक रेखा पर पहुँचते हैं वे स्लेह-सत्र में बैंध जाते हैं और परमार्थ को कुछ विस्तृत सा कर देते हैं। साधु-संघ में गुटबंदी के कारण जो बनते हैं उनका उल्लेख आचार्य भिक्षु ने किया है—

“किसी साधु को विहार-क्षेत्र साधारण सा सौंपा गया अथवा कपड़ा साधारण दिया गया—इन कारणों तथा ऐसे ही दूसरे कारणों से कुपित होकर वे आचार्य की निन्दा करते हैं, अवगुण बोलते हैं, परस्पर मिल कर गुटबंदी करते हैं^१।”

किन्तु “गण में रहते हुए भी दूसरे साधुओं के मन में मेद बाल कर जो गुटबंदी करते हैं, वे विश्वासघाती हैं। ऐसा करने वाले चिर-काल तक संसार में परिश्रमण करते हैं^२।”

गुटबंदी राजनीति का चक है। इसमें फँसने वाला साधक अपनी साधना को जीर्ण-जीर्ण कर देता है

अपमान उसीके लिए है, जिसके चित्त का विक्षेप होता है। जिसके चित्त का विक्षेप नहीं होता उसके लिए अपमान जैसी कोई वस्तु है ही नहीं—

“अपमानादय स्तस्य, विक्षेपो यस्य चैतसः।

नापमानादय स्तस्य, न क्षेपो यस्य चैतसः॥”

जिसने चित्त का विक्षेप नहीं छोड़ा वह कैसा है साधक और कैसी है उसकी साधना ?

मन मुटाव का प्रमुख कारण है स्वार्थ की क्षति। जो स्वार्थ में लिप्त होता है, वह निर्लेप नहीं बन सकता। आचार्य के अनुग्रह का महत्व यही है कि उससे साधु को साधना का सहयोग मिले। उसे भी वह किसी स्वार्थ की पूर्ति में लगाए तो वह अनुग्रह कोई विशेष मूल्य नहीं रखता। आचार्य का पर्याप्त अनुग्रह न हो, उससे खिल होकर गण में मेद बालने का यत्न करता है उसने साधना का मर्म नहीं समझा। गुटबंदी का अर्थ है—साधना की अपरिपक्वता। आचार्य भिक्षु ने गुटबंदी को साधना के लिए सद्योधाती आतंक कहा है।

: १९ : क्या माना जाय ?

साधु-समुदाय के लिए कुल, गण और संघ ये तीन शब्द व्यवहृत होते हैं। कुल से गण और गण से संघ व्यापक है। एक आचार्य के शिष्य-समूह को

१-लिखित १८५०

२-लिखित १८४५

कुल, दो आचार्यों के सहवर्तीं शिष्य-समूह को गण और अनेक आचार्यों के सहवर्तीं शिष्य-समूह को संबंध कहा जाता है।

तेरापंथ साधु-समूह के लिये प्रायः गण शब्द का प्रयोग होता है। कुछ लोग साथ में रहते हैं—इतने मात्र से उनका गण नहीं होता। गण तब होता है जब वे एक व्यवस्था-सूत्र में आधार द्वारा बनाए रखते हैं। गण का मूल आधार व्यवस्था है। जिस व्यवस्था में जो रहे वह उस गण का सदस्य होता है और उस व्यवस्था से अलग होने पर वह उसका सदस्य नहीं होता। आचार्य भिष्म ने कहा—“जो कोई साधु गण से अलग हो जाए, उसे साधु न माना जाए, चार तीर्थ में उसकी गिनती न की जाए। उसे बन्दना करना बिनाज्ञा के प्रतिकूल है”।

चारित्र को निभाने की अक्षमता, स्वभाव की अयोग्यता, मन-मेद और मत-मेद आदि-आदि गण से पृथक होने या करने के कारण हैं। जो मतमेद के कारण गण से अलग होते हैं, उनको लेकर यह तर्क आता है कि उन्हें साधु क्यों न माना जाय? एक व्यक्ति २० वर्ष तक गण में रहे तब वह साधु और गण से अलग होते ही वह साधु नहीं—यह कैसे हो सकता है? तर्क अकारण नहीं है। क्योंकि साधुत्व कोई लोह नहीं है, जो गण रूपी लोह त्रुट्टक से चिमटा रहे और उसे छोड़ बाहर न ला सके। वह मुक्त-हृदय की उन्मुक्त साधना है। किन्तु आचार्य भिष्म ने जो कहा वह भी तो मुक्त नहीं है। आगम का प्रत्येक वचन अपेक्षा से युक्त होता है तब आचार्य भिष्म का वचन अपेक्षा से मुक्त कैसे होगा? गण से पृथक् हुए साधु को साधु न माना जाए—यह वर्थार्थ दृष्टिकोण है। जो साधु पहले तेरापंथ गण का साधु था, वह गण से पृथक होने के पश्चात् उस गण का कैसे रह सकेगा? जो गण में हों, वे भी गण के साधु और जो गण से पृथक हो जायें, वे भी गण के साधु माने जायें तो किर गण में रहने या उससे पृथक होने का अर्थ ही क्या हो? गण का साधु वही है जो गण की व्यवस्था का पालन करे। उसका पालन न करे, वह गण का साधु नहीं है। इसीलिये आचार्य भिष्म ने लिखा है—“उसे चार तीर्थ में न गिना जाय।”

वह वास्तव में क्या है? इस चर्चा में हम क्यों जाएँ? दूसरे भी हजारों साधु हैं, वैसे ही वह है। गण की व्यवस्था में जिसे विश्वास है, वह उसे गण का साधु न माने, इस मर्यादा का आशय यही है।

: २० : दोष-परिमार्जन

जो चलता है वह स्वलित भी हो जाता है। स्वलित होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है—चलना। व्यवस्था इसलिए होती है कि व्यक्ति चले और स्वलित न हो। अकेला व्यक्ति चलता है या स्वलित होता है, उसका उत्तरदायी वह स्वयं होता है। समुदाय में कोई चलता है या स्वलित होता है, उसका उत्तरदायित्व समुदाय पर होता है। साधना के क्षेत्र में व्यक्ति समुदाय में रहते हुए भी अकेला होता है इसलिए उसका दायित्व भी स्वयं पर अधिक होता है किन्तु समुदाय में रहने वाला अकेला ही नहीं होता इसलिए उसका दायित्व समुदाय पर भी होता है। समुदाय में कोई दोष-सेवन करे, उसे कोई दूसरा देखे, उस समय देखने वाले का क्या कर्तव्य है, यह विरक्षयोग्य विषय है।

एक बार भाई किशोरलाल धनश्यामदास मश्शबाला से पूछा गया—“गांधीजी की आपको सबसे बड़ी देन क्या है ?” इसका जवाब भाई मश्शबाला ने इस प्रकार दिया—

“गांधीजी हमें कहते थे कि अगर किसी आदमी के खिलाफ तुम्हारे मन में कोई बात उठी हो तो उसके बारे में उसी आदमी के साथ बात कर लेनी चाहिए। हम हिन्दुस्तानियों में यह हिम्मत कम है। यदि हमें किसी व्यक्ति पर सन्देह हुआ या उसके प्रति असन्तोष हुआ तो उसकी शिकायत या निन्दा हम दूसरों के सामने करते हैं, मगर खुद उसके सामने बात नहीं निकालते बल्कि उसे तो हम ऐसा भी दिखा देते हैं, मानों उसके खिलाफ हमारे दिल में कुछ ही नहीं। अपने दिल को छिपा कर बोलने की आदत हमने बना ली है। हमारा ऐसा भी ख्याल है कि यह आदत सम्मता, तहजीब की निशानी है या विवेक है। लेकिन बख्तः यह विवेक नहीं, चरित्र की कमज़ोरी है।”

इस पर टिप्पणी करते हुए वे कहते हैं—

“गांधीजी की यह सलाह ईश्वर के एक उपदेश की याद दिलाती है। अपने एक उपदेश में ईश्वर ने अपने शिष्यों से कहा है ‘तुम मन्दिर में पूजा करने जाओ और पूजा करते करते तुम्हें याद आए कि तुम्हारे मन में किसी भाई के प्रति बुराई भाई है तो अपनी पूजा अधूरी छोड़ कर पहले उसके पास जाओ, खुल्या करो और बाद में आकर अपनी पूजा पूरी करो।’ पूज्य बापू की इस सलाह पर चलने का मैंने प्रयत्न किया है। परिणाम बहुत अच्छे आए हैं। बात करने के समय अपने नौश को रोक कर शान्त बाणी

से बोलने का आत्म-संयम यदि मुझमें हो, तो परिणाम और भी अच्छे आ सकते हैं। आत्म-संयम की कमी जोश पर काढ़ा पाने में अड़चन पैदा करती है। फिर भी मेरा अनुभव ऐसा है कि जिसके विषय में व्याघ्रांका उठी हो उसके साथ सीधी और साफ़ बात कर लेने से और उसके लिये अपने मन में सच्ची भावना प्रकट कर लेने से—यदि उस क्षण उसे बुरा लगे तो भी गलत फहमी, दम्भ और चुगल-खोरी फैलने नहीं पाती। ‘क’ की बात ‘क’ को ही कह देने से उसे दूसरों के सामने कहते फिरने की वृत्ति कमज़ोर हो जाती है।”

भाई मश्वाला ने उपरोक्त उद्गारों में महात्माजी के जिस जीवन सूत्र की चर्चा की है वह बहुत ही बहुमूल्य है।

आचार्य भिष्णु ने साधुओं और श्रावकों को यही शिक्षा दी थी। निन्दा और विषमवाद को मिटाने के लिए उन्होंने लिखा था—“कोई व्यक्ति किसी साधु-साध्वी में दोष देखे, तो तत्काल उसीको कह दे अथवा गुरु को कह दे पर दूसरों को न कहे।”

दो दृष्टिकोण होते हैं—एक सुधारने का और दूसरा अपमानित करने का। जिसने दोष किया हो उसे, या गुरु को कहा जाए—यह सुधारने का दृष्टिकोण है। उन्हें न कह कर और-और लोगों को कहा जाए—यह किसी को अपमानित करने का दृष्टिकोण है। दूसरों को अपमानित कर स्वर्य आगे आने की जो भावना है वह दोषपूर्ण पद्धति है। इससे एक-दूसरे को दोषी ठहरा कर गिराने की परिपाटी हो जाती है। जिस संस्था या समाज के सदस्यों में एक-दूसरे को बोछा दिखाने की भावना या प्रबृति नहीं होती, केवल एक-दूसरे को शुद्ध रखने के लिए ही दोषी को उसके दोष की ओर ध्यान दिलाने की कर्तव्य-भावना होती है, उस संस्था या समाज के चरित्र, प्रेम और संगठन दृढ़तम होते हैं।

दोष थोपना भी पाप है, उसका प्रचार करना भी पाप है और उसकी उपेक्षा करना भी पाप है। सत्पुरुष का कर्तव्य यह है कि वह कारी सन्देह-भावना से किसी को दोषी न ठहराए। दोष देखे तो उसे, या गुरु को जताए, और कहीं उसका प्रचार न करे।

इस विषय में दो महत्वपूर्ण बातें ये हैं—(१) दोष देखे तो तत्काल कह दे। बत्काल का अर्थ उसी समय नहीं है, किन्तु लम्बे समय तक दोष को छिपाये न रखे। (२) दोषों को इकट्ठा न करे।

आचार्य भिक्षु ने कहा है—“बहुत दिनों के बाद कोई किसी में दोष बताए, तो प्रायशिचत का भागी वही है, जो दोष बताता है। जिसने दोष किया हो, उसे याद हो तो, उसे प्रायशिचत करना ही चाहिए^३।”

बहुत दिनों के बाद जो दोष बताए, उसकी बात कैसे मानी जाए ? उसकी बात में सचाई हो तो जानी जाने, परन्तु व्यवहार में उसका विश्वास नहीं होता^४।

जो दोषों को इकट्ठा करता है, वह अन्यायवादी है^५। जब आपस में प्रेम होता है तब तो उसके दोषों को छिपाता है और प्रेम टूटने पर दोषों की गङ्ढी को खोल केकता है, उस व्यक्ति का विश्वास कैसे हो ? वह विपरीत बुद्धि है^६।

दोष बताने वाला ही दोषी नहीं है, उसे सुनने वाला भी दोषी है। सुनने वालों का कर्तव्य क्या होना चाहिए ? इसे भी आचार्य भिक्षु ने स्पष्ट किया है—“कोई गृहस्थ साधु-साधिवर्या के स्वमाव या दोष के सम्बन्ध में कुछ बताए तो श्रोता उसे यह कहे कि मुझे क्यों कहते हो, या तो उसीको कहो या गुरु को कहो, जिससे प्रायशिचत देकर उसे शुद्ध करें। गुरु को नहीं कहोगे तो तुम भी दोष के भागी हो, तुम में भी वकता है। मुझे कहने का अर्थ क्या होगा ? यह कह कर उस भ्रमेले से अलग हो जाएँ, उस पंचायत में न कैसे^७। दोष के प्रकरण को लेकर आचार्य भिक्षु ने एक पूरा ‘लिखित’ लिखा। उसका सारांश इस प्रकार है—

(१) साधु परस्पर साथ में रहे उस स्थिति में किसी से कोई दोष हुआ हो तो उसे अवसर देख कर शीघ्र ही जाता दे, पर दोषों का संग्रह न करे।

(२) जिसने दोष किया हो वह प्रायशिचत करे तो भी गुरु को जाता दे।

१-लिखित १८५०

२-क-साध्वाचार ढाल १५ गा० ७ :

घणा दिनांरा दोष बतावे, तें तो मानवा में किम आव ।

साच भूठ तो केवली जाणे, छुद्मस्त प्रतीत न आणे ॥

ख-लिखित १८५०

३-लिखित १८५०

४-साध्वाचार ढा० १५ गा० ६ :

हेत माहे तो दोषण ढांके, हेत टूटां कहतो नहीं सांके ।

तिणरी किम आवे परतीत, उणनें जाण लेणो विपरीत ॥

५-लिखित १८५०

(३) वह प्रायदिन न करे तो दोष को पन्ने में छिप उससे स्वीकृत करा, उसे चाँप दे और कह दे कि इसका प्रायदिन न कर लेना। इसका प्रायदिन न आए तो भी गुरु को कह देना। इसे यालना मत। जो तुमने नहीं कहा तो तुम्हें कहना दोगा। मैं दोषों को दबा कर नहीं रखूँगा। जिस दोष के बारे में तुम्हें सन्देह है, उसे मैं सन्देह की भाषा में कहूँगा और जिसे निःसन्देह जानता हूँ उसे असंदिग्ध न्य से कहूँगा। अब भी तुम सँभल कर चलो।

(४) आवश्यकता हो तो उसी के सामने घट्टथ को जाए।

(५) श्रेष्ठ-ज्ञान हो तो घट्टथ को न कहे। जहाँ आचार्य हो वहाँ आज्ञाए।

(६) गुरु के उमीप आकर अड़ंगा झूटा न करे।

(७) गुरु किसे उच्चा ठहराए और किसे झूटा ठहराए? लक्षणों से किसी को उच्चा जाने और किसी को झूटा, परन्तु निश्चय कैसे हो सकता है? आलोचना किये दिना वे प्रायदिन नहीं हैं! उन्हें द्रव्य, सेत्र, काल, भाव देख कर न्याय तो करना ही है।

(८) किन्तु दोष बताने वाला सावधान रहे। वह दोषों का संग्रह न करे। जो बहुत दोषों को एकत्रित कर आएगा वह झूटा प्रमाणित होगा। वास्तव में क्या है वह तो सर्वज्ञ जाने पर व्यवहार में दोषी वह है, जो दोषों का संग्रह करता है।

जिस के बारे में मन थंकाओं से भर हो उससे सीधा सम्पर्क स्थापित कर दे—वह मन का उनावान याने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त ये सूत्र भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं—

(१) किसी में जोई दोष देन्हो तो उसे एकान्त में जाओ।

(२) गुरु या जुगिया को भी जादो।

(३) उसे शूद्र करने की दृष्टि से जाओ, द्वेषवद् दोष मत बताओ।

(४) अवसर देन्ह कर कल्पना जाओ।

(५) बहुत दिनों के बाद दोष मत बताओ।

(६) दोषों को इकट्ठा करके मत रखो।

(७) दोषों को छिपाओ मत।

(८) दोषों का प्रचार मत करो।

(९) दोष बताने में हिचक मत करो।

अर्हिंसक की अमय-वृत्ति पर विश्वास करते हुए आचार्य भिक्षु ने लिखा है—“गुरु, शिष्य अथवा गुरु-भाई—किरी में भी दोष देखे तो उसे जता दे। किसी से भी संकोच न करे। दोष की शुद्धि का प्रयत्न करे। जो शिष्य गुरु का दोष छिपाता है, गुरु के सम्मुख कहने में संकोच करता है, वह बहुत ही भ्रम में है, वह घर छोड़ कर खोटी हुआ है।”

२१ : विहार

तेरापंथ आचार्य केन्द्रित गण है। इसके सदस्यों में एक आचार्य होते हैं और शेष सब शिष्य। आचार्य संयम से अनुशासित होते हैं और शिष्य-चर्गं संयम और आचार्य के अनुशासन से अनुशासित होता है। अनुशासन की पृष्ठभूमि में सत्ता का बल नहीं है, किन्तु प्रेम और वात्सल्य है। शिष्यों का विनय और आचार्य का वात्सल्य—दोनों मिलकर अनुशासन को संचालित करते हैं। कुछ आधुनिक सुधारक हमारी प्रणाली को सामन्तशाही प्रणाली कहने में गर्व का अनुभव करते हैं। इसमें उनका दोष भी नहीं है। श्रद्धा का सर्व भी जो न कर सके उनके लिये सब जगह सामन्तशाही है। तर्क सदा संग्रह की परिक्रमा करता है। श्रद्धा में सर्वपण होता है। श्रद्धालु के लिये श्रद्धा सुधा होती है और श्रद्धेय के लिये विष। श्रद्धेय वही होता है जो उस विष को पचा सके। श्रद्धालु श्रद्धा करना जानता है पर वह कैसे टिके, यह नहीं जानता। यह श्रद्धेय को जानना होता है कि वह कैसे टिके? यह श्रद्धा का ही चमलकार है कि आचार्य आदेश देते जाते हैं और साधु-साच्चियों सहें होकर उसे स्वीकार करते जाते हैं। माघ शुक्ल सप्तमी का दिन, जो मर्यादा महोत्सव का दिन है, वहाँ कुठूल का दिन होता है। उस दिन साधु-साच्चियों के भाग्य का निर्णय होता है। किस साधु-साच्ची को आगामी वर्ष कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, कहाँ चतुर्मास विताना है, यह प्रश्न तब तक उसके लिये भी प्रश्न होता है, जब तक आचार्य उसके विहार-क्षेत्र की घोषणा नहीं करते हैं। तब दर्शक आनन्द-विमोर हो जाते हैं, जब आचार्य साधु-साच्चियों को विहार का आदेश देते हैं और वे समान के साथ उसे स्वीकार करते हैं।

आचार्य भिक्षु ने अनुभव किया कि छोटे-छोटे गाँव खाली हैं और बड़े-बड़े गाँव साधुओं से भरे हैं। साधुओं की दृष्टि उपकार से हटकर सुविधा पर टिक रही है। उन्होंने व्यवस्था की—“सब साधु-साच्चियों विहार, शेष-काल

१-साध्वाचार ढाल १५ गा० ३ :

गुरु बैला ने गुरु भाई माई, दोष देखे तो देपो बताई।
त्यांसू पिण करणो नहीं टालो, तिणरो काढणो तुरत निकाळो ॥

या चतुर्मास नारदचंदो (चर्दनान आचार्य) की आज्ञा से करे, आज्ञा के बिना कहीं न रहें ।”

उन्होंने बताया—“लुङ्ग-सुविवाक्षे विहार-क्षेत्रों की मनता कर बहुत जीव चारित्र से भ्रष्ट हो जाते हैं ।” इसलिए “सुरस आहार मिले वहाँ भी आज्ञा के बिना न रहें ।” लुङ्ग साक्षु चाला कहते हैं—“लुङ्गे क्षेत्र में उपकार होता है तो भी वहाँ नहीं रहते । अच्छे क्षेत्र में उपकार नहीं होता है तो भी वहाँ रहते हैं । ऐसा नहीं कहता है । चतुर्मास अवतर हो तो किया जाय, पर शेष-काल में तो रहना ही चाहिए । किंतु के स्वान-पान चमन्दी लोलुपता की दाँका यहै, तो उच्चे वडे कहे वैसा कहना चाहिए । दो साक्षु विहार करें, वडे-वडे सुख-सुविवाचनी क्षेत्रों में शोषणताकथा बनते रहें, आचार्य जहाँ रहते, वहाँ न रहें—इस प्रकार कहना अनुचित है । वहाँ बहुत साथ रहें वहाँ दुःख माने और दो ने सुन्न नाने—शोषणताकथा यह नहीं कहना चाहिए ।”

ग्रान् और नगर की ओर समस्या आज है उत्तराखण्ड के तभी कर चुके थे । गाँवों की अपेक्षा यहरों में आकर्षण-गतिक अविक्ष होती है । पट्टाथों की साक्षु-सदा कितनी यहरों ने होती है उत्तराखण्ड गाँवों में नहीं होती । वार्मिक उपकार कितना गाँवों ने होता है उत्तराखण्ड में नहीं होता । महात्मा गांधी ने भी गाँवों पर अपनी दीर्घि केन्द्रित की थी । राजनीतिक उत्थाएँ भी चार-बार ग्रान्-सुन्वर्क के लिए यद्य-याज्ञा की व्यवस्था किया जाती है ।

आचार्य मिश्र जा ग्रान्-विहार जा सूत्र हमारे आचार्यों ने क्रियान्वित किया है । साक्षु-साक्षियों को विहार-क्षेत्र जा जो पत्र सींपा जाता है, उसमें चतुर्मास के लिए एक क्षेत्र निश्चिन्त होता है और उसमें उठके आनुपास के गाँवों के नाम भी लिखे होते हैं । उच्च क्षेत्र ने चातुर्मास करने वाला नाक्षु उचके रमी-पवरी गाँवों ने जाता है, रहता है और कहाँ कितनी गत रहा, उसकी तालिका आचार्य से निछले पर उन्हें निवेदित करता है । आचार्य मिश्र ने गाँवों में विहार करने की ओर गग जा व्यान सींचकर जाकु-चंच पर बहुत उपकार किया है ।

विहार के सम्बन्ध में उन्होंने दूसरी बात यह कही—“आचार्य की आज्ञा

१-लिखित १८५६

२-लिखित १८५८

३-लिखित १८५०

४-लिखित १८५०

या विशेष स्थिति के बिना साधु-साध्याँ एक क्षेत्र में विहार न करें ।” जिस गाँव में पहले साध्याँ हों वहाँ साधु न जाएँ और जहाँ साधु हों वहाँ साध्याँ न जाएँ । पहले पता न हो और वहाँ चले जाएँ तो एक रात से अधिक न रहें । कारणवश रहना पड़े तो मिक्षा के घरों को बौट लें ।”

इस व्यवस्था के अनुसार जहाँ आचार्य हो अथवा उनकी आज्ञा हो, वहाँ एक गाँव में साधु-साध्याँ दोनों रहते हैं । उसके सिवाय एक गाँव में नहीं रहते ।

आचार्य भिक्षु ने गण की व्यवस्था में भगवान् महावीर के आठ सूत्रों को क्रियान्वित किया । भगवान् ने कहा था—इन आठ स्थानों में भली भाँति साधारण रहो, प्रयत्न करो, प्रमाद मत करो । वे ये हैं—

- (१) अश्रुत धर्मों को मुनने के लिए प्रयत्नशील रहो ।
- (२) श्रुत धर्मों का ग्रहण व निश्चय करने के लिए प्रयत्नशील रहो ।
- (३) संयम के द्वारा पाप-कर्म न करने के लिए प्रयत्नशील रहो ।
- (४) तपस्या के द्वारा पुराने पाप-कर्मों को नष्ट करने के लिए प्रयत्नशील रहो ।
- (५) अनाश्रित शिष्य-चर्चा को आश्रय देने के लिए प्रयत्नशील रहो ।
- (६) नव-दीक्षित साधु को आचार-गोचर सीखाने के लिए प्रयत्नशील रहो ।
- (७) ग्लान की अग्लान भाव से सेवा करने के लिए प्रयत्नशील रहो ।
- (८) साधार्मिकों में कोई कलह उत्पन्न होने पर आहार और शिष्य-कुल के प्रलोभन से दूर, पक्षपात से दूर, तटस्थ रह कर चिन्तन के लिए कि मेरे साधार्मिक कलह-मुक्त कैसे हों । प्रयत्नशील रहो, उस कलह को उपशान्त करने के लिए प्रयत्नशील रहो ।

अध्याय ७

अनुभूतियों के महान् स्रोत

आचार्य भिक्षु चिन्तन के सतत् प्रवद्धमान स्रोत थे। उनसे अनेक धाराएँ प्रस्फुटि हुई हैं। हम किसी एक धारा को पकड़ कर उसके स्रोत को सीमित नहीं बना सकते। उनके एक में सब और सब में एक है। अनुभूति की धारा में से सब धाराएँ निकली हैं और सब धाराओं में अनुभूति का उत्कर्प है। उनकी अनुभूति में शास्त्रत सत्यों और युग के भूत, भावी और वर्तमान के तथ्यों का प्रतिविम्ब है।

: १ : कथनी और, करनी और

कथनी और करनी का मेद जो होता है, यह नई समस्या नहीं है। यह मानव-स्वभाव की दुर्वलता है, जो सदा से चली आ रही है। इस श्रुति-सत्य को आचार्यवर ने इन शब्दों में गाया है :

जो स्वर्य आचरण नहीं करते
अज्ञानी बने हुए चिल्लपों मारते हैं
वे गुरुओं के समूह में
गचे की मांति भौंकते हैं।

: २ : भेख का सुलावा

जीवन के बनने विगड़ने में तीन बगों का प्रमुख हाथ होता है—माता-पिता, मित्र और गुरु। इनमें सबोंपरि प्रभावशाली व्यक्ति गुरु होते हैं। गुरु कलाचार्य को भी कहा जाता है और धर्माचार्य को भी। गुरु का भावात्मक अर्थ है शिक्षा का स्रोत। वह पवित्र होता है, व्यक्ति की पावन प्रेरणाएँ मिलती हैं, वह अपवित्र होता है, व्यक्ति को अपवित्र प्रेरणाएँ मिलती हैं। जो

धर्म-गुरु का भेष पहने हुए होता है और कर्तव्य में कुणुरु होता है उनके सम्र्क-जनित परिमाणों को इन शब्दों में गैर्थ है—

कुण्ड पर जाजिम विछी है

चारों कोनों पर भार रखा हुआ है

कोई भुलावे में आ, उस पर ढूब जाए उसकी क्या गति होती है ?

वह कुण्ड में ढूब जाता है

कुणुरु कुण्ड के समान हैं

जाजिम के समान उसका भेष है

जो वेष के भुलावे में आ जाता है

वह उसकी कुशिक्षाओं में ढूब जाता है

कुणुरु भड़भूँजा के समान है

उसकी मान्यता भाङ्ग के समान है

अशानी जीव धास-फूस के समान हैं

कुणुरु उन्हें मिथ्या-विश्वासों की भाङ्ग में झोंकते हैं !

: ३ : बहुमत नहीं, पवित्र श्रद्धा चाहिए

जन-साधारण में बहुमत का अनुकरण करने की परम्परा रही है। सत्य के अन्वेषकों ने इस पर सदा प्रहार किया है। “मैं तो सबके साथ होऊँगा”—भगवान् महावीर ने कहा—यह बाल-चिन्तन है^२। महात्मा गांधी ने कहा—बहुमत नास्तिकता है। आचार्य मिष्टु की उक्ति है—

बहुमत के भरोसे कोई न रहे

निर्णय करो, परखो

लोक भाषा में भी कहा जाता है

घी खाओ, घृत-पात्र नहीं

थोड़ी या अधिक संख्या में नहीं

१-साध्वाचार ढाल १० गा० ह—८ :

जाजिम विछाइ कूचा उपरें, चिह्नं कांनी रे मेल्यों उपर भार। भोड़ा बेसे तिण उपरें, ते ढूब मरें रे तिण कूचा मझार॥ तिम कुणुर छें कूचा सारिपा, जाजिम सम रे कर्ने साधरो भेष। त्याने गुरु लेखव वंदणा करें, ते ढूबें रे मुरख अन्ध अदेख रे॥ कुणुरु भड़भूँजा सारिपा, त्यांरी सरधा हो खोटी भाङ्ग समाण। भारी करमां जीव चिणा सारिपा, त्याने झोखेहो खोटी सरधा में आंण॥

२-उत्तराध्ययन ५७

आत्म-कल्याण साधना में है
समाधान उन्हें मिलता है
जिनके हृदय में पवित्र श्रद्धा होती है^१।

: ४ : अनुशासन और संयमी

तामिल कवि मुन्सरै मरुदनाट ने कहा है—“यदि किसी मनुष्य के पास अपार धन सम्पत्ति हो, पर उसमें सच्चा संयम न हो ऐसे व्यक्ति को अधिकार देना

बन्दर के हाथ में मशाल देने के बराबर है^२।

मशाल, न दुके और न दूसरों को जलाये—यह तभी हो सकता है जब वह योग्य व्यक्ति के हाथ में हो। संयमहीन भी और साधु भी, ये दोनों विरोधी दिशाएँ हैं—

अंकुश के विना जैसे हाथी चलता है
लगाम के विना जैसे घोड़ा चलता है
वैसे ही संयम के विना कुण्डल चलता है
वह केवल कहने के लिए साधु है^३।

: ५ : श्रद्धा दुर्लभ है।

भगवान् महावीर ने कहा—श्रद्धा दुर्लभ है। स्वामीली ने इसे अपने हृदय की अनुभूति के रंग में रंग कर एक नया सौन्दर्य प्रदान किया है—

यह जीव अनन्त जीवों को सिद्धान्त पढ़ा चुका है
अनन्त जीवों से सिद्धान्त पढ़ चुका है

१-थोहरा धर्णां रो कारण को नहीं रे
सुध सरधा थी पांमे सदा समाध रे
धर्णां रे भरोसे कोइ रहिज्यो मती रे
सुध सारधा ने चलगत मीठी जोय रे
लोक भाषा में पिण इण विध कहे रे
धी खाधो पिण कुछडो न गयो कोय रे
२-तामिल साहित्य और संस्कृति पृ० ८६

३-साध्वाचार चौपर्छ ढा० १ गा० ३५ :
विन अंकुस जिम हाथी चाले, घोड़ो विगर लगाम जी।
एहवी चाल कुण्डल री जाणो, कहिवा नै साधु नाम जी॥

यह जीव सब जीवों का गुरु बन चुका है
 यह जीव सब जीवों का शिष्य बन चुका है
 पर सम्यक्-श्रद्धा के बिना आन्ति नहीं मिटी
 बीज के बिना हल चलता है
 पर खेत खाली रह जाता है
 वैसे ही शैल्य-चित्त से पढ़ने वाला परमार्थ को नहीं पाता^१
 जो परमार्थ को नहीं पाता वह प्रतिविम्ब को पकड़ बैठ जाता है। उसे
 मूल नहीं मिलता।

लाखों कुँड जल से भरे हैं
 उनमें चन्द्रमा का प्रतिविम्ब है
 मूर्ख सोचता है चन्द्रमा को पकड़ लूँ
 परन्तु चन्द्रमा आकाश में रहता है
 प्रतिविम्ब को चन्द्रमा मानता है
 वह बुद्धि से विकल है।
 वैसे ही वाहान्चार को जो मूल मानता है
 वह अशान-तिमिर में डूबा हुआ है^२।

- १-केइ भणे भणावे करना नामता रे
 बले परसंस्या मान बढ़ाई हेत रे
 सूने चित परमारथ पायो नहीं रे
 ज्यूं बीज विण खाली रह गयो खेत रे
- २-कूँडा भरीया जल सुं लाखां गमे रे
 सगले छे चन्द्रमा नों प्रतिवंव रे
 मूरख जाणे गिरलेऊँ चन्द्रमा रे
 ते तो आकासे अंतरलव रे
 प्रतिविम्ब ने जो कोई माने चन्द्रमा रे
 ते तो कहीजे विकल समान रे
 ज्यो गुण विण सरधे साधु भेष ने रे
 ते हूतां मिथ्याती पूर अग्यान रे

: ६ : जैन-धर्म की वर्तमान दशा का चित्र

जैनधर्म की वर्तमान अवस्था का उन्होंने सजीव चित्रण किया है—
 भगवान् महावीर के निर्वाण होने पर घोर अन्धकार छा गया है
 जिन-धर्म आज भी अस्तित्व में है
 पर जुगनू के चमत्कार जैसा
 जैसे जुगनू का प्रकाश क्षण में होता है
 क्षण में मिट जाता है
 साधुओं की पूजा अल्प होती है
 असाधु पूजे जा रहे हैं
 यह सूर्य कभी उग रहा है
 कभी अस्त हो रहा है
 मेख-धारी बढ़ रहे हैं
 वे परस्पर कलह करते हैं
 उन्हें कोई उपदेश दे तो
 वे क्रोध कर लड़ने को प्रस्तुत हो जाते हैं
 वे शिष्य-शिष्याओं के लालची हैं
 सम्प्रदाय चलाने के अर्थी
 बुद्धि-विकल व्यक्तियों को मूँड इकट्ठा करते हैं
 गृहस्थों के पास से रूपये दिलाते हैं
 शिष्यों को खरीदने के लिए
 वे पूज्य की पदबी को लेंगे
 शासन के नायक बन बैठेंगे
 पर आचार में होंगे शिथिल
 वे नहीं करेंगे आत्म-साधन का कार्य
 गुणों के बिना आचार्य नाम धराएँगे
 उनका परिवार पेटू होगा
 वे इन्द्रियों का पोषण करने में रत रहेंगे
 सरस आहार के लिए भटकते रहेंगे।

१-साध्वाचार चौपैर्ड ढाल ३ गा० ६—१४ :

जदू पिण पाखंडी था अति घणा रे,
 तो हिवड़ां पिण पाखंडी नो जोर रे।

कैराण्य घटा है, मैख बढ़ा है
हाथी का भार गधों पर लदा हुआ है
गधे यक गण, बोझ नीचे ढाल दिया

बीर जिनद मुगत गयाँ पछौरे,
भरत में हुओ अंधारों घोर रे ॥
तिण में धर्म रहसी जिनराज रो रे,
थोड़ो सो अग्यानों चमत्कार रे ।
झवको परे ने बले मिट जांवसी रे,
पिण निरन्तर नहीं इकबीस हजार रे ॥
अल्प पूजा होसी सुध साध री रे,
आगंच बीर गया छे भाष रे ।
असाधु री पूजा महिमा अति घणी रे,
ठाणाअंग माँहे तिणरी साख रे ॥
ऊरे ऊरे ने बले ऊगियो रे,
तो आथमियाँ विन किम उगाय रे ।
इण न्याय भवियण नहिं धर्म सासतो रे,
हुयहुय झलपट ने बुझ जाय रे ॥
लिंगरा लिंगरी वधसी अति घणा रे,
करसी मांहों मांहि झगडा राढ रे ।
जे कोई काढे तिण में खुंचणी रे,
क्रोध कर लडवा ने छे तयार जी ॥
चेला चेली करण रा लोभीया रे,
एकत मत वांधण सूं काम रे ।
विकलां ने मूँड मूँड भेला करे रे,
दिराए गृहस्थ ना रोकड दाम रे ॥
पूजरी पदवी नाम धरावसी रे,
में छाँ सासण नायक सांम रे ।
पिण आचारे ढीला सुध नहिं पालसी रे,
नहिं कोई आतम साधन काम रे ॥
आचार्य नाम धरासी गुण विना रे,
पेट भरा ज्यारो परवार रे ।

इन काल में ऐसे मेलबारी हैं ।

उनका भगवान् ब्रह्मवीर के प्रति आत्म-निवेदन मी बड़ा नार्मिक है—

भगवन् ! आज यहाँ कोइ उर्वश नहीं है

और शुद्धेश्वरी भी, विज्ञिल हो चुके

आज कुहुदि कदाग्रहियों ने

चैन-वर्ण को बौद्ध दिया है

छोड़ कुक्षे हैं चैन-वर्ण को

गहा, नदापाता सद

प्रभो ! चैन-वर्ण आज विद्वा में है

केवल द्वान्-शूल भेद बहु रहा है

इन नानधारी चाहुओं ने

ये शूर्प के छिपे

दूरे, दूरों की घरण के ली है

इन्हें कैसे जित नार्ग पर आवा जाए

हनकी विचार बाग का

कोइ लिर-पेर नहीं है

इन्हें न्याय की बात कहने पर

ये कल्प करने को वैयार हो जाते हैं

प्रभो ! हुनते कहा है

चन्द्रगुरुन, द्वान्, चारिक और उप !

दुर्लिंग के नार्ग चही है

मैं इनके लियाप किसी को

लकड़ी तो हूसी इंद्री धोषवा दे,

ऋषि कर ल्यासी सरस आहार दे ॥

तकसी तो देखी आरा डामला दे,

स्त्रियासी ए जाणी जीमणवार दे ।

पांद जीमें जिहां जासी पावरा दे,

आन्या लोपे हूसी बैकार दे ॥

१-नान्याचार चौपहु ढाल हि गा० २८ :

कैराग बद्धो ने भेष विद्यो, हाथ्यां रो भार गधां लहियो ।
यक गदा बोज दियो रालो, पहवा भेष वारी पांचमें कालो ॥

मुक्ति-मार्ग नहीं मानता
मैं अरिहंत को देव
और मानता हूँ गुरु निर्गन्थ को ही
धंस वही है सत्य सनातन
जो कि अहिंसा कहा गया है
शेष सब मेरे लिए भ्रम-जाल है
मैं प्रगो ! तुम्हारा शरणार्थी हूँ
मैं मानता हूँ प्रमाण तुम्हारी आज्ञा को
तुम्ही हो आधार मेरे तो
तुम्हारी आज्ञा में मुझे परम आनन्द मिलता है^१

: ७ : आकाश कैसे संधे ?

वे पवित्रता के अनन्य भक्त थे । उनका अभिमत या कि सब पवित्र हों । जहाँ मुखिया अपवित्र हो जाता है वहाँ बड़ी कठिनाई होती है—
आकाश फट जाये ।
उसे कौन सांचे ?
गुरु सहित गण विगड़ जाए ।
उस संघ के छेदों को कौन रोके^२ ?

: ८ : क्रोध का आवेग

क्रोध के आवेश से परिपूर्ण मनोदशा में एक विचिन्त्र प्रकार की उछल-
कूद होती है । उसका वर्णन इन शब्दों में है—
क्रोध कर वे लड़ने लग जाते हैं
इस प्रकार उछलते हैं
जैसे माड़ में से चने उछलते हों^३

१-चीर सुणो मोरी बीनती की ढाल :

२-साध्वाचार चौपर्ह ढाल है दूहा ४ :

आभे फाटे थीरारी, कुण छे देवणहार ।

ज्यूँ गुरु सहित गण विगड़ियो, त्यारे चहुं दिस परिया बघार ॥

३-साध्वाचार चौपर्ह ढाल २१ गा० ३० :

जो वरतां री चरचा करें लां आगें, तो क्रोध करे लडवा लागें ।
जाणे भाव मा सू चिणा उछलीया, कर्म जोगे गुर माठा मिलीया ॥

: ३ : विनीत-अविनीत

विनीत और अविनीत की अनेक परिमाप्राण हैं। आचार्य मिथु ने परिमाप्राणों के अतिरिक्त उनका ननोवैज्ञानिक विवलेषण भी किया है। उसके हुँडेक दब्द ये हैं—

“एक गाढ़ विनीत है और दूसरा अविनीत। विनीत अच्छा गता है और जो अविनीत है वह गाना नहीं जानता। गाने वाले की लोग उराहना करते हैं वह वह नन में चलता है और लोगों को छहता है—

वह गाना कर जनता ओ प्रसन्न करता है और मैं तत्त्व सिद्धाता हूँ^१।

इह शुद्ध आ गुणात्माद् सुनकर भी प्रसन्न नहीं होता। शुद्ध का अवशुद्ध सुनता है जो वह चिल उठता है^२।

इह शुद्ध की बगड़री करता है। उड़ा हुआ पान जैसे दूसरे पानों को दिग्गाहि देता है वैसे ही अविनीत अकिञ्च दूसरों में उड़ान पैदा कर देता है^३।

१-विनीत अविनीत ढाल १ गान २२, २३ :

कोई उपगारी कंठ कलावर सावरी दे

प्रशंसा जश कीरति बोले लोग रे।

अविनीत अमिमानी सुण सुण परजले,

उणरे हरख घटे ने वधे शोग रे॥

जो कंठ कला न हुने अविनीत री दे

जो लोकां आरो बोले विपरीत रे।

यां याय २ रीक्षाया लोक ने दे

कहे हूँ चरव ओलखाऊँ लड़ी रीत रे॥

२-विनीत अविनीत ढाल १ गान २५ :

जो शुद्ध रा पिण सुण सुणेंचिलखो हुवे दे

ओगुण सुणे तो हरपत धाय रे।

एहवा अमिमानी अविनीत तेहने दे

ओलखाऊँ मवजीवां ने इण न्याय रे॥

३-विनीत अविनीत ढाल १ गान २८ :

बले करे अमिमानी शुद्ध सूँ बतोवरी दे

निण रे प्रवल अविनीतों ने अमिमान रे।

जो चढ़ चढ़ दोलाने आज्जो नहीं दे,

ज्यूँ विगज्जो विगाहे सडीयो पान रे॥

अविनीत को जब गण में रहने की आद्या नहीं होती तब वह डकौत की भाँति बोलता है। डकौत जैसे गर्भवती स्त्री को कहता है—दूम्हारे सुन्दर बेटा होगा और पढ़ोसिन को कह जाता है—इसके बेटी होगी और वह भी अत्यन्त कुलप। इसी प्रकार गुरु के भक्त-शिष्यों के सामने वह गुरु की प्रशंसा करता है और जिसे अपने अधीन हुआ जानता है उसके सामने गुरु की निन्दा करता है^१।

जो दूसरे की विशेषता को अपनी विशेषता की ओट में छिपाने का प्रयत्न करता है और जो गुण सुनकर अप्रसन्न और निन्दा सुनकर प्रसन्न होता है वह व्यक्ति-विशेष को महत्व देता है, गुण को नहीं। जो गुण की पूजा करना नहीं जानता, वह बहुत पढ़कर भी शायद कुछ भी नहीं जानता। इसलिए उसे अविनीत ही नहीं, अज्ञानी भी कहा जा सकता है। जो बड़ों का सम्मान नहीं करता और दूसरों को उमाइ कर विद्रोह पूण भावना फैलाने में ही रस लेता है उसे क्या पता कि साधना में क्या रस होता है? वह अविनीत ही नहीं है, नीरस भी है। उसने साधना का स्वाद चखा ही नहीं।

जो मुख के सामने कुछ और कहता है

तथा पीठ पीछे कुछ और

वह विष का घड़ा है, दृक्कन अमृत का लगा हुआ है

वह अविनीत ही क्या है, जीता-जागता विद्वासधात है

अविनीत को अविनीत का संयोग मिलता है

तब वह वैसे ही प्रसन्न होता है।

जैसे डायन जरख को पाकर प्रसन्न होती है^२।

१-विनीत अविनीत ढाल २ दूहा ३ :

गुरु भगता श्रावक श्राविका कर्ने,

गुरु रा गुण बोले ताम।

आपरे वश हुओ जाणे तिण कर्ने,

ओगुण बोले तिण ठाम॥

२-विनीत अविनीत ढाल ५ गा० २८ :

अविनीत नें अविनीत श्रावक मिले ए,

ते पामे धणो मन हरख।

ज्यूं ढाकण राजी हुवे ए,

चढ़वानें मिलियां जरख॥

अविनीत अपने सम्पर्क से विनीत को भी अविनीत बना देता है। जैसे—
एक व्यक्ति ने अपने बेटे का विचाह किया। दहेज में सुराल बालों ने
कहे गधे दिये। उनमें एक गधा अविनीत था। वह बल-पात्र को गिरा
प्छोड़ देता। उससे हैरन होकर उसे छोड़ दिया। वह चंगल में स्वतंत्र
रहने लगा। एक दिन वहाँ एक गाड़ीबान आया। वृश्च की छाँह में
निशाम के लिए उत्तर। बैलों को एक पेड़ से बाँध दिया और स्वर्यं रसोई
पकाने लगा। गधा धूमता-फिरता उन बैलों के पास जा पहुँचा। वह
बोला—देखो! नेरी बात मानो तो तुम इस भार ढोने के कष्ट से मुक्त हो
उकते हो।

दो बैलों में एक मामा था और दूसरा भानजा। मामा-बैल को उसकी
बात रची। किन्तु भानजे ने फटकार बताते हुये कहा—हम भार ढोते
हैं वह तुम देखते हो, पर हमारा त्वामी हमारी कितनी सेवा करता है, वह नहीं
देखते। गधा बोला व्याखिर हो तो परतंत्र ही न! भानजे ने कहा—
हम स्वतंत्र होकर कर ही क्या उकते हैं? भानजे के समझाने के बाद
भी मामा गधे के बाल में फँस गया। गाड़ी चली और मामा ने कुतुद्धि का
प्रयोग चुरू किया। वह चलते-चलते गिर पड़ा, उठाया और फिर गिर पड़ा,
चोर-जोर से चाँच लेने लगा। गाड़ीबान ने सोचा—बैल मरने वाला है।
उसने उसे नार गाड़ी में ढाल दिया। अब एक बैल से गाड़ी कैसे चले।
आन-पास गधा धूम रहा था, उसे पकड़ गाड़ी में लोत दिया। वे दोनों
दुःखी हुए—बैल मारा गया और गधे को छुतना पड़ा। उसी प्रकार कुतुद्धि
सिखाने वाला और उसीसे बाला दोनों दुखी होते हैं।

: १० : गिरगिट के रंग

अक्षित्त की पहली कसीटी है सहिष्णुता। इसे पाये विना कोई भी

१-विनीत-अविनीत ढाल २ गा० १३-१५ :

बुटक्कने गधे हुराचारी, तिण कीधी घणी खोटाई रे।
आप छाँदे रहो उजाड में, एक बलद नें कुचद सीखाई रे॥
तिण अविनीत बलद नें तुरकियां, भार गाडा में घाल्यो रे।
बुटक्कना नें आण जोतरथो, हिवे जाये उतावल सूं चाल्यो रे॥
ज्यूं अविनीत नें अविनीत मिल्यां, अविनीतपणो सिखावे रे।
पछें बुटक्कना नें बलद ज्यूं, दोनूं जणा दुख पावे रे॥

व्यक्ति मन का संतुलन नहीं रख पाता । जो परिस्थिति के बहाव में ही बहता है, थोड़े में प्रसन्न और थोड़े में अप्रसन्न हो जाता है, उसका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं होता । एक संस्कृत कवि ने कहा है—

जो क्षण में रुष्ट और क्षण में तुष्ट होता है, क्षण में तुष्ट और क्षण में रुष्ट होता है, इस प्रकार जिसका चित्त अनवस्थित है उसकी प्रसन्नता भी डराने वाली होती है^१ । आचार्य भिष्म ने ऐसे मनोभाव की तुलना सोरे से की है—

सोरा मुँह में डालने पर ठंडा लगता है

अग्नि में डालने पर वह ममक जाता है

क्षण में प्रसन्न और क्षण में अप्रसन्न होता है

वह सोरे के समान है

मोबन, जल, वस्त्र मिलने पर

जो कुत्ते की भाँति पूँछ हिलाता है

और उलाहना मिलने पर

जो संघ से अलग हो जाता है

सोरा स्वयं जलता है, दूसरों को जलाता है

फिर राख होकर उड़ जाता है

वैसे ही अविनीत व्यक्ति

अपने और दूसरों के गुणों को राख कर डालता है^२ ।

क्षण-क्षण में रुष्ट-तुष्ट होने का मनोभाव अच्छा नहीं है । उससे व्यक्ति को असन्तोष पूर्ण जीवन बिताना पड़ता है, पर स्वभाव का परिवर्तन भी कोई सहन सरल नहीं है ।

१-क्षणे रुष्टः क्षणे तुष्टः, रुष्टः तुष्टः क्षणे क्षणे ।

अनवस्थित चित्तानां, प्रसादोऽपि भयंकरः ॥

२-विनीत-अविनीत ढाल २ गा० ३१-३३ :

सोर ठंडो लागे मुख में घालियां, अग्नि माँहें घालयां हुवे तातो रे ।

ज्यूं अविनीत नं सोर री ओपमां, सोर ज्यूं अलगो पडे जातो रे ॥

आहार पाणी वस्त्रादिक आपियां, तो ड श्वान ज्यूं पूँछ हलावे रे ।

करडों कहां उठे सोर अग्नि ज्यूं गण छोड़ी एकल उठ जावे रे ॥

सोर आप बले वाले और नें, पछे राख थड़ उड़ जावे रे ।

ज्यूं अविनीत आप नें पर तणा, ज्ञानादिक गुण गमावे रे ॥

किसी के हृदय को बदलने का साधन है समझना-तुझना। किन्तु किसी का समझना समझाने वाले पर ही निर्भर नहीं है। समझाने थौर समझने वाले दोनों योग्य हों, तभी वह कार्य पूर्ण होता है, अन्यथा नहीं। इस तथ्य को प्याज के उदाहरण से समझाया है—

प्याज को सौं बार जल से धोया
पर उसकी गंध नहीं गई
अविनीत को बार-बार उपदेश दिया
पर उसका हृदय नहीं बदला
प्याज की गंध धोने पर
कुछ मंद पड़ जाती है
परन्तु अविनीत को उपदेश
देने का कोई फल नहीं होता ।

: ११ : गुरु का प्रतिविम्ब

एक व्यक्ति को विनीत शिक्षक मिलता है और दूसरे को शिक्षक मिलता है अविनीत। एक जो विनीत के पास सीखा और दूसरा अविनीत के पास, उन दोनों में कितना अन्तर है ! यह प्रश्न उपस्थित कर आचार्य ने स्वयं इसका समाधान किया है—

एक ने विनीत से बोध पाया
और एक ने पाया अविनीत से
उनमें उतना ही अन्तर है

१-विनीत-अविनीत ढाल ३ गा० २६-३० :

कांदा नें सो बार पाणी सूँ धोवियाँ,
तोही न मिटे तिणरी वास हो ।
ज्यूँ अविनीत नें गुरु उपदेश दिये घणों,
पिण मूळ न लागे पास हो ॥
कांदा री तो वास धोयाँ मुधरी पढे,
निरफल छे अविनीत नें उपदेश हो ।
जो छेड़वे तो अविनीत अवलों पढे घणों,
उणरे दिन २ अधिक कलेश हो ॥

जितना धूप और छोह में^१ ।
 जो विनीत के द्वारा प्रतिबुद्ध है.
 वह चावल-दाल की माँति सबसे घुल-मिल जाता है
 जो अविनीत के द्वारा प्रतिबुद्ध है
 वह 'काचर' की माँति अलग ही रहता है^२ ।

: १२ : उत्तरदायित्व की अवहेलना

आचार्य मिष्टु संघ-व्यवस्था के महान् प्रवर्तक थे । वे व्यवहार के क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग को बहुत महत्व देते थे । जो व्यक्ति स्वार्थी होते हैं, वे केवल लेना ही जानते हैं, देना नहीं और जो सामुदायिक उत्तरदायित्व की अवहेलना करते हैं वे संघ की जड़ों को उखाइने जैसा प्रयत्न करते हैं । इसे एक कथा के द्वारा समझाया है—

किसी व्यक्ति ने चार याचकों को एक गाय दी ।
 वे क्रमशः एक-एक दिन उसे दुहते हैं
 पर उसे चारा कोई नहीं खिलाता ।
 वे सोचते हैं एक दिन नहीं खिलाएँगे तो क्या है ?
 कल लिसे दूध लेना है वह स्वयं खिलाएगा ।
 उनकी स्वार्थ-वृत्ति का फल यह हुआ
 कि गाय मर गई
 रहस्य खुला तब लोगों ने उन्हें धिकारा
 दूध भी अब कहाँ से मिले उन्हें !

१-विनीत-अविनीत ढाल ५ गा० १५ :

समझाया विनीत अविनीत रा ए,
 त्यांमें फेर कितोयक होय ।
 ज्यूं तावडो ने छांहडी ए,
 इतरो अन्तर जोय ॥

२-विनीत अविनीत ढाल ५ गा० १४ :

विनीत तणा समझाविया ए,
 साल दाल ज्यूं भेला होय जाय ।
 अविनीत रा समझाविया ए,
 ते कोकडा ज्यूं कानी थाय ॥

इसी प्रकार को संबंध वा आचार्य से बहुत छेना चाहते हैं परन्तु उनके प्रति अपना दायित्व नहीं निमाते, वे स्वयं नष्ट होते हैं और संबंध को मी चिनाय की ओर ढक्के देते हैं^३।

जिस उन्नाज, जाति और देश में निस्त्वार्थ मात्री लोग होते हैं, उस समाज, जाति और देश का उक्तपूर्व होता है और स्त्रार्थी लोग संगठन की अपकृपा की ओर के चाहते हैं। स्त्रार्थी की दृष्टि स्त्रार्थ पर छिकती है, दायित्व उसकी ओट में छिप जाता है। स्त्रार्थ कोई हुआ ही नहीं है, परन्तु संबंध के हितों को

१-विनीत अविनीत ढाल ४ गाठ ११-१५:

किंग ही गाय दीवी स्यार ब्राह्मणां भणी रे,

ते वारे २ दूहे ताय रे।

तिणते चारे न नीरे लोभी थका रे,

स्वारे काले न दूजे आ गाय रे॥

त्वारे मांहोंमां लागो ईशको रे,

तिणसूँ दुखे २ मूँ गाय रे।

ते किंड २ हुवा ब्राह्मण लोक में रे,

ते द्रिष्टान्त अविनीत ने उलखाय रे॥

गाय सारिखा आचारज भोटकारे,

दूध सरिखो डे ज्ञान अमोल रे।

कृशिष्य निल्या ते ब्राह्मण सारिखा रे,

ते ज्ञान वा लेवे दिल खोल रे॥

आहार पाणी आदि वीयावच तणी रे,

ए न करे सार संभाल रे।

एहवा अविनीतां रे वस गुरु पठथा रे,

त्वां पिण दुखे २ क्रियो काल रे॥

ब्राह्मण वो किंड किंड हुवा बणा रे,

ते तो एकण भव समार रे।

तो गुह रा अविनीत रो कहिखो किसूँ रे,

तिण रो भव २ में हुसी विगाड रे॥

गौण बनाकर जो प्रमुख बन जाए वैसा स्वार्थ अवश्य ही बुरा है। आचार्य मिष्टु ने इसी तथ्य को उक्त पंक्तियों में अंकित किया है।

१३ : चौधराई में खींच-तान

आचार्य मिष्टु की अनुभूति की धारा कहीं तटों की सीमा में प्रवाहित हुई है तो कहीं उन्मुक्त। तटों के मध्य में बहने वाली धारा का सुखद-स्पर्श हम कर चुके हैं। अब उन्मुक्त धारा में भी कुछ हुक्कियों लगा लें।

एक खरगोश के पीछे दो बाघ दौड़े। वह भाग कर एक खोह में बुस गया। वहां एक लोमढ़ी बैठी थी। उसने पूछा—तू प्राणों को हथेली पर लिए कैसे दौड़ आया?

बहन! जंगल के सभी जानवर मिलकर मुझे चौधरी बनाना चाहते थे। मैं इस पचड़े में पहना नहीं चाहता था। इसलिए वही कठिनाई से उनके चंगुल से निकल आया हूँ—खरगोश ने अपनी भयपूर्ण मावना को छिपाते हुए कहा।

लोमढ़ी—भैया! चौधराई में तो बड़ा स्वाद है।

खरगोश—बहन! यह पद तुम ले लो, मुझे तो नहीं चाहिए।

लोमढ़ी का मन ललचाया और वह चौधराई का पद लेने खोह से बाहर निकली। वहाँ बाघ खड़े ही थे। उन्होंने उसके दोनों कान पकड़ लिए। वह कानों को गँवाकर तुरंत लौट आई।

खरगोश—अभी वांपस क्यों चली आई?

लोमढ़ी—चौधराई में खींचतान बहुत है।

यह सच है चौधराई में खींचतान बहुत है। पर उसकी भूख किनको नहीं है? जनतन्व के सुग में वह और अधिक उमर जाती है। किन्तु लोग इससे बोध-पाठ लें—अपनी योग्यता को विकसित किये बिना चौधरी बनने का यत्न न करें।

१४ : तैंवि पर चांदी का झोल

एक साहूकार की दुकान में एक आदमी आया। उसने एक पैसे का गुड़ लेना चाहा। सेठ ने पैसा ले उसे गुड़ दे दिया। उसने सोचा प्रारम्भ अच्छा हुआ है पहले पहल तौंबे का पैसा मिला है।

दूसरे दिन वह एक रुपये को भुनाने के लिए आया। साहूकार ने वह ले लिया और उसको रेजगारी दे दी। साहूकार ने प्रारम्भ को शुभ माना।

चीज़े दिन वह खोदा रखया सुनाने को आया। चाहूकार ने उसे लेकर देखा तो वह खोदा रखया था—नीचे ताँत्रा और ऊपर चाँदी का झोल था। चाहूकार ने रपये को नीचे डालते हुए कहा—आज तो बहुत बुरा हुआ। मूर्योदय होते-होते खोटे-रपये के दर्घन हुए हैं।

ग्राहक बोला—सेतजी ! नारग ज्ञानों होते हैं ? परसों में ताँत्रे का पैसा लाया था तब आप बहुत प्रसन्न हुए और उसकी बन्दना की। कल मैं चाँदी का रपया लाया था तब मी आप प्रसन्न हुए और उसकी बन्दना की। आज मैं जो रपया लाया हूँ उसमें ताँत्रा और चाँदी दोनों हैं। आज तो आपको अविक्ष प्रसन्न होना चाहिए, इसको दो बार बन्दना करनी चाहिए।

चाहूकार ने झल्लाते हुए कहा—मूर्ख ! परसों तू पैसा लाया, वह कोरे ताँत्रे का था, इच्छिए खुश था। कल रपया लाया, वह कोरी चाँदी का था, इच्छिए वह मी लग था। आज तू जो लाया है वह न कोरा ताँत्रा है और न कोरी चाँदी। यह तो बोन्हा है। नीचे ताँत्रा है और ऊपर चाँदी का पानी चढ़ाया हुआ है, इच्छिए वह खोदा है।

छहस्य पैसे के समान है। चाहु रपये के समान है। चाहु का मेप आरग करते चाला उस खोटे रपये के समान है, जो न कोरा ताँत्रा है और न कोरी चाँदी है।

छहस्य मोक्ष की आगवना कर सकता है, चाहु मोक्ष की आगवना करता है, पर मेपवारी नोक्ष की आगवना नहीं कर सकता^३।

अपने रूप में उब बन्हुएँ छुट्ट होती हैं। अशुद्ध वह होती है, जिसका अपना रूप छुट्ट दूरा हो और वह दीखे दूसरे रूप में। वह अन्तर और चाहू का मेद जनदा को मुलाके में डालता है। इसीलिए मनुष्य को पारखी चनने की आवश्यकता हुई।

परीक्षा के लिए शरीर-बल अपेक्षित नहीं है। वह बुद्धि-बल से होती है। शरीर-बल जहाँ काम नहीं देता वहाँ बुद्धि-बल उफल हो जाता है।

: १५ : बुद्धि का बल

एक जाट ने ज्वार की खेती की। फसल पक गई थी। एक रात को ज्वार चोर खेत में बुने। ज्वार के मुड़ों को तोड़ चार गधर बाँध लिए। इतने में जाट आ गया और उसने यह सारा करतब देख लिया। वह उनके पास आया और हँसते हुए पूछा—मार्ड चाहव ! आप किस जाति के होते हैं ?

उनमें से एक ने कहा—मैं राजपूत हूँ। दूसरा—मैं चाहू़कार हूँ। तीसरा—मैं ब्राह्मण हूँ। चौथा—मैं जाट हूँ।

जाट ने राजपूत से कहा—आप मेरे त्वामी हैं, इसलिए कोई बात नहीं, जो लिया जो ठीक है। चाहू़कार शृण देता है इसलिए उसने लिया, वह भी ठीक है, ब्राह्मण ने लिया है उसे मैं दिक्षिण ही मान लगा, पर यह जाट किस न्याय से लेगा ? चल, तुम्हे अपनी माँ से उलाहना दिलाऊँगा। उसका हाथ पकड़ ले गया और उसी की पगड़ी से कम्बकर उसे एक पेड़ के तने पर बौख दिया।

वह फिर आकर बोला—मेरी माँ ने कहा है—राजपूत हमारा त्वामी है, चाहू़कार शृण देता है दो ये लेते हैं वह न्याय है, पर ब्राह्मण किस न्याय से लेगा ? वह वो दिये बिना लेता नहीं। चल मेरी माँ के पास। वह उसे भी ले गया और उसी प्रकार दूसरे पेड़ के तने पर बौख आया। उन्हीं पैरों लौट आया और बोला—मेरी माँ ने कहा है—राजपूत हमारा त्वामी है, वह ले दो न्याय है, पर चाहू़कार ने हमें कब शृण दिया या ? चल, मेरी माँ तुम्हें बुलाती है। उसको भी पकड़ हाथ ले गया और उसी माँति बौख आया। अब राजपूत की बारी थी। उने आते ही कहा—ठाकुर जाहन ! जो त्वामी होते हैं वे रक्खा करने को होते हैं या चोरी करने को ? उसे भी ले गया और उसी भाँति बौख दिया। चारों को बौख याने में गया और चारों को गिरफ्तार करवा दिया। बुद्धि से काम लिया तब सज़ल हो गया। यदि वह शरीर-चल से कांम लेता तो त्वयं पिट जाता और अनाब भी चला जाता⁹।

१६ : विवेक शक्ति

परीक्षा-शक्ति नहीं होती तब तक तब समान होते हैं। तब समान हों, किसी के प्रति राग-द्वेष न हो—यह अच्छा ही है पर ज्ञान की कमी के कारण तब समान हों—यह अच्छा नहीं है। आचार्य भिन्न ‘विवेक’ को बहुत महस्त देते थे। अविवेकी के लिए काँच और रक्त समान होते हैं। तब विवेक ज्ञागता है तब काँच, काँच हो जाता है, रक्त, रक्त—

दो भाईं रक्तों का व्यापार करते थे। एक दिन बड़ा भाई अक्षमात् संसार से चल बचा। पीछे वह पत्ती और एक पुत्र को छोड़ गया। पुत्र अभी बच्चा ही था। योंडे वर्य बीते। छङ्का भी कुछ बड़ा ही गया। एक दिन उसकी माँ ने कहा—बेटा, जाओ ! यह पोटल्ली अपने चाचा के पास ले जाओ। उपर्यों की बल्लत है इसलिए कह देना, ये रक्त बैच दें—

लड़का दौड़ा। रत्नों की पोटली चाचा को सौंप दी और माँ ने जो कहा वह सुना दिया। चाचा ने उसे खोल देखा तो सारे रत्न नकली थे। उसने पोटली को बाँध उसे उसी क्षण लौटा दिया और कहला भेजा कि अभी रत्नों के भाव मन्दे हैं, जब तेज होंगे तब बेचेंगे। चाचा ने उस बच्चे को रत्नों की परख का काम सिखाना शुरू किया। थोड़े समय में ही वह इस कला में निपुण हो गया।

एक दिन चाचा ने उसके घर आकर कहा—बैठा! रत्नों के भाव तेज हैं, वे रत्न बेचने हों तो अपनी माँ से कहदो।

वह पोटली आई। उसने तत्परता से उसे खोला। देखते ही उन रत्नों को फेंक दिया। माँ देखती ही रही। उसके लिए वे रत्न थे किन्तु उसके पत्र के लिए, जो रत्नों का पारखी बन चुका था, अब वे रत्न नहीं रहे^१।

: १७ : उछाला पत्थर तो गिरेगा ही

किसी ने पूछा—गुरुदेव! साधुओं को असुख क्यों होता है, जब कि वे किसी को भी दुःख नहीं देते?

आचार्य भिष्म ने कहा—जिसने पत्थर उछाल कर सिर नीचे किया है वह तो उस पर गिरेगा ही। आगे नहीं उछालेगा तो नहीं गिरेगा। पहले दुःख दिया है वह तो सुगतना ही है। अब दुःख नहीं देते हैं तो आगे दुःख नहीं पाएँगे^२।

विवेक का अर्थ है—पृथक्करण। भलाई और बुराई दो हैं। विवेक उन्हें बांट देता है। कोई आदमी आज भला है, पर वह पूर्व-संचित बुराई का फल भोगता है। प्रश्न हो सकता है—यह क्यों? इसका उत्तर यही है कि विश्व की व्यवस्था में विवेक है।

कोई आदमी आज बुरा है पर वह पूर्व-संचित भलाई का फल भोगता है तब सन्देह होता है। उनके समाधान के लिए यह पर्याप्त है कि विश्व की व्यवस्था में विवेक है। उक्त संबाद में इसी प्रब सत्य की व्याख्या है।

१—अणुकम्पा ढाल ७ गा० १६ :

काच तणा देखी मिणकला, अणसमझाँ हो जाणे रत्न अमोल। ते निजर पड़थाँ सराफ री, कर दीघो हो तिणरो कोडथाँ मोल॥

२—हष्टान्त-१२२

: १८ : राग-द्वेष

ब्रह्मसत्य को पकड़ने में सबसे बड़ी बाधा है राग-द्वेष पूर्ण मनः स्थिति । आचार्य भिक्षु के अनुसार द्वेष की अपेक्षा राग अधिक बाधक है—

किसी आदमी ने बच्चे के मुँह पर एक चपत जमाया । लोगों ने उसे उलाहना दिया ।

किसी आदमी ने बच्चे को लड्डू दिया । लोगों ने उसे सराहा । द्वेष पर दृष्टि सीधी जाती है, राग पर नहीं जाती । द्वेष की अपेक्षा राग को छोड़ना कठिन है । द्वेष मिटने पर भी राग रह जाता है । इसीलिए वीतराग कहा जाता है, वीतद्वेष नहीं^१ ।

राग वस्तुओं का ही नहीं होता, विचारों का भी होता है । आचार्य हेमचन्द्र के अनुसार—काम-राग, स्लेह-राग को योहे प्रयत्न से मिटाया जा सकता है, पर दृष्टि-राग—विचारों के राग को उच्छेद करना बड़े-बड़े पुरुषों के लिए भी कठिन है । आचार्य भिक्षु को एक ऐसे ही रागी को कहना पड़ा—चर्चा चोर की भाँति मत करो—

एक आदमी चर्चा करने आया । एक प्रश्न पूछा । वह पूरा हुआ ही नहीं कि दूसरा प्रश्न छोड़ दिया । दूसरे को छोड़ तीसरे को हाथ डाला । तब आचार्य भिक्षु ने कहा—चोर की भाँति चर्चा मत करो ।

खेत का स्वामी भुट्ठों को श्रेणीवद्द काटता है । और चोर आ घुसे तो वह एक कहीं से काटता है और दूसरा कहीं से । हुम खेत के स्वामी की तरह क्रमशः चलते चलो । एक-एक प्रश्न को पूरा करते जाओ । चोर की भाँति मत चलो^२ ।

: १९ : विराम

प्रारम्भ और विग्रह प्रत्येक वस्तु के दो पहल हैं । मनुष्य की कोई कृति अनादि-अनन्त नहीं होती ।

विश्व अनादि-अनन्त है । जिसकी आदि न हो और अन्त भी न हो,

उसका मध्य कैसे हो ? मनुष्य की कृति की आदि भी होती है और अन्त भी होता है। इसलिए उसका मध्य भी होता है।

‘भिष्णु-विचार-दर्शन’ यह एक मनुष्य की कृति है। इसकी आदि में एक महापुरुष के जीवन का परिचय है और इसके अन्त में एक महापुरुष की सफलता की कहानी है और इसके मध्य में सफलता के साधन-सूत्रों का विस्तार है। आदि का महत्व होता है और अन्त का उससे भी अधिक, पर ये दोनों संबंधित होते हैं। लम्बाई-चौड़ाई मध्य में होती है। सफलता जीवन में होती है, पर मृत्यु सबसे बड़ी सफलता है। जिसकी मृत्यु उत्कर्ष में न हो, आनन्द की अनुभूति में न हो, उसके मध्य-जीवन की सफलता विफलता में परिणत हो जाती है।

आचार्य भिष्णु का सूत्र था—ज्योतिहीन जीवन भी श्रेय नहीं है और ज्योतिहीन मृत्यु भी श्रेय नहीं है। ज्योतिर्मय जीवन भी श्रेय है और ज्योतिर्मय मृत्यु भी श्रेय है।

चोर पल्ली विहुला ने अपने पुत्र से कहा—“विछौने पर पढ़े-पढ़े सहने की अपेक्षा यदि तू एक क्षण भी अपने पराक्रम की ज्योति प्रकट करके मर जाएगा तो अच्छा होगा ॥”

प्रमाद पूर्ण जीवन और मृत्यु में क्या अन्तर है ? आचार्य भिष्णु रात्रि-कालीन प्रवचन कर रहे थे। आसोजी नाम का श्रावक सामने बैठा-बैठा नींद ले रहा था। आपने कहा—

“आसोजी ! नींद लेते हो ! आसोजी बोले नहीं महाराज ! और फिर नींद छुर कर दी। आपने फिर कहा—आसोजी ! नींद लेते हो ! वही उत्तर मिला—नहीं महाराज ! नींद में धूर्णित आदमी सच कब बोलता है ? अनेक बार चेताने पर भी आसोजी ने नकारात्मक उत्तर दिया। नींद फिर गहरी हुई।

१-क-नैवाश्रं नावरं यस्य, तस्य मध्यं कुतो भवेत् ।

—माध्यमिक कारिका ११२

ख-जस्स नत्यं पुरापच्छा, मञ्जसे तस्स कओ सिया ।

—आचाराङ्ग १४४

ग-आद्रावन्ते च चन्नास्ति, वर्तमानेऽपि तत्था ।

—माण्डूक्य कारिका २६६

२-सुहृत्तं ज्वलितं श्रेयो, न च धूमार्पितं चिरम् ।

—महाभारत उद्योग पर्व १३२१५

और आपने कहा—आसोजी ! जीते हो ! उत्तर मिला नहीं महाराज !”
इस उत्तर में कितनी सच्चाई है। आदमी प्रमादपूर्ण जीवन जी कर भी कब
जीता है !

आचार्य भिक्षु अप्रमत्त जीवन जीते रहे और उनका मरण भी अप्रमत्त
दशा में हुआ। मध्य-जीवन में भी वे अप्रमत्त रहे। इसीलिए उनका
आदि, मध्य और अन्त तीनों ज्योतिर्मय हैं।

यह मेरी कृति उनके कुछेक ज्योतिकणों से आलोकित है। उनके
प्रकाश-पुङ्ग जीवन और ज्योतिर्मय विचारों को शब्दों के संदर्भ में रखना
सहज-सरल नहीं है। मैंने ऐसा यत्न करने का सोचा ही नहीं। परम शङ्खेश
आचार्य श्री तुलसी की अन्तः-प्रेरणा थी कि मैं महामना आचार्य भिक्षु के
विचार-दर्शन पर कुछ लिखूँ। उनके शुभाशीर्वाद का ही यह सुफ़ल है कि
मैं आचार्य भिक्षु के विचार-दर्शन की एक झांकी प्रस्तुत कर सका और तेरा-
पंथ द्विशताब्दी के पुण्य अवसर पर उसके प्रबर्तक को मैं अपनी भावभीनी
श्रद्धाञ्जलि अर्पित कर सका।



